पंचम माला, खंड 25, अंक 25 सोमवार, 26 मार्च, 1973/5 चैत्र, 1895 (शक)
Fifth Series, Vol. XXV, No. 25 Monday, March 26, 1973/Chaitra 5, 1895 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र
Seventh Session]

5th Lok Sabha

[खंड 25 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXV contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिंदी में दिये गये भाषणों आदि का हिंदी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

अंक 25, सोमवार, 26 मार्च, 1973/5 चैत्र 1895 (शक)

No. 25, *Monday, March* 26, 1973/*Chaitra* 5, 1895 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
461.	गेहूं की खेती के स्थान पर वाणिज्यिक फसलें उगाना	Shift over from Wheat Cultivation to Commercial Crops.	1–3
462.	राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् का गठन करने का प्रस्ताव	Proposal for setting up of a National Road Safety Council .	4–6
463.	भावनगर (गुजरात) में भूख से मौतें	Starvation Deaths in Bhavnagar, Gujarat	6–10
464.	आवासों का अधिग्रहण करने और उन्हें आबंटन के लिए देने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की नीति	Delhi Administration Policy regarding Requisitioning and Releasing of Accommodation.	10–11
465.	विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली दुग्ध योजना के पास उपलब्ध राशियां और दिल्ली से अनधिकृत दुग्ध डेरियों को हटाना	Funds with Delhi Milk Scheme under World Food Programme and Removal of unauthorised Dairies from Delhi. . .	11–13
466.	दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सोशल वैलफेयर स्कीम्स टू बी एक्सड्" (समाप्त की जाने वाली समाज कल्याण योजनाएं) शीर्षक से प्रकाशित समाचार	News Item captioned "Social Welfare Schemes to be Axed" appearing in Hindustan Times, Delhi	13–14
467.	शकरपुर एक्सटेंशन कालोनी, दिल्ली 51 के विकास के लिए 100 फुट चौड़ी सड़क के निर्माण की योजना	Scheme for construction of 100 feet wide road for developing Shakar Pur Extension Colony, Delhi-51	14–15
470.	गाजियाबाद में 18 वर्ष के लडके की नसबन्दी	Vasectomy of 18 year old boy at Ghaziabad	15

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य में वास्तव ने पूछा था।

*The Sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—5 L. S. S./73

*ता० प्र० संख्या *S. Q. Nos. विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
468. बिहार में गेहूं की रबी की फसल के लिए योजना और उसके लिए केन्द्रीय सहायता	Rabi Plan for Wheat in Bihar and Central Aid thereof.	16
469. नई समाज कल्याण योजनाएं	New Social Welfare Schemes.	16
471. नदियों और नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव	Proposal to Declare Rivers and Water channels as National Waterways . . .	17
472. दिल्ली में स्वर्गीय राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन के मकबरे का निर्माण	Construction of Mausoleum of Late Dr. Zakir Husain in Delhi	17
473. केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशकों की बैठक	Meeting of Managing Directors of Central Warehousing Corporation . . .	17–18
474. सरकार द्वारा अनाज के वितरण की व्यवस्था करने में हुई प्रगति	Progress in Establishment of Public Distribution System of Foodgrains	18
475. हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों के निर्माण कार्य पर बिजली की कमी का प्रभाव	Effect of Shortage of Power on Ship Building in Hindustan Shipyard	18
476. गेहूं के थोक व्यापार को सरकारी नियन्त्रण में लेने का विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित 'मार्किट यार्ड स्कीम' पर प्रभाव	Effect of take over of Wholesale Trade in Wheat on World Bank Financed Market Yard Scheme	19
477. विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की समस्याओं के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal for a Joint Consultative Committee for problems of Universities and Academic Institutions	19
478. गन्ना उत्पन्न करने वाले किसानों को अनुसंधान के साथ सम्बद्ध करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की योजना	Scheme of I. C. A. R. for Association of Cane Farmers with Research.	19–20
479. देशी चिकित्सा प्रणाली और लद्दाख में जड़ी बूटियों का उत्पादन	Indigenous System of Medicines and Production of Medical Herbs in Ladakh . .	20
480 उड़ीसा में खरीफ की फसल के उत्पादन में कमी	Shortfall in Kharif Production in Orissa	20

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4528.	दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत इंडो-लेबनान् नलकूप योजना में काम कर रहे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान	Payment of salary to Employees working in Indo-Lebnon Tube-well Scheme under Delhi Administration	20–21
4529.	विश्व बैंक के ऋण से ट्रैक्टरों के आयात का प्रस्ताव रद्द किया जाना	Cancellation of import of Tractor under World Bank Credit	21
4531.	दिल्ली नगर निगम को केन्द्रीय सहायता	Central Aid to Delhi Municipal Corporation	21–22
4532.	तेलवाहक जहाज बनाने के लिए विदेशी फर्म को ठेके दिए जाने के कारण	Reasons for giving Contracts for Building Tankers to Foreign Firm	22
4533.	समाज के गरीब परिवारों तथा अन्य कमजोर वर्गों को अपने मकान बनाने के लिए सहायता देने की योजना	Scheme to assist poor Families and other Weaker Sections of the Society to build houses of their own	22–23
4534.	भूमिगत जल सम्बन्धी जांच	Ground Water Investigations	23
4535.	यवतमाल (महाराष्ट्र) के निकट वानी में खज़ाने का पता लगना	Unearthing of Treasure in Wani near Yeotmal (Maharashtra)	23
4536.	काम करने के स्थलों पर पेय जल उपलब्ध कराने के लिए बैलगाडियों का प्रयोग	Use of Bullock-carts to Work-spots to make Drinking water available	23
4537.	केन्द्रीय भू–जल बोर्ड का पुनर्गठन	Restructuring of Central Ground Water Board	23–24
4538.	किशोर अपचार	Juvenile Delinquency	24
4539.	भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में सुधार	Improvement in Conditions of Landless Labourer	24–25
4540.	मैसूर के सूखा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से लोगों का अन्य राज्यों में चला जाना	Migration of people from Drought Prone Areas of Mysore to other states	25
4541.	मैसूर में चौथी योजना के दौरान लघु सिंचाई योजना 'कमांड' क्षेत्र के विकास के लिए मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for Minor Irrigation Scheme and Command Area Development in Mysore during Fourth Plan	25
4542.	कालेजों में फीस-एकीकरण के सम्बन्ध में केरल सरकार को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Kerala for unification of Fee in colleges	26

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4543.	दिल्ली में सहकारी गृह निर्माण समितियों का रजिस्ट्रीकरण	Registration of Co-operative Housing Building Societies in Delhi	26–27
4544.	दिल्ली स्कूल अध्यापक आवास निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के उप नियम	Bye-laws of the Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society Limited .	27
4545.	दिल्ली स्कूल टीचर्स को आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड, दिल्ली की कार्य स्थिति	Working of the Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society Ltd., Delhi	27–28
4546.	केरल में स्कूलों और कालेजों के भवनों में स्थान	Accommodation in School and College Building in Kerala	28
4547.	चावल के कोटे के लिए केरल का अनुरोध	Request from Kerala for Rice Quota	28
4548.	वर्ष 1972–73 के लिए खरीफ फसलों की वसूली का लक्ष्य	Kharif procurement targets for 1972-73	29
4549.	बेरोजगार डाक्टरों का विदेशों का जाना	Unemployed Doctors going Abroad	29–30
4550.	दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते का भुगतान	Payment of over-time Allowance to Staff of All-day Milk Stalls of D.M.S.	31
4551.	दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा सदस्य बनाया जाना	Enrolment of Members by Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society Ltd.	31
4552.	दिल्ली स्कूल टीचर्स को आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों को भूमि का आबंटन	Allotment of Land to the Members of the Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society Limited .	31–32
4553.	दिल्ली स्कूल टीचर्स को आपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के पदाधिकारी	Office Bearers of the Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society Ltd. . .	32
4554.	विकास कार्यक्रम के लिए जीपों की कमी	Shortage of Jeeps for Development Programme . .	32–33
4555.	दिल्ली में किए गए नसबंदी-आपरेशन	Vasectomy Operations performed in Delhi . . .	33
4556.	उडीसा को कृषि उत्पादन के लिए केन्द्रीय अनुदान और ऋण	Central Loan and grant for Agriculture Production to Orissa	33–34

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4557.	दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दुग्ध टोकनों का जारी किया जाना	Issue of Milk Tokens by Delhi Milk Scheme . . .	34
4559.	शास्त्रीय संगीत और नृत्य, नाटक तथा वृन्दगान के समारोह के आयोजन में लगे बाहर के व्यक्ति	Outsiders engaged in Festival of Classical Music and Dance, Drama and Mass Songs. .	34–35
4560.	ग्रेटर कैलाश 1 में नई दिल्ली में खुले नाले को सीवर में बदलना	Conversion of open Drain into Sewerage in Greater Kailash-I, New Delhi . . .	35
4561.	मूलचंद हस्पताल से ग्रेटर कैलाश जाने वाली सडक पर बिजली की व्यवस्था	Provision of Street light on Road Leading from Mool Cand Hospital to Greater Kailash. .	36
4562.	दोहरे मोतियाबिंघ (डबल कैट-रैक्ट) का इलाज	Cure for Double catract . .	36
4563.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि कब्जे में लेना	Possession of Land by D.D.A.	36–37
4564.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का गिराया जाना	Demolishing of Houses by D.D. A.	37
4565.	भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद के कार्यकरण का मुल्यांकन करने के लिए पुर्नविलोकन–समिति	Review Committee to Evaluate Working of I.C.S.S.R. . .	38
4566.	दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद	Posts reserved for S. C. and S. T. in Central Schools in Delhi .	39
4567.	राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों और होस्टल में न रहने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर	Rate of Scholarship to Day-scholars and Hostellers under National Scholarship Scheme	39–40
4568.	वर्ष 1974–75 में अनाज का आयात तथा आवश्यकता	Import and Requirement of Foodgrains during 1974-75	40
4569.	बेकरी उपकरणों का देश में निर्माण	Indigenous Manufacture of Bakery Equipment . .	41
4570.	भाई मतिदास स्मारक और अस्पताल के लिए भूमि का आबंटन	Allotment of Land for Bhai Mati Das Samarak and Hospitals	41

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4571.	गन्ने के विकास के सम्बन्ध में एक समिति की नियुक्ति	Appointment for a committee on Sugarcane Development.	41–42
4572.	कृषि पुनर्वित्त आयोग के सुझाव पर राज्यों में स्थापित किए गए सांविधिक निगम अथवा सरकारी कम्पनियां	Statutory Corporations or Govt. Companies set up in States on suggestion of Agriculture Refinance Commission . .	42
4573.	कृषि यंत्रों का उत्पादन और आयात	Manufacture and Import of Agriculture Implements . .	42
4574.	सिंचाई परियोजनाओं पर हुए व्यय के परिणाम स्वरुप अतिरिक्त सिंचाई क्षमता	Additional Irrigation potential created due to Expenditure on Irrigation projects . .	43
4575.	अखिल भारत नेत्र सुधार संघ 2 एफ लाजपतनगर नई दिल्ली	Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh 2 F, Lapjat Nagar, New Delhi	43
4576.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति दिल्ली के पास सदस्यों की जमा राशि	Members' Deposits with the Delhi School Teachers' Cooperative House Building Society, Delhi	44
4577.	वर्ष 1973–74 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास	Integrated Development of Rural Areas during 1973-74	44–45
4578.	1973–74 में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों का समेकित विकास	Integrated Development of Canal Irrigated Areas in 1973-74	45
4579.	देश में अधिक सिंह शरणास्थली स्थापित करने का प्रस्ताव	Proposal to establish more Lion Sancturies in the country .	45
4580.	बारीवेट राष्ट्रीय उद्यान में सिंह शरणास्थली बनाने का प्रस्ताव	Proposal for a Lion Sanctuary at Barivate National Park .	46
4581.	बायनाड कुर्ग तथा अन्य स्थानों पर वन्य जीव रक्षित क्षेत्र बनाने की योजना	Scheme for a Game Sanctuary in Wyneed, Coorg and other places	46
4582.	पश्चिम बंगाल में विश्व विद्यालय प्राध्यापकों के दो वेतनमान बनाने के बारे में अभ्यावेदन	Representation regarding two Pay Scales of University Teachers in West Bengal . .	46–47
4584.	पंजाब के पतियाला डिवीजन में मलेरिया के मामले	Incidence of Malaria in Patiala Division of Punjab . .	47–48
4585.	ग्रामीण समुदाय के लिए मेडिकल शिक्षा को नया रूप देना	Reorientation of Medical Education for Rural Community .	48
4586.	दिल्ली में संस्कृत कालेजों के अध्यापकों और कर्मचारियों को वेतन का भुगतान	Payment of Salaries to Teachers and Employees of Sanskrit Colleges in Delhi . . .	48

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4587.	नाटक प्रदर्शन अधिनियम में संशोधन	Amendement to Drama Performance Act	49
4588.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढाने की कसौटी	Criteria for upgradation of Primary Health Centres	49–50
4589.	पंचायत राज को लोकप्रिय बनाना	Popularisation of Panchayat Raj	51
4590.	सभी राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा समान रखने के सम्बन्ध में निर्णय	Decision regarding uniform Land Ceiling in All States	51
4591.	ग्रामीण और पिछडे क्षत्रों में केन्द्रीय स्कूलों का खोला जाना	Opening of Central Schools in Rural and Backward Areas	51–52
4592.	शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करना	Setting up Agro-Service Centres to provide Employment to Educated Unemployed	52
4593.	पुराने सचिवालय दिल्ली के सामने शिक्षकों का धरना	Dharana by Teachers in front of Old Secretariat, Delhi	52–53
4594.	शाहदरा डिपो के दिल्ली परिवहन निगम के ड्राइवरों तथा कंडक्टरों द्वारा हडताल	Strike by D. T. C. Drivers and Conductors of Shahdara Depot	53–54
4595.	पांचवी योजना में क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाना	Reclamation of Saline Land during Fifth Plan	54
4596.	मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को रिहायशी प्लाटों के आबंटन की योजना	Scheme for Residential Plots to Landless Labourers in Rural Areas of Madhya Pradesh	54–55
4597.	शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा बंगला देश को जहाजों की सप्लाई	Supply of Ships to Bangla Desh by S.C.I.	55
4598.	क्विलोन केरल में दुग्ध अभिशीतक (चिलिंग) संयंत्र लगाया जाना	Installation of Milk Chilling Plant in Quillon, Kerala	55
4599.	कृषकों को पम्प सेटों की खरीद के लिए ऋण	Loan to Peasants for purchase of Pump Sets	56
4600.	वर्ष 1972–73 के दौरान अनाज का उत्पादन और कमी	Food Production and Shortage during 1972-73	56

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4601.	राज्यों में अर्द्ध शुष्क, उष्ण कटिबन्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थानों की स्थापना	Setting up of Intenational Crop Research Institute for Semi-arid Tropics in States.	56
4602.	दिल्ली उच्च न्यायालय भवन का निर्माण	Construction of Delhi High Court Building	57
4603.	वर्ष 1973 की रबी फसल के दौरान यूरिया उर्वरक की कमी और उसको उपलब्ध करने के लिए कार्यवाही	Shortage of Urea during Rabi Crop of 1973 and Steps for its availability	57
4604.	भारतीय उर्वरक निगम और फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स ट्रावनकोर दवारा इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से पोटाश का आयात	Import of Potash through Indian Potash Limited by F. C. I. and F.A.C.T.	57–58
4606.	कोचीन में तेलवाहक जहाजों के लिए घाट (बर्थ) का स्थान	Location of Oil Tanker Berth at Cochin	58
4607.	पानी के जमा होने तथा खारा होने के कारण कृषि योग्य भूमि की हानि	Loss to Cultivable Areas due to water logging and salinisation	58–59
4608.	सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी	Scarcity of drinking water in drought affected areas	59–60
4609.	पांचवीं योजना अवधि में हिन्दी को प्रोत्साहन	Promotion of Hindi during Fifth Plan Period	60
4610.	केरल प्राइवेट फारेस्ट (वेस्टिंग एंड एसाइनमैंट) एक्ट, 1971 (26 आफ 1971) को संविधान की नवी अनसूची में सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Kerala Private Forests (Vesting and Assignment) Act, 1971 in Ninth Schedule of the Constitution	60
4611.	भारत में चुंगी प्रणाली के बारे में परिवहन विकास परिषद की सिफारिशें	Recommendations of Transport Development Council regarding Octroi System in India	60
4612.	दिल्ली प्रशासन द्वारा केरल सरकार के एक प्लाट का खाली किया जाना	Vacation of a plot of Land belonging to Government of Kerala, by Delhi Administration	61
4613.	सपरेटा के पाउडर का आयात	Import of Skim Milk Powder	61–62

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4614.	'साइन्स टीचिंग फुल आफ फ्लाअज' शीर्षक के समाचार	News item on "Science Teaching full of flaws" . . .	62
4615.	प्रत्येक जिले में एक हजार जरूरत मंद लोगों को रोजगार देने सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम की प्रगति	Progress of Crash Programme in providing employment to one thousand needy persons in every district . . .	62–63
4616.	कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर और मद्रास के बीच जहजों का परिवहन	Ship transport between Calcutta, Port Blair and Madras .	63
4617.	दामोदर नदी पर बर्दवान के निकट सदरघाट पर पुल	Bridge over River Damodar at Sadar Ghat near Burdwan.	63
4618.	देश में उर्वरकों की आवश्यकता	Requirements of Fertilizer in the country	64
4619.	पश्चिम बंगाल में विस्थापितों के रहन सहन की अमानवीय स्थिति सम्बन्धी आरोपों के बारे में जांच के लिए नियुक्त समिति	Committee to inquire into Allegations of Sub-Human Living Conditions of Refugees in West Bengal	64
4620.	ग्रामीण रोजगार के लिए द्रूत कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए रोजगार का स्वरूप	Nature of Jobs provided under Crash Programme for Rural Employment . . .	65
4621.	शाहदरा क्षेत्र में जाली राशन कार्ड	Bogus Ration Cards in Shahdra Area	65
4622.	केरल में वाइनाड के निकट वन्य पशु शरणस्थल	Wild Life Sanctuary near Wynad in Kerala	65–66
4623.	ग्रामीण सहकारी बचत तथा ऋण समितियों के कार्य की जांच	Examination of the working of Rural, Cooperative, Thrift and Credit Societies . .	66
4624.	पटसन के उत्पादन में सुधार	Improvement in the production of Jute	66–67
4625.	महाराष्ट्र के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋणों की वसूली में कठिनाई	Difficulty in recovery of dues of Central Cooperative Banks in Maharashtra . . .	67
4626.	सिमिलीपाल नेशनल पार्क (उडीसा) का बाघ शरणस्थल के रूप में चूना जाना	Selection of Similipal National Park (Orissa) as a Tiger Sanctuary	67
4627.	सुपर बाजार दिल्ली के घाटे में कमी	Decline in loss of Super Bazar, Delhi	68

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4628.	सूखाग्रस्त गुलबर्गा, बीजापूर और बीदर जिलों में सिंचाई के लिए कुएं बनाने के लिए धन का नियतन	Allocation of Money for Irrigation Wells in Drought-affected Districts of Gulbarga, Bijapur and Bidar . . .	68
4629.	उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of Fertilizers	68
4630.	देश में उत्पादित अमोनियम सल्फेट में से 30 प्रतिशत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना	Taking over of 30 percent of Indigenous Production of Ammonium Sulphate . . .	69
4631.	"न हानि न लाभ" के आधार पर छोटे किसानों को सिंचाई सुविधाएं देने की योजना	Scheme to provide Irrigation Facilities to Small Farmers on No Profit No Loss Basis	69
4632.	पांच बीघे भूमि वाले छोटे किसानों को सिंचाई की सुविधा	Irrigation Facility to Small Farmers having 5 Bighas of Land	69
4633.	1973 में बिजली की कमी और कृषि पर इसका प्रभाव	Shortage of Power during 1973 and its effect on Agriculture	70
4634.	'इंडिया इज फेसिंग डबल चैलेंज आन पाल्यूशन' शीर्षक से समाचार	News item that India is facing Double challange on Pollution	70
4636.	राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं	Rural Electrification Schemes in States	71
4637.	ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में प्रस्तावित रोजगार के अवसर	Employment proposed in Rajasthan under Crash Programme for Rural Employment .	71-72
4638.	गांवों में रोजगार के लिए कार्य के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश की आबंटित राशि	Central Allocation to U. P. under Crash Programme for Rural Employment . . .	72
4639.	राज्य फार्मों में कृषि मजदूरों के लिए मजूरी दरें	Wage Rates for Agricultural Labour in State Farm. .	72
4640.	केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के लिए विदेशी सहायता	Foreign Assistance for Central Ground Water Board . .	72
4641.	पिछडे हुए आदिवासी क्षेत्रों में सडकों के विकास के लिए सहायता	Assistance for Development of Roads in Backward Tribal Areas	73

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4642.	बंगला देश के साथ मछली व्यापार	Fish Trade with Bangladesh .	73
4643.	पशुपालन योजना	Animal Husbandry Scheme .	73-74
4644.	रबी की फसल के लिए गेहूं का निर्धारित मूल्य और उसका औचित्य	Price of Wheat fixed for Rabi Crop and its Justification .	74
4645.	पशूओं के लिए पौष्टिक आहार की योजनाएं	Schemes for Nutritious Food to Cattle	74-75
4646.	चाल वर्ष के लिए खाद्यान के उत्पादन का अनुमान और कमी की पूर्ति के लिए खाद्यान का आयात	Anticipated Food Production for Current Year and its import to meet the Deficit . .	75-76
4647.	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की भुवनेश्वर में हुई 18 वीं बैठक	Eighteenth Meeting of the Central Health Council at Bhubaneshwar	76
4648.	दिल्ली विश्वविद्यालय में संयुक्त छात्र अध्यापक समिति	Joint Student Teacher Committee in Delhi University .	76
4649.	उपहार योजना के अन्तर्गत वितरण करने के लिए आयात किए गए दुग्ध चूर्ण को बेचना	Sell of Milk powder imported for Distribution under Gift Scheme	77
4650.	दिल्ली मास्टर प्लान का संशोधन	Revision of Delhi Master plan.	77
4651.	खाद्यान के व्यापार के सरकारीकरण के सरकारी निर्णय का गुजरात मे विरोध	Opposion in Gujrat to Government Decision of taking over trade in Foodgrains . .	78
4652.	पांचवी योजना के दौरान ग्रामीण विकास सम्बन्धी नीति निर्धारण हेतु मार्गदर्शी अनुसंधान विकास केन्द्रों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report in Pilot Research Growth Centres for Strategy of Rural Development during Fifth Plan	78
4653.	खाद्यानों का रक्षित भंडार बनाने की योजना	Plan to Build a Buffer Stock of Foodgrains	78-79
4654.	लम्बी अवधि के हेतु कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आस्ट्रेलिया द्वारा सहायता का विस्तार	Expansion of Australian Aid for Long Range Agriculture Development Programme . .	79
4655.	शिपयार्डों की निर्माण क्षमता तथा उनके स्थल	Manufacturing Capacity and Location of Shipyards. .	79

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4656.	उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खरीफ की फसल की हुई क्षति का पता लगाने के लिए अध्ययन दल	Teams to Study Damage to Kharip Crop in U. P. and Rajasthan	80
4657.	बड़े नगरों में पटरी पर रहने वालों के लिए आश्रय स्थल	Shelters to Pavement Dwellers in Big Cities . . .	80–81
4658.	सालबोनी बाजार, मिदनापुर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में आग लग जाना	Fire in F. C. I. Godown at Salboni Bazar, Midna Pore. .	81
4659.	1970 से 1972 तक कलकत्ता बन्दरगाह से आने वाले जहाज	Ships ported in Calcutta Port from 1970 to 1972 . .	81–82
4660.	दिल्ली शिवविद्यालय और बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियां	Activities of R. S. S. in Delhi University and B. H. U. .	82
4661.	हल्दिया में जहाज बनाने के लिए शिपयार्ड की स्थापना की सिफारिश करने हेतु समिति	Committee to recommend Setting up of Ship Building Yard at Haldia	82–13
4662.	शाहदरा, दिल्ली में कुष्ट रोग संस्थानों का विलयन	Merger of Leprosy Institutions in Shahdra, Delhi . .	83
4663.	रत्नागिरी का मुख्य पत्तन के रूप में विकास	Development of Ratnagiri as a Major Port	83
4664.	एफ० सी० आई० के अन्तर्गत श्रमिक संघ को मान्यता देना	Recognition of Trade Union under F. C. I.. . . .	83–84
4665.	अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक सम्बन्धों को बढावा दे रहे सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता	Financial Help to Cultural Organisation Fostering Interstate Cultural Relations . .	84
4666.	अखिल भारतीय नेत्र सुधार संघ तथा डा० भगवान दास स्मारक न्यास को दिए गए सहायता अनुदान का दुरुपयोग	Misuse of Grant-in-aid to All India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust	84
4667.	नरेना से केन्द्रीय सचिवालय के लिए विशेष बस सेवा	Special Bus Service from Naraina to Central Secretariat . .	84–85
4668.	डी० डी० ए० की नरैना कालोनी के लिए शमशान घाट	Shamshan Ghat for Naraina, D.D.A. Colony . . .	85

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4669.	डी० डी० ए० कालोनी, नरेना, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए इमारत	Building for C. G. H. S. Dispensary in D. D. A. Colony, Naraina, New Delhi . .	85-86
4670.	दिल्ली की नरेना कालोनी में दुग्ध बूथों की स्थापना	Setting up of Milk Booths in Naraina Colony, Delhi. .	86
4671.	नई दिल्ली की विभिन्न कालोनियां से मिंटो रोड क्षेत्र में क्वार्टरों को बदलना	Change of Accommodation from various colonies of New Delhi to Minto Road Area . .	87
4672.	मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विदेशी पशु प्रजनन केन्द्र	Central Foreign Breed Cattle Centre in Madhya Pradesh.	87
4673.	मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ से चावल का निर्यात	Rice Exported from Chhatisgarh, M.P.	87
4674.	मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से केले के का निर्यात	Export of Banana grown in Madhya Pradesh and Maharashtra	88
4675.	केला विकास निगम की स्थापना	Setting up of Banana Development Corporation . .	88
4676.	शिक्षा में केन्द्रीय उत्तरदायित्व की जांच करने के लिए उप-समिति की स्थापना	Setting up of a Sub-Committee to Examine Central Responsibility in Education . .	88
4677.	पहाडी क्षेत्रों की शिक्षा समस्याओं पर समिति का गठन करना	Setting up of Committee on Educational Problems of Hill Areas	89
4678.	केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और भिन्न भिन्न राज्यों के समाज कल्याण बोर्ड	Central Social Welfare Board and Social Welfare Board of various States	89-90
4679.	बागवानी के संवर्धन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता	Central Assistance to States for Promotion of Horticulture .	90-91
4680.	केन्द्रीय होम्योपथी परिषद का गठन करना	Setting up of Homoeopathic Central Council . . .	91
4681.	महानगरों में पेय जल का बेकार जाना	Wastage of drinking water in Metropolitan cities . .	91-92
4682.	कुछ राज्यों में जंगली भैंसों को बचाने की योजना	Plan to save Wild Buffaloes in certain States . . .	92

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4683.	आयातित अनाज के लिए रुपए लेने हेतु वाणिज्यिक बैंकों से सम्पर्क	Approach to Commercial Banks for Rupee finances for imported Foodgrains . . .	92
4684.	गेहूं कर वसूल करने में भारतीय खाद्य निगम की क्षमता क बारे में मध्य प्रदेश सरकार की शंका	M. P. Government's doubt over capacity of F. C. I. in collecting Wheat Levy . . .	92-93
4685.	चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजपथ के विकास के लिए धनराशि	Amount for Development of National Highways in Madhya Pradesh during Fourth Five Year Plan	93
4686.	पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान हर जिले में कृषि स्कूल खोलना	Opening of Agricultural Schools in every District during Fifth Five year plan . . .	93
4687.	बीजों की अच्छी किस्म का निर्यात करने के लिए बातचीत	Negotiations for Export of good quality Seeds . . .	93-94
4688.	दिल्ली में गरीब लोगों के लिए मकानों का निर्माण	Construction of houses for poor people in Delhi . . .	94
4689.	मध्य प्रदेश में व्यापारियों द्वारा सूखा स्थिति का अनुचित लाभ उठाना	Exploitation of drought situation by Traders in Madhya Pradesh	94-95
4690.	पंजीकृत चिकित्सक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी तरह चिकित्सा सेवा	Efficient Medical Service to villagers under R. M. P. Scheme.	95
4691.	बच्चों की मृत्यु दर	Rate of infanite Mortality .	95-96
4693.	पर्यावरण दूषण	Environmental Pollution. .	96-97
4694.	अनधिकृत मकानों और कालोनियों को नियमित करने के मानदंड	Criteria for Regularisation of Unauthorised Constructions and Colonies	97-98
4695.	दिल्ली परिवहन निगम की पुरानी बसों को बदलने का प्रस्ताव	Proposal to Replace Obsolete Buses of D. T. C.	98
4696.	हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 5 जनवरी, 1973 में 'हार्ड डेज फार टाउटस्' शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार	News item captioned 'Hard Days for Touts' in 'Hindustan Times' dated 5th January, 1973	99
4697.	भंडारण के दौरान खाद्यानों की हानि रोकने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा एक संस्थान की स्थापना	Setting up an Institute by I. C. A. R. to check Loss of Foodgrains during Storage . .	99

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4699.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच हुए समझौते की क्रियान्विति	Implementation of Agreements between Employees and Authorities of F.C.I. . .	99–100
4700.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा	Security of service of Employees of F.C.I.	100
4701.	बिहार में ग्रामीण पेय जल योजना के लिये सहायता	Assistance for Rural Drinking Water Scheme in Bihar. .	100–101
4702.	बिहार में मध्य आय वर्ग आवास योजना की कार्यान्विति के लिए अनुदान/ऋण	Grants/Loans to States for Implementation of Middle Income Group Housirg Scheme in Bihar	101
4704.	बिहार में मुंगेर और भागलपूर में गंगा पर पुलों का निर्माण	Construction of Bridges over Ganga River at Monghyr and Bhagalpur in Bihar . .	102
4705.	गेहूं, दालों और तिलहनों की कृषि के अन्तर्गत भूमि और उनका उत्पादन	Acreage and Production of Wheat, Pulses and Oil seeds. .	102
4706.	पांचवी योजना में भूमि सुधारों की प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए पृथक सैल	Separate Cell to Review Progress of Land Reform during Fifth Plan	102
4707.	नई दिल्ली में आर० के० पुरम के सेक्टर तीन में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बूथों का निर्माण करना	Construction of D. M. S. Milk Booths in Sector III, R. K. Puram, New Delhi . .	103
4708.	उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के गंगापार इलाके में दुग्ध विकास योजना के चलाने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध	Request to Central Government to run Dairy Development Scheme in Trans Ganga Area of Allahabad, Uttar Pradesh	103
4709.	दिल्ली में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बूथ	D. M. S. Milk Booths in Delhi.	103–104
4710.	गुजरात राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए मंजूर की गई राशि	Amount sanctioned for Family Planning Programme for Gujarat	104
4711.	गुजरात में कल्याण केन्द्रों को आबंटित धनराशि	Amount allotted to Welfare Centres in Gujarat . . .	104
4712.	गुजरात में मोटे अनाज की कमी	Shortage of Course Grain in Gujarat	105
4713.	देश में खाद्यानों के लाने ले जाने पर पाबन्दी	Ban on Movement of Foodgrains in the country . . .	105–106

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4714.	फोटोलिथो प्रेस के 17 अधिकारियों द्वारा धमकी देना	Threat of 17 Officers of Photo Litho Press	106
4715.	दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति का गठन	Setting up of Committee to review the Delhi Rent Control Act, 1958	107
4716.	दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाला जमीन का किराया	Lease Rent charged by D. D. A.	108
4717.	दिल्ली के किराया नियंत्रक के पास पड़े अनिर्णीत मामले	Cases pending with the Rent Controller of Delhi . .	108
4718.	केन्द्रीय सरकार के अनाज के बढ़े व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर देने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश को निदेश	Central Directive to Bihar and U. P. to cancel Licences of Big Grain Traders . .	108–109
4719.	बिहार, पश्चिम बंगाल, और उत्तर प्रदेश में पशुपालन और मत्स्य-पालन के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता	Central aid for Development of Animal Husbandry and Fisheries in Bihar, West Bengal and U.P.	109–110
4720.	1971–72 के दौरान कलकत्ता पत्तन को हुआ घाटा	Loss suffered by Calcutta Port during 1971-72 . . .	110
4721.	परिवार नियोजन के सम्बन्ध में सही आंकड़े	Correctness of Data in respect of Family Planning . .	111
4722.	केन्द्रीय खाद्य मानक समिति द्वार सुगंधित सुपारी बनाने के लिए सैकरीन का प्रयोग करने की सिफारिश करना	Recommendation of Central Food Standards Committee re : Use of Saccharine in production Areca Nuts . .	111
4723.	राज्यों के फालतू भूमि और उसका वितरण	Surplus Land in States and its Distribution. . . .	111
4724.	मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों मे नसबंदी आपरेशनों के प्रति विरोध	Protest against Vasectomy Operation incidents in Adivasi Area of Madhya Pradesh.	112
4725.	विदेशों में अनाज खरीदने के लिए अधिक मूल्य दिया जाना	Paying Higher Cost for Foodgrains in Foreign Countries	112
4726.	भारत और मिश्र में चावल और कपास का औसत उत्पादन	Average Production of Rice and Cotton in India and Egypt .	112
4727.	कृषि मशीनरी के प्रयोग तथा कृषि कार्यों में रोजगार पर इसके प्रभाव का अध्ययन	Study of the use of Agricultural Machinery and its incidence on Employment in Agriculture Operations . . .	113

विषय	SUBJECT	PAGES
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
आन्ध्र प्रदेश में कुड्डापा में अराजपत्रित अधिकारियों के कार्यालय के परिसर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना।	Firing by the Central Reserve Police in the premises of N.G.O.'s Office at Cuddapah, Andhra Pradesh .	113
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayan . .	113
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant . . .	114–119
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	119–120
होमियोपैथी केन्द्रीय परिषद् विधेयक	Homoeopathy Central Council Bill—	120
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन और साक्ष्य	Report of Joint Committee and Evidence . . .	120
विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक—	Disturbed Areas (Special Courts) Bill—	120
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि बढाया जाना	Extension of Time for Presentation of Report of Joint Committee . . .	120
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	121
27 वां प्रतिवेदन—स्वीकृत	Twenty-seventh Report—*Adoptd*.	121
13 अप्रैल 1973 के लिए निर्धारित सभा की बैठक का रद्द किया जाना	Cancellation of Sitting of the House on April 13, 1973	121
चीनी के कारखानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में	Re. Nationalisation of Sugar Factories	122
कलकत्ता पुलिस द्वारा विस्फोटक पदार्थ बरामद किए जाने के समाचार के बारे में	Re. Reported Recovery of Explosives by Calcutta Police	122
पश्चिम बंगाल को खाद्य सप्लाई के बारे में	Re. Food Supply to West Bengal	122–123
उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प और उड़ीसा बजट, 1973–74—सामान्य चर्चा, लेखानुदानों की मांगे और अनुपूरक अनुदानों की मांगे, 1972–73	Statutory Resolution re. Approval of Proclamation in relation to Orissa & Orissa Budget, 1973-74—General Discussion, Demands for Grants on Account, 1973-74 and Supplementary Demands for Grants, 1972-73 . .	123
श्री पी० गंगादेव	Shri P. Gangadeb . .	123–124
श्री के० एस० चावडा	Shri K. S. Chavda . .	124–125
श्री देवेन्द्र सत्पथी	Shri Devendra Satpathy .	125–126
श्री अनादी चरण दास	Shri Anadi Charan Das .	126
श्री चिन्तामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi .	126–128
श्री श्याम सुन्दर महापात्रा	Shri Shyam Sunder Mahapatra	128
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandavate .	128–129

I (a)—5L. S. S./73

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी	Shri Swami Brahmanandji	129
श्रीमती टी० लक्ष्मी कान्तम्मा	Shrimati T. Lakshmikanthama	129
श्री कृष्ण चन्द्र पन्त	Shri K. C. Pant	129–131
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	131–136
उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973—पुरःस्थापित और पारित	Orissa Appropriation (Vote on Account) Bill, 1973—*Introduced and Passed*	137–138
पुरःस्थापित करने और विचार करने के प्रस्ताव	Motions to introduce and consider	137
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	137
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	137
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	137
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	137–138
उड़ीसा विनियोग विधेयक, 1973—पुरःस्थापित और पारित	Orissa Appropriation Bill, 1973—*Introduced & Passed.*	138
पुरःस्थापित करने और विचार करने का प्रस्ताव	Motions to introduce and consider	138
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	138
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	138–139
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	139
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	139
शरणार्थी सहायता कर (उत्पादन) विधेयक	Refugee Relief Taxes (Abolition) Bill—	139
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	139
श्री के० आर० गणेश	Shri K.R. Ganesh	139
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	140
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	140
श्री सरजू पांडेय	Shri Sarjoo Pandey	140
खंड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1	141
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	141
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh	141
संघ राज्यक्षेत्र कराधान विधि (संशोधन) विधेयक—	Union Territories Taxation Laws (Amendment) Bill—	141
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider	141
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	141
श्री राम रतन शर्मा	Shri R. R. Sharma	142

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	142
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1 . . .	142
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass . . .	143
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin . .	143
पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंडीगढ संशोधन)—विधेयक	Capital of Punjab (Development and Regulation) Chandigarh Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha . .	143
श्री भोला पस्वान शास्त्री	Shri Bhola Paswan Shastri .	143
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan . .	143–144
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri .	144
खंड 2 से 7 और 1	Clauses 2 to 7 and 1 .	145
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended .	145
श्री भोला पस्वान शास्त्री	Shri Bhola Paswan Shastri .	145
आंध्र प्रदेश राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक—	Andhra Pradesh State Legislature (Delegation of Powers) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha .	146
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin . .	146
श्री बी० एन० रेड्डी	Shri B. N. Reddy . .	146–147
श्री वाई० ईश्वर रेड्डी	Shri Y. Eswara Reddy . .	147–148
श्री एम० सत्यनारायण राव	Shri M. Satyanarayana Rao	148–149
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	149
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan . .	149–150
श्री रुद्र प्रसाद सिंह	Shri Rudra Pratap Singh .	150
खंड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	151
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	151
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin . .	151
आधे घंटे की चर्चा—	Half-an-hour Discussion—	
विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनियों द्वारा लाभ की राशि स्वदेश भेजी जाने पर छूट	Moratorium on Remittances of Profit by Foreign owned Cigarette Companies . .	152
श्री ज्योतिमय बसु	Shri Jyotirmoy Bosu . .	152–154
श्री सी० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam .	154–157

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 26 मार्च, 1973/5 चैत्र, 1895 (शक)

Monday, March 26, 1973/Chaitra 5, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Shift over from Wheat Cultivation to Commercial Crops

*461. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether farmers have started shifting to commercial crops by ruducing the area of cultivation of foodgrains and particularly that of wheat on account of likelihood of their not getting more than the price fixed by Government after take-over of trade in foodgrains and also due to constant increase in the prices of agricultural implements ; and

(b) if so, the remedial measures proposed to be adopted in this regard ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं, कृषकों ने खाद्यान्न अथवा गेहूं की खेती के अन्तर्गत क्षेत्र को कम करके व्यापारिक फसलों की खेती करना शुरू नहीं किया है।

(ख) प्रश्न हीं नही उठता ।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The hon. Minister has evaded the question by briefly answering 'No'. I would like to produce certain figures without which it is not possible for him to answer my question. As regards the private irrigation of his fields, the farmer has to spent 400 rupees on irrigation by well, 1,000 rupees on fertilizers, 500 rupees on seeds and 200 rupees on bullocks and labourers viz. the total expenditure amounts to Rs. 2,100. Five Acres of land yield 50 quintals of foodgrains and the farmer gets Rs. 1,750 for the same? Thus, he has to suffer an annual loss of Rs. 350.

As regards canal irrigation, the farmer has to spent Rs. 1,000 on fertilizers, Rs. 500 on seeds, Rs. 250 on irrigation and Rs. 200 on bullocks and thus it totals to Rs, 1,950. Hence, the farmer has to suffer an annual loss of Rs. 200 in the process of irrigation by canals.

2—5 L. S. S./73

The farmer, who irrigates his fields by power operated pumping sets, has to spent Rs. 750 for loan, repayment. He has to spent Rs. 500 on seeds, Rs. 1,000 on fertilizers, Rs. 200 as electricity charges and Rs. 200 on labour etc. Thus the total expenditure amounts to Rs. 2,650. This means that he has to suffer an annual loss of Rs. 900.

On one hand the farmer is suffering a loss by utilizing all these three irrigation resources and on the other the prices of the items of his consumption as well as of agriculture inputs are continuously increasing the prices of the cloth and are abnormally rising. The cost of one pair of Dhoties has risen from Rs. 11 to 25 or 30. The cost of iron has also increased. In view of these circumstances, may I know the steps Government propose to take to increase the rates of foodgrains.

Mr Speaker : The hon. Member should restrict himself to asking a question, he should not deliver a speech otherwise I will not allow him in future. At the time of discussion he can make a speech. The question should be asked in Question's form.

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मैं माननीय सदस्य की चिन्ता की प्रशंसा करता हूँ कि उत्पादकों के हितों की सुरक्षा की जाये। जहां तक गेहूं का मामला है हमारी जानकारी के अनुसार प्रत्येक वर्ष गेहूं अधिक भूमि में बोया जा रहा है। उदाहरणार्थ वर्ष 1969–70 में यह 160 लाख और वर्ष 1970–71 में 180 लाख और वर्ष 1971–72 में यह 190 लाख था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि गेहूं अधिक भूमि में बोया जा रहा है क्योंकि किसान गेहूं की खेती को अपेक्षाकृत लाभप्रद समझते हैं। यद्यपि सरकार को पता है कि खेती के काम में आनेवाली वस्तुओं का मूल्य बढ़ गया हैं परन्तु इसके साथ साथ उपज में भी वृद्धि हो गई है और मूल्य निर्धारण कृषि मूल्य आयोग के परामर्श पर किया जाता है। हमें उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखना है, अतःमूल्य न्यायोचित हैं।

Shri Nathu Ram Ahirwar : The cost of the agricultural implements is continuously rising. May I know the steps being taken by the Government to reduce the prices of the implements? Are they going to provide subsidy to the farmers ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बी० एन० रेड्डी: मन्त्री महोदय ने कहा है कि उत्पादिता में वृद्धि हुई है। क्या उत्पादन लागत में भी वृद्धि हुई है और यदि हां तो कितनी और क्या कोई सहायता देने का विचार है।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : गेहूं के सम्बन्ध में, हमारे मोट रूप से किये गये अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि गत 5–6 वर्ष में गेहूं की उत्पादिता में 51 प्रतिशत वृद्धि हुई है और उत्पादन लागत 47 प्रतिशत।

श्री लीलाधर कटकी : मन्त्री महोदय के आश्वासन से हमें प्रसन्नता है कि किसानों ने गेहूं की अपेक्षा नकदी फसलें बोनी आरम्भ नहीं की है। क्या मन्त्री महोदय एक दूसरा आश्वासन भी देंगे कि सरकार के ध्यान में वे शक्तियां हैं जो खाद्यान्नों, गेहूं और चावल के थोक व्यापार के अधिग्रहण को असफल बनाने का भरसक प्रयास करेंगी जिससे उपभोक्ताओं तथा किसानों दोनों को ही हानि होगी। क्या सरकार ने इस सभी बातों पर विचार किया है और इस बात पर ध्यान दिया है कि सरकार ने जो उपाय किये हैं उन्हें असफल सिद्ध करने में कोई निहित स्वार्थ सफल न हो ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मेरे विचार से माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा है कि क्या उपभोक्ताओं तथा किसानों के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। जहां मूल्य उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों के हित में नहीं होंगे वहां अधिग्रहण से उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों में स्थिरता आएगी।

Shri R. V. Bade : May I know whether there has been any shift in the acreage of foodgrains—wheat etc, Cotton and oilseeds? The farmer considers the comparative profitability of wheat, cotton and oilseeds at the time of sowing his crops. May I know from the Government as to which either wheat, cotton or oilseeds sowing is profitable ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : मन्त्रालय के पास जो सामान्य जानकारी है, और यह बहुत विस्तृत है। उससे ज्ञात होता है कि जैसा कि सामान्यतया विश्वास किया जाता है खाद्यान्नों की अपेक्षा नकदी फसलें अधिक नहीं बोई गई है। यद्यपि विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की फसलों में गेहूं अधिक भूमि में बोया गया है। खाद्यान्न बोये जाने वाली भूमि का क्षेत्र तथा नकदी फसलें बोयी जाने वाली भूमि का क्षेत्र लगभग पिछले वर्षों के अनुसार ही रहा है। उदाहरण के लिए गत 10 वर्षों में खाद्यान्न बोये जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में 0.62 प्रतिशत वृद्धि हुई तथा नकदी फसले बोयी जाने वाली भमि के क्षेत्रफल में 0.47 प्रतिशत। इस प्रकार नकदी फसलों के क्षेत्रफल कीं वृद्धि खाद्यान्नों के क्षेत्रफल की वृद्धि की अपेक्षा कम है।

श्री एन० रामगोपाल रेड्डी : मंत्री महोदय ने बताया है कि गेहूं बोयी जाने वाली भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है। क्या यह वृद्धि कृषि के अन्तर्गत नयी भूमि लाने से हुई है अथवा दूसरी फसलें कम भूमि में बोयी जाने से ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : बहुत से स्थानों पर उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में, बिहार में जहां चावल की खेती अधिक होती है, रबी की फसल में चावल के पश्चात गेहूं बोया जाता है। इसी प्रकार पंजाब में जहां गहूं की खेती अधिक होती है खरीफ की फसल में चावल बोया जाता है। इस प्रकार गेहूं अधिक भूमि में बोया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में दोहरी फसल उगाई जाती है। जहां दालें बोयी जाती है और गेहूं बोना लाभप्रद सिद्ध हुआ है वहाँ भी गेहूं बोया जाता है।]

Shri Narsingh Narain Pandey : Inview of the fact that cost of wheat production is more than the setting prices fixed on the basis of the recommendations of price commission, may I know whether the Government will appoint any committee including therein certain MPs and the representative of the farmers for its survey since it has been said in the report of the Vice Chancellor of Pant University, submitted recently that there will be a loss to the farmer if the prices are not increased. Therefore, Are you going to appoint a committeee?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : सदन की इच्छानुसार भारत सरकार ने कृषिमूल्य आयोग से इस मामले में जांच करने के लिए कहा है। कृषि मूल्य आयोग ने कृषि लागत आदि के परिक्षण के आधार पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

Shri Sarjoo Pandey : Since it has been decided that the foodgrains trade will be nationalized vested interests are agitating very much. There has been a strike, recently all over the country. It was propagated that the prices fixed are inadequate and the farmers will not be paid in cash for their foodgrains which they take to purchasing centres. In view of this, may I know whether the Government will reconsider fixing prices of the foodgrains and arrange payment in cash instead of issuing cheques to the farmers at the purchasing centres?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : जैसा कि मैं बता चुका हूं इस समय मूल्य ढ़ांचे में परिवर्तन करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। सदन की इच्छा थी कि फसल बोने से पहले मल्यों की घोषणा की जाये। इसी कारण फसल के बोने जाने से पहले ही मूल्यों की घोषणा कर दी गई। दीर्घकालीन लाभ की बात भी ध्यान में रखनी चाहिए। वर्तमान मूल्य सूख की स्थिति के कारण चल रहे हैं। जिस समय किसानों को बाज़ार में बहुत थोड़ा लाभ मिलता था उस समय भारत सरकार तथा खाद्य निगम सामने आये और किसानों के हितों की सुरक्षा की गई।

Shri Sarjoo Pandey : What about Cash Payment ?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : भुगतान दोनों प्रकार से ही किया जाएगा, चैक द्वारा भी और नकदी द्वारा भी।

राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् का गठन करने का प्रस्ताव

***462. श्री पुरुषोत्तम काकोडकर†** :

श्री पी० गंगा देव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् के गठन के प्रस्ताव पर पुनः विचार किया जाए, और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद का गठन करने के प्रश्न पर कोई विचार किया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा नियुक्त सड़क सुरक्षा अध्ययन दल ने, मूल रुप से यथा अपेक्षित प्रस्तावित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के प्रयोजनों आदि में कुछ संशोधनों का सुझाव दिया है। उक्त दल की सिफारिशों को राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों में उनके विचार जानने के लिए परिचालित किया गया है। इस दल की रीपोर्ट पर परिवहन विकास परिषद ने भी फरवरी, 1973 में हुई अपनी दसवीं बैठक में विचार किया। परिषद ने नोट किया कि केवल कुछ राज्यों से ही दल की रिपोर्ट पर विचार प्राप्त हुए। इस बात पर सहमति हुई की अन्य सम्बन्धित राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों से उत्तर की प्राप्ति के बाद नौवहन और परिवहन मन्त्रालय इस दल की सिफारिशों की जांच करें, अपने विचारों को बनायें और उन्हें अन्तिम निर्णयों के लिए परिषद् के सामने रखें। परिषद की बैठक के कार्यवृत्त राज्य सरकारों को परिचालित किया गया है। जिन सम्बन्धित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के अभी तक उत्तर नहीं भेजा है, से भी अपने विचार शीघ्र भेजने के लिए कहा गया है। परिवहन विकास परिषद् द्वारा अध्ययन दल की रिपोर्ट पर विचार किए जाने के बाद ही राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् और राज्य तथा जिला स्तरों की समान परिषदों के उद्येश्यों और प्रयोजनों, सदस्यता, वित्त स्त्रोतों, संगठनात्मक ढांचें आदि के बारे में ब्यौरें कों अन्तिम रुप दिया जायेगा।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मैं जानता हूं कि मन्त्री महोदय सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण रखने को कितने उत्सुक है और कैसे वह इन दुर्घटनाओं पर काबू पाना चाहते हैं। क्या वह बतलाएंगे कि पिछले तीन वर्ष में कुल कितनी दुर्घटनाएं हुई और उनका वर्षवार ब्यौरा क्या है। इन दुर्घटनाओं पर काबू पाने के लिए उन्होंने क्या कार्यवाही की है? इस मामले में कौनसें उपाय बरते जानें का प्रस्ताव है।

श्री राज बहादुर : ती वर्ष के आंकड़े इस प्रकार है :

107400	— 1969
114449	— 1970
1125772	— 1971

जहां दक दुर्घटनाओं में प्रतिशत में वार्षिक वृद्धि का प्रश्न है, फ्रांस में 2.8 प्रतिशत था, आंस्ट्रेलिया मे 2.4 प्रतिशत, पश्चिम जर्मनी में 0.5 प्रतिशत जब कि भारत 0.8 प्रतिशत है और दुर्घटनायों की संख्या में वृद्धि के सम्बन्ध में यूगोस्लाविया में यह 11.2 प्रतिशत था। हम सड़को को चौड़ा करने पैदल यात्रा के बारे में बच्चों आदि को शिक्षा आदि सभी कार्यवाहियाँ कर रहे हैं।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : गोआ से हो कर एक राजपत्र गुजरता है जो कि राजपथ कहलाने के अयोग्य है .....

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न केवल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की स्थापना के बारे में पूछ सकते है। जो मुख्य प्रश्न के साथ संगत है।

श्री पुरुषोत्तम काकोडकर : मन्त्री महोदय ने वक्तव्य में बताया है कि कुछ राज्यों ने अध्ययन दल की सिफारिशों पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। वे कौनसे राज्य हैं ? क्या सड़कों के बारे में सचेतता भी उन सिफारिशों में एक है।

श्री राज बहादुर : जहां तक सड़को के बारे में सतर्कता का प्रश्न है यह निश्चय ही राज्य सरकारों का विषय है। यह कार्य उन्हें ही करना है। मुझे खेद है कि मैं राज्यों के नाम नहीं बता सकुंगा, तो भी बहुत कम राज्यों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी हैं। प्रतिवेदन जून, 1972 में प्राप्त हुआ और हमने अगस्त, 1972 में परिचालित कर दिया था। तब हमने फरवरी, 1973 में परिवहन मन्त्रियों के साथ विचार विमर्ष किया था। हम उस पर शीघ्र विचार कर रहे है। परन्तु विचार से भी अधिक महत्वपूर्ण कार्यवाही करना है।

श्री पी० गंगादेव: राष्ट्रीय राजपथों पर सुरक्षा की बढ़ती हुई समस्याओं को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार की सुरक्षा संहिता बनाने तथा राष्ट्रीय राजपथों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ विशेष प्रबन्ध करने के बारे में सरकार क्या विचार कर रही है ?

श्री राजबहादुर : सड़क सुरक्षा अध्ययन दल विशेष रूप से इसी पर ध्यान दे रहा है। उन की सिफारिश है कि महापौरों की अखिल भारतीय परिषद् के राष्ट्रीय सड़क संगठन की स्थापना के सुझाव को पुनः प्रस्तुत किया है।

Shri Hukum Chand Kachwai : Mr. Speaker, the hon. Minister has stated that they are taking steps for road safety and for that roads are being widened. Normally accidents take place due to trucks. The drivers drive during the nights and do so only when they are drunk and do not adhere to the existing rules. Is he going to make some provisions that all the drivers adhere to the rules ......

Mr. Speaker : The question is about council.

Shri Hukum Chand Kachwai : The hon. Minister has stated that they are taking some steps.

Shri Raj Bahadur : It is not correct to say that all the drivers drive the trucks when they are drunk.

Shri S. A. Shamim : 'Often' it has been said.

Shri Raj Bahadur : If you are satisfied with the word 'often' and say that it applies to all then it would be injustice towards them. There are certain orthodox Muslims who do not drink.

Mr. Speaker : You take of Gujrat and not of our state.

Shri Raj Bahadur : I want to say that we discourage if the State Governments take all precautions, there are rules in the matter that if they are found drunk while driving they would be punished and their licences would be cancelled. The hon. member knows about these rules.

Shri R. S. Pandey : The Road Safety Group appointed by the Government has sent an amendment to all the State Governments. Firstly, it has not been stated in the statement that what that amendments are. Secondly, Shri Kachwai sometimes talk very intelligently. He has said that drivers drive when they are drunk. I have myself seen drivers handling the steering with one hand and bottle of wine with the another. I was saved from an likely accident otherwise I would have not been there. I want to know if the proposed amendment contain any provisions to check driving with head lights at nights, giving no preference to other vehicles such as cars, bullockcarts and make monopolistic use of the road without caring for the others. Is there any such provision you have made in this regard and asked for the opinion of the State Governments ?

Shri Raj Bahadur : I am slightly satisfied and slightly surprised to hear that the member was in such a company where there was wine in one hand and steering in the other I am happy that he has came back safely from there.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सुझाओं के बारे में था। क्या कोई सुझाव हैं ?

श्री राज बहादुर : अध्ययन दल ने सुझाव दिये है। उनके प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

श्री आर० एस० पांडे : कुछ संशोधनों पर विचार किया गया था। वे कौनसे संशोधन हैं ?

श्री राज बहादुर : उनकी लम्बी सूची है।

श्री आर० एस० पांडे : उनकी प्रमुख बातें क्या हैं ?

श्री राज बहादुर : मैं सभा पटल पर एक विवरण रख सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप दोनों ही मुझे नहीं सुनते। उनका प्रश्न कार्य के लिए सुझाव है। इसे ध्यान में रखा जाये।

Shri B. P. Maurya : I want to ask a question from the hon. Minister through you. There are various reasons for accidents. The accidents of trucks take place as the owners of the trucks keep only one driver, who has to work day and night. Would the Government make some provision that there may be at least two drivers for a truck. If only one driver has to work day and night, accidents are bound to take place.

Shri Raj Bahadur : I agree with the observation of the hon. Member that the driver have to over work. This is a fact and same caution has to be taken for that. There should be some rule that they may not do so.

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : राष्ट्रीय राजपथ संख्या 9 में हर रोज दो या तीन कतल हो जाते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि दुर्घटना नहीं होती ....

अध्यक्ष महोदय : दुर्घटनाओं द्वारा हत्या ?

श्री के० रामकृष्ण रेड्डी : ऐसी दुर्घटनाएं जिनसे मृत्यएं होती हैं। सड़के बहुत तंग हैं। उन्हें चौडा किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए सुझाव हैं।

श्री ए० के० एम० इसराक : राष्ट्रीय राजपथों में सुरक्षा के बारे में एक राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। उसकी संरचना तथा कार्य क्या है और क्या उसके पास कुछ प्राविधिक अधिकार होंगे ? यदि हां, तो क्या इसका राज्य अधिकरणों से टकराव होगा ?

श्री राज बहादुर : इस बारे में दो विचारधाराएं हैं। एक गैर प्राविधिक ढ़ंग के निकाय के पक्ष में है और दूसरी प्राविधिक ढ़ंग के। प्राधान्य प्राविधिक ढ़ंग के निकाय के पक्ष में है। जब कभी भी वह अस्तित्व में आती है तभी उसे एकरूप मानक परिवहन इंजीनियरिंग, सड़क निर्माण, सड़को की वाहनों के लिए उपयुक्तता, प्रभावी सड़क सुरक्षा उपायों और अन्य मामलों में प्राविधिक शक्तियां प्राप्त होंगी।

भावनगर (गुजरात) में भूख से मौतें

*463. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के भावनगर जिले में भुख से हुई मौतों के समाचार मिले हैं ;

(ख) क्या उस जिले में बड़ी संख्या में लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस अभूतपूर्व स्थिति का सामना करने के लिए सरकार किन तात्कालिक उपायों पर विचार कर ही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि भुखमरी से कोई मौत नहीं हुई है ।

(ग) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है जिसमें सूखे की स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्योरा दिया गया है ।

विवरण

1 एक केन्द्रीय अध्ययन दल ने सितम्बर, 1972 में गुजरात का दौरा किया था और उनकी सिफारिशों के आधार पर 6.9 करोड़ रुपये की खर्च की सीमा अपनाई गई थी । दूसरे अध्ययन दल ने स्थिति का जायजा लेने के लिए फरवरी, 1973 में राज्य का दौरा किया था । तथापि, राज्य सरकार को विभिन्न राहत कार्यों के लिए अब तक 10 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं ।

भारत सरकार राज्य सरकार के साथ बराबर सम्पर्क बनाए हुए हैं और सभी उपयुक्त सहायता दी जा रही है ।

2 राज्य सरकार को उपयुक्त मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई किए जा रहे हैं ।

3 आपातिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अधीन, विशेष सिंचाई कार्यक्रमों के लिए 5.00 करोड़ रुपये दिये गए हैं । इसके अलावा, कृषि आदानों के लिए अल्पकालीन ऋण के रूप में 2 करोड़ रुपये दिए गए हैं।

राज्य सरकार ने प्रभावित जनसंख्या को रोजगार सुलभ करने के लिए राहत कार्य खोलने, मुफ्त सहायता वितरित करने, प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल सप्लाई करने, चारे की सप्लाई को बनाए रखने के लिए प्रबन्ध करने, जनस्वास्थ्य का ध्यान रखने आदि जैसे कई राहत उपाय शुरू किए हैं ।

श्री पी० एम० मेहता : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि (क) क्या यह सच है या नहीं कि सत्तारुढ़ दल के एक विधायक ने अपने दल की बैठक में दल के विधायकों को सूचना दी थी कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में भुखमरी के कारण मृत्यु हुई थी...

अध्यक्ष महोदय : एक विधायक वहां जो कुछ कहता है उसे वह कैसे जान सकते हैं। अपना प्रश्न कीजिए ।

श्री पी० एम० मेहता :.....और उसने अपने बयान के समर्थन में सारी संबद्ध जानकारी दी थी; (ख) क्या यह सच है या नहीं कि राज्य सरकार का प्रतिवेदन दबाव में लिये गये बयानों पर आधारित है और जब उन्होंने गांव वालों से बयान लिये उस सम पुलिस ने हस्तक्षेप किया और पुलिस की उपस्थिति में बयान लिये गये और (ग) क्या आज भी मंत्री महोदय को यह पता है कि जिस विधायक ने दल के विधायकों को सूचना दी थी वह अपने बयान के समर्थन में अग्रेतर साक्ष्य देने को तैयार है? इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार उस विधायक से उसको राजनीतिक प्रताडना के विरुद्ध संरक्षण का आश्वासन देकर, जानकारी एकत्र करने को तैयार हैं?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या किया गया है ?

श्री पी० एम० मेहता : श्रीमन, यह बहुत संगत है ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इसे संगत बनाना चाहते हैं तो आपको यह प्रश्न भिन्न रूप में पूछना चाहिए ।

प्रो० मधु दण्डवत : आप यह पूछिये कि मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या नहीं।

श्री पी० एम० मेहता : मैंने यह पूछा है कि क्या यह सच है या नहीं।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : वैसे इस प्रकार के प्रश्न राज्य सरकारों को संबोधित किये जाते है और वे जानकारी देती है। राज्य सरकार ने जानकारी दी है कि उसने उचित जांच की है और पाया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है।

माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है वह राज्य सरकार से हमें मिली जानकारी के आधार पर उचित नहीं है। जब कुछ राज्यों में विरोधी दलों की सरकारें भी तब थी हम सामान्यतया राज्यों द्वारा दी गई जानकारी पर विश्वास करते थे। यह सामान्य प्रक्रिया है। राज्य सरकारों की एक व्यवस्था होती हैं और वे उचित जांच करती है और हम इस जानकारी पर विश्वास करते है।

श्री पी० एम० मेहता : मंत्री महोदय ने उचित उत्तर नहीं दिया है। उन्होंने तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया है।

अध्यक्ष महोदय : आपको अपना प्रश्न उचित प्रकार से बनाना चाहिये। अपने कुछ निजी सूत्रों का उल्लेख किया है। मंत्री महोदय के लिये निजी सूत्रों से जानकारी एकत्र करना कठिन हो जाता है।

श्री पी० एम० मेहता : क्या यह सच है या नहीं कि राज्य सरकार ने नवम्बर, 1972 से मार्च 1973 तक ग्रामीण जनसंख्या को दो किलोग्राम प्रतिव्यक्ति और नगरीय जनसंख्या को 2½ किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्नों का वितरण किया है। राज्य सरकार को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की सप्लाई करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किये हैं ताकि गुजरात की जनसंख्या के अनुसार कम से कम पांच किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिव्यक्ति सप्लाई किया जा सके? और (ख) क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि गुजरात सरकार के मंत्रियों अधिकांश विधायकों और संसद सदस्यों, बिना इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए कि वे किस दल से संम्बद्ध है, का यह विचार है कि गुजरात में खाद्य की स्थिति बहुत गंभीर है और यदि खाद्य की सप्लाई में सुधार करने के लिये उपाय नहीं किये गये तो इससें भुखमरी से मौतें होंगी?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत लम्बा बनता जा रहा है।

श्री पी० एम० मेहता : .... और क्या भारत सरकार औसत किसान या श्रमिक के लिये स्वस्थ जीवन जीने के लिये दो अथवा 2½ किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमास पर्याप्त समझती है और यदि नहीं, तो गुजरात राज्य को पर्याप्त खाद्यान्न की तुरंत सप्लाई करने के लिये सरकार क्या उपाय करेगी?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : हमने हाल ही में गुजरात को खाद्यान्न के आबंटन में वृद्धि की है और हम गुजरात को प्रति मास 64,000 टन गेहूं आबंटित करते हैं। स्पष्ट है कि वहां कठिनाई है और गुजरात सरकार उस स्थीति से साहसपूर्वक लड़ रही है और लोगों के होसले बुलन्द हैं। आन्तरिक वितरण का मामला उनके लिये है और वर्तमान परिस्थितियों में वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग कठिनाई में है उन्हें आवश्यक राहत दी जाये।

श्री पी० एम० मेहता : क्या वे 2½ किलोग्राम को पर्याप्त समझते है? नवम्बर, 1972 से वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अधिक खाद्यान्न नहीं मिल रहा है।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन हम ऐसे ही एक प्रश्न पर चर्चा कर रहे थे और आप उसे दोहरा र हो।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : राज्य में आन्तरिक वितरण राज्य द्वारा किया जाता है और मैं कह चूका हूँ कि आबंटन बड़ा दिया गया है। गुजरात सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए 6 किलोग्राम प्रति मास की सीमा निर्धारित कर दी है; वे भरसक प्रयास कर रहे हैं परन्तु किसी भी स्थिति का राजनितीक दृष्टि से अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए (**व्यवधान**)

श्री डी० पी० जदेजा : मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार बराबर सम्पर्क बनाये हुए है और तमाम उचित सहायता उपलब्ध की जा रही है । क्या सरकार को पता है कि ऐसे भी गरीब लोग हैं जो दूध बेचकर जो पैसा कमाते हैं उसी से अपना जीवन यापन करते हैं और उनके पास एक दो जानवर होते हैं तथा वे म्यूनिसिपालिटी के क्षेत्रों में रहते हैं और उन्हें सरकार से चारा अथवा ऋण नहीं मिल रहा है ? क्या उनको पता है कि गुजरात में तटवर्ती क्षेत्र हैं जिनमें पेय-जल की सुविधा, न तो तालाबों, न नदियों और न ही कुओं के रूप में है? उन क्षेत्रों के बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे: हमें केन्द्र में उन क्षेत्रों के आंकड़ों के बारे में जानकारी है और केन्द्र ने उन्हें गुजरात सरकार को भेज दिया है। वे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे है। उदाहरण के लिये वे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में क्रय-शक्ति को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ महीने पूर्व-अर्थात् सितम्बर में केवल 27,000 व्यक्ति राहत कार्यों में लगे हुए थे । अब यह संख्या दस लाख के अंक को भी पार कर गई है। गुजरात सरकार ने चारा और पेय जल के बारे में कुछ विस्तार योजनाएँ बनाई हैं और केन्द्र उसे इन सभी मामलों में सहायता दे रहा है।

श्री भालजीभाई परमार : गुजरात राज्य के जिलों में भुखमरी से हुई मौतों के नवीनतम आंकड़े क्या हैं। मैं और जानना चाहता हूं . . .

अध्यक्ष महोदय : यह एक विशिष्ट प्रश्न है। मेरे विचार से इस विशेष प्रश्न को पहले पूछा जा चुका है।

श्री भालजीभाई परमार : क्या वे गुजरात राज्य में श्रमिकों के लिये स्वेच्छिक एजेन्सियों हेतु कोई निर्धारित कोटा देने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये ताकि मंत्री महोदय उत्तर दे सकें।

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों को आन्तरिक वितरण की व्यवस्था करने का कार्य राज्य सरकार का है।

प्रो० मधु दंडवते : कुछ समय पूर्व इस सभा में खाद्य स्थिति के बारे में वाद-विवाद के दौरान भुखमरी से हुई मृत्यु के बारे में मंत्री महोदय ने कोई वक्तव्य दिया था। तत्पश्चात् उन्होंने वक्तव्य को चुनौति दी और उस संबंध में कोई साक्ष्य देने को कहा। मैंने भुखमरी से हुए मृत्यु के संबंध में प्रक्रिया नियम के नियम 115 के अन्तर्गत एक अल्प सूचना प्रश्न उठाया। हम इस प्रश्न को और भी कई तरीकों से उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि मैं इस पर स्पष्टीकरण मांगना चाहूं तो हमें प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती है।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इसे आपके ध्यान मे लाना चाहता हूं।

श्री सोमचंद सोलंकी : अभी अभी मंत्री महोदय ने भुखमरी से हुई मृत्यु के बारे में कुछ कहा है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि वह एक दिन में कितना भोजन करते हैं? उदाहरण के लिये वह 500 ग्राम भोजन प्रतिदिन करते हैं । प्रत्येक आदमी को एक महीने में 2 किलो ग्राम खाद्यान्न मिलता है। उनके लिये जिन्दा रहना कैसे संभव है? मैं जानना चाहता हूं कि भुखमरी से कितने व्यक्ति मरते हैं?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : इसका यह मतलब नहीं लिया जाना चाहिये कि खाद्यान्न केवल राशन की दुकानों पर ही मिलता है। कुछ हद तक खुले बाजार में भी खाद्यान्न मिलता है। हम जितना वितरण करते हैं वह खुले बाजार में जो कुछ मिलता है उसे बढ़ाने के लिये करते हैं। 64,000 टन खाद्यान्न काफी बड़ी मात्रा है और अब इसे गुजरात सरकार को आबंटित किया जा रहा है।

श्री सोमचंद सोलंकी : पहले वह मेरे इस प्रश्न का उत्तर दें कि मंत्री महोदय कितना भोजन करते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : उसकी चिंता मत करिये।

श्री सोमचंद सोलंकी : वह अन्य प्रश्नों का उत्तर दे सके हैं। मंत्री महोदय इस प्रश्न का भी उत्तर दें।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह बताइये कि आप कितना भोजन करते हैं ?

श्री सोमचंद सोलंकी : मंत्री महोदय के मुंह से उत्तर दिया जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे यह बता दें कि आप कितना खाना खाते हैं। तो वह भी अपना उत्तर दे सकेंगे। मेरे विचार से उन्हें चाहिए कि वह अपने घर में मापने के लिये कुछ रखे ताकि यह जान सके कि प्रति दिन कितना भोजन करते हैं।

Shri Lalji Bhai : Udairpur is situated on the Gujarat-Rajasthan border and on that border two persons were died due to starvation and in support to that I have concrete proof and the Rajasthan Government has said that they would not let a single person die due to starvation but people are dying due to starvation. For that purpose the Government has announced that fair-price shops of foodgrains should be opened at Panchayat level and wells be dug for drinking-water but this scheme has not been implemented and consequently the situation continues to assume serious dimensions. What steps the Government are taking in this regard?

श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे : माननीय सदस्य ने जो जानकरी दी है वह मेरे पास है। हम इसे राज्य सरकार के पास भेज देंगे।

आवासों का अधिग्रहण करने और आबंटन के लिए देने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन की नीति

*464. **श्री राम रतन शर्मा :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने अपने प्रयोग के लिये रिहायशी मकानों के अधिग्रहण करने और आबंटन के लिए देने के संबंध में कोई निति बनाई है];

(ख) यदि हां, तो अपनाई गई नीति की विशेषतायें क्या हैं ; और

(ग) इस योजना के पूर्ण होने के बाद से अब तक कितनें मकानों का अधिग्रहण किया गया और आबंटन के लिये दिये गये ?

संसदीय-कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम् मेहता) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन ने अपने प्रयोग के लिए रियाइशी मकानों का अधिग्रहण करने और उन्हें आबंटन के लिए देने हेतु कोई विशेष नीति नहीं बनाई है।

कलक्टर, दिल्ली , अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम 1952 के अधीन सक्षम अधिकारी के रूप में दिल्ली प्रशासन के प्रयोजनों के लिए संघ का प्रयोजन होने के कारण सम्पत्तियों का अधिग्रहण करता है।

(ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Shri R. R. Sharma : May I know whether the hon. Minister is aware of the fact that whether the attention of the Delhi Administration has been drawn to the writ petition No. 1417 of 1970 about the judgement of the Delhi High Court in which it is stated by the Delhi High Court that the Delhi Administration may itself evolve its policy and requisition accordingly ?

श्री ओम् मेहता : इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है। हमने दिल्ली प्रशासन से अनुरोध कर रखा है कि वह मकानों के लिये मांग तभी करे जब उसे उनकी सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हो, अन्यथा न करे। हमने उनसे यह भी अनुरोध किया है कि यदि उनकी उस प्रयोजन के लिये आवश्यकता नहीं हो तो मांग को वापस ले लें। पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन ने 22 मकानों की मांग को वापस लेकर उसके लिये उन्होंने केवल 10 मकानों की मांग की।

Shri R. R. Sharma : The hon. Minister has stated in reply to part (b) of my question that the infomation is being collected and will be laid on the table of the House. It is very strange that the information is not available even after many days of giving notice. May I know how much more time will be taken in collecting the information?

Shri Om Mehta : I have given information about three years. The hon. Member has asked about the number of houses requisitioned and derequisitioned during the last three years. We have asked the Delhi Administration to furnish this information at the earliest. As soon as we receive that information, that will be laid on the table.

Mr Speaker : Two volumes will be published only in reply to this question. Let the hon. Member think a little while putting question.

Shri Shankar Dayal Singh : Is it a fact that a good deal depends upon presenting a matter regarding the requisition and allotment of the houses. How many houses have been derequisitioned by the Government during one year which were already requisitioned.

Shri Om Mehta : This question is about Delhi. We have derequisitioned 14 requisitioned houses in Delhi in 1972 and only one house has been requisitioned as compared to them.

विश्व खाद्य कार्यक्रम क अन्तर्गत दिल्ली दुग्ध योजना के पास उपलब्ध राशियां और दिल्ली से अनधिकृत दुग्ध डेरियों को हटाना

***465. श्री इन्द्रजीत मलहोत्रा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व खाद्य कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली दुग्ध योजना को दी गई और जमा राशियों का वितरण किस प्रकार किया गया है ;

(ख) डेरी विकास कार्यों पर कितनी राशि व्यय की गई है ;

(ग) दिल्ली की नगरीय सीमाओं के भीतर स्थित अनधिकृत डेरियों को दिल्ली एवं पड़ौसी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में ले जाने के संबंध में क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) इसके लिए क्या प्रोत्साहन और सुविधाएं दी गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) विश्व खाद्य कार्यक्रम परियोजना 618 (आप्रेशन) फ्लड कर्यक्रम के अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रम से उपहार के रूप में मिले पदार्थों की बिक्री से प्राप्त होने वाली राशी दिल्ली योजना जैसे सरकारी क्षेत्र के दुग्ध संयन्त्र के पास नहीं अपितु केन्द्रीय सरकार की ओर से कार्यक्रम को

क्रियान्वित करने वाली सरकारी क्षेत्र की संस्था, भारतीय डेरी निगम बडौदा के पास केन्द्रीय रूप से जमा होती है । 31 जनवरी 1973 तक इन पदार्थों के विक्रय से 15.06 करोड रुपये की राशि प्राप्त हुई थी जिसमें से उस तारीख तक राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों को कार्यक्रम की क्रियान्विति के लिए 10.73 करोड रुपये दिए गए थे ।

(ख) 31 जनवरी, 1973 तक 'आप्रेशन फ्लड' कार्यक्रम के अन्तर्गत डेरी विकास पर 1.04 करोड़ रुपये व्यय हुए थे ।

(ग) और (घ): दिल्ली नगर की गाय और भैंसों को ग्रामीण क्षेत्रों में रखने के लिए 'आप्रेशन फ्लड' कार्यक्रम में 77 लाख रुपए की राशि की व्यवस्था मौजूद है । भारतीय डेरी निगम, बडौदा तथा दिल्ली प्रशासन में परामर्श होने के पश्चात ही कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार किया जाएगा ।

श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा : वक्तव्य के अनुरूप विभिन्न राज्य सरकारों और एजेंसियों में 10.73 करोड़ रुपया बितरित किया गया है। यह रुपया किस विशेष कार्य के लिए उपयोग में लाया जायेगा ?

प्रो० शेर सिंह : यह राशि 11 मदों पर खर्च की गई । इसमें चार नगरों के दुग्ध संयंत्रों का विस्तार, चार नगरों में नई डेरियों की स्थापना, भण्डारण और दूध के दूरस्य स्थानों पर भेजने की सुविधाएं करना, नगर के जानवरों और भैंसों का पुनः अन्य जगह रखने का प्रयत्न करना, तकनीकी जानकारी उपलब्ध करा कर दूध का उत्पादन बढ़ाना, सुधारी हुई नस्ल के दूध देने वाले पशुओं का विकास, गांव में दूध इकट्ठा करने की व्यवस्था करना, परियोजनाओं की योजना बनाना, उन्हें लागू करना तथा जनशक्ति का विकास, भण्डारण, अन्तर्देशीय यातायात, और डब्ल्यू० एफ० पी० की सामग्री के अन्य विभिन्न खर्च शामिल हैं।

श्री इंद्रजीत मल्होत्रा : यह एक सर्वविदित तथ्य है कि दिल्ली और नई दिल्ली में अनधिकृत डेरियां एक बड़ी समस्या हैं। वक्तव्य में यह बताया गया है कि इन जानवरों को दिल्ली निगम क्षेत्र से बाहर गांवों में ले जाने के लिए 77 लाख रुपये निश्चित किए गए हैं। इस समय यह योजना किस स्थिति में है तथा इसे लागू करने में कितना समय लगेगा ?

प्रो० शेर सिंह : संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के संबंध में एक कठिनाई यह है कि हम नगर की आवश्यकता के लायक दूध सप्लाई करने में असमर्थ हैं। जबकि आवश्यकता 7 लाख लिटर की है हम केवल 3 लाख लीटर ही सप्लाई कर पाते हैं । अतः यदि हम इस समय उन्हें बाहर जाने को कहते हैं तो नगर की दूध सप्लाई रुक जायेगी । इसलिए हम उन्हें बाहर जाने को कहने की स्थिति में नहीं है। पर ज्यों ही हम प्रजनन डेरियां स्थापित करने में सफल हो कर अधिक दूध दे सकेंगे हम उन्हें हटाने के लिए कदम उठाएंगे।

श्री इंद्रजीत मल्होत्रा : यदि सरकार यह अनुभव करती है कि ये डेरियां दिल्ली नगर सीमा में चलनी चाहिए, तो फिर वे उन्हें ऋण अथवा अनुदान नहीं देते जिससे कि वे लोग उन्हें अधिक अच्छे ढंग से चला सकें ? इस प्रकार के भ्रान्ति पूर्ण वक्तव्य क्यों दिए जाते है ?

प्रो० शेर सिंह : ये डेरियां अनधिकृत है और उन्हें सहायता देना बड़ा कठिन है। जब हम अपनी दूध की सप्लाई बढ़ा देंगे तो वे यहां रहना आर्थिक रूप से हानिकर समझने लगेंगे और स्वयं चले जायेंगे। उस समय यहां से गांवों में जाने के लिए हम सभी सहायता देंगे ।

Shri Hukum Chand Kachawai : In his statement Hon. Minister said that Rs. 77 lacks have been kept for this purpose. Government want to increase the quantity of milk. I want to know whether the price of the milk will also be increased; if so, how much? Does Government want to start dairies in Delhi and other parts of the countries with the assistance of foreign countries and Rs. 70 crores will be spent on it? Will the milk will be supplied in paper bottles and what will be the increase in price due to that?

Prof Sher Singh : It is correct that we are starting an another dairy, its capacity will be four lac litres. But Rs. 20 crores will not be spent on it. The expenditure will be only three or four crores of Rupees. Some milk will be supplied in paper bags. We will go on giving milk from faults as we are giving now. The milk to be given in bulk will be more cheap. Those who do not want to have milk by standing in queue they will have it in paper bag as an alternative. The expenditure on it will be seven or ten paise. But that milk will not be supplied to everybody. Poorer section will get bulk milk which will be cheaper than bottle milk.

Shri Bibhuti Mishra : The Panjabis in Delhi do not take milk from Government dairies but from private dairies because they want to have pure and fresh milk. Government cannot shift these dairies. In such a situation whether Government will grant loans to them.

Prof. Sher Singh : Question is of unauthorised diaries. So if we beign to give their assistance hon. member will ask their removal afterwards.

Sbri Bibhuti Misra : The Panjabi' want to have pure and fresh milk but they Cannot have it. I want to know the arrangement being made for the supply of fresh milk ?

Prof Sher Singh : Those who want fresh milk can have it from unauthorised dairies ?

श्री बी० के० दास चौधरी : कुछ समय पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था कि हरित क्रान्ती के बाद सफेद क्रान्ती आएगी और देश में दूध की सप्लाई बढ़ जायगी । क्या यह योजना उसकी शुरुवात है? यदि हाँ, तो क्या सरकार एक सुव्यवस्थित कार्यक्रम के रूप में लगभग प्रत्येक राज्य में, एक लघु और सरल प्रक्रिया के द्वारा एक दूध ठंडा करने का केन्द्र खोलने का विचार कर रही है? तीसरे राज्यों में वितरित किए जाने वाली 5 करोड़ रुपये की राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

प्रो० शेर सिंह : 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम महानगरों में दूध सप्लाई करने और चार महानगरों से लगे दूध क्षेत्र में दूध का अधिक उत्पादन करने के लिए चालू किया गया है। हम इस पर 90.5 करोड़ रुपये खर्च करेंगे। अब तक हम लगभग 10.73 करोड़ रूपये दे चुके है। दी गई कुल राशि 13.06 करोड़ रुपये है। 'आपरेशन फ्लड' कार्यक्रम के अतिरिक्त पांचवी योजना में हम अन्य बड़ नगरों में इस प्रकार के समूह बनाने का विचार कर रहे हैं। हम 10 लाख से अधिक आबादी वाली, नगरों के चारो और ऐसे पांच समूह स्थापित करने का विचार कर रहे हैं। इसक द्वारा हम और जिलों को भी इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ले आएंगे। कृषि आयोग ने भी कुछ सिफारिशें की हैं। कुल मिलाकर हम यह कार्यक्रम 107 जिलों में चलाने में सफल हो जायेंगे।

दिल्ली से प्रकाशित होने वाले 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में "सोशल वेलफेयर स्कीम्स टू बी एक्स्ड" (समाप्त की जाने वाली समाज कल्याण योजनाएं) शीर्षक से प्रकाशित समाचार

***466. श्री गिरिधर गोमांगो† :**

श्री पी० ए० सामिनाथन :

क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 फरवरी, 1973 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'सोशल वेलफेयर स्कीम्स टू बी एक्स्ड' शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में समाज कल्याण कार्यक्रम में कितनी कमी की जायेगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) सूचना, जिसका संबंध कई मंत्रालयों से है, एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायगी ।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या समाज कल्याण कार्यक्रम और विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन से सम्बन्धित कार्यक्रमों से सम्बन्धित मंत्रालय वित्त मंत्रालय के उस प्रतिवेदन से क्षुब्ध हुआ है जिसमें कहा गया है कि वह घाट का बजट और अतिरिक्त कराधान प्रस्ताव अपनी उचित सीमा के अन्तर्गत करें और यदि हाँ, तो क्या यह सच नहीं है कि सामान्य विकास कार्यक्रम में समाज के निर्धन और कमजोर वर्गों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : जहां तक शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि चौथी योजना के अन्तिम वर्ष में योजना नियतन राशि में कुछ कटौती हुई है। लेकिन इसके विपरित, पांचवीं योजना के लिये अग्रिम कार्यवाही के रूप में कुछ अतिरिक्त नियतन धनराशि प्राप्त होने की आशा है। माननीय मंत्री का प्रश्न स्वास्थ्य, परिवार नियोजन आदि कई मंत्रालयों से सम्बद्ध है। प्रश्न कमजोर वर्गों के साथ भी सम्बद्ध है। अतः इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह प्रश्न गृह मंत्रालय से भी संबंधित है। अतः माननीय सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी एकदम देना मरे लिये संभव नहीं है। लेकिन जहां तक पांचवीं योजना का सम्बन्ध है मैं आश्वासन देता हूं कि पांचवी योजना में विभिन्न सामाजिक सेवाओं के लिये नियतन राशि में काफी वृद्धि की जायेगी और इनमें से कई योजनाओं को पांचवीं योजनावधि के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है।

श्री गिरिधर गोमांगो : क्या 'अनुत्पादक' समझी जाने वाली मदों को समाप्त कर दिया जाएगा, और यदि हां, तो 'उत्पादक' और 'अनुत्पादक' मदें कौनसी हैं ?

प्रो० एस० नुरुल हसन : लोगों के कल्याण के लिए हम जो कार्य करते हैं, उसे हम 'उत्पादक' समझते ह, अनुत्पादक नहीं।

Scheme for Construction of 100 feet wide road for Developing Shakarpur Extension Colony, Delhi-51

***467 Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether there is a scheme to construct 100 feet wide road for developing Shakarpur Extension Colony, Delhi-51 ;

(b) if so, whether Government have conducted a survey to ascertain the number of families likely to be rendered homeless as a result of construction of the said road; and

(c) whether Government have under consideration any other suggestion so that these people are not rendered homeless?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) (क) जी, नहीं। इस प्रकार की कोई योजना नहीं है।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Shri Maha Deepak Singh Shakya : Mr. Speaker, Sir, reply made by the hon. Minister is in negative. I would have been happy if I had not visited the spot. Yesterday, I visited the spot and found that earthwork has been done from Railway over-bridge to WA Block—but the hon. Minister is saying that there is no scheme as such. May I know whether the road under construction would pass through the Block or some alternative road will be provided for the Block ?

Shri Om Mehta : Shakarpur Extention Colony, to which the hon. Minister has referred to, is an unauthorised colony and there is no provision in the Master Plan for constructing any road which will pass through this Block. Road is being constructed on the East side and that road will connect Gandhi Nagar with National Highway 24. There is no such suggestion regarding constructing road which will pass through this colony.

Shri Maha Deepak Singh Shakya : May I know from the hon. Minister that how many families likely to be affected due to construction of road.

Shri Om Mehta : Only 5 families will be affected.

Shri Hukum Chand Kachawai : The hon. Minister has just stated that there is an unauthorised colony. May I know whether it has been drawn to his notice that people are living there for the past so many years. When there is no scheme to construct a road there , why huge amount is being spent on the earth work (*interruptions*). May I know the reasons for undertaking earth work there when there is no proposal to construct a road there?

Shri Om Mehta : Road is being constructed on the East side which connects National Highway. Earthwork has been done for the same purpose.

गाजियाबाद में 18 वर्ष के लड़के की नसबन्दी

***470. श्री लालजी भाई :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 19 फरवरी, 1973 के "नवभारत टाइम्स" में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार 18 वर्ष के एक लड़के आनन्द कुमार की, शराब पिलाने के बाद, गाजियाबाद में नसबन्दी की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के मामले बार-बार न हों, यह सुनिश्चित करने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री कोंडा जी० बासप्पा) : (क) उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त हुई रिपोर्ट से पता चलता है कि 12 फरवरी, 1973 को गाजियाबाद में आनन्द कुमार का नसबन्दी आपरशन किया गया था। तथापि, यह सत्य नहीं है कि उसकी आयु केवल 18 वर्ष थी तथा आपरेशन उसे शराब पिलाने के पश्चात् किया गया था।

(ख) राज्य सरकारों को पहले ही सख्त हिदायतें द दी गई हैं कि वे नसबंदी करने से पहले लोगों की उचित पात्रता सुनिश्चित कर लिया करें।

Shri Lalji Bhai : There are concrete proofs that he was operated for vasectomy after making him drunk. I would like to know whether efforts will be made by the Government to investigate in the matter.

श्री कोंडा जी० बासप्पा : यह सही नहीं है। उसने अपने आवेदन-पत्र में अपनी आयु 28 वर्ष लिखी है। अतः यह तथ्य नहीं है।

Shri Lalji Bhai : I am not satisfied with the reply made by the hon. Minister......

Shri Hukum Chand Kachawai : Mr. Speaker, Sir, it is a fact. He was yet to marry.............(*interruptions*).......

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाए !

Shri Lalji Bhai : In this case, concrete proofs are there. May I know whether Government is going to investigatee in the matter ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : हमने यह मामला उत्तर-प्रदेश सरकार को भेज दिया है। हम निश्चित रूप से तथ्यों को सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे और आगे कार्यवाही करेंगे।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

बिहार में गेहूं की रबी की फसल के लिये योजना और उसके लिये केन्द्रीय सहायता

***468. श्री रामशेखर प्रसाद सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा 65 लाख एकड़ भूमि की आपात रबी कृषि योजना के अंतर्गत लाया गया है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने रबी की फसल में गेहूं के लिये दीर्घकालीन योजना बनाई है; और

(ग) क्या उक्त योजना को पूरा करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को सहायता दी है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) बिहार सरकार ने इस वर्ष रबी मोसम के दौरान 60 लाख एकड़ क्षेत्र गेहूँ के अन्तर्गत, 9 लाख एकड़ चने के अन्तर्गत और 1 लाख एकड़ संकर मक्का के अन्तर्गत लाने की एक योजना बनाई थी। वास्तव में कितने क्षेत्र में विभिन्न रबी फसलों की बुवाई की गई है, इसके अनुमान अभी उपलब्ध नहीं है ।

इस वर्ष रबी और ग्रीष्म कालीन फसलों का उत्पादन बढ़ाने क उद्देश्य से देश में शुरू किये गये आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम क अन्तर्गत भारत सरकार ने बिहार सरकार को शीघ्र तैयार होने वाले ऐसे लघु सिंचाई कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये जो 31 मार्च, 1973 तक पूरे किये जा सकें, 17.07 करोड़ रुपए की सहायता ऋण के रूप में भी दी है । इस सहायता से ये योजनाएँ हात में ली गई हैं—वर्तमान नलकूपों को चालू करना, राजकीय गहेर, नलकूपों का निर्माण, नदी पंपसेट लगाना, बड़े ब्यास के कुओं का निर्माण, नलकूपों को विद्युत चालित करना, बांस बोरिंग, हैंड पंप, केविटि बोरिंग, आदि । इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार को बीज, उर्वरकों और कीटनाशी दवाओं जैसी कृषि आदामों की खरीद और वितरण के लिये भी 7 करोड़ रुपए की अल्पकालीन ऋण की राशि दी गई है ।

नई समाज कल्याण योजनाएं

***469. श्री एम० एम० जोजफ :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश के लिये कोई नई समाज कल्याण योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) राज्य सरकारों तथा योजना आयोग के साथ परामर्श से अनेक नई योजनाएँ, जिनमें कुछ वर्तमान योजनाओं का विस्तार तथा आशोधन शामिल है, बनाई जा रही हैं । पांचवीं योजना को अन्तिम रूप दिए जाने तक ब्यौरा देना कठीन होगा ।

नदियों और नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव

***471. श्री आर० वी० स्वामीनाथन :**

श्री देवेन्द्रसिंह गरचा :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कुछ महत्वपूर्ण नदियों और नहरों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने वाली प्रस्तावित नदियों और नहरों के नाम क्या हैं ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख) : सरकार ने भगवति समिति की ये सिफारिशें सिद्धांत रूप से स्वीकार कर ली है कि कुछ मुख्य जलमार्गों के राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किये जाने पर विचार किया जाए । एक समिति नियुक्त की गई है जिसमें केन्द्रीय सरकार तथा उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं । यह समिति इस प्रश्न का अध्ययन करगी तथा ऐसे प्रस्ताव जिनके अन्तर्गत राष्ट्रीय जलमार्गों के लिय एक विधान बनाने पर विचार किया जा सके । यह समिति गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का अध्ययन भी करेगी और एक सिफारिश करेगी क्या उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जायें ।

Construction of Mausoleum of late Dr. Zakir Husain in Delhi

***472 Shri Shankar Dayal Singh :**

Shri Panna Lal Barupal :

Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has got constructed a mausoleum of late Dr. Zakir Husain the former President of India, near the Jamia Millia University in Delhi by spending about Rupees six lakhs ;

(b) whether compensation has been paid to the owner of the land on which the mausoleum has been constructed ; and

(c) if not, the time by which the same is expected to be paid and the rate at which the same would be paid ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) Yes, Sir. However, the cost of construction is estimated to be about Rs. 14.48 lakhs excluding the cost of land.

(b) & (c). The land on which the Mausoleum -cum-Museum stands belongs to several parties one of whom has claimed so far for his land measuring 3 bighas and 6 biswas. Acquisition proceedings have recently been completed by the Delhi Administration and compensation has been assessed. Further action is being taken to announce the "Award" shortly and pay the compensation. The rates will be known when the Award is announced.

केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशकों की बैठक

***473. श्री सी० टी० दण्डपाणि :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबंध निदेशकों की एक बैठक जनवरी, 1973 में हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसमें किन विषयों पर चर्चा हुई थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) राज्य भाण्डागार निगमों और केन्द्रीय भाण्डागार निगम के प्रबन्ध निदेशकों की एक बैठक जनवरी, 1973 में नई दिल्ली मे हुई थी ।

(ख) बैठक में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों के बारे में विचार-विमर्श हुआ था :–

1. भाण्डागार निगमों की व्यापार संबंधी संम्भावनाओं की समीक्षा ।
2. भण्डारण क्षमता के कुल मिलाकर उपयोग पर सखे । कमी की स्थिति के प्रभाव का अन्दाजा लगाना और अधिभोग की कमी को रोकनें संबंधी उपायों के बारे में विचार करना ।
3. खाद्यान्नों के थोक व्यापार को लेने के संदर्भ में भारतीय खाद्य निगम/राज्य सरकारों और सहकारी विपणन संघों के एजंट के रूप में भाण्डागार निगमों के अधिप्राप्ति कार्य करने की सम्भावना पर विचार करना ।
4. सरकारी क्षेत्र में भण्डारण क्षमता का निर्माण करने से संबंधित प्रयास करने में द्विरावृत्ति को रोकने के लिए पग उठाने के बारे में विचार करना ।

सरकार द्वारा अनाज के वितरण की व्यवस्था करने में हुई प्रगति

*474. **श्रीमती सावित्री श्याम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश भरमें सरकार द्वारा अनाज के वितरण की व्यवस्था करने में कितनी प्रगति हुई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : अगस्त 1972 से उचित मूल्य की दुकानों से सरकारी वितरण प्रणाली को पर्याप्त रूप से सशक्त बनाया तथा उसका विस्तार किया गया है। देश में कार्य कर रही उचित मूल्य की दुकानो की संख्या बढ़कर 1.65 लाख से अधिक हो गई है। जबकि 9 अगस्त, 1972 तक इनकी संख्या लगभग 1 .25 लाख थी। इस समय इन दुकानो से गेहूँ, गहूं के पदार्थ, चावल और मोटे अनाजो के वितरण किया जा रहा है। इन दुकानों से सिमीति मात्रा में खाने के तेलो और दालों का वितरण भी किया जा रहा है। 1972 के दौरान खाद्यानों का सरकारी वितरण बढ़कर लगभग 105 लाख मी० टन हो गया है जबकि 1971 में यह वितरण 78 लाख मी० टन था ।

हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों के निर्माण-कार्य पर बिजली की कमी का प्रभाव

*475. **श्री बरके जार्ज** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों में बिजली की कमी के कारण हिन्दुस्तान शिपयार्ड में जहाजों के निर्माण कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न न हो इस उद्देश्य से सरकार ने क्या कदम उठाएँ हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी, हां ।

(ख) 22 दिसम्बर 1972 से आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा लगाए गए विद्युत प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, हिन्दुस्तान शिपयार्ड के उत्पादन को धक्का लगा । शिपयार्ड को बिजली की सप्लाई में उच्च प्राथमिकता देने के लिये बिजली बोर्ड और आंध्र प्रदेश सरकार के साथ प्रयास किये गये ।

गहूं के थोक व्यापार को सरकारी नियन्त्रण में लेने का विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित मार्किट यार्ड स्कीम पर प्रभाव

*476. **श्री वयालार रवि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक को कोई इस प्रकार का आश्वासन दिया गया है कि विश्व बैंक ने जिस "मार्किट यार्ड योजना" में धन लगाया है उस पर अनाज के व्यापार को नियंत्रण में लेने संबंधी सरकारी नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त आश्वासन देने कि आवश्यकता किन कारणों से उत्पन्न हुई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : जैसा कि वित्त मंत्री ने 23-2-73 को लोकसभा में अतारांकित प्रश्न संख्या 799 के उत्तर में बताया था विश्व बैंक अथवा उसके अधिकारियों ने हमारी नीति के संबंध में कोई औपचारिक अथवा अनौपचारिक प्रश्न नहीं पुछा है। उन्होंने केवल यही जानना चाहा था कि क्या नीति में परिवर्तन के परिणाम-स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त कुछ "मार्केट यार्ड" परियोजनाओं के ढांचे में भी परिवर्तन करना होगा। विश्व बैंक को सूचित कर दिया गया था कि परियोजनाओं के भागों में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है।

विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की समस्याओं के लिए एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति स्थापित करने का प्रस्ताव

*477. **श्री प्रिय रंजनदास मुंशी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा मंत्रालय का विचार विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं की समस्याओं से उत्पन्न आपात स्थिति का सामना करने के लिये एक संयुक्त परामर्शदात्री समिति स्थापित करने का है जिसमें राज्य शिक्षा विभाग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के सदस्य होंगे; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या शिक्षा मंत्रालय का विचार राज्य सरकारों से विचार विमर्श करके, विधि मंत्रालय को यह सुझाव देने का है कि शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाये ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं। तथापि, केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की जिसमें, अन्यों के साथ साथ राज्यों के शिक्षा मंत्री, विख्यात शिक्षाविद् और विश्वविद्यालय अनूदान आयोग के प्रतिनिधि शामिल है, शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श और उनकी जांच करने के लिये समय-समय पर बैठकें होती रहती है।

(ख) जी, नहीं।

गन्ना उत्पन्न करने वाले किसानों को अनुसन्धान के साथ सम्बद्ध करने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की योजना

*478. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सुझाव दिया है कि गन्ना उत्पन्न करने वाले किसानों को अनुसंधान के साथ सम्बद्ध किया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

देशी चिकित्सा प्रणाली और लद्दाख में जड़ी-बूटियों का उत्पादन

*479. **श्री कुशोक बाकुला :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लद्दाख (जम्मू व कश्मीर) में प्राचीनकाल से विद्यमान देशी चिकित्साप्रणाली की वैज्ञानिक ढंग से जांच कराने तथा उसे प्रोत्साहित करने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ख) लद्दाख में पायी जाने वाली ऐसी भैषजिक जड़ी-बूटियों के संरक्षण तथा उनके उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है जो कि अपनी प्रभावशीलता के लिये प्रसिद्ध है और जिनका पुराने तिब्बति साहित्य में विस्तार से वर्णन है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) तथा (ख) : भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी की केन्द्रीय अनुसंधान परिषद् इस मामले पर गौर कर रही है तथा इस समय यह अन्वेषण की अवस्था में है ।

उड़ीसा में खरीफ की फसल के उत्पादन में कमी

*480. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पिछले मौसम में कुल कितना कृषि उत्पादन हुआ;

(ख) उत्पादन यदि लक्ष्य से कम रहा तो कितना ; और

(ग) इस कमी को सरकार किस प्रकार पूरा करेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख): वर्ष 1971-72 के दौरान उड़िसा में कुल 46.5 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन हुआ था । इसमें 37.4 लाख मीटरी टन खरीफ मौसम के दौरान और 9.1 लाख मीटरी टन रबी मौसम के दौरान हुआ था । 1972-73 के उत्पादन के पक्के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हैं । वर्तमान संकेतों के अनुसार इस वर्ष खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक होने की संभावना है।

(ग) राज्य सरकार ने इस वर्ष रबी और ग्रीष्म-कालीन फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिये एक आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया है । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने राज्य सरकार को ऐसे लघु सिंचाई कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिये, जिनसे शीघ्र सिंचाई की जा सके, 6.60 करोड़ रुपए की ऋण के रूप में सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति दे दी है । इसके अतिरिक्त कृषि आदानों की खरीद और वितरण के लिये भी 2 करोड़ रुपए के एक अल्पकालीन ऋण की राशि दी गई है ।

Payment of Salary to Employees working in Indo-Lebanon Tubewell Scheme under Delhi Administration

4528. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the employees working in the Indo-Lebanon Tubewell Scheme of the Minor Irrigation Scheme under the Delhi Administration have not been paid their salaries for the last 7-8 months ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the action taken by Government in this matter?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh): (a) No, Sir. The necessary payments have been made upto 28-2-1973.

(b) & (c). Do not arise.

विश्व बैंक के ऋण से ट्रैक्टरों के आयात का प्रस्ताव रद्द किया जाना

4529. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू वर्ष में लगभग 12,000 ट्रैक्टरों का आयात करने का था, जिसके लिए विश्व बैंक से ऋण उपलब्ध था ।

(ख) क्या सरकार ने इस बीच इन ट्रैक्टरों को आयात करने का विचार स्थगित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने किन कारणों से यह निर्णय लिया तथा क्या इस आयात को रद्द करने के निर्णय से किसानों को कोई कठिनाई होगी और यदि कोई कठिनाई होगी, तो उसे कैसे हल किया जायेगा ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) 6 राज्यों के लिये स्वीकृत की गई ऋण परियोजनाओं में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (विश्व बैंक से सम्बद्ध संस्था) से प्राप्त हुए ऋण से कुल 21,200 ट्रैक्टरों के आयात की व्यवस्था है। प्रत्येक परियोजना की अवधि 3 वर्ष है ।

(ख) जी नहीं, किन्तु सारे मामले पर पुर्नविचार किया जा रहा है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

दिल्ली नगर निगम को केन्द्रीय सहायता

4531. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम ही देश में एकमात्र ऐसा निगम हैं जिसे ग्रामीण और नगरीय जल योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से सहायता अनुदान नहीं दिया जाता;

(ख) क्या राज्यों में ऐसे अन्य संगठनों को सरकार द्वारा विकास कार्य के लिए 30 प्रतिशत अनुदान और 30 प्रतिशत ऋण दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस भदभाव के क्या कारण हैं और क्या सरकार मामले की जांच करेगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (ग) : चौथी योजना के दौरान सभी विकास शीर्षों के लिए जिसमें जल सप्लाई भी शामिल है, राज्य सरकारों को खण्ड ऋणों तथा खंड अनुदानों के रूप में दी जा रही केन्द्रीय सहायता क्रमश: 70 प्रतिशत तथा 30 प्रतिशत अनुपात में हैं । राज्य सरकारें स्थानीय निकायों को सहायता ऋण और/अथवा अनुदान के रूप में उन द्वारा अपनाई गई सहायता की पद्धति के अनुसार वितरण करती है ।

दिल्ली नगर निगम को जल सप्लाई तथा सीवरेज की स्कीमों के लिये केन्द्रीय सहायता अब तक ऋण के रूप में दी गई है । निगम नगरीय क्षेत्रों में जल सप्लाई की योजनाओं का निष्पादन करता आ रहा है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ योजनाएं इसने आरम्भ कर दी हैं । दिल्ली

प्रशासन तथा दिल्ली नगर निगम ने ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं के लिये शत प्रतिशत सहायक अनुदान की मांग की है। मामले पर संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विचार किया जा रहा है।

तेलवाहक जहाज बनाने के लिये विदेशी फर्म को ठेके दिये जाने के कारण

4532. **श्री डी० पी० जदेजा :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने युगोस्लाविया के साथ तीन तेल वाहक जहाज बनाने के लिये ठेका किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय इंजीनियर यह तेल वाहक जहाज नहीं बना सकते; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं कि विदेशी कम्पनी को ठेका दिया गया है जिस पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां। भारतीय नौवहन निगम ने प्रत्येक 24,500 मीट्रिक टन डी० डब्ल्यू० टी० के तीन मोटर तेल वाहक पोतों के निर्माणार्थ सेनीजों लोक्योबीना मोसोर त्रोगिर (युगोस्लाविया) के शिपयार्ड के साथ हाल ही में एक संविदा पर हस्ताक्षर किये।

(ख) और (ग) : भारतीय शिपयार्ड इस समय तेल वाहक पोत नहीं बना रहे हैं अतः तेल वाहक पोत बनाने के ठेके विदेशी शिपयार्डों को दिये गये हैं।

समाज के गरीब परिवारों तथा अन्य कमज़ोर वर्गों को अपने मकान बनाने के लिये सहायता देने की योजना

4533. **श्री भागीरथ भंवर :**

श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

क्या **निर्माण** और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार समाज के गरीब परिवारों, भूमिहिनों और अन्य कमज़ोर वर्गों को अपने मकान बनाने के लिये सहायता देने की योजना बनाने का है;

(ख) इस योजना के लिये की जाने वाली वित्तीय व्यवस्था का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उपरोक्त योजना के कब तक लागू किये जाने की संभावना है और किन-किन क्षेत्रों में ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) सरकार ने पहले से ही बहुत सी सामाजिक आवास योजनाएँ आरम्भ कर रखी हैं जिनका उद्देश्य समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों की आवासीय स्थिति में सुधार करना है। इन में से बहुत सी योजनाओं में समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लाभ के लिये मकानों के निर्माण हेतु दीर्घ कालीन ऋण देने की व्यवस्था है। पुस्तिकाएँ संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं जिनमे योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं दी गई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों की आवास संबंधी समस्या के समाधान की अत्यधिक आवश्यकता को समझते हुए भारत सरकार ने केन्द्रीय क्षेत्र में एक नई योजना भी आरम्भ की है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मज़दूरों को निःशुल्क आवास-स्थल देने के लिए शतप्रतिशत

अनुदान की व्यवस्था है। इन श्रेणियों के लोगों के लिये मकान बनाने की कोई नई योजना बनाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

भूमिगत जल सम्बन्धी जांच

4534. श्री रोबिन ककोटी : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में भूमिगत जल संबंधी जांच कहां-कहां की गई और राज्यवार कितने स्थानों पर सफलता मिली ; और

(ख) वर्ष 1973-74 में प्रत्येक राज्य में यह जांच कहां-कहां की जायेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायगी।

यवतमाल (महाराष्ट्र) के निकट वानी में खजाने का पता लगाना

4535. श्री आर० वी० बड़े :

श्री एम० एम० जोजफ :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में यवतमाल के निकट वानी में गुप्त खजाना मिला है; और

(ख) यदि हां, तो कितने मूल्य की मुद्रा तथा वस्तुएँ प्राप्त हुई हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Use of Bullock-carts to work-spots to make Drinking Water available

4536. Shri C. K. Jaffer Shariff : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether Central Government has advised the State Government of Mysore to raise the number of bullock-carts to work-spots to make drinking water available at the spot; and

(b) if so, the result therefrom?

The Minister of State in the Department of Parliament Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No such instructions have been issued by this Ministry.

(b) Question does not arise.

केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का पुनर्गठन

4537. श्री वसंत साठे : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार संचालन कुशलता, तकनीकी आयोजना और कार्यक्रम के निष्पादन में वांछनीय सुधार लाने के लिये केन्द्रीय भू-जल बोर्ड का पुनर्गठन करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : जी हां । आवश्यक ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

किशोर अपचार

4538. **श्री धर्मराव अफजलपूरकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में किशोर अपचारियों की संख्या में वृद्धि के संबंध में, क्या सरकार ने उस आयु वर्ग का पता लगाने के प्रयास किये हैं जिसमें यह प्रवृत्ति अधिक होती है; और

(ख) ऐसे अपराधों को कम करने के लिये सरकार ने क्या प्रयास किये हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) :

(क) जी, हां । बाल अधिनियम के अन्तर्गत पकड़े गए किशोरों की अधिकतम संख्या 16-21 वर्ष के आयु वर्ग में थी ।

(ख) लगभग सभी राज्य सरकारों ने बाल अधिनियम बना रखें हैं, जिन में किशोर अपराधियों, उपेक्षित, अनियंत्रित तथा सताए गए बच्चों के लिये रक्षात्मक उपाय करने की व्यवस्था की गई है। ऐसे बच्चों का शोषण करने वालों को दण्ड देने के लिये भी इन अधिनियमों में व्यवस्था की गई है ।

राज्य सरकारों से अपचार निरोधक कार्यक्रमों के लिये विशेष सेलों की स्थापना करने, विशेषज्ञ पुलिस एककों की स्थापना करने, स्थानीय सलाहकार समितियों, इत्यादी का निर्माण करने जैसी सिफारिशों को लागू करने का अनुरोध किया गया है ।

भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति में सुधार

4539. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गरीब किसानों और भूमिहीन श्रमिकों की रहन सहन की स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) लघु तथा सीमांत कृषकों और भूमिहीन श्रमिकों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिये 87 परियोजना क्षेत्रों में मार्गदर्शी प्रयोगों के रूप में चौथी योजना में लघु कृषक विकास एजेंसी तथा सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी की केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएँ शुरू की गई हैं ।

(ख) इन योजनाओं के अंतर्गत परियोजना के क्षेत्र में लघु तथा सीमांत कृषकों तथा कृषि श्रमिकों के वर्ग के भागिदारों का पता लगाने, उपयुक्त कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें ऋण संस्थाओं की सहायता से विस्तार एजेंसियों, विकास विभागों और स्थानीय संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित कराने लिए परियोजना क्षेत्रों में सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसायटियां स्थापित कर दी गई हैं । एजेंसियों द्वारा तैयार किये हुए कार्यक्रमों में उन्नत कृषि, भूमि संरक्षण, भूमि सुधार, लघु सिंचाई तथा भागिदारों के लिए कामधंधों की व्यवस्था करना सम्मिलित है। "सीमांत कृषक तथा कृषि श्रमिक विकास एजेंसी" की योजना में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के माध्यम से कृषि श्रमिकों तथा आवश्यकतानुसार सीमान्त कृषकों को भी रोजगार के अवसर प्रदान किए

जाते हैं। ये एजेन्सियां लघु सिंचाई एककों तथा गौण कामधंधों आदि के कार्यक्रमों में विनियोजन की पूंजी लागत पर राजसहायता देकर भागीदारों की सहायता करती है। एजेंन्सिया कृषि सेवा केन्द्रों, कृषि उद्योग निगमों द्वारा की गई सेवाओं के लिए दी गई राशि पर भी राज सहायता देती हैं। सहकारी संस्थाओं को प्रबंध के लिए राजसहायता और पूंजी विनियोजन तथा जोखम निधि के लिए अनुदान देकर भी सहायता प्रदान की जाती है ताकि छोटे तथा सीमांत कृषकों और कृषि श्रमिकों को ऋण पूर्ति तथा सेवाएं प्रदान करने के मामले में सहकारी समितियों के प्रयासों को बढ़ावा मिल सके। राज्य सरकारों तथा सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली मूल सुविधाओं के लिए भी ये एजेन्सियां उपयुक्त मामलों में अनुदान प्रदान करती है।

मैसूर के सूखा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से लोगों का अन्य राज्यों में चले जाना

4540. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर के सूखा से प्रभावित होने वाले क्षेत्रों से लोग और पशु अन्य राज्यों में जा कर बस गये हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति और पशु चले गये हैं और किन राज्यों में; और

(ग) इसकी पुनरावत्ति न होने देने के लिये क्या दीर्घकालीन उपाय किए गए हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है और प्राप्त होने पर उपलब्ध कर दी जायगी।

मैसूर में चौथी योजना के दौरान लघु सिंचाई योजना 'कमांड' क्षेत्र के विकास के लिए मंजूर की गई राशि

4541. **श्री के० मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत लघु सिंचाई योजना और 'कमांड' क्षेत्र के विकास के लिये मैसूर राज्य को कितनी राशि दी गई; और

(ख) इस पर कितनी राशि खर्च की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : जहां तक कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम का संबंध है, चौथी योजना के दौरान सड़कों तथा मंड़ियों के निर्माण/सुधार के लिये लगभग 153.77 लाख रुपए की लागत की योजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। राज्य सरकार ने 31-12-72 तक 130 लाख रुपए व्यय होने की सूचना दी है। इस सिंचाई क्षेत्र में सड़कों तथा मंडियों के निर्माण या सुधार के लिये और अधिक धनराशि नियत करने का निर्णय हाल ही में किया गया है और राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह अतिरिक्त योजनाओं के लिए विस्तृत प्रस्ताव भेजें। इन प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

जहां तक लघु सिंचाई का सम्बन्ध है, इस समय प्रचलित वित्तीय पद्धति के अनुसार स्टेट प्लान स्कीमों के लिये (जिसमें लघु सिंचाई योजनाएँ भी शामिल हैं) केन्द्रीय सहायता वार्षिक योजना के लिये एकमुश्त ऋण तथा अनुदानों के रूप में दी जाती है। तथापि, वर्ष 1972-73 के दौरान आपाती कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत 638.89 लाख रुपए की लागत की लघु सिंचाई योजनाएँ मंजूर की गई हैं। राज्य सरकार ने सूचना भेजी है कि इन योजनाओं पर 31-3-73 तक लगभग 529.99 लाख रुपए व्यय होने की संभावना है।

कालेजों में फीस-एकीकरण के संबंध में केरल सरकार को वित्तीय सहायता

4542. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कालेजों के फीस-एकीकरण के कारण होने वाले अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए केरल सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी गई है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान केरल सरकार को चार करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया गया है । यह ऋण इसलिए स्वीकृत किया गया है ताकि राज्य सरकार प्राइवेट कालेजों को पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अनुरक्षण अनुदान दे सकें तथा फीसों के एकीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार तथा प्राइवेट कालेजों के प्रबंधकों के बीच अगस्त, 1972 में हुए समझौते के अनुसार वह राज्य के इन कालेजों के अध्यापकों और गैर-अध्यापन कर्मचारियों को मासिक आधार पर वेतन का सीधा भुगतान कर सके ।

दिल्ली में सहकारी गृह-निर्माण समितियों का रजिस्ट्रीकरण

4543. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1972 के अन्त तक दिल्ली प्रशासन के पास कितनी और कौन-कौन सी सहकारी गृह-निर्माण समितियां रजिस्टर की जा चुकी थीं;

(ख) क्या इन सभी सहकारी समितियों को सरकार ने भूमि दे दी है और यदि नहीं, तो किन समितियों का उनके सदस्यों में वितरण हेतु भूमि दी गई है;

(ग) क्या वर्ष 1971-72 तक सभी समितियों की लेखापरीक्षा पूरी हो चुकी है;

(घ) यदि नहीं, तो किन समितियों की लखापरीक्षा नहीं की गई और सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) किन समितियों के विरुद्ध सरकार द्वारा नियमों का उल्लंघन करने के बारे में जांच की जा रही है ; और

(च) क्या जांच पूरी करने के लिये कोई तिथि निश्चित की गई है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्ष 1972 के अन्त तक दिल्ली में 254 सहकारी गृह निर्माण सोसायटियां तथा 143 सहकारी ग्रुप गृह निर्माण सोसाइटियां कोआपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अधीन पंजीकृत थीं । इन 254 सहकारी गृह-निर्माण सोसायटियों में से 13 परिसमापन के अधीन थीं । इन सोसायटियों के नाम दर्शाने वाला विवरण अनुबंध 1 पर है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०—4600/73 ।]**

(ख) जी नहीं । अब तक 141 सहकारी गृह-निर्माण सोसायटियों और 4 सहकारी ग्रुप गृह-निर्माण सोसायटियों को भूमि आबंटित की गई है । इन सोसायटियों के नाम दर्शाने वाला विवरण अनुबन्ध 2 पर है । **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०—4600/73 ।]**

(ग) और (घ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

(ङ) और (च): उन सहकारी-गृह-निर्माण सोसायटियों, जिनके विरुद्ध दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में लागू बम्बई कोआपरटिव सोसायटीज़ एक्ट, 1925 की धारा 43 के अधीन जांच विचाराधीन है, के नाम दर्शाने वाला विवरण अनबन्ध 3 पर है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या**

एल० टी० 4600/73] जांच आदेश में सामान्यतया वह अवधि दी गई होती है जिसके भीतर उसे पूरा किया जाना चाहिये आमतौर पर तीन महिने की अवधि दी जाती है । तथापी कुछ मामलोंमें इस अवधि को न्यायालयों से रोकने के आदेश मिलने, सम्बधित सोसायटिया द्वारा अभि-प्रस्तुन न किये जाने और अन्य अपरिहार्य कारणा की वजह से बढ़ाना पडता है ।

दिल्ली स्कूल अध्यापक आवास निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड के उप-नियम

4544. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पदाधिकारियों और प्रबन्ध समिति के चुनाव लेंखा रखने और लेखा परीक्षा करने तथा उन्हें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के सम्मुख पेश करने तथा ऐसे ही अन्य विषयों के संबंध में दिल्ली स्कूल अध्यापक आवास निर्माण सहकारी समिति लिमिटड के उप-नियमों में क्या उपबंध हैं ;

(ख) क्या उक्त समिति ने, पदाधिकारियों और प्रबंध समिति के चुनाव, लेखा रखने और लेखा परीक्षा करने तथा उन्हें रजिस्ट्रार आदि के सम्मुख पेश करने सम्बंधी अपने उप-नियमों का अब तक पालन किया है ।

(ग) यदि नहीं, तो किन-किन उप-नियमों का, उल्लंघन किया गया तथा सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को इसकी जानकारी कब हुई; और

(घ) इस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण, जिसमें दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड की उप-विधियों के संबंधित उपबंध दिए गए ह, अनुबंध पर हैं । [**ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी० 4601/73 ।**]

(ख) से (घ) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में लागू बम्बई कोआपरेटिव सोसायटिस् एक्ट, 1925 की धारा 48 के अन्तर्गत सोसायटि के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति के बारे में जांच करने के आदेश दिए गए हैं । दिल्ली प्रशासन द्वारा जांच शिघ्रता से पूरी कराने के लिए सोसायटी से संबंधित अभिलेख प्राप्त करने हेतु प्रयत्न किए जा रहे है। जांच पूरी होने के बाद ही, सोसायटी द्वारा किए गए उप-विधियों के उल्लंघनों की सही स्थिति तथा मात्रा और दूसरी अनियमितताओं यदि कोई हैं, का पता चलेगा और उसके बाद दिल्ली प्रशासन उपयुक्त कार्यवाही करेगा ।

दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली की कार्य स्थिति

4545. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली के अधिकांश सदस्यों द्वारा 1967 और 1972 के बीच जमा की गई धनराशि को, सोसायटी की रोकड़ पुस्तकों/खातों में नहीं दिखाया गया है;

(ख) क्या अधिकांश सदस्यों को सोसायटी द्वारा अभी तक शेयर सर्टिफिकेट / पास-बुक जारी नहीं की गई है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सोसाइटी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख), दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में लागू बम्बई को-आपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1925, की धारा 43 के अन्तर्गत दिल्ली स्कूल टीचर्स को-आपरटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति के बारे में जांच करने क आदेश दिए गए हैं । तथापि, जांच अधिकारी के लिय इस सोसायटी के कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति के बारे में सही स्थिति का पता लगाना संभव नहीं हो सका है, क्योंकि सोसायटी ने अभी तक संबंधित अभिलख तथा पुस्तकें प्रस्तुत नहीं की हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा सोसायटी से अभिलेख लेने और तदनंतर शीघ्रता से जांच पूरी करने के लिये प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ग) जांच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिल्ली प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

केरल में स्कूलों और कालेजों के भवनों में स्थान

4546. **श्री बयालार रवि** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल में स्कूलों और कालेजों के भवनों में विद्यर्थियों की संख्या स्थान की अपेक्षा बहुत अधिक है जिससे उस राज्य के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि केरल वित्तीय कठिनाईयों के कारण स्कूलों और कालेजों के विद्यार्थियों को पर्याप्त स्थान की सुविधाएं देने में असमर्थ है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का छात्र समुदाय की स्थिति सुधारने के लिए राज्य को सहायता देने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग): कालेजों के संबंध में अपेक्षित सूचना राज्य सरकार से एकत्र की जा रही है और एक विवरण यथा समय सभा पटल पर रख दिया जाएगा । तथापि, यह उल्लेखनीय है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान केरल सरकार को चार करोड़ रुपए का ऋण संस्वीकृत किया गया है । यह ऋण इसलिए स्वीकृत किया गया है ताकि राज्य सरकार प्राइवेट कालेजों को पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा अनुरक्षण अनुदान दे सके तथा फीसों के एकीकरण के फलस्वरूप राज्य सरकार तथा प्राइवेट कालेजों के प्रबंधकों के बीच अगस्त, 1972 में हुए समझौते के अनुसार वह राज्य के इन कालेजों के अध्यापकों और गैर-अध्यापन कर्मचारियों को मासिक आधार पर वेतन का सीधा भुगतान कर सके ।

चावल के कोटे के लिए केरल का अनुरोध

4547. **श्री बयालार रवि** :

श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने थोक व्यापार से सरकारीकरण के बाद निर्बाध वितरण बनाये रखने हेतु राज्य को चावल की सप्लाई बढ़ाने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता और कमी वाले अन्य राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य की उपयुक्त ज़रूरतें पूरी की जाती रहेंगी ।

वर्ष 1972-73 के लिए खरीफ फसलों की वसूली का लक्ष्य

4548. श्री बयालार रवि :

डा० हरि प्रसाद शर्मा :

क्या कृषी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1972-73 के लिए कितनी मात्रा में खरीफ की वसूली का लक्ष्य रखा गया है ; तथा इसके राज्य-वार आंकड़े क्या हैं;

(ख) नवीनतम आंकड़ों के अनसार अब तक कुल कितना खाद्यान्न वसूल किया गया और इसके, राज्य-वार, आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : जहां तक रबी के खाद्यान्नों का संबंध है, कृषि मूल्य आयोग ने 1972-73 विपणन मौसम के दौरान अधिप्राप्ति के लिए किन्हीं राज्यवार लक्ष्यों की सिफारिश नहीं की थी । एक विवरण-1 संलग्न है जिसमें 1972-73 के दौरान प्रत्येक राज्य में वास्तव में जितने गहूँ और रबी के मोटे अनाजों की मात्राएँ अधिप्राप्त की गई थीं का ब्यौरा दिया गया है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4602/73]**

जहां तक खरीफ़ के अनाजों का संबंध है, अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है । **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 4602/73]**

(ग) 1972-73 के दौरान खाद्यान्नों की अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने की दृष्टि से , राज्यों के खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था ताकि अधिप्राप्ति करने के लिये विशेष अभियान चलाया जा सकें । मिल मालिकों को लेवी में वृद्धि करने, हदबन्दी और नियामक उपायों को प्रभावकारी ढंग से लागू करने जैसे कई उपाय शुरू किए गए हैं ।

बेरोजगार डाक्टरों का विदेशों को जाना

4549. श्री के० सुर्यनारायण : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री 26 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 876 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या उनको पता है कि बड़ी संख्या में एम० बी० बी० एस० अर्हता प्राप्त और अन्य डाक्टर देश छोड़कर आस्ट्रलिया और अन्य दशों को जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो डाक्टरों का इस प्रकार अनियमित रूप से देश छोड़कर जाना रोकने के लिये क्या कदम उठाय जायेंग क्योंकि अपने देश में ही डाक्टरों की कमी है, और

क्या सरकार किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि देश छोड़कर जाना चाहने वाले सभी डाक्टर विदेशों में अध्ययन के लिये और रोजगार के लिये जाने से पहले सरकार से अनुमति प्राप्त करें ।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) सरकार को पता है कि कुछ डाक्टर प्रतिवर्ष रोजगार, उच्च शिक्षा तथा कुछ मामलों में स्थायी रूप से बसने के लिये विदशों में जाते रहत हैं । फिर भी भारत से डाक्टरों के व्यापक रूप में जाने की कोई सूचना सरकार के पास नहीं है ।

(ख) देश से डाक्टरों का बड़ी संख्या में बाहर जाना रोकने के लिये उठाये गये कदमों का एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकारी और स्वशासी या अर्ध-सरकारी संगठनों में कार्य कर रहे डाक्टरों को अध्ययन प्रशिक्षण या रोजगार के लिये विदेश में जाने से पहले सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होती है । गैर-सरकारी डाक्टरों के संबंध में ऐसा कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

चिकित्सा कर्मिकों तथा अन्य वैज्ञानिकों, इंजिनियरों और टैक्नालाजिस्टों की वापसी को सरल बनाने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गए हैं :—

(i) विदेश से वापिस आने वाले सुशिक्षित भारतीय वैज्ञानिकों तथा टेक्नालाजिस्टों को रोजगार देने के लिए वैज्ञानिक पूल की स्थापना ।

(ii) मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक संस्थानों में अतिरिक्त पदों का सर्जन, जिस से कि विदेश में कार्य तथा अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों में से अस्थायी नियुक्तियां शीघ्र की जा सकें ।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग तथा बहुत से राज्य लोक सेवा आयोगों ने यह मान लिया है कि वे भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नालिस्टों को, जिन के विवरण राष्ट्रीय रजिस्टार में प्रकाशित होते है, अपने द्वारा विज्ञापित सभी पदों के लिए "व्यक्तिगत सम्पर्क" (पर्सनल कानटेक्ट) अभ्यार्थियों के रुप में समझेंगे । संघ लोक सेवा आयोग ने विदेश में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नाला-जिस्टों को भारत में पद प्रदान करने के लिए विदेशों ही साक्षात्कार की व्यवस्था कर दी है ।

(iv) विदेश में रहने वाले भारतीय वैज्ञानिकों तथा टैक्नोलाजिस्टों के नामांकन के लिये और उन के नामों को भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों, विश्वविद्यालयों, सरकारी उद्योगों और बड़े बड़ गैर सरकारी क्षेत्र के कार्यालयों में परिपत्रित करने के लिय वैज्ञानिक तकनीकी कर्मिक के राष्ट्रिय रजिस्टर में एक विशेष सेक्शन रखना ऐसे कर्मिकों के नाम मासिक तकनीकी जन शक्ति बुलेटिन (सी० एस० आई० आर०) में प्रकाशित किये जाते है और इस बुलेटिन को देश भर के लगभग तीन हजार संगठनों में मुफ्त वितरित किया जाता है ।

(v) ऐसे वैज्ञानिकों को, जो भारत की अनुसंधान संस्थाओं में नियुक्ति के लिये चुने जाने पर ऐसी संस्थाओं में कम से कम तीन वर्ष तक काम करने की शर्त मान लेते हैं, उन्हें यात्रा अनुदान देने की व्यवस्था करना ।

(vi) केन्द्रीय संस्थाओं और राज्य काडरों में तथा केन्द्रीय स्वास्थ सेवा में काम करने वाले मेडिकल अफसरों के कुल वतन में वृद्धि करना ।

(vii) देहातों में काम करने वाले डाक्टरों को विशेष रियायतें और वित्तीय प्रोत्साहन देना ।

(viii) लेक्चररों के पदों पर नियुक्ति के लिये किसी विदेशी मान्यता प्राप्त अस्पताल में काम करने के अनुभव को एक वर्ष का शिक्षण अनुभव मानने के लिये चिकित्सा परिषद् सहमत हो गई है । इससे सुप्रशिक्षित डाक्टरों को शिक्षण काडर में जाने में मदद मिलेगी ।

(ix) राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा डाक्टरों की आर्थिक सहायता देने की योजना चलाना ।

दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों के समयोपरि भत्ते का भुगतान

4550. श्री के० सूर्यनारायण : क्या कृषि मंत्री दिल्ली दुग्ध योजना के पूरे दिन खुले रहने वाले दुग्ध स्टालों के कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते मंजूर करने की दिशा में हुई प्रगति के बारे में 27 नवम्बर 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1815 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह प्रश्न अब किस स्थिति में है; और

(ख) भुगतान कब तक कर दिया जाएगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) यह मामला सरकार के विचाराधीन है और इस पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड द्वारा सदस्य बनाया जाना

4551. श्री बरके जार्ज : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1967 और 1969 के बीच दिल्ली स्केल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड ने बड़ी संख्या में सदस्य बनाये थे;

(ख) क्या इन व्यक्तियों को कहा गया था कि वे सोसायटी के नाम से दिल्ली विकास प्राधिकरण के खाते में रिजर्व बैंक आफ इन्डिया नई दिल्ली में बैंक ड्राफ्ट जमा करवा दें और

(ग) यदि हां, तो इस सोसायटी ने वर्ष 1967 और 1969 के बीच सदस्यों से इस प्रकार कुल कितनी धन-राशि वसुल की थी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ग) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में लागू बम्बई कोआपरेटिव सोसायटीस एक्ट, 1925 की धारा 43 अन्तर्गत दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति के बारे में जांच करने के आदेश दिए गए है। सोसायटी ने उक्त जांच के लिए अपक्षित पूर्ण अभिलेख अभी तक नहीं दिए है। दिल्ली प्रशासन द्वारा सोसायटी से अभिलेख लेने और तदनंतर शीघ्रता से जांच पूरी करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है। जांच पूरी होने पर, इन मामलों पर जांच रिपोर्ट प्रकाश डालेगी।

(ख) सोसायटी के कुछ सदस्यों ने दिल्ली प्रशासन के ध्यान में यह बात लाई है कि उन्हें सोसायटी की स्थानापन्न सचिव होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति से, 3,000 रुपये की राशि जमा करने की डिमान्ड नोटिस मिली हैं। दिल्ली प्रशासन को सोसायटी के संबंधित अभिलेख मिलने के पश्चात ही सही बातों का पता चलेगा।

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों को भूमि का आबंटन

4552. श्री बरके जार्ज : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के सदस्यों और भूमि आवंटित करने संबंधी प्रतीक्षा सुची में उल्लिखित सदस्यों के नाम और पते क्या हैं;

(ख) उपरोक्त सोसायटी में प्रत्येक सदस्य ने किस किस तारीख को कितनी कितनी धन राशि जमा करवाई; और

(ग) इन सदस्यों को मकान बनाने के लिये कब तक भूमि मिल जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):(क) तथा (ख) : दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली में लागू बम्बई को-आपरेटिव सोसाइटिज एक्ट 1925 की धारा 43 के अधीन समिति के कार्य की जांच का आदेश दे दिया गया है। जांच पूर्ण होने के पश्चात सही-स्थिति का पता चलेगा ।

(ग) इस समय यह बताना संभव नहीं है कि सदस्यों को मकान बनाने के लिए भूमि लगभग किस तारीख तक मिल जायेगी

दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाऊस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड के पदाधिकारी

4553. **श्री बरके जार्ज** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड के पदाधिकारियों और मैनेजिंग कमेटी के सदस्यों के नाम और पते क्या है और इस रूप में उनका चुनाव कब हुआ था;

(ख) सोसायटी की निधि के लिये बैंक खाता खोलने के बारे में समिति के उपनियमों में क्य व्यवस्था है ;

(ग) क्या सोसायटी के एक बैंक से अधिक बैंकों में खातें हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में हर महीने बैंक /बैंकों से किस व्यक्ति द्वारा और कितनी राशि निकाली गई थी और क्या इस प्रकार निकाली गई राशि उपनियमों के अनुसार थी और वह सही प्रयोजन के लिये निकाली गई थी; और

(ङ) अनियमित रूप से राशि निकालने के कितने मामले हुए और रजिस्ट्रार आफ कोआपरेटिव सोसायटी अथवा सरकार को उनका पता कब लगा और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के केन्द्र शासित क्षत्र में लागू बम्बई कोआपरेटिव सोसायटीस् एक्ट, 1925 की धारा 43 के अन्तगत दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी लिमिटेड़, दिल्ली के गठन, कार्यकरण तथा वित्तीय स्थिति के बारे में जांच करने के आदेश दिए गए है। सही स्थिति का पता इस जांच के पूरा हो जाने के बाद ही चल सकेगा ।

(ख) इस सम्बन्ध में सोसायटी की उप-विधियों की उप-विधि संख्या 33 में ये प्रावधान है :

"कोषाधिकारी सामान्यत: अपने पास ज्यादा से ज्यादा उतनी राशि रखेगा, जिसकी सीमा समिति द्वारा निर्धारित की जानी है। इस सीमा से ज्यादा का सारा नकदी उस बैंक में जमा किया जाएगा जो समिति द्वारा चुना और पंजीयक द्वारा अनुमोदित किया जाना है अथवा राज्य सहकारी बैंक या डाकघर बचत बैंक में जमा किया जाएगा। समिति द्वारा धन निकालने की दी गई स्वीकृतियों पर सचिव अथवा प्रबन्धक और कोषाधिकारी अथवा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अन्य पदाधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे ।

(ग) से (ङ) जांच पूरी होने पर इन तथा अन्य मामलों पर जांच रिपोर्ट से प्रकाश पडेगा।

विकास कार्यक्रम के लिए जीपों की कमी

4554. **श्री आर० वी० बड़े :**

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न विकास कार्यक्रमों के लिए जीपों और जीप पिक अप की कमी अनुभव की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न विकास कार्यक्रमों में प्रयोग के लिए सरकारी विभागों को इस प्रकार की गाड़ियां उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

Vasectomy Operations Performed in Delhi

4555. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri R. V. Bade :

Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) the number of vasectomy operations performed in New Delhi and Delhi during the years 1971-72 and 1972-73;

(b) the expenditure incurred by Government on the project during the said period; and

(c) the target of vasectomy operations for the financial year 1973-74 and the estimated expenditure to be incurred thereon?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) The number of vasectomy operations performed in New Delhi and Delhi during the years 1971-72 and 1972-73(1st April, 1972 to 28th February, 1973) was 4,933 and 3,534 respectively.

(b) Figures of expenditure incurred on vasectomy are not available separately. The total expenditure on the Family Planning Programme for Union Territory of Delhi for 1971-72 was Rs. 35.57 lakhs and the provision for 1972-73 is Rs. 37.25 lakh.

(c) Targets are not fixed separately for vasectomy and tubectomy

No separate budget provision is made for vasectomy programme. However, a budget provision of Rs. 2 lakhs has been made during 1973-74 for payment of compensation for IUCD and sterilisation.

Central Loan and Grant for Agricultural Production to Orissa.

4556. Shri Hukam Chand Kachwai :
Shri Chintamani Panigrahi :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of grant and loan given to Orissa for increasing agricultural production during the financial year 1971-72; and

(b) the additional amount of grant and loan being given during the financial year 1972-73?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) The procedure for release of Central assistance to State Governments for their plan schemes has been revised from 1969-70. Assistance is now released to States Governments in block loans and grants for the annual plan as a whole and is not related to any individual scheme or programme. In 1971-72, a total grant of Rs. 960.00 lakhs and loan of Rs. 2240.00 lakhs were sanctioned to the Government of Orissa. Besides, a total grant of Rs. 85.05 lakhs and loan of Rs. 10.13 lakhs were a sanctioned for Central and Centrally Sponsored Schemes in the Agriculture Sector. The Central team which visited Orissa in 1971-72 to assess the requirements of funds for natural calamities relief expenditure had recommended a ceiling of Rs. 2.25 crores as loan for minor irrigation schemes in the context of the drought in the State. This amount has been taken into account while releasing a total assistance of Rs. 15.11 crores to the Government of Orissa towards the relief expenditure in 1971-72. In 1972-73, the assistance allocated to the Government of Orissa by way of

block loan and grant for their Annual Plan is Rs. 33.55 crores. The assistance for the State Plan Schemes and for Centrally Sponsored Schemes is being released on the basis of actual expenditure reported by the State Government. Over and above the Plan assistance long term loans worth Rs. 6.60 crores have been released for minor irrigation schemes for the State during 1972-73 as a part of the Emergency Agricultural Production Programme. Further the ceiling of the expenditure approved in 1972-73 for the purposes of assistance in the natural calamities relief expenditure includes a ceiling of Rs. 53.00 lakhs as loan for minor irrigation programme. This amount has also been taken into account in the Central assistance for Rs. 8.87 crores sanctioned so far in the current year towards relief expenditure.

Issue of Milk Tokens by Delhi Milk Scheme

4557. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of remaining persons to be issued milk tokens now under Delhi Milk Scheme ;

(b) the time by which they are likely to be covered;

(c) whether at some booths consumers are not getting full quantity of milk ; and

(d) if so, the time by which this scarcity would be made good?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) 67,578 applicants were registered in the waiting list for milk tokens as on 31-1-1973.

(b) The liquid milk handling capacity of existing dairy plant of Delhi Milk Scheme is being expanded from 3 lakh litres to 3.75 lakh litres daily. The expansion programme is at an advanced stage and is now expected to be completed by the middle of this year. The target for expansion is subject to revision based on various factors. The requirements of the persons presently on the waiting list are expected to be covered as soon as the proposed expansion programme is completed.

(c) The consumers are generally getting full quantity of milk required by them against their milk tokens, excepting in marginal cases of shortage of milk at times at some of the depots due to fluctuating demands of token holders or due to unforseen difficulties.

(d) Daily indents are obtained by Delhi Milk Scheme from depots to meet the fluctuating demands of token holders and the supplies are adjusted accordingly.

शास्त्रीय संगीत और नृत्य, नाटक तथा वृन्दगान के समारोह के आयोजन में लगे बाहर के व्यक्ति

4559. **श्री विक्रम महाजन :** क्या शिक्षा और समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षा विभाग द्वारा भारत की स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ मनाने के लिये लाल किले के दीवान-ए-आम में 16 से 25 फरवरी, 1973 तक शास्त्रीय संगीत तथा नृत्य, नाटक और वृन्दगान का समारोह आमंत्रित किया गया था और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिये मंत्रालय के कर्मचारियों की अपेक्षा बाहर वालों को तरजीह दी गई थी;

(ख) क्या इस कार्यक्रम के पहले दिन मंत्रालय के केवल 48 कर्मचारी ही ड्यूटी पर लगाये गये थे और बाद में इनमें से 37 को वापिस बुला लिया गया था और बाहर के लगभग 100 व्यक्तियों को 25 रुपये दैनिक और दोनों समय के भोजन पर नियुक्त किया गया था; और

(ग) क्या बाहर वालों को दी गई राशि उस राशि से अधिक है जो मंत्रालय के कर्मचारियों को दी जाती जिसके परिणामस्वरूप सरकार को परिहार्य वित्तीय हानि हुई, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) यह सच है कि भारत की स्वाधीनता की 25 वीं वर्षगांठ के संबंध में शिक्षा विभाग ने दिनांक 16 से 26 फरवरी 1973 तक लाल किले के दीवान-ए-आम में शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य के एक मेले का आयोजन किया था। तथापी यह कहना सहीं नहीं है कि इस समारोह में कार्य करने के लिए मंत्रालय के कर्मचारियों की अपेक्षा बाहर के व्यक्तियों को तरजीह दी गयी थी ऐसे काम पर, जिनमें सचिवालीय कार्य लेखे, कैंटीन प्रबन्ध और सर्वोपरि पर्यवेक्षण का काम शामिल था, मंत्रालय के कर्मचारियों को तैनात किया गया था। दर्शकों को अन्दर ले जाने तथा कलाकारों के स्वागत और उनकी देखभाल जैसे कार्यों के लिए बाहर के व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था, क्योंकि इनके लिये विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है।

(ख) पहले दिन 48 व्यक्तियों को ड्यटी पर तैनात किया गया था, परन्तु दूसरे ही दिन एक ऐसा आदेश जारी किया गया था जिसके अधीन जो प्रभाग इस मेले का आयोजन कर रहा था उससे बाहरी मंत्रालय के 11 कर्मचारियों को ड्यटी पर तैनात किया गया। इसके अतिरिक्त इस प्रभाग के उन छः व्यक्तियों को भी ड्यूटी पर रख लिया गया, जिनके नामों का प्रथम परिपत्र में उल्लेख था। ऐसा इसलिये किया गया क्योंकि जिन अधिकारियों को कैन्टीन, परिवहन, और लेखे का प्रभारी अधिकारी बनाया गया था, उनके पास अपने कर्मचारी थे, जिनकी संख्या लगभग 25 थी।

इसके अलावा, कलाकारों तथा उनके सहयोगीयों के स्वागत हेतु तथा उनकी देखभाल करने के लिये गन्धर्व महाविद्यालय से प्रतिदिन 3 और 16 के बीच स्वयंसेवक नियुक्त किये गये थे, जिनकी संख्या जिन कलाकारों की देखभाल की जानी थी उनकी टोली की संख्या के आधार पर निर्भर करती थी। उन्हें परिवहन सहित 25 रुपये प्रतिदिन की दर से अदायगी की जाती थी। दर्शकों को अंदर ले जाने के काम के लिये दिल्ली प्रशासन से 44—47 रा० अनु०यो० प्रशिक्षकों की सेवाएं मांगी गयी थी। उन्हें सप्ताह में काम के दिनों के लिये 15 रुपये प्रतिदिन और रविवार के दिन 25 रुपये प्रतिदिन की दर से अदायगी की गयी थी। इस प्रकार के प्रबन्ध की आरंभ से ही व्यवस्था की गयी थी। उन्हें कोई मध्याह्न भोजन अथवा रात्रि भोजन नहीं दिया जाता था, परन्तु उन सभी कार्यकर्ताओं को प्रतिदिन 1.50 रुपये के अल्पहार कूपन दिये जाते थे, जिनकी ड्यूटी 8 घंटे से अधिक नहीं होती थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कुछ ड्यूटियों के लिये विशिष्ट योग्यता वाले कार्यकर्ताओं की आवश्यकता थी। अतः मंत्रालय के कर्मचारी के स्थान पर बाहरी व्यक्तियों को नियुक्त करने का प्रश्न किसी भी स्तर पर नहीं उठा।

ग्रेट कैलाश-1, नई दिल्ली में खुले नाले को सीवर में बदलना

4560. श्री राम नारायण शर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रेटर केलास 1 नई दिल्ली के दक्षिण में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये गये खुले नाले में आसपास की कालोनियों का मल बहता रहता है और यदि नहीं, तो यह नाला किस प्रयोजन के लिये बनाया गया था; और

(ख) इस नाले को कब तक ढकने अथवा इसके स्थान पर जमीन के नीचे सीवर बनाने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने ग्रेटर कैलाश-1 के दक्षिण में ऐसे किसी नाले या ड्रेन का निर्माण नहीं किया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मूलचंद हस्पताल से ग्रेटर कैलाश जाने वाली सड़क पर बिजली की व्यवस्था

4561. **श्री राम नारायण शर्मा :**
श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूलचन्द हस्पताल से ग्रेटर कैलाश दक्षिण दीप और चिराग दिल्ली (नई दिल्ली) जाने वाली जो सीधी सड़क यातायात के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 7 वर्ष से अधिक अवधि पूर्व खोली गई थी, उस पर अभी पक बिजलीकी व्यवस्था नहीं की गई है;

(ख) क्या इस सड़क पर गाड़ियों का भारी यातायात रहता है और क्षेत्र के निवासियों की संस्थाओं ने वहां बिजली की व्यवस्था करने के लिए कई अनुरोध किए हैं; और

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार वहां बिजली की व्यवस्था करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) से (ग) : ग्रेटर कैलाश नं 1 के पश्चिम से गुजरने वाली और रिंग रोड को चिराग दिल्ली से मिलाने वाली सड़क का निर्माण दिल्ली प्रशासन सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया गया था न कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा और इस समय इस सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था नहीं है। उक्त सड़क पर इस की व्यवस्था की आवश्यकला को दृष्टि में रखते हुए, दिल्ली प्रशासन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने इस कार्य को 1973-74 के लिए अपनी मसौदा वार्षिक योजना में (4.98 लाख रुपये की अनुमानीत लागत) शामिल कर लिया है। उक्त सड़क पर प्रकाश की व्यवस्था करने हेतु दिल्ली प्रशासन सार्वजनिक निर्माण विभाग और दिल्ली बिद्यूत प्रदाय उपक्रम के विचाराधीन मामला बतांया गया है।

दोहरे मोतियाबिंध (डबल कैटरैक्ट) का इलाज

4562. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेल्जियम के एक सुविख्यात नेत्र चिकित्सक डा० चार्ल्स स्कैयन्स ने कहा है कि वह उन एक करोड़ दस लाख भारतीयों का इलाज कर सकते हैं जो दोहरे मोतिया बिंध से सदा के लिये अंधे हो गये है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) डा० स्कैयेन्स द्वारा निकाली गई पराश्रव्य प्रक्रिया (अल्ट्रासीनिक प्रोसीजर) अभी तक प्रयोगात्मक स्थिति में है। इसे पहले आजमाइश के तौर पर चालू करना होगा तथा पूर्ण मूल्यांकन करना होगा।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि कब्जे में लेना

4563. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्रथम सितम्बर, 1968 को तेल मिल, रामनगर, पहाड़गंज, नई दिल्ली के म्यूनिसिपल संख्या XV 7532 की जो भूमि वहां स्थित मकानों को गिराने के बाद अपने कब्जे में की थी, से किसी गैर-सरकारी पार्टी ने न्यायालय से रोकादेश के बहाने अपने अधिकार में लें लिया है और 2000 रुपये मासिक किराये पर मसेर्ज भारत प्लाइवुड प्राडक्ट्स को दे दिया है। जिन्होंने अप्राधिकृत रुप से बड़े बड़े गोदाम वहां बना लिये हैं;

(ख) क्या इस भूमि का वर्तमान मूल्य बाजार भाव के हिसाब से लगभग 4 लाख रुपये है ;

(ग) क्या न्यायालय का रोकादेश इस भूमि के कब्जे को न छोड़ने के बारे में है या इसके द्वारा डी० डी० ए० को अप्राधिकृत निर्माण के विरुद्ध कार्यवाही करने की भी मनाही है ; और

(घ) रोकादेश को हटाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :(क) पहले 1 सितम्बर, 1968 को तथा पुन: 21 जनवरी, 1970 को दो बार भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया था। बाद में एक व्यक्ति ने न्यायालय से एकपक्षीय रोकादेश प्राप्त किया तथा अनधिकृत रूप से निर्माण आरम्भ कर दिया। मामला अब न्यायालय के विचाराधीन है।

(ख) अनुमानित बाजार भाव बता सकना संभव नहीं है।

(ग) रोकादेश कब्जे के सम्बन्ध में यथा-पूर्व-स्थिति बनाए रखने के लिये है। यथा-पूर्व-स्थिति को भंग करने के लिये अनधिकृत दखलकारों के विरुद्ध दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा न्यायालय के अपमान के लिये एक प्रार्थना-पत्र दे दिया गया है। न्यायालय ने एक स्थानीय आयुक्त की नियुक्ति की थी जिसने जगह का निरीक्षण किया है तथा अनधिकृत निर्माण पर न्यायालय को एक रिपोर्ट पेश कर दी है।

(घ) न्यायालय से मामले को शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया गया है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मकानों का गिराया जाना

4564. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1 सितम्बर, 1968 को म्युनिसिपल संख्या एस पी/7532 तेल मिल, रामनगर, पहाड गंज नई दिल्ली के स्थान पर बसे शरणार्थियों के मकानों को बिना नोटिस दिये गिरा दिया था ;

(ख) यह भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण की है अथवा भारत सरकार की अथवा किसी प्राइवेट पार्टी की है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1 सितम्बर, 1969 को मकान गिराने के पश्चात खाली भूमि को अपने कब्ज में ले लिया था और इससे लगभग एक वर्ष बाद तक इसका खाली कब्जा अपने पास रखा;

(घ) क्या मकानों को गिराने की कार्यवाही दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी से आदेश लिए की थी; और

(ङ) यदि नहीं, तो बिना नोटिस मकान गिराने के आदेश किस अधिकारी ने दिये थे ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां। चूंकि अनधिकृत दखलकारों ने भूमि को पूर्णतया अनधिकृत रूप से और कोई हर्जाना दिए बिना दखल में ले रखा था अत: उन्हें नोटिस देने का प्रश्न ही नहीं उठा।

(ख) भूमि सरकार की है तथा वह दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्रबन्ध और नियंत्रण में है।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद् के कार्यकरण का मूल्यांकन करने के लिए पुनर्विलोकन समिति

4565. **श्री एस० एम० सिद्दया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपने गत कुछ वर्षों के कार्य के मूल्यांकन के लिए और भविष्य में, विशेषकर पांचवी योजना में उसके कार्य के विकास के लिए मुख्य मार्ग-दर्शक दिशाओं का सुझाव देने के लिए हाल ही में एक पुनर्विलोकन समिति बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्य कौन-कौन हैं और उसके निर्देशपद क्या-क्या है ;

(ग) क्या इस समिति में अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का भी कोई सदस्य है, और यदि नहीं तो क्या कारण है ; और

(घ) क्या इस समिति को अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं संबंधी अनुसंधान तथा अध्ययनों की वर्तमान स्थिति की विशेष जांच करने का निदेश दिया गया है और उसे इस अपेक्षित क्षेत्र में कार्य के शीघ्र विकास के लिए उपयुक्त सिफारिशें करने को भी कहा गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी हां।

(ख) पुनरीक्षण समिति का गठन तथा उसके विचारार्थ विषय नीचे दिए गए हैं :—

गठन—

अध्यक्ष—

डा० एम० एस० आदिशेषिया

सदस्य

1. प्रो० डी० टी० लक्दावाला
2. डा० कमला चौधुरी
3. डा० नितिश डे
4. प्रो० एस० सी० दूबे
5. डा० वी० बी० सिंह संसद सदस्य
6. प्रो० एस० अबल, सदस्य-सचिव

विचारार्थ विषय :

"सामाजिक विज्ञान अनुसंधान के वर्तमान स्तर तथा उस की भावी दिशाओं के बारे में जांच करना, तथा उसके निष्कर्षों के आधार पर भा० स० वि० अ० परिषद् के पिछले चार वर्षों के कार्य का मूल्यांकन करना तथा उस रुप रेखा का निर्देशन करना जिसके आधार पर पांचवी पंच वर्षीय योजना में उसका विकास किया जाएगा।"

(ग) इस समिति में अनुसुचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों का कोई भी सदस्य शामिल नहीं है, क्योंकि समिति के उद्देश्यों के लिए किसी विशेष संप्रदाय अथवा हित का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य को शामिल करना उपयुक्त नहीं समझा गया था।

(घ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की समस्याओं का अध्ययन तथा उनपर अनुसंधान करना परिषद् का महत्वपूर्ण वर्तमान कार्यक्रम है। निःसंदेह समिति इस कार्यक्रम की ओर ध्यान देगी तथा इस विशिष्ट क्षेत्र में कार्य के तीव्र विकास के लिए उपयुक्त सिफारिश करेगी।

दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पद

4566. **श्री एस० एम० सिद्दया :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली के विभिन्न केन्द्रीय विद्यालयों के लिए पी० जी० टी०, टी०जी०टी० और प्राथमिक ग्रेडों में, अलग-अलग अध्यापकों की कुल स्वीकृति संख्या तथा वास्तविक संख्या (अर्थात पदों की संख्या) कितनी है;

(ख) प्रत्येक उक्त ग्रेड में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कितने पद आरक्षित है और कितने वास्तव में भरे हुए हैं; और

(ग) चालू वर्ष में शेष पद किस प्रकार भरे जायेंगे ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) अध्यापकों का वर्ग	स्वीकृत संख्या	वास्तविक संख्या
पी०जी०टी० . . .	72	68
टी०जी०टी० . .	138	135
प्राथमिक अध्यापक .	173	170

(ख) प्रत्येक वर्ग के स्वीकृत पदों में से 16 2/3% तथा 7 1/2 % स्थान क्रमशः अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। इस समय केवल दो अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के अध्यापक ही पदों पर हैं।

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान दिल्ली के केन्द्रीय विद्यालयों में कोई नई भर्ती नहीं की गई है क्योंकि दिल्ली से बाहर सेवा करने वाले अध्यापकों में उन्हें दिल्ली में स्थानांतरित करने के बहुत से अनुरोध प्राप्त होते हैं तथा दया भावना के आधार पर प्राप्त सभी अनुरोधों को साधारणतया मान लिया जाता है ।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने हाल ही में पदों को विज्ञापित किया है तथा महानिदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण के जरिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। अपने अपने काडर (संवर्ग) के भर्ती नियमों में निर्धारित न्यूनतम अर्हता तथा अनुभव रखने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के अधिकतम उम्मीदवारों को भर्ती करने के लिये संगठन द्वारा कड़े अनुदेश जारी किये जा रहे हैं ।

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत होस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों और होस्टल में न रहने वाले विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर

4567. **श्री एस० एम० सिद्दया :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अनुसार तकनिकी तथा गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों के होस्टल में न रहने वाले तथा होस्टल निवासी विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति की दर क्या है ;

(ख) जब यह योजना आरम्भ की गई थी तब छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिये कितनी आय सीमा निर्धारित की गई थी; और

(ग) क्या बाद में आय-सीमा में परिवर्तन किया गया था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्तियों की दर निम्नलिखित है :

		दिन में अध्ययन करने वाले छात्र	आवासीय छात्र
(1)	आई०ए०/आई०एस०सी० पूर्व विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम तथा तीन वर्षीय डिग्री-पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष, जहां भी ऐसा पाठ्यक्रम मौजूद हो ।	50/- रु० प्रतिमास	60/- रु० प्रतिमास
(2)	बी० ए०/बी०एस०सी० तथा तीन वर्षीय बी०ए०/बी०एस०सी०/बी०काम पाठ्यक्रम के तीसरे वर्ष के लिए जहाँ भी ऐसा पाठ्यक्रम मौजूद हो ।	75/- रु० प्रतिमास	85/- रु० प्रतिमास
(3)	एम०ए०/एम०एस०सी० .	100/- रु० प्रतिमास	110/- रु० प्रतिमास
(4)	व्यावसायिक पाठ्यक्रम (प्रथम डिग्री /डिप्लोमा/बी०एड०/एल०एल०बी०/कृषि/ एम०एड०/एल०एल०एम०)	100/- रु० प्रतिमास	110/- रु० प्रतिमास

(ख) और (ग) : 1961 में योजना को जिस समय प्रारंभ में लागू किया गया था, तब 500 रु० प्रतिमास तक की पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की पूरी राशि देय थी। 500 रु० से 1000 रु० तक की पारिवारिक आय वालों को छात्रवृत्ति की आधी राशि की स्वीकृति की जाती थी । 1000 रु० प्रतिमास से अधिक परिवारिक आय वालों को कोई छात्रवृत्ति देय न थी ।

1967-68 वर्ष के बाद इस संबंध में केवल यह परिवर्तन किया गया है कि पारिवारिक आय 500 रु० से 1000 रु० प्रतिमास के बीच होने पर छात्रवृत्ति की आधी राशि की स्वीकृति को समाप्त कर दिया गया है ।

वर्ष 1974-75 में अनाज का आयात तथा आवश्यकता

4568. **कुमारी कमला कुमारी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश को वर्ष 1974-75 में कितने अनाज की आवश्यकता होगी और भारतीय किसानों के खेतों से कुल कितना अनाज मिलने की सम्भावना है;

(ख) क्या देश को अनाज का आयात करना पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो कितना और किस किस देश से ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) से (ग): 1974-75 के लिए खाद्यान्नों के उत्पादन के कोई अनुमान बताना बहुत जल्दबाजी होगी। अन्य जिन्सो की तरह खाद्यान्नों की आवश्यकता भी लचीली होती है और वह खाद्यान्नों और अन्य वैकल्पित खाद्य पदार्थों उनके तुलनात्मक मूल्यों, आय का स्तर, जनसंख्या में वृद्धि, शहरीकरण की रफ्तार आदि जैसे कई एक तत्वों पर निर्भर करती हैं। क्योंकि इन तत्वों में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, इसलिए 1974-75 के लिए आवश्यकताओं, उपलब्धता और आयातों का ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है। तथापि, सामान्य उत्पादन होने से, आयात का रास्ता अपनाए बिना आन्तरिक मांग को पूर्णतया पूरा करना सम्भव होना चाहिए ।

बेकरी उपकरणों का देश में निर्माण

4569. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यदि आस्ट्रेलिया और कनाडा से तीन वर्ष पहले आयात किये गये उपकरणों को बदलने के के लिये देश में बेकरी उपकरणों का निर्माण तुरन्त आरम्भ नहीं किया गया तो सरकारी क्षेत्र मे डबल रोटियां बनाने वाले उद्योग को संकट का सामना करना पड़ेगा ;

(ख) उसमें लगे हुए आयातित उपकरण सामान्यतः कितनी अवधि तक चलते है; और

(ग) देश में अपेक्षित मशीनों के समय पर निर्माण को सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाए जा रहे है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ग) जी नहीं । संगठित क्षेत्र में एक यूनिट डबल रोटी बनाने के संयंत्रों का निर्माण कर रहा है । इसके अलावा, बहुत से ऐसे छोटे पैमाने के यूनिट है जोकि बेकरी उपकरणों के कुछ हिस्सों का निर्माण कर रहे है । देश में उन आधुनिक उपकरणों का उत्पादन करने के लिये उपाय किए जा रहे है जोकि देश में इस समय उत्पादित उपकरणों के दायरे में नहीं आते है ।

(ख) 12 से 15 वर्ष तक ।

Allotment of Land for Bhai Matidas Memorial and Hospitals

4570. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the President of Bhai Matidas Memorial Committee, 145-B, Amar Colony, New Delhi-24 has requested the President of India in an application that the land given on lease to Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi for construction of a hospital may be given to him for running Bhai Matidas Memorial and hospital ;

(b) if so, whether the said land is being given to him by Government ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The premises allott d to the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh were surrendered by them in April, 1969 with a request for the transfer of the land in favour of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust. However, as a large number of unauthorised structures and other misuses of the premises were detected on inspection, physical possession of the premises has not so far been taken by Government. In the circumstances, the request of Bhai Matidas Memorial Committee cannot be acceded to.

गन्ने के विकास के सम्बन्ध में एक समिति की नियुक्ति

4571. **श्री जी० वाई० कृष्णन् :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पसरीचा समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने गन्ने के विकास के लिए एक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय की मुख्य बातें क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कृषि पुनर्वित्त आयोग के सुझाव पर राज्यों में स्थापित किये गये सांविधिक निगम अथवा सरकारी कम्पनियां

4572. **श्री एम० के० कृष्णन्** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन किन राज्यों में कृषि पुनर्वित्त आयोग के सुझाव पर सांविधिक निगम अथवा सरकारी कम्पनियां स्थापित की है ; और

(ख) उनकों, राज्यवार, अब तक कितनी धनराशि दी गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):(क) कृषि उद्योग निगम सभी प्रमुख 17 राज्यों में मौजूद हैं। नलकप निगम हरियाणा और पंजाब में है। मैसूर में वन निगम की स्थापना कर दी गई है। महाराष्ट्र में कृषि विकास और उर्वरक संवर्धन निगम स्थापित किया गया है। केरल में एक भूमि विकास निगम की स्थापना की जा चूकी है।

(ख) कृषि पुर्नवित्त निगम ने 28-2-1973 तक ऐसे निगमों के जरिये पांच राज्यों में 11 योजनाएं क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी है। इन राज्यों के नाम हैं --केरल, हरियाणा, पंजाब, आन्ध्र प्रदेश और मैसूर। इन योजनाओं का कुल परिव्यय 15.68 करोड़ रुपये है। हरियाणा ने इसमें से 31-10-1972 तक 2 करोड़ रुपये की राशि ले ली थी।

Manufacture and Import of Agriculture Implements

4573: **Shri G. P. Yadav** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have any scheme under consideration of manufacture or import from other countries agricultural implements and other equipments which may be purchased and maintained by small farmer ; and

(b) if so, the time by which the agricultural implements would be made available to small farmer by Government and details thereof ?

The Minister of State in the 'Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) There is no specific scheme as such at present under consideration of the Government of India to manufacture or import from other countries agricultural implements and other equipment which may be purchased and maintained by small farmers.

Though the Government has no such programme directly under its auspices, it has encouraged the manufacture of simple agricultural implements suitable for small farmers and many of these implements are now being manufactured in public sector workshops as well as in private sector. For instance, manually operated and bullock driven implements are being manufactured in Government Central Workshop, Nagpur, Government Workshop in Bhubaneswar and in Tiruchirapalli and by many other private manufacturers. Similarly, the Agro Industries Corporation in Kerala has under taken manufacture of power tillers suitable for paddy and two other private sector concerns are also producing power tillers. A number of these small implements have been standardised with the assistance of the Indian Standards Institution and they are also being manufactured. These implements include light mould-board ploughs, ridgers, bullock driven disc harrows, threshers, paddy weeders, etc. New designs of implements as soon as they are passed by the Research Stations are also given to manufacturers so that they can manufacture them and supply them to the farmers. In order to popularise these implements amongst the small farmers bulletins and leaflets have been published in Hindi as well as in regional languages.

सिंचाई परियोजनाओं पर हुए व्यय के परिणामस्वरूप अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

4574. **श्री भोला मांझी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में सिंचाई परियोजनाओं पर हुए व्यय के परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की गई है; और

(ख) अभी तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) अनुमान है कि गत तीन वर्षों के दौरान सिंचाई परियोजनाओं पर हुए व्यय के परिणामस्वरूप लगभग 41.9 लाख हेक्टार की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता पैदा की गई है ।

(ख) अनुमान है कि इससे गत 3 वर्षों के दौरान वास्तव में 37 लाख हेक्टार के अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई की व्यवस्था हो गई है ।

Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh, 2 Lajpat Nagar, New Delhi

4575. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 3172 on the 3rd December, 1970 and state :

(a) the land in acres in possession of Akhil Eharat Netra Sudhar Sangh, 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi-24 and the layout plan indicating the length of each wall ;

(b) whether the said society had handed over the property to Government on the 26th April, 1969 by a surrender deed ; and

(c) if so, the particulars thereof alongwith the layout plan indicating the length of each wall and other property received by Government from the Society?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) As indicated in the reply given by the Minister of Labour and Rehabilitation, the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh was allotted land measuring 1.56 acres. It was an irregular 8 - sided plot and the lengths of the sides were as follows :—

(1) 53 ft.
(2) 257 ft.
(3) 90 ft.
(4) 74 ft.
(5) 240 ft.
(6) 80 ft.
(7) 89 ft. 9 inches.
(8) 259 ft.

No plan of the plot is available with the copy of the lease deed in the file transferred to the Land and Development Office by the Department of Rehabilitation.

(b) and (c): By a surrender deed of 26th April, 1969, the society surrendered the plot to the Government for allotment to Dr. Bhagwan Das Memorial Trust but the physical possession of the property has not so far been handed over by the Society to Government.

दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति, दिल्ली के पास सदस्यों की जमा राशि

4576. **श्री चन्द्रशेखर सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लिमिटेड, दिल्ली ने अगस्त, 1967 तक बने सदस्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि 18, फरवरी, 1973 तक समिति के पास उनकी जमा राशि 3,000 रुपये होनी चाहिये और यदि हां, तो अगस्त के बाद बने सदस्यों को ऐसा करने के लिए न कहने के क्या कारण है ।

(ख) अगस्त, 1967 तथा इसके बाद बने उन सदस्यों के अलग-अलग नाम व पते क्या है जिन्होंने 2,500 रुपये भी, जो कि समिति ने पहले मांगे थे, जमा नहीं कराये तथा प्रत्येक सदस्य द्वारा कितनी कितनी राशि जमा कराई गई; और

(ग) अगस्त, 1967 तक बने दोषी सदस्यों को और अन्य सदस्यों को, जिन्होंने समिति द्वारा अपेक्षित राशि को जमा करा दिया है परन्तु जो सदस्य बाद में बने हैं, प्राथमिकता देने के क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :(क) से (ग) दिल्ली प्रशासन द्वारा दिल्ली के केन्द्र शासित क्षेत्र में लागू बम्बई को-आपरेटिव सोसायटीस् ऐक्ट, 1925 की धारा 43 के अन्तर्गत दिल्ली स्कूल टीचर्स कोआपरेटिव हाउस बिल्डिग सोसायटी लिमिटेड, दिल्ली के गठन, कार्य-करण तथा वित्तीय स्थिति केबारे में जांच करने के आदेश दिए गए है । दिल्ली प्रशासन द्वारा सोसायटी से अभिलेख लेने और तदनन्तर शीघ्रता से जांच पूरी करने के लिए प्रयत्न किए जा रहे है ।

सोसायटी के कुछ सदस्यों ने दिल्ली प्रशासन के ध्यान में यह बात लाई है कि उन्हें सोसायटी का स्थानापन्न सचिव होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति से 3,006 रुपये की राशि जमा कराने के डिमाण्ड नोटिस मिले है । जांच पुरी होनेपर, प्रश्न में उठाए गए विभिन्न मामलों के बारे में वास्तविक स्थिति पर केवल जांच रिपोर्ट ही प्रकाश डाल सकती है ।

वर्ष 1973-74 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों का समेकित विकास

4577. **श्री सी० टी० ढंडपाणि** :

श्री गिरिधर गोमांगों :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग का विचार 1973–74 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों के समेकित विकास के लिए लगभग एक दर्जन परियोजनाएं आरम्भ करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कहां कहां आरम्भ किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) तथा (ख) योजना आयोग ने हाल ही में समेकित ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में गठित कृतिक दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । इस दल का गठन अक्तूबर, 1971 में योजना आयोग के सदस्य डा० बी० एस० मिन्हास की अध्यक्षता में किया गया था । सिंचित कृषि के विकास के सम्बन्ध में दी गई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में इस कृतिक दल ने निम्नलिखित स्थानों में 11 समेकित कृषि विकास की मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू करने की सिफारिश की है :—

(1) कंसावती सिंचाई कमाण्ड क्षेत्र (मिदनापुर जिला, पश्चिम बंगाल) ।

(2) हिराकुड सिंचाई परियोजना (संबलपुर जिला, उड़ीसा) ।

(3) चम्बल सिंचाई परियोजना (बूंदी जिला, राजस्थान) ।

(4) चम्बल सिंचाई परियोजना (भिण्ड जिला, मध्य प्रदेश) ।

(5) गड़द सिंचाई परियोजना (गोरखपुर जिला, उत्तर प्रदेश) ।

(6) तुंगभद्रा सिंचाई परियोजना (रायचूर जिला, मैसूर) ।

(7) गंड़क सिंचाई परियोजना (मुझफ्फपुर जिला, बिहार) ।

(8) कुटियादी सिंचाई परियोजना (कालीकट जिला, केरल) ।

(9) गिरना सिंचाई परियोजना (जलगांव जिला, महाराष्ट्र) ।

(10) तबी उठाऊ सिंचाई परियोजना (जम्मू व कश्मीर) ।

(11) नागार्जुनसागर सिंचाई परियोजना (गंटूर जिला, आन्ध्र प्रदेश) ।

2. इन परियोजनाओं के ठीक-ठीक स्थान और इन्हें क्रियान्वित करने सम्बन्धी अन्य ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं ।

1973-74 में नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों का समेकित विकास

4578. श्री के० बालदंडायुतम :

श्री जगन्नाथ मिश्र :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना का प्रस्ताव 1973–74 के दौरान नहर द्वारा सिंचित क्षेत्रों के समेकित विकास के लिये 12 परियोजनाएं शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) तथा (ख) योजना आयोग ने हाल ही में समेकित ग्रामीण विकास के सम्बन्ध में गठित कृतिक दल की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं । इस दल का गठन अक्तूबर, 1971 में योजना आयोग के सदस्य डा० बी० एस० मिन्हास की अध्यक्षता में किया गया था । सिंचित कृषि के विकास के सम्बन्ध में दी गई अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में इस कृतिक दल ने सिंचाई कमाण्ड क्षेत्रों में समेकित कृषि विकास को मार्गदर्शी परियोजनाएं शुरू करने की सिफारिश की है । ऐसी प्रत्येक मार्गदर्शी परियोजना के अन्तर्गत उस क्षेत्र की भूमि और जल साधनों का समेकित आधार पर विकास किया जाएगा ।

देश में अधिक सिंह शरणास्थलें स्थापित करने का प्रस्ताव

4579. श्री बेकारिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अधिक सिंह शरणास्थलें स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस स्थान पर ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) भारतीय वन्य प्राणी बोर्ड देश में भारतीय सिंहों के लिए दूसरा आश्रय-स्थल स्थापित करने की सम्भावनाओं की जांच के सम्बन्ध में एक लघु समिति का गठन किया है । यदि इस समिति ने इसके लिए किसी समुचित क्षेत्र की सिफारिश की तो उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

बारी बेट राष्ट्रीय उद्यान में सिंह शरणास्थली बनाने का प्रस्ताव

4580. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बृहत बम्बई के बाह्य क्षेत्र में स्थित बारी बेट राष्ट्रीय उद्यान में एक सिंह शरणास्थली बनाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूप रेखा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) जी हां, बम्बई के निकट बोरीवली राष्ट्रीय पार्क में शेरों तथा अन्य जानवरों के लिए एक सफरी पार्क की स्थापना की जा रही है।

(ख) बोरीवली स्थित सफरी पार्क लगभग 8,37,500 रुपये की लागत से स्थापित किया जा रहा है। इसकी प्रति चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार का पर्यटन विभाग, 6,89,000 रुपये और महाराष्ट्र सरकार 1,48,500 रुपये खर्च करेगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार निःशुल्क आधार पर भूमि उपलब्ध करेगी और इस सफरी पार्क के रख-रखाव के आवर्ती व्यय का भी वहन करेगी।

इस सफरी पार्क का क्षेत्र लगभग 25 एकड़ से 30 एकड़ तक होगा।

वायनाड, कुर्ग तथा अन्य स्थानों पर वन्यजीव रक्षित क्षेत्र बनाने की योजना

4581. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वायनाड, कुर्ग तथा अन्य स्थानों के क्षेत्रों को मिलाकर एक वन्यजीव रक्षित बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय की मोटी रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए अब तक क्या कार्य आरम्भ किए गए है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) जी हां।

(ख) 9 सितम्बर, 1972 को केरल, मैसूर, आन्ध्र प्रदेश और तमिलनाडु दक्षिणी राज्यों के पर्यटन मन्त्रियों के दूसरे क्षेत्रीय सम्मेलन में मुदुमलाई (तमिलनाडु) और बांदीपुर (मैसूर) के मोजूदा दो आश्रय-स्थलों और उनके साथ लगते केरल के वायनाड के प्रस्तावित क्षेत्र को मिलाकर एक बड़ा वन्य प्राणी-आश्रय स्थल बनाने के एक एकीकृत प्रस्ताव पर विचार किया गया था।

इस प्रस्ताव को दृष्टी में रखते हुए केरल सरकार ने वायनाड में 344 वर्ग कि० मी० क्षेत्र को वन्य प्राणि आश्रय-स्थल घोषित करने का निर्णय किया है। अधिसूचना जारी की जा रही है। केरल सरकार ने वायनाड के लिए एक योजना तैयार करके उसे बड़े वन्य प्राणि आश्रय स्थल सम्बन्धी मास्टर प्लान में शामिल करने के लिए तमिलनाडु सरकार के पास भेज दिया है।

(ग) अब तक कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में विश्वविद्यालयों के अध्यापकों के दो वेतनमान बताने के बारे में अभ्यावेदन

4582. **श्रीमती ज्योत्सना चंदा** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल के पांच विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के एसोसिएशनों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिससे विश्वविद्यालयों के प्राध्यापकों के लिए केवल दो वेतनमान, एक प्रोफेसरों और दूसरा सहायक प्रोफेसरों शीर्ष के अन्तर्गत, लागू करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या वे इस पर विचार करके वेतन मान को समुचित रूप से बढ़ायेंगे तथा क्या सभी विश्वविद्यालय को भत्ते तथा लाभ दिया जाएगा ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) :(क) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के अभिशासन से सम्बन्धित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुमोदित समिति के अध्यक्ष को जादवपुर विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठन से एक अभ्यावेदन अक्टूबर, 1972 में प्राप्त हुआ था, जिसमे अन्य बातों के साथ साथ विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षकों की केवल दो श्रेणियों और निम्न ग्रेडों का सुझाव दिया गया था :—

सहायक प्रोफेसर . .	रु० 600–40–1000–50–1800
प्रोफेसर . . .	रू० 1300–60–1600–100–2200

(ख) और (ग) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों में वेतनों सहित शिक्षकों की सेवा शर्तों के सामान्य प्रश्न पर समिति द्वारा विचार किया जा रहा है ।

पंजाब के पटियाला डिवीजन में मलेरिया के मामले

4584. **श्री सतपाल कपूर** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे समाचार मिले है कि पंजाब के पटियाला डिवीजन में मलेरिया के मामलों की संख्या दुगुनी हो गई है;

(ख) क्या यह वृद्धि रोग की रोकथाम में डी०डी०टी० के असफल रहने के कारण हैं;

(ग) 1972 में उस डिवीजन में मलेरिया के कुल कितने मामलों के समाचार मिले और कितने मामले घातक सिद्ध हुए; और

(घ) 1972 में इस डिवीजन में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर कुल कितनी धनाराशि व्यय की गई और इस कार्यक्रम के असफल रहने के क्या कारण है और स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां ।

(ख) राज्य सरकार के कीट वैज्ञानिक दल द्वारा किए गए कीट विज्ञान सम्बन्धी अध्ययनों से पता चला कि इस वैक्टर में डी०डी०टी० सहन करने की थोड़ी शक्ति है । वैसे केन्द्रीय कीट वैज्ञानिक दल द्वारा आगे विस्तृत अध्ययन किए जा रहे है ।

(ग) राज्य सरकार ने बताया है कि 1972 में पटियाला डिवीजन में 82,959 व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित हुए थे और उनमें से कोई भी घातक सिद्ध नहीं हुआ ।

(घ) राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 1972–73 के दौरान पटियाला डिवीजन में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम पर कुल 55,10,500 रुपये का खर्च आयेगा ।

पटियाला डिवीजन, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अनुरक्षण चरण में है । इन क्षेत्रों में निगरानी का कार्य करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है । मलेरिया के प्रकोप में उस वृद्धि के लिए निकटवर्ती राज्यों के मलेरिया ग्रस्त स्थानों से श्रमिकों के, जिनमें कृषि मजदूर भी सम्मिलित हैं, आने जाने और दिसम्बर 1971 में हुए भारत-पाक युद्ध के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के आने-जाने को जिम्मेदार ठहराया जाता है ।

मलेरिया के फैलाव को सामान्यता रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है :—

(1) आक्रमण औंर समेकन चरणवाले क्षेत्रों में ठिड़काव और निगरानी कार्यों के करने के लिए राज्य सरकार को 100 प्रतिशत आर्थिक सहायता दी जा रही है ।

(2) देख-रेख चरण वाले क्षेत्रों में मलेरिया निगरानी कार्यों को तेजी से करने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम के अधीन परिसर पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए भी केन्द्रीय आर्थिक सहायता दी जा रही है ।

(3) स्थानीय प्रकोपों को दबाने के लिए कीटनाशकों/मलेरिया रोधी औषधियों की पर्याप्त माला में सप्लाई की जा रही है ।

(4) पता लगे मलेरिया रोगियों का आवश्यक इलाज किया जा रहा है ।

(5) राज्य सरकार ने मलेरिया रोग को एक अधिसूच्य रोग घोषित किया कर दिया है ।

(6) राज्य सरकार 1973–74 में सारे राज्य में टी०डी०टी०/बी०एच०सी का छिड़काव करन चाहती है ।

ग्रामीण समुदाय के लिये मेडिकल शिक्षा को नया रूप देना

4585. श्री ज़ेकारिया :

श्री आर ०के०सिन्हा :

क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रामीण समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये मेडिकल-चिकित्सा को नया रूप देने के प्रश्न पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) तथा (ख) यद्यपि सरकार सामान्य रूप से यह महसूस करती है कि वर्तमान चिकित्सा शिक्षा को नया रूप देने की आवश्यकता है, फिर भी इस क्षेत्र में कोई व्यवस्थित तथा विस्तृत अध्ययन अभी शुरू किया नहीं गया है ।

Payment of Salaries to Teachers and Employees of Sanskrit Colleges in Delhi

4586. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the teachers and other employees of many Sanskrit Colleges located in Delhi are not being paid their salaries for the last eight months; and

(b) if so, the reasons for such situation and the action being taken by Government to pay their salaries immediately ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P Yadav) : (a) There is no Sanskrit College under Delhi Administration. However, in respect of Sanskrit institutions, a complaint was received from Sanskrit Pathshala, Village Khera Khurad who had not collected their grant from the Directorate of Education. They have since collected their grant on 2-3-1973.

(b) Does not arise.

नाटक प्रदर्शन अधिनियम में संशोधन

4587. श्री सरोज मुखर्जी : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 1953 में नाटक प्रदर्शन अधिनियम (ड्रामा परफोरमेंस एक्ट) को अवैध घोषित कर दिया था ;

(ख) क्या उस फैसले के बाद अधिनियम में संशोधन अथवा उसे नये रूप में लागू नहीं किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा उन सब-डिवीजनों अथवा ताल्लुकों के अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण है जो नाटक के अभिनय आदि की अनुमति को वापिस ले रहे है और दिक्कतें पैदा कर रहे है और पुलिस अधिकारियों के मार्फत पहले से पांडुलिपि मांगते हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1956, में न कि 1953 में राज्य बनाम बाबुलाल और अन्यों के विरुद्ध मुकदमे में नाटक प्रदर्शन अधिनियम, 1876 को संविधान के नियमों के विरुद्ध घोषित कर दिया था ।

(ए० आई० आर० 1956 इलाहाबाद 571)

(ख) संविधान के लागू होने के पश्चात "नाटक प्रदर्शन" का विषय संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची—सूची II के मद 33 के अन्तर्गत आता है, जो निम्न प्रकार है :—

"थिएटर तथा नाटक
प्रदर्शन, सिनेमा,
सूची – I की प्रविष्टि 60
के उपबन्धों के अनुसार
खेलकूद, मनोरंजन
मनोविनोद ।"

तदनुसार, संविधान के लागू होने के पश्चात राज्य विधान मण्डलों को इस विषय पर कानून बनाने के अधिकार दिये गये थे ।

(ग) "नाटक प्रदर्शन" क्योंकि राज्य विषय है, इस पर कार्रवाई करना राज्य सरकारों का काम है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने की कसौटी

4588. श्री डी० के० पंडा :

श्री पी० के० देव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री ग्रामीण जनता के लिए सस्ती चिकित्सा सुविधाओं के बारे में 26 फरवरी, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 878 के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का दर्जा बढ़ाने के लिए चयन करने की कसौटी क्या है; और

(ख) वर्ष 1973–74 के अन्त तक स्थापित किये जाने वाले 200 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

5—5 LSS/73

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (प्रो० ए० के० किस्कु) : (क) दर्जा बढ़ाने के प्रयोजन से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का चयन करने हेतु राज्य सरकारों को निम्नलिखित मानदण्ड अपनाने का सुझाव दिया गया है :—

(1) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को आने जाने के लिए अच्छी सड़कें हों, वहां पर संचार की अच्छी व्यवस्था हो, सुरक्षित पानी की सप्लाई हो, सफाई की सुविधाएं और बिजली हो।

(2) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जिला/तालुका अस्पताल से यथा सम्भव दूर हो जिससे कि वह उन लोगों की सेवा कर सके जो जिला / तालुका अस्पतालों की सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते।

(3) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन, दोनों पक्षों के पूरे कर्मचारी हों।

(4) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को अधिमानतः जन जातीय / पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हो।

(ख) शेष 202 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का जिनकी 1973—74 के अन्त तक खोले जाने की आशा है, राज्य वार ब्यौरा संलग्न है।

विवरण

क्रमांक	राज्य/संघ शासित का क्षेत्र का नाम	1973—74 के अन्त तक जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापित किए जाने की आशा है।
1	2	3
1	आन्ध्र प्रदेश	5
2	आसाम	37
3	हरियाणा	3
4	जम्मू तथा कश्मीर . .	1
5	मध्य प्रदेश	12
6	मेघालय	15
7	मणिपुर . .	2
8	हिमाचल प्रदेश . . .	2
9	नागालैण्ड	11
10	उड़ीसा	1
11	पंजाब	1
12	तमिलनाडु	2
13	उत्तर प्रदेश	57
14	पश्चिम बंगाल	49
संघ-शासित क्षेत्र :		
15	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह . . .	4
		202

पंचायत राज को लोकप्रिय बनाना

4589. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को महसूस करती है कि पंचायत राज को देश में उचित स्थान नहीं मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इसको लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) पंचायती राज की कल्पना लोकतन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण की कार्यप्रणाली के रूप में की गई थी। यह एक राज्य विषय है, इसलिए पंचायती राज संस्थाओं को दी गई शक्तियां एवं जिम्मेदारियां प्रत्येक राज्य में भिन्न-भिन्न हैं। जिन राज्यों में इन संस्थाओं को संसाधन तथा शक्तियां हस्तान्तरित की गई हैं वहां इस प्रणाली के अनुपातिक परिणाम निकले हैं; अन्यत्र वे संसाधनों के अभाव के कारण अपेक्षावृत्त निष्प्रभावी रही हैं। तथापि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंचायती राज, प्रशासन को जनता, विशेष कर ग्रामीण समाज के कमजोर वर्ग के 2200 लाख लोगों-के निकट लाया है।

(ख) राज्य सरकारों पर इस बात के लिए लगातार बल दिया जाता रहा है कि इन संस्थाओं के लिये नियमित रूप से चुनाव होने चाहिए और इन्हें प्रशासनिक तथा वित्तीय दोनोंके बारे में अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए।

सभी राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा समान रखने के सम्बन्ध में निर्णय

4590. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री एम० एस० पुरती :

क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्यों नें भूमि की अधिकतम सीमा समान रखने के सम्बन्ध मे अन्तिम निर्णय ले लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख): जुलाई, 1972 में हुए मुख्य मन्त्रियों के सम्मेलन की सिफारिशों को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार ने कृषि जोतों की अधिकतम सीमा सम्बन्धी जो मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं, उनमें प्रमुख श्रेणियों की भूमि की सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को तत्सम्बन्धी विभिन्न क्षेत्रीय पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन सीमाओं के अन्दर ही भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करनी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय स्कूलों का खोला जाना

4591. श्री मुख्तियार सिंह मलिक : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव विभिन्न राज्यों में के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में केन्द्रीय स्कूल खोलने की योजना पर विचार करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) : केन्द्रीय विद्यालयों का मुख्य आशय सैनिक कार्मिकों सहित स्थानान्तरणीय केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करना है। तदनुसार केन्द्रीय स्कूलों को उन क्षेत्रों में खोला जाता है, जहां पर ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या अधिक हो। अत: ऐसे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में केन्द्रीय स्कूलों का खोलना सम्भव नहीं होगा, जहां केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी अधिक संख्या में नहीं रहते हैं।

शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करना

4592. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :**
श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए कृषि-सेवा केन्द्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये 1973–74 में कितने धन का नियतन किया गया है और कितने लोगों को कौन-कौन से रोजगार दिए जाएंगे ; और

(ग) वर्ष 1973–74 में राज्यवार कितने ऐसे केन्द्र स्थापित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार इंजीनियरों, कृषि स्नातकों तथा अन्य तकनीकी योग्यता प्राप्त कार्मिकों को रोजगार दिलाने की भी व्यवस्था है।

(ख) वर्ष 1973–74 के लिए 73.34 लाख रुपये की राशि का प्रस्ताव है। इंजीनियरों, मैकेनिकों तथा चालकों आदि 6250 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध होने की सम्भावना है। केन्द्रों का पूरी तरह से विकास होने पर इतने ही अन्य कार्मिकों को भी रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

(ग) वर्ष 1973–74 के दौरान 1250 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अन्तर्गत राज्यवार आधार पर कोई लक्ष निर्धारित नहीं किया गया है।

पुराने सचिवालय दिल्ली के सामने शिक्षकों का धरना

4593. **श्री भारत सिंह चौहान :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1973 के प्रथम सप्ताह में दिल्ली स्थित पुराने सचिवालय के सामने शिक्षकों ने धरना दिया था;

(ख) यदि हां, तो इन शिक्षकों की क्या मांगे थी; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) :

(क) जी हां।

(ख) अध्यापकों ने यह मांग की थी कि नगर निगम के प्राथमिक अध्यापकों को शत प्रतिशत आधार पर, दिल्ली प्रशासन के अधीन, प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों के पदों पर पदोन्नति किया जाए।

(ग) शत प्रतिशत के आधार पर पदोन्नति की उनकी मांग मानना संभव नहीं था। 15–1–1973 से पहले शिक्षा निदेशालय के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति के लिए 10 प्रतिशत स्थान और सीधे कोटे के लिए 90 प्रतिशत स्थान सुरक्षित थे। इन 90 प्रतिशत स्थानों में से 25 प्रतिशत स्थान वरिष्ठता के आधार पर दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक अध्यापकों के लिए आरक्षित रखे गए थे। 15–1–1973 के बाद शिक्षा निदेशालय के सहायक अध्यापकों की प्रोन्नति का प्रतिशत 30 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया था और सीधी भर्ती 70 प्रतिशत थी। सीधी भर्ती के लिए निर्धारीत 70 प्रतिशत स्थानों में से 60 प्रतिशत स्थान नगर निगम के अध्यापकों के लिए आरक्षित रखे गए थे। अत: कुल रिक्त स्थानों की संख्या का 42 प्रतिशत अब दिल्ली नगर निगम के प्राथमिक अध्यापकों के लिए आरक्षित हैं। यह कोटा पर्याप्त समझा गया है, क्यों कि कुछ विषयों में नगर निगम के अर्हता प्राप्त अध्यापक उपलब्ध न होने के कारण निर्धारित 42 प्रतिशत कोटा भी पूरा नहीं किया जा सका है।

Strike by D. T. C. Drivers and Conductors of Shahdara Depot

4594. **Shri Ishwar Chaudhury** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the drivers and the conductors of the Shahdara Depot went on strike for half a day on the 16th February, 1973;

(b) if so, the reasons therefor;

(c) the demands made by them ; and

(d) the action being taken by Government to meet their demands?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) : The concerned staff resorted to the strike for the ostensible reasons of getting their following demands met:—

(i) Provision of a Dispensary manned by a qualified Medical Officer and a Pharmacist to enable the members of the staff and their families to have the facility of out-door medical treatment at Shahdara Depot.

(ii) Suitable arrangements for drinking water for the employees of Shahdara Depot as the existing water supply from the tubewell is saltish and not potable.

(iii) Arrangements for supply of water for use in the radiators of the buses at Shahdara Depot as the existing water supply from the tubewell is not suitable for the purpose.

(iv) Arrangements for a rest room for the members of the Staff at Shahdara Depot.

(v) Suitable arrangements for Conductors to tally the tickets and cash, as counters and benches had not been provided in front of the Ticket and Cash Section.

(vi) Provision of a staff bus for bringing and sending the members of the staff residing near Loni Border to enable them to reach their respective places of residence and to come to work outside the normal operational hours of bus services, especially during the night.

(d) The following steps have been taken by the Delhi Transport Corporation to meet the demands of the Staff :—

(i) The Shahdara Depot started functioning w.e.f. 8-12-1972 on an emergency basis in a temporary structure. The temporary structure is being replaced by permanent buildings gradually. Efforts were made by the D.T.C. management to procure the services of a qualified Medical Officer but the same did not bear fruit as doctors were found reluctant to serve in that Depot due to its being situated at a distance

and out of the way place. However, the dispensary at Shahdara Depot started functioning from 21-2-1973. A full time pharmacist and a part time doctor have been engaged for attending on the patients for three hours daily. The medicines prescribed by the Medical Officer are supplied to the patients from the dispensary and those which are not available in the dispensary are allowed to be purchased by the (patients) employees from the Super Bazar, the amount so spent being reimbursed by the Corporation. These arrangements are at par with those in the other units of the Corporation.

(ii) The water from the tubewell was got tested from the Delhi Municipal Corporation's Laboratory, which certified it fit for drinking purposes. Since the water is saltish in taste and the Municipal Corporation water supply line is at a distance, adequate arrangements for drinking water have already been made. Efforts are also being made to augment the water supply before the coming summer season to meet the likely increased demand.

(iii) The water from the tube-well is also being got tested chemically to find out whether it is suitable for consumption in the Radiators of the buses.

(iv) Suitable arrangements for a rest room have been made.

(v) Necessary action to extend the shelter further has since been taken for the Conductors to tally their cash and tickets in front of the Ticket and Cash Section of the Depots.

(vi) A staff bus has since been provided for the members of the D.T.C. staff residing near Loni Border.

पांचवी योजना में क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाना

4595. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :**
श्री आर० के० सिन्हा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में सरकार का विचार 5,00,000 हेक्टर क्षारिय भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक बृहत कार्यक्रम चालू करने का है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) उसकी अनुमानित लागत क्या होगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : जी नहीं । क्षारीय भूमि को कृषी योग्य बनाने के लिए किसी योजना पर विचार नहीं किया जा रहा है । फिर भी, सरकार पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान तथा गुजरात के राज्यों की 5.00 लाख हैक्टर क्षारीय भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए एक योजना पर विचार कर रही है । इस योजना का ब्यौरा अभी तैयार किया जा रहा है ।

Scheme for Residential Plots to Landless Labourers in rural areas of Madhya Pradesh

4596. **Shri Dhanl Shah Pradhan :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have submitted certain schemes to the Central Government for allotment of residential plots to the landless labourers in rural areas; and

(b) if so, the main features thereof and the reaction of the Central Government thereto.

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) and (b) : Yes. The Governmentof Madhya Pradesh have sought Central assistance of the order of about Rs. 750 lakhs for provision of over 4,80,000 house-sites in the State by acquisition of land, where necessary, and developing Government land under the Scheme for provision of house-sites to landless workers in rural areas. The first batch of projects was received from the State Government in the first week of February, 1973. One of the essential conditions to be fulfilled for drawal of Central assistance under the Scheme is that the State Government should have enacted suitable legislation conferring homestead rights on families of landless workers who have constructed houses on lands belonging to others. The State Government have not so far done so, and were consequently informed that it would not be possible for the Central Government to accord approval to their projects till the requisite legislation is enacted by them.

A few days ago, the State Government have indicated that necessary legislation is expected to be introduced in the current Session of the State Legislature.

शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा बंगलादेश को जहाजों की सप्लाई

4597. श्री सी० के० जाफर शरीफ : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या शिपिंग कार्पोरेशन आफ इण्डिया में बंगला देश को बिना मूल्य निर्धारित किए जहाजों की सप्लाई की है, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख): भारतीय नौवहन निगम नें 10 जून 1972 को बंगलादेश नौवहन निगम को 'विश्व प्रेम' पोत सुपुर्द किया। मूल्य के बारे में बातचीत हो रही हैं। जहाजों के लिए बंगला देश की आवश्यकता की दृष्टि से जहाज बिना मूल्य तय किये सुपुर्द किया गया।

क्विलोन, केरल में दुग्ध अभिशीतक (चिलिंग) संयंत्र लगाया जाना

4598. श्री एम० के० कृष्णन :
श्रीमती भार्गवी तकप्पन :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के क्विलोन जिले में एक दुग्ध अभिशीतक संयन्त्र लगाने के बारे में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो मंजूरी कब तक दी जाएगी और विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) केरल के क्विलोन जिले में एक दुग्ध प्रशीतन संयन्त्र लगाने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। परन्तु चालू योजना के दौरान क्विलोन में स्टेट प्लान स्कीम के रूप में एक सम्पूर्ण दुग्ध पूर्ति योजना स्थापित करना स्वीकार कर लिया गया है।

(ख) तथा (ग) : वर्ष 1969-70 से समस्त राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता एक राशि के रूप में ऋणों तथा अनुदानों के तौर पर दी जाती है और उसका किसी विशेष कार्यक्रम या क्षेत्र से कोई सम्बन्ध नहीं होता। अत: किसी विशेष योजना के लिए वित्तीय स्वीकृति देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कृषकों को पम्प सेटों की खरीद के लिये ऋण

4599. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूख की स्थितियों को देखते हुए उनके मन्त्रालय ने वित्त मन्त्रालय से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पम्प सेटों आदि की खरीद के लिए कृषकों को न्युनतम रियायती ब्याज पर अधिक ऋण देने के बारे में बात चीत की है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या प्रस्ताव को क्रियान्वित किया जा सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में किसानों का पम्प सेट खरीदने के लिए रियायती ब्याज की दरों पर ऋण देने की कोई विशेष योजना नहीं है। तथापि, आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता से राज्य सरकारों द्वारा सामान्य शर्तों पर किसानों को पम्प सेट और अन्य लघु सिंचाई कार्यों के लिए तगाई ऋण दिए गए है।

वर्ष 1972-73 के दौरान अनाज का उत्पादन और कमी

4600. **श्री कृष्ण चन्द्र** हाल्दर : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972–73 में देश में अनाज का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) इसी वर्ष में कितना उत्पादन होने का अनुमान था; और

(ग) 1972–73 में देश में अनाज की कुल कितनी कमी होगी और 1971–72 की कमी की तुलना में यह कमी कितने प्रतिशत है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) : देश में खाद्यान्नों के उत्पादन और उसके अन्तर्गत क्षेत्र के पक्के अनुमान कृषि वर्ष की समाप्त होने के पश्चात अर्थात जुलाई-अगस्त 1973 में ही किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे। कुछ राज्यों में सख्त सूखे और अन्य राज्यों में अनियमित और कम वर्षा के कारण इस वर्ष खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम होने की संभावना है। खरीफ के उत्पादन की कमी पूरी करने की दृष्टी से रबी और ग्रीष्मकालीन खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम और अधिकांश क्षेत्रों में लाभप्रद शीतकालीन वर्षा के परिणामस्वरूप वर्तमान संकेतों के आधार पर आशा है कि कुल मिलाकर देश में रबी का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक होगा। किन्तु फिर भी रबी मौसम में उत्पादन में होने वाली वृद्धि से खरीफ के उत्पादन की कमी पूर्णतः पूरी होने की संभावना नहीं है।

राज्यों में अर्द्ध-शुष्क ऊष्ण कटिबन्धों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय सफल अनुसंधान संस्थानों की स्थापना

4601. **श्री राज देव सिंह :** क्या कृषि मन्त्री, अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान स्थापित करने के लिए स्थान और उसकी लागत के सम्बन्ध में 17 अप्रैल, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2935 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या प्रत्येक राज्य में अर्द्ध-शुष्क उष्ण कटिबन्धों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्था स्थापित करने का कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी स्थापना कब तक हो जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

Construction of Delhi High Court Building

4602. **Shri Naval Kishore Sharma :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the construction work on the Delhi High Court building has since been completed ;

(b) if so, the value of the marble used in the said building ;

(c) whether the amount of expenditure incurred on the decoration of the said building is more than the amount sanctioned for the purpose;

(d) if so, the reasons for overspending in this item ; and

(e) the manner in which this amount was adjusted ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) No, Sir. It is still in progress.

(b) No marble has so far been used in the said building. According to the design of the building, some marble will be used.

(c) No amount has so far been incurred on decoration of the building.

(d) and (e) : Do not arise.

Shortage of Urea during Rabi Crop of 1973 and Steps for its availability

4603. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether acute shortage of Urea fertiliser particularly has been experienced during Rabi crop of 1973 throughout the country, particularly in Bihar;

(b) whether Government are formulating any scheme to make available Urea, Potash and Phosphate fertilisers in large quantity during Kharif Crop of 1973 ; and

(c) if so, the main features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir. Some constraint in the availability of different fertilizers, including urea was felt during Rabi, 1972-73 in the country, including the State of Bihar.

(b) & (c) : Government of India held a series of Zonal conferences in February and March, 1973 with State Government to assess the requirements of fertilisers of States in terms of Nitrogen, Phosphate and Potash for Kharif, 1973 and drew up supply plans to meet them. The net requirements of the States for Kharif, 73 in terms of N. P_2O_5 and K_2O have been assessed as 8.20 lakh tonnes of N. 2.93 lakhs tonnes of P_2O_5 and 1.43 lakhs tonnes of K_2O. Of this, domestic manufacturers will supply 6.05 lakh tonnes of N, 1.90 lakh tonnes of P and 0.10 lakh tonnes of K while the balance will be met by the Government from imports.

भारतीय उर्वरक निगम और फर्टीलाइजर एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर द्वारा इंडियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से पोटाश का आयात

4604. **श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्टिलायजर एंड केमिकल्स, ट्रावनकोर, भारतीय उर्वरक निगम और एम० पी० एल० को इण्डियन पोटाश लिमिटेड के माध्यम से विभिन्न वस्तुओं के निर्माण के लिए पोटाश आयात करने के लिये बाध्य किया जाता है;

(ख) क्या इण्डियन पोटाश लिमिटेड गैर-सरकारी क्षेत्र में एक बहुत बड़े व्यापार गृह से सम्बन्धित है; और

(ग) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से पोटाश आयात न किए जाने के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) वर्तमान व्यवस्था के अनुसार पोटाश का आयात भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इस मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मूल्यों पर देश भर में पोटाश के वितरण, विपणन और वर्धन के लिये इण्डियन पोटाश लिमिटेड उत्तरदायी है। संमिश्रित उर्वरक बनाने में पोटाश का प्रयोग करने वाले फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर, भारतीय उर्वरक निगम और एम० एफ० एल० आदि अपनी आवश्यकता के लिए इण्डियन पोटाश लिमिटेड से मन्त्रालय द्वारा निर्धारित मूल्य पर माल प्राप्त करते हैं। इन विनिर्माताओं की थोक मांग पर मूल्यों में उपयुक्त कमी कर दी जाती है। जटी से विपुल मात्रा में माल उठाते समय ऐसे उपभोक्ताओं के लिए माल पर 51 रु० प्रति मीटरी टन की कमी की जाती है। इसके अतिरिक्त, मात्रा के अनुसार 6 से 16 रुपये प्रति मीटर टन तक की छूट भी दी जा रही है।

(ख) यह संस्था 1950 से प्रारम्भ होने वाली दशाब्दी के मध्य काल से पोटाश वर्धन और वितरण के लिए एक विशिष्ट एजेंसी रही है। 1969 तक यह संस्था आयात करने वाले राज्य व्यापार निगम और खनिज और धातु व्यापार निगम के अधीन एकमात्र विक्रय एजेंसी के रूप में कार्य करती रही है। पोटाश वर्धन और विपणन के मामले में यह संस्था भारतीय विशेषज्ञों का केन्द्र थी, परन्तु इस पर अधिकांशतः गैर-सरकारी कम्पनियों का स्वामित्व था। कृषकों की आवश्यकताओं की पूर्ति और पोटाश के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 1970–71 में इसकी शेयर-पंजी के ढांचे का पुनर्गठन किया गया और उसके पश्चात अधिकांश शेयर प्राइवेट क्षेत्र की एककों के पास न रहकर सहकारी विपणन संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र की एककों के अधिकार में चले गये। वास्तव में इण्डियन पोटाश लिमिटेड में भारतीय खाद्य निगम और फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स, ट्रावनकोर के भी शेयर है और इन्हें निदेशक बोर्ड में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

(ग) इस समय कृषि मन्त्रालय पूर्वी योरोपीय देशों से खनिज और धातु व्यापार निगम के माध्यम से और अन्य देशों से पूर्ति और निपटान निदेशालय के माध्यम से पोटाश का आयात करता है।

कोचीन में तेलवाहक जहाजों के लिए घाट (बर्थ) का स्थान

4606. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने कोचीन पत्तन में तेलवाहक जहाजों के लिए घाट (बर्थ) के स्थान के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है; और

(ग) इस परियोजना सम्बन्धी कार्य कब आरम्भ होगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) कोचीन पत्तन पर तेलवाहक पोत घाट के स्थान निर्धारण के प्रश्न को सभी पहलूओं से जांच की जा रही है और शीघ्र निर्णय करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

पानी के जमा होने तथा खारा होने के कारण कृषि योग्य भूमि की हानि

4607. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन बड़ी सिंचाई योजनाओं पर कार्य हुआ है, उनके कमाण्ड क्षेत्रों में पानी के जमा होने तथा खारा होने के कारण कुल कितनी कृषि योग्य भूमि को हानि हुई है;

(ख) प्रत्येक बांध से कुल क्षेत्र को सिंचाई से जितना लाभ पहुंचना था, उसकी तुलना में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि की हानि हुई है; और

(ग) पानी के जमा होने और खारा होने को कम से कम करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) तथा (ख) : बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कमांड क्षेत्रों में पानी के जमा होने तथा खारा होने के कारण कृषि योग्य भूमि की हानि के सम्बन्ध में पृथक रूप से आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह अनुमान लगाया गया है कि देश में खारा, क्षारीय तथा जलग्रस्त भूमि का कुल क्षेत्र लगभग 70 लाख हैक्टर है ।

(ग) बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रों में पानी के जमा होने तथा खारेपन के प्रभावों को कम करने के लिए सम्बन्धित सिंचाई परियोजना की परिस्थितियों के अनुसार कदम उठाये जा रहे हैं। इन कदमों में नहरों तथा उपनहरों को पक्का करना, भूगर्भ जल स्रोतों का समुपयोग करना, खेतों में पक्की नालियों की व्यवस्था करना, खेतों की नालियों तथा प्रमुख नालियों सहित सतही तथा उप सतही निकास नालियों की व्यवस्था करना, आदि सम्मिलित है। कई सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रों में खेतों की पुनः हदबन्दी करने, भूमि को समतल करने के लिये भी कदम उठाये जा रहे हैं ताकि खेतों में पानी का समान वितरण हो सके। पांचवी योजना के दौरान इन समस्त कार्यों में तेज़ी लाने का विचार है, जबकि कई चुनोंदा सिंचाई परियोजनाओं के क्षेत्रों में समेकित कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ किया जायेगा तकनीकी तथा आर्थिक सम्भाव्यता का पता लगाने के लिए खारी, क्षारीय तथा जलग्रस्त भूमि के सुधार के लिए भी मार्गदर्शी परियोजनाएं प्रारम्भ करने का विचार है, ताकि भूमि सुधार के बड़े पैमाने के विकास कार्यक्रमों के लिए संस्थागत स्रोतों से वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी

4608. **श्री के० मालन्ना :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीने के पानी की अत्यधिक कमी है; और

(ख) इन क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी हां।

(ख) सूखाग्रस्त क्षेत्रों में जल की सप्लाई की व्यवस्था करने के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किये गए है :—

(i) पेय जल के लिए कुएं खोदने हेतु पठारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त अपेक्षित एयर हेमर रिगस प्राप्त करने में राज्यों की सहायता करना;

(ii) कुए खोदने के लिये ऋण/अनुदान स्वीकृत करना। कुएं खोदने के लिए निश्चित कार्यक्रम तैयार कर लिए गए हैं तथा उनका कार्यान्वियन आरम्भ कर दिया गया है;

(iii) जल की सप्लाई के लिए सेना के टैंकरों सहित जल के टैंकरों का प्रयोग करने किया गया है तथा उन के प्रयोग का प्रस्ताव है।

(iv) केन्द्रीय अध्ययन दल ने पेय जल-सप्लाई के लिए विशेष कार्यक्रमों की सिफारिश की है तथा इस प्रयोजन के लिए महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मैसूर और आन्ध्र प्रदेश के राज्यों में व्यय की निम्नलिखित अधिकतम सीमाएं निर्धारित की है :—

		(लाख रुपयों में)
1.	गुजरात	90.00
2.	राजस्थान	130.50
3.	मैसूर	25.00
4.	आन्ध्र प्रदेश	150.00
5.	महाराष्ट्र	1,000.00

ऐसे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां जल का कोई साधन नहीं है, जहां जल-सप्लाई से स्वास्थ्य को खतरा है और जहां समाज के कमजोर वर्गों के लिए जल-सप्लाई पर्याप्त नहीं है पेय जल की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों की सहायता हेतु 1972–73 से त्वरित ग्रामीण जल-सप्लाई की एक केन्द्रीय योजना भी प्रारम्भ की गई है। तथा 1972–73 के दौरान इस योजना के लिए 15 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

Promotion of Hindi during Fifth Plan Period

†4609. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether any special programmes have been chalked out by Central Government or the promotion of Hindi during the Fifth Plan period ; and

(b) if so, the main features thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav) : (a) and (b) : A statement is attached. [*Placed in the Library. See L.T. No.* 4603/73]

केरल प्राइवेट फारेस्ट (वेस्टिंग एंड एसाइनमेंट) एक्ट, 1971 का संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाना

4610. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल प्राइवेट फारेस्ट (वेस्टिंग एण्ड एसाइनमेंट) एक्ट, 1971 (26 आफ 1971) की संविधान की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने की मांग की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे) : (क) और (ख): केरल विधान सभा ने 24 मार्च, 1972 को एक प्रस्ताव पारित करके भारत सरकार से अनुरोध किया था कि केरल निजी वन (निधान तथा समनुदेशन) अधिनियम, 1971 संविधान की नवीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाये। इस अधिनियम की नवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के प्रश्न पर उस न्यायालय के निर्णय के पश्चात् ही विचार किया जाएगा जिसमें इसे चुनौती दी गई है।

भारत में चुंगी प्रणाली के बारे में परिवहन विकास परिषद की सिफारिशें

4611. **श्री दैवेन्द्र सिंह गरचा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवहन विकास परिषद ने योजना आयोग को सिफ़ारिश की है कि देश में चुंगी प्रणाली के स्थान पर कोई वैकल्पिक कर लगाने का तरीका निकाला जाए; और

(ख) क्या आयोग ने इस पर विचार किया है, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां। परिवहन विकास परिषद ने सुझाव दिया है कि योजना आयोग तथा वित्त मन्त्रालय से अनुरोध किया जाए कि वे चुंगी के ऐसे स्वीकार्य विकल्पों के सुझाव दें, जिन्हें शीघ्रता से क्रियान्वित किया जा सके।

(ख) सुझाव योजना आयोग एवं वित्त मन्त्रालय को बता दिये गये हैं।

दिल्ली प्रशासन द्वारा केरल सरकार के एक प्लाट का खाली किया जाना

4612. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने गृह मन्त्रालय से कहा है कि दिल्ली कपूरतला प्लाट को दिल्ली प्रशासन से खाली कराया जाये क्योंकि यह भूमि केरल सरकार की है;

(ख) क्या इस प्लाट पर कुछ अनधिकृत कब्जदारी रह रहे हैं;

(ग) क्या वर्तमान कब्जेदारी इस भूमि को खाली करने और इसे केरल सरकार को सौंप देने के लिए सहमत हो गये हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र का विचार इस मामले को किस तरह से हल करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) तथा (घ) : दिल्ली प्रशासन, जिसने कुछ पुलिस कर्मचारियों को वास देने के लिए इस प्लाट की कुछ बैरकों का दखल ले रखा है, वैकल्पिक स्थान प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है और उन्होंने ऐसा वास प्राप्त होने पर कपूरतला प्लाट को तुरन्त खाली करना स्वीकार कर लिया है। अनधिकृत दखलकारों को लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अधीन बेदखल करना पड़ेगा ।

सपरेटा के पाउडर का आयात

4613. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भेंट योजनाओं के अन्तर्गत आने वाले दुग्ध उत्पादोंको छोड़कर अन्य दुग्ध उत्पादों के आयात को कम करने अथवा उन पर रोक लगाने का विचार कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों में कितना तथा कितने मूल्य के सपरेटा के पाउडर का आयात किया गया तथा इस पाउडर को किस प्रकार बेचा गया/उपयोग में लाया गया ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) तथा (ख): वाणिज्यिक आयात के अन्तर्गत स्किम दुग्ध चूर्ण के अतिरिक्त अन्य दुग्ध उत्पादों के आयात पर रोक लगी हुई है। जैसे जैसे देशी उत्पादन बढ़ता जाएगा, स्किम दुग्ध चूर्ण का आयात उत्तरोत्तर कम कर दिया जाएगा ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयात किये गये स्किम दुग्ध चूर्ण की मात्रा और मूल्य सम्बन्धी आवश्यक सूचना नीचे दी गई है । यह सूचना "भारत के विदेश व्यापार के मासिक आंकड़े, खण्ड 2—आयात" से ली गई हैः—

अवधि	मात्रा (मीटरी टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1969—70	27,375.162	582.602
1970—71	30,143.463	682.447
1971—72	38,023.799	1,346.413

स्किम दुग्ध चूर्ण का उपयोग, वास्तविक प्रयोग करने वालों अर्थात् सार्वजनिक सहकारी क्षेत्र की दुग्ध योजनाओं, रक्षा सेवाओं और बड़े और लघु क्षेत्र के दुग्ध संयन्त्रों के साथ-साथ विभिन्न जनसेवी एजेंसियों द्वारा किया गया, जो कि इसका आयात उपहार के तौर पर करते है।

'साइन्स टीचिंग फुल आफ फ्लाअज' शीर्षक से समाचार

4614. श्री शशि भूषण :

श्री डी० के० पंडा :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स', दिनांक 14 फरवरी, 1973 में छपे 'साइन्स टीचिंग फुल आफ फ्लाअज' (विज्ञान अध्यापन दोषपूर्ण) शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क):और(ख): जी, हां। शैक्षिक समुदाय और सरकार को विज्ञान अध्यापन को निजी स्तरों पर पुनर्गठित करने की आवश्यकता से पहले से ही जानकारी है। सरकार ने शिक्षा के सभी स्तरों पर विज्ञान अध्यापन में सुधार करने के लिए पहले से ही बहुत से कदम उठाए है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस सम्बन्ध में प्रयत्न कर रहा है, जिसमें विज्ञान पाठ्चर्याओं को आधुनिक बनाने के प्रयत्न सम्मिलित है।

विदेशी भाषा के माध्यम से विज्ञान अध्ययन में होने वाली कठिनाई को भी अनुभव किया गया है। पिछले चार वर्षों से सरकार, राज्य सरकारों के जरिये प्रादेशिक भाषाओं में विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी सहित विश्वविद्यालय स्तर पर पुस्तक लेखन के एक व्यापक कार्यक्रम की योजना को कार्यान्वित कर रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निकट भविष्य में,, विज्ञान और प्रोद्योगिकी का विकास, शिक्षण और संचार के रूप में पूर्णत: अंग्रजी के प्रयोग पर ही आधारित न रहे।

प्रत्येक जिले में एक हजार जरूरतमन्द लोगों को रोजगार देने सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम की प्रगति

4615. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के प्रत्येक जिले में एक हजार अथवा इससे अधिक जरूरतमन्द लोगों को रोजगार देना ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम का लक्ष्य था; और

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य की कहां तक प्राप्ति हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेरसिंह) : (क) और (ख) : ग्राम रोजगार की त्वरीत योजना का उद्देश्य प्रत्यक जिले में वर्ष में औसतन दस महीनों के लिए 1,000 व्यक्तियों के वास्ते रोजगार पैदा करना है। इस समय इस योजना की कुल लागत का औसतन 70 प्रतिशत भाग मजदूरों को मजदूरी देने के लिए है और शेष 30 प्रतिशत भाग सामग्री, उपकरण आदि, जो श्रम के उत्पादन को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक होंगे, पर खर्च करने के लिये है। 50 करोड़ रु० के परिव्यय पर मजदूरी की कुल लागत 35 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष बनती है। प्रतिव्यक्ति 100 रु० के प्रतिमास की मजदूरी के हिसाब से और यह मानने पर कि महीने में 25 कार्य-दिवस होते हैं, एक वर्ष, जो 10 कार्य महिनों की मानी जाती है, में इससे 875 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा होगा। वर्ष 1971-72 में केवल 6 महीने की ही कार्यअवधि उपलब्ध हुई थी और राज्य सरकारों ने कुल 31.31 करोड़ रु० व्यय होने तथा उससे 799.61 लाख श्रम दिन का रोजगार पैदा होने की सूचना दी है। वर्ष 1972-73 में अब तक 32.52 करोड़ रु० व्यय होने और

उससे 862.90 लाख श्रमदिनों का रोजगार पैदा होने की सूचना मिली है। आशा है कि इस योजना के लिए रखे गए 48.44 करोड़ रु० के सम्पूर्ण परिव्यय का मार्च, 1973 के अन्त तक उपयोग हो जाएगा। चालू वर्ष में 875 लाख श्रमदिनों के रोजगार के लक्ष्य को पार कर जानेकी सम्भावना है।

कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर और मद्रास के बीच जहाजों का परिवहन

4616. श्री भागवत झा आजाद : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता, पोर्ट ब्लेयर और मद्रास के बीच, जहाजों के परिवहन का समय वही है, जो 15 वर्ष पूर्व था;

(ख) क्या सप्ताह में एक बार अण्डमान-निकोबार द्वीपसमूह को जहाज भेजने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या द्विपसमूहों के बीच जहाजों के परिवहन का समय भी वही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) :(क) और (ग) : जी नहीं। दो और जहाजों के मुख्य भूमि तथा अन्दमान सेवा में तथा दो जहाजों कि अन्तरद्वीप सेवाओं में वृद्धि करने से कुछ वर्षों से नौवहन की आवृत्ति बढ़ गई है।

(ख) 1972 की दूसरी छमाही के दौरान मुख्य भूमि तथा द्वीप समूह के बीच 20 यात्री सवारी की व्यवस्था की गई। इस से प्रतिमास $3\frac{1}{3}$ यात्राएं होती हैं।

आवृत्ति को बढ़ाने तथा सेवाओं में सुधार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

दामोदर नदी पर वर्दवान के निकट सदरघाट पर पुल

4617. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नदी पर वर्दमान (पश्चिम बंगाल) के निकट सदरघाट पर पुल बनाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा और यह कार्य पूरा करने की निर्धारित तारीख क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इस योजना के लिए कोई धन दे रही है और यदि हां, तो कितना; और

(घ) पुल बनाने का काम किस एजेंसी को सौंपा गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :(क) से (घ) : प्रस्तावित पुल निर्माण होने के बाद राज्य सड़कपर पड़ेगा और इसलिए पश्चिम बंगाल सरकार परियोजना के साथ मुख्यत: सम्बन्धित है। तदनुसार प्रारम्भ करने की तारीख से सम्बन्धित मामलों, पूर्ति की निर्धारित तारीख और निर्माण एजेंसी आदि का फैसला मुख्यत: उनको करना हैं। इस बीच, अन्तर्राज्य या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों सम्बन्धी केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के भाग के रूप में पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता के लिए प्रषित प्रस्तावों में उसने इस परियोजना को शामिल कर लिया है। ऐसी ही सहायता के लिए साधनों की उपलब्धता और अन्य राज्यों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समान परियोजनाओं की परस्पर प्राथमिकता को दृष्टि में रखते हुए पांचवी पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी प्रस्तावों को तैयार करते समय इसकी ओर उचित ध्यान दिया जाएगा।

देश में उर्वरकों की आवश्यकता

4618. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश को इस समय कुल कितने उर्वरकों की आवश्यकता है, और इसे किस तरह से पूरा किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): फरवरी-मार्च, 1973 में राज्य सरकारों के साथ हुए सम्मेलनों मे उनकी खरीफ 1973 को उर्वरकों की निवल आवश्यकता 8.20 लाख मीटरी टन एन, 2.94 लाख मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ और 1.43 लाख मीटरी टन के०$_2$ ओ० होने का अनुमान लगाया गया था। इनमें से देशी निर्माता 6.05 लाख मीटरी टन, एन 1.90 लाख मीटरी टन पी०$_2$ ओ०$_5$ और 10 लाख मीटरी टन के०$_2$ ओ० की पूर्ती करेंगे। शेष आवश्यकता की पूर्ति आयात द्वारा किये जाने की सम्भावना है।

पश्चिम बंगाल में विस्थापितों के रहन सहन की अमानवीय स्थिति सम्बन्धी आरोपों के बारे में जांच के लिए नियुक्त समिति

4619. **श्री विश्वनाथ झुंझुनवाला :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार ने इन आरोपों की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की है कि पश्चिम बंगाल में 15 'होम्स' और 'इन्फरमरियों' में रह रहे 20,000 विस्थापित व्यक्ति अमानवीय स्थिति में रह रहे हैं;

(ख) क्या समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट में ऐसे आक्षेपों की पुष्टि की गई है जिन के कारण समिति की नियुक्ति की गई थी; और

(ग) क्या समिति ने विस्थापितों के रहन सहन की स्थिति को सुधारने के लिए उपायों की सिफारिश की है और यदि हां, तो कौन सी सिफारिशें सरकार ने क्रियान्विति के लिये स्वीकार की हैं और यदि समिति की सभी सिफारिशें स्वीकार की जाती हैं, तो उस पर कितना व्यय होगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों का पश्चिम बंगाल में पुनर्वास करने से सम्बन्धित मामलों के बारे में सिफारिशें करने के लिए पुनर्वास मंत्रालय द्वारा नियुक्त की गई पुनर्विलोकन समिति से समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे स्थायी दायित्व गृहों/आश्रमों की भी निम्नलिखित विशेष संदर्भों में जांच करने के लिए निवेदन किया गया था :—

1. खर्च का वर्तमान ढांचा।
2. मिडिल स्तर से आगे बच्चों की शिक्षा के लिए उपाय।
3. निवासियों को सन्तोषजनक स्थान देने तथा वर्तमान भवनों की मरम्मत के लिए प्रबन्ध।
4. तेजी से पुनर्वास करने के लिए अर्थोन्मुखी योजनाओं को शुरू करना।

(ख) तथा (ग): समिति ने अब तक केवल एक रिपोर्ट "गृहों/आश्रमों के निवासियों का भरण पोषण" पेश की है। इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है।

ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत दिए गए रोजगार का स्वरूप

4620. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार के लिए द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1972 के दौरान कुल कितना व्यय हुआ और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किस प्रकार के रोजगार दिए गए; और

(ख) ऐसे रोजगार का, राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) वर्ष 1972-73 में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के लिए 48.44 करोड़ रु० के कुल परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इस योजना के अन्तर्गत मुख्य रूप से ग्रामीण इलाकों में अकुशल बेरोजगार श्रमिकों को काम दिया गया है । राज, बढ़ई आदि जैसे कुशल मजदूरों को भी कुछ रोजगार दिया गया है ।

(ख) यह सूचना पैदा किए जाने वाले रोजगार के श्रमदिनों के रूप में एकत्र की जाती है और विभिन्न राज्य सरकारों के बारे में भिन्न भिन्न अवधियों की होती है । एक विवरण जिसमें रोजगार का राज्य-वार ब्यौरा दिया गया है, सभा-पटल पर रखा जाता है । **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल०टी०-4604/73.]**

Bogus Ration Cards in Shahdara Area

4621. **Shri Hukam Chand Kachwai :**

Shri Chandu Lal Chandrakar :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether attention of Government has been drawn to the newsitem published in the Hindustan of 22nd February, 1973 to the effect that bogus ration cards of more than 50,000 units have been detected in Shahdara area;

(b) whether the ration shopkeepers have got issued many bogus ration cards in connivance with the employees; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir. The news item was published in the 'Hindustan' of 21st February, 1973.

(b) The matter is under investigation.

(c) Massive checking has been started to unearth bogus food cards/units.

केरल में वाइनाड के निकट वन्यपशु शरणस्थल

4622. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल, मैसूर और तमिलनाडु की सीमाओं पर केरल में वाइनाड के निकट एक स्थान पर प्रस्तावित वन्यपशु शरणस्थल पर अब तक कोई कार्य आरम्भ किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यह परियोजना कब तक पूरी हो जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख) : जी नहीं। वायनाड में 344 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को वन्यप्राणि आश्रयस्थल घोषित करने के लिए केवल एक औपचारिक अधिसूचना जारी की जा रही है।

तमिलनाडु, मैसूर और केरल के पर्यटन मन्त्रियों के सम्मेलन में किए गए निर्णय के आधार पर तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्य के लिये मुदुमलाई (तमिलनाडु), बांदीपुर-नागरहोल (मैसूर) और वाइनाड (केरल) वन्यप्राणी आश्रयस्थलों के विकास के लिए मास्टर प्लान का केवल एक मसौदा तैयार किया गया है :—

1. वन्यप्राणियों की सुरक्षा करना।
2. वनसम्पदा का परिरक्षण और प्रबन्ध करना और
3. पर्यटन को बढ़ावा देना।

इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित होने वाला अन्तर्राज्य वन्यप्राणी नियंत्रण मण्डल मास्टर प्लान की क्रियान्विति के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होगा।

(ग) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि यह परियोजना कब तक पूरी होगी क्योंकि अभी तक भारत सरकार को मास्टर प्लान प्राप्त नहीं हुई है।

ग्रामीण सहकारी बचत तथा ऋण समितियों के कार्य की जांच

4623. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ग्रामीण सहकारी बचत तथा ऋण समितियों, जो देश के विभिन्न भागों में आमतौर पर ग्राम बैंक के नाम से जानी जाती हैं, के कार्य की जांच करने के लिए अध्ययन दल नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस की स्थापना कब की जायेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।
(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पटसन के उत्पादन में सुधार

4624. **श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के पटसन उत्पादन क्षेत्र में पटसन के उत्पादन में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): देश में पटसन और मेस्ता का उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिल नाडु में पटसन और मेस्ता की निम्नलिखित केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं क्रियान्वित कर रही हैं :—

1. पटसन और मेस्ता विषयक विशेष पैकेज कार्यक्रम।
2. पटसन और मेस्ता पर यूरिया का पर्णीय छिड़काव।
3. उन्नत बीजों का सांहाय्य वितरण।
4. क्वालिटी सुधार कार्यक्रम।
5. तमिल नाडु में पटसन और मेस्ता के समन्वेषी परीक्षणों की मार्गदर्शी परियोजना।

पटसन विकास के प्रयत्नों को और तेज़ करने के लिए वर्ष 1972-73 से केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में गहन पटसन/मेस्ता ज़िला कार्यक्रम नामक एक नई योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य प्राय: निश्चित वर्षा तथा सिंचाई सुविधाओं वाले चुनींदा जिलों में पटसन और मेस्ता से संबंधित गहन विकास उपायों के रूप में एक ठोस क्षेत्र नीति अपनाना है। इन ज़िलों में पटसन के लिए नाडिया, मुर्शिदाबाद और कूच-विहार (पश्चिम बंगाल), पूर्णिया (बिहार), नवगांव (असम), और कटक (उड़ीसा) और मेस्ता के लिये आन्ध्र प्रदेश का श्री-काकुलम ज़िला शामिल है।

महाराष्ट्र में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋणों की वसूली में कठिनाई

4625. **श्री अण्णासाहिब गोटखिंडे** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में केन्द्रीय सहकारी बैंकों को ऋणों की भारी बकाया राशि वसूल करने में होने वाली कठिनाइयों को सरकार के ध्यान में लाया गया है;

(ख) क्या इन ऋणों को समय पर वसूल न किए जाने का एक मुख्य कारण वर्षा का निरन्तर न होना है;

(ग) क्या ऋणों की देय राशि बढ़ती जा रही है जिस से सहकारी बैंकों के ढांचे की स्थायित्वता को खतरा पहुंच सकता है; और

(घ) यदि हां, तो न वसूल किए जा सकने वाले ऋणों को बट्टे खाते में डालने तथा इन कठिनाइयों को हल करने में बैंकों को सहायता देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) कुछ हद तक, अतिदेयों का कारण फसलों का न होना हो सकता है, किन्तु इसके अन्य कारण भी हैं।

(ग) अतिदेयों से किसानों को नया ऋण देने पर प्रभाव पड़ेगा, किन्तु यह नहीं कहा जा सकता है कि उनसे सहकारी ऋण ढांचे की स्थायित्वता को ऐसा खतरा पहुंच सकता है।

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित की गई एक अध्ययन टोली इस समस्या का अध्ययन कर रही है और उससे उम्मीद है कि वह उस सहायता के स्वरूप तथा मात्रा के बारे में सुझाव देगी जो केन्द्रीय बैंकों को इस परिस्थिति का सामना करने के लिए देनी अपेक्षित है।

सिमिलीपाल नेशनल पार्क (उड़ीसा) का बाघ शरणस्थल के रूप में चुना जाना

4626. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मयरभंज (उड़ीसा) जिले के सिमिली पाल नैशनल पार्क को देश के बाघ शरण-स्थलों में से एक शरणस्थल चुना है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) लगभग 300 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र के 'सिमिलीपाल पार्क' की 'टाइगर प्रोजेक्ट' के अन्तर्गत भारत के 9 बाघ आरक्षित स्थलों में से एक आरक्षित स्थल के रूप में चुना गया है। इस आरक्षित स्थल में वन्य प्राणियों की संख्या को अनुकूलतम स्तर तक बढ़ाने और वहां विशेषकर बाघों के परिरक्षण और प्रजनन को सुनिश्चित करने के लिए उसे एक आत्मनिर्भर इको-यूनिट के रूप में विकसित करने का विचार है।

'प्रोजेक्ट टाइगर' की एक प्रति संसद पुस्तकालय में रखी हुई है।

Decline in Loss of Super Bazar, Delhi

4627. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the loss of Super Bazar is declining ;

(b) if so, the measures adopted therefor ; and

(c) the time by which this loss will be completely wiped out ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Yes, Sir.

(b) Among measures adopted to reduce losses are : increase in sales turnover, economy in overhead expenses, stricter control over leakages and shortages, curtailment of bank borrowings, reduction in the number of employees, increase in non-trading income through advertisements and show-windows, business on commission or agency basis, optimum utilisation of space, improvement in purchase policy and operational procedures, opening of new branches, starting new lines of businees, and increasing wholesale supplies.

(c) The immediate target before the Super Bazar is to attain viability at the earliest. The time required for wiping out accumulated past losses would depend on the size of its future profits.

सूखाग्रस्त गुलबर्गा, वीजापुर और बीदर जिलों में सिंचाई के लिए कुएं बनाने के लिए धन का नियतन

4628. **श्री धर्मराव अफजलपुरकर :**

श्री सी० के० जाफर शरीफ :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भूमि विकास के बुनियादी कार्यक्रम के अतिरिक्त मैसूर राज्य के गुलबर्गा, वीजापुर और बीदर जिलों के प्रत्येक सूखाग्रस्त तालुकों की सिंचाई के लिए कुएं बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने कितना रुपया दिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

उर्वरकों के मूल्य में वृद्धि

4629. **श्री जी० वाई० कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के मूल्य बढ़ाने सम्बंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) गत कुछ महीनों के दौरान विश्व बाजार में आयातित उर्वरकों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है । वर्ष 1973-74 के बजट प्रस्तावों में सभी आयातित उर्वरकों पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की गई है और इससे पहले लगाया गया $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत नियामक शुल्क वापिस ले लिया गया है । इसके अलावा हाल के रेलवे बजट में भाड़े की दरों में भी कुछ वृद्धि करने की घोषणा की गई है । सरकार उर्वरकों के मूल्यों पर इन सब बातों के संभावित परिणामों का अध्ययन कर रही है ।

देश में उत्पादित अमोनियम सल्फेट में से 30 प्रतिशत सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लेना

4630. **श्री यमुना प्रसाद मण्डल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उत्पादित अमोनियम सल्फेट में से 30 प्रतिशत ही अपने नियन्त्रण में लेने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) सरकार ने 1 जुलाई, 1972 से अमोनियम सल्फट का 30 प्रतिशत देशी उत्पादन अपने हाथ में ले लिया था, लेकिन उसने 1 जनवरी, 1973 से यह छोड़ दिया, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत एमोनियम सल्फेट का पूरा उत्पादन राज्य सरकारों के परामर्श से निर्दिष्ट राज्यों में बेचा जाना है ।

Scheme to provide Irrigation Facilities to Small Farmers on no profit no loss basis

4631. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government propose to provide irrigation facility to small farmers by tube-wells on no loss no profit basis in the areas where irrigation is not possible from rivers and canals ; and

(b) if so, the outlines of the programmes and scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) There are no specific proposals to provide irrigation facilities to Small Farmers by tube-wells on no-profit-no-loss basis in areas where irrigation from rivers and canals is not possible. However, under the Central Sector Scheme of Small Farmers Development Agency functioning in 46 selected areas of the country, 25% subsidy on capital cost of tube-wells is being provided to identified Small Farmers. In the case of marginal farmers in 41 M.F.A.L. project areas, this subsidy is 33-1/3 %. When community irrigation facilities are built up on a group basis, this subsidy is upto 50%.

Irrigation facilities to Small Farmers having 5 Bighas of Land

4632. **Shri Bharat Singh Chauhan** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the other sources of irrigation facility, being provided by Government to small farmers having 5 bighas land or less, in addition to canal irrigation facility ; and

(b) in case these facilities are not being prioivided, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) & (b) Some State Governments have State Tube-well Organisations which provide irrigation facilities to all categories of farmers. Irrigation facility from ground water like dug-wells and lift irrigation like pumpsets, persian wheels etc., is generally, developed by individual farmers themselves with institutional credit. In the 87 project areas covered by the Small Farmers Development Agencies and Marginal Farmers and Agricultural Labourers Development Agencies, the agencies assist the farmers with subsidies towards capital cost of minor irrigation investment.

Shortage of Power during 1973 and its effect on Agriculture

4633. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether all the development works in the country, particularly those pertaining to agriculture have come to a standstill on account of power shortage during 1973; and

(b) if so, the measures proposed to be adopted by Government to meet the shortage of power ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) : (a) & (b) No, Sir. However, there is an overall power shortage in the country and in some States. Hours of supply have been restricted or rostering of loads has been resorted to. The various States have been requested to give priority to agricultural demands.

"इंडिया इज फेसिंग डबल चैलेंज आन पाल्यूशन" शीर्षक से समाचार

4634. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1973 के 'इण्डियन एक्सप्रैस' में "इण्डिया इज़ फेसिंग डबल चैलेंज आन पाल्यूशन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके विरुद्ध सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) भारत सरकार ने देश में अपदूषण की चुनौती का सामना करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

(i) अक्तूबर 1970 में मानवीय रहन-सहन के स्थानों के पर्यावरणिक पहलुओं, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबन्ध करने तथा पर्यावरणिक अपदूषण से सम्बन्धित समस्याओं पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय में मानवीय पर्यावरण पर एक समिति का गठन किया गया था ।

(ii) फरवरी 1972 में भारत सरकार ने पर्यावरणिक आयोजना तथा समन्वय पर एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की जिसमें पर्यावरण के सभी पहलुओं का निरन्तर पुनरीक्षण करने तथा पर्यावरणिक संरक्षण और सुधार के समस्त पहलुओं पर सरकार को सिफारिशें देने के लिए सरकारी तथा गैरसरकारी सदस्य शामिल किए गए हैं । समिति को इसके कार्य में सहायता देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में पर्यावरणिक आयोजना तथा समन्वय का एक कार्यालय खोला गया है, जिसमें विशेषज्ञ लगाये गये हैं ।

(iii) वायु-मण्डल के दूषण पर नियंत्रण करने के लिए भी कानून बनाने का एक प्रारुप तैयार किया जा रहा है । जल दूषण पर नियंत्रण के लिए जल-दूषण निरोधक एक विधेयक भी संसद में विचाराधीन है ।

(iv) भारत सरकार ने भी देश में वन्य जीवन को संरक्षण देने के लिए कदम उठाए हैं । पिछले वर्ष संसद द्वारा एक वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 बनाया गया था ।

(v) औद्योगिक विकास मंत्रालय ने औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्र के अनुलग्नक-1 में एक नई धारा शामिल की है जिसमें आवेदक से पूछा जाता है कि प्रवाहित होने वाले द्रव्यों को तथा गैसों से वायुमण्डल, जल तथा थल में सुरक्षा की निर्धारित सीमा का उलंघन न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उस द्वारा कौन से प्रयत्न किए जाने का प्रस्ताव है ।

राज्यों में ग्राम विद्युतीकरण योजनाएं

4636. श्री एस० आर० दामाणी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में सूखा राहत उपाय के रूप में ग्राम विद्युतीकरण योजनायें आरम्भ की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्यों में लघु सिंचाई को बढ़ाने के सम्बन्ध में इन योजनाओं से कितनी सहायता मिलेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहित पी० शिन्दे) : (क) से (ग) चालू वर्ष में आपात-कालीन कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में शुरू की गई विशेष लघु सिंचाई योजनाओं में नलकूपों और पम्पसैटों के विद्युतीकरण के कार्यक्रम भी शामिल हैं। इस कार्य के लिए राज्यों के बिजली बोर्डों को ऋण दिए गए हैं। विभिन्न राज्यों में निम्नलिखित योजनायें चल रही हैं :—

राज्य	नलकूपों/पम्पसैटों की संख्या जिन्हें बिजली दी जानी है
आन्ध्र प्रदेश	20,000
बिहार	12,500
हरियाणा	15,000
केरल	2,000
मध्य प्रदेश	7,000
महाराष्ट्र	21,420
मैसूर	11,000
उड़ीसा	741
पंजाब	15,000
राजस्थान	5,800
तमिल नाडु	10,000
उत्तर प्रदेश	25,000

नलकूपों/पम्पसेटों के विद्युतीकरण से अनुमानतः 2.6 लाख हैक्टार अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई हो सकेगी।

ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान में प्रस्तावित रोजगार के अवसर

4637. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण रोजगार सम्बन्धी द्रुत कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान राज्य में विशेषकर जयपुर जिले के लिए आगामी दो वर्षों में ग्रामीण रोजगार के कितने अवसर पैदा होने की सम्भावना है; और

(ख) इस योजना पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च की जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) :(क) और (ख) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

Central Allocation to U. P. under crash programme for rural employment

4638. **Shrimati Savitri Shyam** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount proposed to be given by the Central Government to Uttar Pradesh for Crash programme on rural employment during 1972-73 ; and

(b) the amount proposed to be spent in Bareilly District of Uttar Pradesh out of it ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) Rs. 7,35,60,500.

(b) Information has been called for from the State Government and will be laid on the Table of the House.

राज्य फार्मों में कृषि मजदूरों के लिये मजूरी दरें

4639. **श्री झारखंड राय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्य फार्मों में कृषि मजदूरों की वर्तमान मजूरी दरें क्या हैं;

(ख) क्या इन फार्मों में कार्य करने वाले कृषि मजदूरों की मजूरी बढ़ाने के बारे में कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):(क) से (ग) भारतीय राज्य फार्म निगम के अधीन कार्य करने वाले विभिन्न केन्द्रीय राज्य फार्मों के कृषि श्रमिकों की उतनी ही मजदूरी दी जाती है, जितनी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा कृषि श्रमिकों के लिये निर्धारित की हुई है । कुछ मामलों में विशेष फार्मों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निगम सूरतगढ़, जेतसर (राजस्थान) तथा अरालम (केरल) में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित दरों से भी अधिक मजदूरी दे रहा है ।

इस समय इन फार्मों में कार्य करने वाले कृषि श्रमिकों की मजूरी बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि सम्बन्धित राज्य सरकार कृषि श्रमिकों की मजूरी बढ़ा देती है तो फार्म के मजदूरों की मजूरी बढ़ाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड के लिए विदेशी सहायता

4640. **श्री सुरेन्द्र महन्ती** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड उन कार्यों के लिये भी, जो स्थानीय विशेषज्ञों और उपकरणों से आरम्भ किये जा सकते हैं, विदेशी सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण ह ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Assistance for Development of Roads in Backward Tribal Areas

4641. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to states :

(a) whether adequate amount of assistance is not being given from the Central Road Development Fund for the development of roads in the backward States having Tribal population ; and

(b) whether any state has made such a demand ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport : (Shri M. B. Rana) : (a) and (b) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the assistance from the Central Road Fund. This Fund has two sub-divisions; viz. (i) Central Road Fund (Allocations) and (ii) Central Road Fund (Ordinary) Reserve. 80 % of the accruals to the Fund are credited to the Central Road Fund (Allocations) Accounts and the remaining 20% is put in the Central Road Fund (Ordinary) Reserve. The share of each State in the Central Road Fund (Allocations) Account is worked out on the basis of actual consumption of taxed motor spirit (petrol) in the State concerned and projects are sanctioned on the basis of free balance available to the credit of the State Government concerned in the Central Road Fund (Allocations) Account. Limited funds from the Central Road Fund (Ordinary) Reserve are also provided by way of grants-in-aid for a few selected schemes on a matching basis. Schemes ultimately approved for being financed from these two sources are in any case formulated by the State Governments themselves. Initiative therefore lies essentially with the State Governments concerned to project their requirements keeping in view backward and tribal regions also. Whenever such requests for roads in such areas are received from the State Governments, they are given full consideration, consistent with the availability of free balance in the Central Road Fund to the credit of the State Governments concerned.

बंगला देश के साथ मछली-व्यापार

4642. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि, बंगला देश के साथ मछली-व्यापार सम्बन्धी स्थिति कैसी है ।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): बंगला देश से मछली का आयात भारत सरकार द्वारा बंगला देश की सरकार के साथ 27 मार्च, 1972 से एक वर्ष की अवधि तक के लिये किये गये सीमित भुगतान करार के अन्तर्गत किया जा रहा है । इस करार की अवधि के दौरान 9 करोड़ रुपये की मछली का आयात करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था । चूंकि दोनों सरकारों के बीच व्यापार संबंधी अनेक मामलों को सुलझाया जाना था, इसलिए वास्तव में मछली का आयात अक्तूबर, 1972 के प्रथम सप्ताह से पहले शुरू नहीं किया जा सका । अक्तूबर, 1972 में केन्द्रीय मत्स्य उद्योग निगम के जरिये 99 मीटरी टन मछली का आयात किया गया था । नवम्बर और दिसम्बर, 1972 में भी आयात कम रहा । व्यापार में बाधाओं को दूर करने और इसे बढ़ाने के उद्देश्य से अक्तूबर, 1972 और जनवरी, 1973 में बंगला देश सरकार के साथ संयुक्त रूप से पुर्नविलोकन के लिए बैठकें की गई । जनवरी और फरवरी, 1973 में आयात बढ़ कर क्रमश: 265 और 330 मीटरी टन हो गया । फरवरी, 1973 के अन्त तक कुल 840 मीटरी टन मछली का आयात किया गया था । इसका मूल्य 50 लाख रुपये से कुछ अधिक है । व्यापार के स्तर में और सुधार लाने की दृष्टि से मार्च, 1973 के प्रथम सप्ताह में एक सरकारी प्रतिनिधि मण्डल बंगला देश गया था । लगभग इस महीने के मध्य से पूर्ति के स्तर में स्पष्ट वृद्धि हुई है ।

Animal Husbandry Scheme

4643. **Shri Nathu Ram Ahirwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the effective steps proposed to be taken by the Ministry to make animal husbandry more popular and easy; and

(b) whether Government would also take into consideration the interest of people of an area to make their scheme a success by not taking population as the mere basis of animal husbandry scheme?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Fourth Five Year Plan provides for a large public sector outlay of about Rs. 233 crores for animal husbandry, dairying and milk supply. This includes a large provision of Rs. 95.40 crores for the integrated programme of milk marketing and dairy development called "Operation Flood' taken up in cooperation with the World Food Programme. The various animal husbandry scheme provide for essential inputs such as improved breeding, feeding, marketing and disease control and technical advice to the farmers. Training of farmers is also included in various projects. The Agriculture Universities and Veterinary Colleges of the country are also popularsing animal husbandry in their teaching and demonstration programme.

(b) Yes, one of the many factors which are taken into consideration for determining the suitability of any Livestock Development Scheme is interest of the people of the areas.

Price of Wheat fixed for Rabi Crop and its justification

4644. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the price of wheat has been fixed by the Central Government for next rabi crop ;

(b) the extent to which this price of wheat is justified in relation to the considerable increase in the prices of agricultural implements (Diesel pump, iron, tractor and chemical fertilisers) ;

(c) whether after taking over trade in foodgrains, the price of wheat has now become rather the fixed price instead of support price ; and

(d) whether after taking over trade in foodgrains the farmer can never expect to get more price than this fixed price?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture : (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) : Yes, Sir.

(b) The procurment prices of wheat have been fixed by Government on the basis of the recommendations of the Agricultural Prices Commission after taking all relevant factors into consideration.

(c) & (d) With the take-over of wholesale trade in wheat, the farmers can expect to receive prices higher than the procurement prices for their produce from retailers and consumers.

Scheme for Nutritious Food to Cattle

4645. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**

Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the schemes undertaken by Central Government for providing nutritious food to the cattle ;

(b) the number of research Institutions started by the Ministry for growing improved variety of grass in order to provide nutritious food to the cattle in the country ; and

(c) the locations of these grass research Institutions and the names thereof and the details of the progress made by each of these institutions?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Central Government have initiated the following schemes for the development of appropriate fodder and feeds for livestock:

(i) Establishment of the Indian grassland & Fodder Research Institute, Jhansi.

(ii) Establishment of 7 Regional Stations for Forage Production & Demonstration.

(iii) Coordinated research Project on fodder crops.

(iv) Coordinated research project on formulation of economic rations for livestock by use of agricultural by products and industrial wastes.

(b) One.

(c) *Indiar Grassland & Fodder Research Institute, Jhansi.*

This Institute conducts basic and applied research on grasses, grasslands and fodder crops as related to sustained production of high quality forage for efficient animal production, maintenance of soil fertility and soil and water conservation. It is engaged in evolving high yielding, nutritions, fertilisers responsive and disease and pest resistant forage crops with the use of modern techniques. Superior selections in important indigenous grasses, sorghum, oats, cowpea, guar lucerne and berseem have been identified. Among the selections made at the Institute in several fodder crops are : IGFRI-S-3 of sorghum, IGFRI-S-271 and IGFRI-S-272 of lucerne, IFGFRI-S-998 of cowpea variety and IGFRI-S-99-1 of berseem which have been found to given significantly high green fodder and dry matter yields. In addition efforts on increasing fodder production, studies on increasing the productivity of natural grasslands and cultivated pastures were also made. Studies aimed at increasings fodder production, per unit area, per unit time through adoption of multiple cropping pattern and use of fertiliser have been undertaken. Intensification of research activities on weed control and related aspeets have led to standardisation or weed control measures for grassland and cultivated crops. In the field of agricultural engineering as related to fodder crops, several simple inexpensive equipments have been designed.

This Institute has started advanced courses on fodder production, utilisation and conservation for both research and development officers at the All India level.

चालू वर्ष के लिए खाद्यान के उत्पादन का अनुमान और कमी की पूर्ति के लिए खाद्यान का आयात

4646. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री के० लकप्पा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 10 करोड टन कम होगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या भारत इस कमी की पूर्ति और सरकारी वितरण व्यवस्था के माध्यम से सप्लाई जारी रखने के लिए अनाज का आयात करेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) तथा (ख) चालू वर्ष (1972-73) में खाद्यान्नों के उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने के बाद अर्थात् जुलाई, अगस्त, 1973 में ही किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे। तथापि, कुछ राज्यों में सख्त सूखे और अन्य राज्यों में अनियमित और कम वर्षा होने के कारण चालू वर्ष के दौरान खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में कम होने की सम्भावना है। दूसरी ओर रबी का उत्पादन करने वाले कई क्षेत्रों में आपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम और लाभप्रद शीतकालीन वर्षा के कारण रबी खाद्यान्नों का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में अधिक होने की सम्भावना है। किन्तु फिर भी रबी मौसम में उत्पादन में होने वाली वृद्धि से खरीफ उत्पादन का घाटा पूर्णतः पूरा नहीं हो सकेगा।

(ग) कम पूर्ति की स्थिति का सामना करने के लिए और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिये पूर्ति जारी रखने के लिए इस वर्ष लगभग 20 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का आयात किया जा रहा है ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की भुवनेश्वर में हुई 18 वीं बैठक

4647. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जनवरी, 1973 को केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद की भुवनेश्वर में 18 वीं बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उस पर, मद-वार, कितना व्यय हुआ; और उक्त धनराशि किस श्रोतों से प्राप्त हुई;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मेडिकल तथा परि-मेडिकल कर्मचारियों को जुटाना और नियुक्त करना भी चर्चा का एक विषय था; और

(घ) सम्मेलन में अन्य किन विषयों पर चर्चा हुई और क्या निर्णय लिए गए ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) यह बैठक 31 जनवरी, और 1 फरवरी, 1973 को हुई थी ।

(ख) इस बैठक में भाग लेने वाले मन्त्रियों और अधिकारियों के यात्रा भत्ते पर भारत की समेकित निधि में से अब तक भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्रालय में 27,758.35 रुपये खर्च किये हैं । राज्य सरकारों और भारत सरकार के अन्य मन्त्रालयों द्वारा जिनके प्रतिनिधि इस बैठक में आये थे, किये गये खर्च का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जी हां ।

(घ) इस बैठक में पारित प्रस्तावों की प्रतियां संलग्न हैं । (अनुलग्नक—1) [**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 4605/73**]

दिल्ली विश्वविद्यालय में संयुक्त छात्र-अध्यापक समिति

4648. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :**

श्री श्रीकिशन मोदी :

क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक संयुक्त छात्र अध्यापन समिति के गठन का तरीका निकालने के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति तथा छात्र नेताओं के बीच कोई बैठक हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो बैठक में क्या क्या मुख्य सिफारिशें की गई ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) छात्रों की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक संयुक्त छात्र अध्यापन समिति के गठन के उपाय खोजने के लिए दिल्ली-विश्व-विद्यालय के कुलपति तथा छात्र नेताओं के बीच कई बैठकें हुई थी । कुलपति ने अध्यापकों तथा छात्रों की एक 24 सदस्यीय समिति नियुक्त कर दी है । इस समिति ने अभी अपना विचार-विमर्श पूरा नहीं किया है ।

उपहार योजना के अन्तर्गत वितरण करने के लिए आयात किये गये दुग्ध-चूर्ण को बेचना

4649. **श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि उपहार योजना के अन्तर्गत वितरण करने के लिए आयात किए गए दुग्ध चूर्ण बाजार में बिकने के लिए आ जाता है और सरकार अथवा वितरण करने वाली संस्थाओं को इससे कोई आय हुए बिना बेचा जा रहा है; और

(ख) दुग्धचूर्ण की चोरी तथा इस अनधिकृत रूप से बाजार में बेचने को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) विश्व खाद्य कार्यक्रम से "अप्रिशन फ्लड" के अन्तर्गत सरकार की उपहार रूप में प्राप्त हुआ स्किम दुग्ध चूर्ण चार प्रमुख नगरी, अर्थात् बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में स्थित सरकारी क्षेत्र के दुग्ध संयन्त्रों तथा उनकी पोषक/सन्तुलन डेरियों को तरल दूध बनाने के लिए जा रहा है, जो जनता में बेचा जाता है। अत: इस स्किम दुग्ध चूर्ण के खूले बाजार में जाने (और वह भी सरकार अथवा सरकारी क्षेत्र के दुग्ध संयंत्रों आदि को कोई आय हुए बिना) की कोई सम्भावना नहीं है। स्किम दुग्ध चूर्ण की कुछ मात्रा जो भौतिक तथा रासायनिक गुणों की कमी के कारण तरल दुग्ध तैयार करने के लिए अनुपयुक्त न रहे विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा अन्य परियोजनाओं को दे दी जाती है या विश्व खाद्य कार्यक्रम या भारतीय डेरी निगम द्वारा अन्य प्रकार से उपयोग के लिए बेच दी जाती है और उसकी बिक्री से प्राप्त आय का उपयुक्त हिसाब रखा जाता है।

(ख) भारतीय डरी निगम के गोदामों में रखे जाने वाले स्किम दुग्ध चूर्ण का बिमा किया जाता है। दुग्ध चूर्ण की चोरी तथा इसकी अनधिकृत बिक्री को रोकने के लिए निगम द्वारा स्टाक की आवधिक जांच-पड़ताल भी की जाती है।

Revision of Delhi Master Plan

4650. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :**

Shri Ram Bhagat Paswan :

Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the citizens, other opposition political parties and now Delhi Congress also have been demanding revision in Master Plan for a long time;

(b) if so, whether Government are considering the question of revision in the said plan ;

(c) if so, the time by which a decision is likely to be taken in this regard ; and

(d) if not, the reasons therefor?

The Minister of State in Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) and (d) Certain proposals made by an expert group are under consideration in the light of the provisions of the Delhi Development Act.

खाद्यान्न के व्यापार के सरकारीकरण के सरकारी निर्णय का गुजरात में विरोध

4651. **श्री एम० एम० जोजफ** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में राजनैतिक दलों एवं किसान संगठनों के नेताओं ने केन्द्रीय सरकार को चेतावनी दी थी कि खाद्यान्नों के व्यापार के सरकारी करण से देश में मूल्य वृद्धि होगी और राज्य में खाद्य दंगे होंगे; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) विभिन्न लोगों और एसोसिएशनों से प्राप्त कई अभ्यावेदनों के अलावा, समाचार पत्रों में भी गुजरात सरकार को गेहूं और चावल के थोक व्यापार लेने सम्बन्धी केन्द्र सरकार के निर्णय के विरुद्ध परामर्श दिया गया है ।

(ख) भारत सरकार आगामी रबी मौसम से गेहूं का थोक व्यापार लेने के बारे में पहले ही निर्णय ले चुकी है। लिए गए नीति सम्बन्धी निर्णय को ध्यान में रखकर गुजरात सरकार उस योजना को कार्यान्वित कर रही है ।

पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण विकास सम्बन्धी नीति निर्धारण हेतु मार्गदर्शी अनुसंधान विकास केन्द्रों के बारे में परियोजना प्रतिवेदन

4652. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :- क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण विकास सम्बन्धी नीति निर्धारण हेतु विभिन्न राज्यों में 20 मार्गदर्शी अनुसंधान विकास केन्द्रों के बारे में परियोजना प्रतिवदनों के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या कुछ राज्यों ने पहले ही केन्द्रीय मन्त्रालय को अपने परियोजना प्रतिवेदनों को भेज दिया है जिसमें समेकित क्षेत्र विकास योजनाओं के बारे में कहा गया है;

(ग) क्या तमिलनाडु सरकार ने भी अपना प्रतिवेदन भेज दिया है; और

(घ) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भेजी गई प्रस्ताविक योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) तमिल नाडु के मामलें में प्रश्न नहीं उठता । जहां तक कुछ राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्ताओं का सम्बन्ध है, वे चुने विकास केन्द्र खण्डों के समेकित क्षेत्र विकास के बारे में हैं और उनमें उनके विकास के लिए विभिन्न प्रकार के आधारभूत ढ़ांचे का निर्माण करने की बात कही गई है ।

खाद्यान्नों का रक्षित भंडार बनाने की योजना

4653. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** :

श्री वरके जार्ज :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र खाद्यानों का बहुत बड़ा रक्षित भण्डार बनाने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो खाद्यान्नों के भण्डारण का राज्य-वार, क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या अशोक मेहता समिति ने, जिसमें 1967 में इस बारे में जांच की थी, यह सुझाव दिया था कि चौथी योजना के अन्त तक 1970 में केवल 50 लाख टन का भण्डार पर्याप्त होगा; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस विषय पर पुनर्विचार किया था और भण्डार में वृद्धि करने का निर्णय किया था; यदि हां, तो कितना और उस दिशा में क्या उपाय किए जा रहे है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) शेष चौथी योजनावधि के लिए बफर स्टाक के स्तर को 50 लाख मी० टन से बढ़ाकर 70 लाख मी० टन करने का निर्णय किया गया है। खाद्यान्नों के स्टाक के कोई राज्य वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। 1957 में गठित की गई खाद्यान्न जांच समिति जोकि अशोक मेहता समिति के नाम से विख्यात है, ने आरक्षित भण्डार तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया था लेकिन उन्होंने 50 लाख मी० टन का बफर स्टाक तैयार करने के बारे में कोई विशेष सिफारिश नहीं की थी ।

लम्बी अवधि के हेतु कृषि विकास कार्यक्रम के लिए आस्ट्रेलिया द्वारा सहायता का विस्तार

4654. **श्री आर० बी० स्वामीनाथन :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार ने अपनी लम्बी अवधि हेतु कृषि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को अपनी सहायता का विस्तार करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका विस्तार कितना किया जाएगा; और

(ग) इस समझोते के अन्तर्गत किस प्रकार की सहायता दी जाएगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) से (ग) आस्ट्रेलिया की सरकार कोलम्बो योजना के अन्तर्गत हिसार में एक केन्द्रीय भेड़ प्रजनन फार्म की स्थापना करने में सहायता देती रही है और उसके लिए उसने कुछ भेड़, उपकरण तथा विशेषज्ञ उपलब्ध किए हैं। यह 1969 में तय हुए एक करार के अनुसार किया गया है जो गत 7 वर्षों से लागू है।

आस्ट्रेलिया की सरकार ने हिसार (हरियाणा) और बारपेटा (असम) में दो पशु प्रजनन फार्म की स्थापना के लिए भी सहायता देने की इच्छा व्यक्त की है। आस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों के एक दल ने फार्मों के प्रस्तावित स्थानों का दौरा करके फार्मों की जरूरतों के बारे में भारतीय प्राधिकारियों से विचार विमर्श किया है ।

शिपयार्डों की निर्माण क्षमता तथा उनके स्थल

4655. **श्रीमती सावित्री श्याम :** क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में शिपयार्डों की कुल निर्माण क्षमता कितनी है तथा वे कहां कहां स्थित है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) देश में इस समय तीन बड़े शिपयार्ड है अर्थात् विशाखापत्तनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि० बम्बई में मजगांव डाक लि० और कलकत्ता में गार्डन रीच वर्कशाप्स । समुद्र गामी जहाजों के लिए वर्तमान वार्षिक क्षमता 55,000 डी० डब्ल्यू० टी० है ।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान में खरीफ की फसल को हुई क्षति का पता लगाने के लिये अध्ययन दल

4656. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग के एक अध्ययन दल ने हाल ही में मध्य प्रदेश के कुछ जिलों का दौरा किया था तथा यह पाया कि वहां खरीफ की पूरी फसल नष्ट हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उत्तर प्रदेश और राजस्थान को भी ऐसे अध्ययन दल भेजने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो ये दल इन राज्यों के प्रभावित जिलों का दौरा कब करेंगे; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां, । एक अध्ययन दल ने मध्य प्रदेश का दौरा किया है और इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) एक अध्ययन दल ने अगस्त, 1972 में उत्तर प्रदेश का भी दौरा किया था। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश में एक अन्य दल भेजने का कोई प्रस्ताव नहीं है । एक दल ने हाल ही में राजस्थान का भी दौरा किया है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बड़े नगरों में पटरी पर रहने वालों के लिए आश्रय-स्थल

4657. **श्रीमती सावित्री श्याम :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पटरी पर रहने वालों की कुल संख्या क्या है;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में लखनऊ और कानपुर जैसे छोटे नगरों में भी पटरी पर रहने वाले लोग हैं, यदि हां, तो उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) क्या उक्त सभी जरुरतमन्द लोगों को आश्रय-स्थल उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क)

दिल्ली	लगभग	7,000
बम्बई	लगभग	59,000
कलकत्ता	लगभग	49,000
मद्रास	लगभग	9,000

(ख) अपेक्षित सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

(य) राज्य सरकारें गन्दी वस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना के अधीन रैन बसेरों का निर्माण करके बेघर लोगों को वास देने हेतु परियोजनाएं बनाने के लिये सक्षम हैं। औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों के लिए सहायता प्राप्त एकीकृत योजना के अधीन ऐसे लोगों के लिए मकान बनाने के लिये भी राज्य सरकारें सक्षम हैं। ये योजनाएं राज्य क्षेत्र में हैं तथा राज्य प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई खण्ड सहायता में से अपनी आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं के अनुसार इन योजनाओं के लिए निधियों का नियतन करने की उनको स्वतन्त्रता है।

साल्बोनी बाजार, मिदनापुर में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में आग लग जाना

4658. श्री वरके जार्ज :

श्री नवल किशोर शर्मा :

क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 28 फरवरी, 1973 को मिदनापुर के निकट साल्बोनी बाजार में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में आग लग जाने के कारणों की जांच की गई थी; और

(ख) आग से अनुमानतः कितनी हानी हुई और उस आग के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा आग के कारणों की जांच की जा रही है और केवल जांच पूरी होने के बाद ही जिम्मेदारी यदि कोई हो, निर्धारित की जा सकती है। सफाई का कार्य समाप्त होने के बाद हानि के परिमाण का अन्दाजा लगाना सम्भव हो पाएगा। जिस दिन आग लगी थी, गोदाम में रखे गए खाद्यान्नों, चीनी, तोरिये के तेल और बोरियों का स्टाक इस प्रकार था :—

खाद्यान्य	440.5 मी० टन
चीनी	3.0 मी० टन
तोरिए का तेल . . .	4.7 मी० टन
बोरियां	4,500 अदद ।

1970 से 1972 तक कलकत्ता बन्दरगाह में आने वाले जहाज

4659. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता बन्दरगाह में इस समय सामान्यता हर मास औसतन कितने जहाज ठहरते हैं;

(ख) वर्ष 1970, 1971 तथा 1972 में कलकत्ता बन्दरगाह में कुल कितने जहाज ठहरे; और

(ग) उनमें से कितने यात्री जहाज थे और कितने पूर्णतया मालवाही जहाज थे ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) इस समय कलकत्ता पत्तन पर प्रति मास औसतन लगभग 100 जहाज ठहरते हैं।

(ख) और (ग) : सूचना नीचे दी गई है :—

वर्ष	यात्री एवं मालपोत	पूर्णतया मालपोत	योग
1970	18	1076	1094
1971	18	1174	1192
1972	24	1185	1209

दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की गतिविधियां

4660. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विद्यालय के परिसर में हुई उन घटनाओं के बारे में पता है जहां इन संस्थाओं को राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ द्वारा हस्तक्षेप करने के परिणामस्वरूप एक लम्बी अवधि तक बन्ध करना पडा; और

(ख) यदि हां, तो बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघों की गतिविधियों को रोकने के लिए मन्त्रालय ने क्या प्रभावी कार्यवाही की है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) वर्तमान शिक्षा वर्ष के ौरान, दिल्ली विश्वविद्यालय और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को, उनके कैम्पस में हिंसा की घटनाओं तथा अशांत वातावरण के कारण कुछ समय तक बन्द करना पडा था। विद्यार्थी परिषद और स० यु० ज० स० के साथ तथाकथित सम्बन्ध रखने वाले कुछ छात्रों को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में हुई गड़बड़ से सम्बद्ध बताया गया था। तथापि, इन विश्वविद्यालयों के कार्य में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के हस्तक्षेप के बारे में सरकार के पास कोई निश्चित सूचना नहीं है।

(ख) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने अपनी उस अनुमती को रद्द करने का फैसला किया है जिसके अधीन रा० स्व० सं० कैम्पस में भवन का उपयोग कर रहा और उसे खाली कराने के लिए दीवानी मुकद्मा दरज किया है। मामला अभी तक अदालत में अनिर्णित पड़ा है।

हल्दिया में जहाज बनाने के लिये शिपयार्ड की स्थापना की सिफारिश करने हेतु समिति

4661. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** :

श्री ज्योतिर्मय बसु :

क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के हल्दिया स्थान पर जहाज बनाने के लिए शिपयार्ड की स्थापना की सम्भावना की शिफारिश करने अथवा सम्भावना का पता लगाने के लिए किसी समिति की स्थापना की गई है,

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने कौनसी नवीनतम रिपोर्ट उपलब्ध करायी है; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में किन्हीं प्रस्ताओं को स्वीकार किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) से (ग) हल्दिया में शिपयार्ड की स्थापना के प्रश्न पर गहन रूप से अध्ययन करने के लिए गठित कार्य दल की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है । कार्य दल की सिफारिशों पर सरकार विचार कर रही है ।

शाहदरा, दिल्ली में कुष्ट रोग संस्थानों का विलयन

4662. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहदरा, दिल्ली में तीन कुष्ट रोग संस्थानों के विलयन के सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु): (क) और (ख) आनन्दग्राम और तहीरपुर स्थित कुष्ट बस्तियों को मिलाने का एक सुझाव प्राप्त हुआ था । इस बारे में अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है ।

रत्नगिरि का मुख्य पत्तन के रूप में विकास

4663. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** :

श्री एस० आर० दामाणी :

क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने रत्नगिरी का मुख्य पत्तन के रूप में विकास करने के लिए केन्द्र को अभ्यावेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) हाल ही में विचार विमर्श के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने रत्नगिरी का बड़े पत्तन के रूप में विकास का विचारार्थ सुझाव दिया था परन्तु महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक केन्द्रीय सरकार को कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं भेजा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एफ० सी० आई० के अन्तर्गत श्रमिक संघ को मान्यता देना

4664. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एफ० सी० आई० के अन्तर्गत से बड़ श्रमिक संघ को अभी तक मान्यता नहीं मिली है; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे):(क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम में दो प्रमुख कर्मचारी यूनियन हैं अर्थात् (1) अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार खाद्य कर्मचारी एसोसिएशन और (2) भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन । भारतीय खाद्य निगम ने सेवा सम्बन्धी मामलों में बातचीत करने के सीमित प्रयोजन हेतु एसोसिएशन और यूनियन दोनों को ही वास्तविक मान्यता दे रखी है । यूनियन वास्तविक मान्यता का लाभ उठाती रही है लेकिन अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार खाद्य कर्मचारी संघ में विघटन होने के फलस्वरूप दो ग्रुप बनने से इस एसोसिएशन की वास्तविक मान्यता 13-7-72 को उस समय तक के लिए समाप्त कर दी गई जब तक कि बहुमत वाले

ग्रुप का प्रतिनिधित्व न हो। अखिल भारतीय स्तर पर अभी यह सिद्ध होना है कि इन दोनों ग्रुपों में किसका बहुमत है लेकिन निगम ने पत्र व्यवहार करने का मार्ग खोलने के लिए उत्तरी क्षेत्र को इस एसोसिएशन को वास्तविक मान्यता देने का निर्णय किया है और अन्य जोनल/क्षेत्रीय प्रबन्धकों आदि को आदेश दिए हैं कि वे उन क्षेत्रों में जहां बिना किसी संदेह के जिस ग्रुप के बहुमत होने की जानकारी हो वह उसे अन्तरिम उपाय के रूप में वास्तविक मान्यता के आधार पर पत्र-व्यवहार करें।

अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दे रहे सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता

4665. **श्री श्याम सुन्दर महापात्र** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन सांस्कृतिक संगठनों को वित्तिय सहायता देने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिनका ध्येय और उद्देष्य बड़े पैमाने पर भाषायी दिक्कतों को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्बन्धों ो बढ़ावा देना है;

(ख) क्या उडीसा में ऐसा कोई संगठन है जिसको केन्द्रीय सरकार से सहायता मिलती है; और

(ग) क्या सरकार के सान्निध्य में कोई अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक केन्द्र खोले जा रहे हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा सांस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) उड़ीसा की उन सांस्कृतिक संस्थाओं/संगठनों की सूची संलग्न है, जिन्हें विभिन्न कार्यों के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4606/73**]

Misuse of Grant-in-Aid to All India Blind Relief Society and Dr. Bhagwan Das Memorial Trust

4666. **Shri Chhatrapati Ambesh :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4846 on the 18th December, 1972 and state :

(a) whether Delhi Administration is making investigation into the irregularities found in the accounts of the Akhil Bharat Netra Sudhar Sangh and Dr. Bhagwandas Smarak Trust 2-F, Lajpat Nagar, New Delhi-24 in order to take action against the management of the, said Institution ;

(b) if so, the decision taken by Delhi Administration ; and

(c) if no decision has been taken, the reasons therefor.

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri Kondajji Basappa) : (a) Yes, Sir.

(b) & (c) The matter is being examined by the Delhi Administration.

नरेना से केन्द्रीय सचिवालय के लिए विशेष बस सेवा

4667. **श्री बी० के० दास चौधरी** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० की कालोनी नरेना के निवासियों ने दिल्ली परिवहन निगम और मंत्रालय से भी अनेक अनुरोध किये है कि नरेना से केन्द्रीय सचिवालय के लिए रूट नं० 47 पर प्रातः लगभग 9.45 बजे और सायंकाल वापसी के लिए लगभग 5.15 बजे विशेष सेवा का प्रबन्ध किया जाये;

(ख) क्या इस मांग पर अब विचार कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसकी पूर्ति कब तक की जाएगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना): (क) और (ख): जी हां।

(ग) नरैना और केन्द्रीय सचिवालय के बीच दिल्ली परिवहन निगम सीधी बस सेवा (रूट नं० 5-डी) चला रहा है। और निगम द्वारा किये गये सर्वेक्षण के अनुसार इस सेवा से नरैना के निवासियों और केन्द्रीय सचिवालय के इर्दगिर्द काम करने वालोंकी आवश्यकताओं की पर्याप्त रूप से पूर्ति हो रही है। इसके अलावा नरैना और शादीपर डिपो के बीच नीयमित शटल सेवा है। शादीपुर डिपो एक बड़ा अन्तिम स्थान है और जहां से केन्द्रीय सचिवालय के इर्दगिर्द सहित विभिन्न दिशाओं के लिए बसें उपलब्ध है। अत: नरैना और केन्द्रीय सचिवालय के बीच रूट नं० 47 पर विशेष सेवा चलाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

डी० डी० ए० की नरैना कालोनी के लिए शमशान घाट

4668. श्री बी० के० दासचौधरी :

श्री नरेन्द्र सिंह बिष्ट : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० नरैना कालोनी, नई दिल्ली-14 में शमशान घाट के लिए इस बीच कोई स्थान नियत कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो वह कहां पर है और इसको कब तक बना दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने डी० डी० ए० को परामर्श दिया है कि वह यहां के निवासियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए नरैना क्षेत्र में एक उपयुक्त स्थान नियत करें तथा शीघ्र विकसित करें ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) यह स्थल पूसा इन्स्टिट्यूट के दक्षिण पूर्व रिज क्षेत्र के दामन में स्थित है। स्थल का विकास दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाएगा तथा इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि यह कब तक पूरा हो जाएगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

डी० डी० ए० कालोनी, नरैना, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए इमारत

4669. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० डी० ए० की कालोनी नरैना, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय की इमारत के लिए जिसका निर्माण मन्त्रालय द्वारा किया जायेगा, भूमि का एक प्लाट नियत कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इमारत के कब तक बनाये जाने की सम्भावना है; और

(ग) जिस फ्लैट में औषधालय है वहां जगह बहुत ही अपर्याप्त है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) नरैना में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने एक प्लाट नियत किया है जिसका भुगतान स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने पहले ही कर दिया है। परन्तु चूंकि दिल्ली नगर निगम द्वारा लगाए गए बिजली के कुछ खम्भे प्लाट के अन्दर की तरफ आने के कारण प्लाट के लेआउट प्लान के पुनर्सर्वेक्षण की आवश्यकता है और इस सर्वेक्षण के बहुत जल्दी पूर्ण होने की सम्भावना है, अतः औषधालय के निर्माण में कुछ समय लग जाएगा।

(ख) भवन का निर्माण कब तक हो जाएगा इसकी निश्चित तिथि के बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उपर्युक्त औपचारिकतायें पूरी होनी बाकी हैं।

(ग) जिन फ्लैटों में केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना औषधालय चल रहा है वे अपर्याप्त नहीं हैं।

दिल्ली की नरैना कालोनी में दुग्ध बूथों की स्थापना

4670. **श्री बी० के० दासचौधरी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने नरैना कालोनी में आई ब्लाक में दिल्ली दुग्ध योजना के अनुसार एक दुग्ध बूथ बनाया है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली दुग्ध योजना के बीच इसकी निर्माण लागत के भुगतान के बीच हो रही खींचतान के कारण उस दुग्ध बूथ से अभी दूध का वितरण शुरू नहीं हुआ है, जिस कारण वहां के निवासियों को बडी असुविधा हो रही है ;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नरैना कालोनी में कुछ और स्थानों पर दुग्ध बूथ बनाने का नक्शा पास किया है ; और

(घ) यदि हां, तो कितने, वह कहां पर बनाये जायेंगे और इन दुग्ध बूथों से वहां के निवासियों को कब तक दूध मिलना शुरू हो जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण से कब्जा मिलते ही दिल्ली दुग्ध योजना इस दुग्ध बूथ को चालू कर देगी।

(ग) और (घ) : जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नरैना कालोनी के निम्नलिखित ब्लाकों में 5 अतिरिक्त दुग्ध बूथ स्थापित करने के लिए नक्शे पास कर दिए हैं :—

1. एच ब्लाक — क्वार्टर नं० 417—440 के सामने
2. ए ब्लाक —क्वार्टर नम्बर 17 के पीछे
3. सी ब्लाक—क्वार्टर नम्बर 6—43 के सामने
4. ई ब्लाक —क्वार्टर न० 26—38 के बीच
5. कालोनी से बाहर स्कूल के लिए निर्धारित खुले स्थान पर।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उपरोक्त स्थानों पर अभी तक दुग्ध बूथों का निर्माण नहीं किया है। इन बूथों का निर्माण होने और निवासियों की दूध की मांग तथा दुग्ध उपलब्धी का अनुमान लगाने पर ही इन बूथों से दुग्ध पूर्ति करने का प्रश्न उठेगा।

नई दिल्ली की विभिन्न कालोनियों से मिन्टो रोड क्षेत्र में क्वार्टरों को बदलना

4671. श्री बी० के० दासचौधरी : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली के मिंटो रोड क्षेत्र में टाईप 11 के कुछ क्वार्टर तैयार हैं; और

(ख) यदि हां, तो ये क्वार्टर कितने हैं और क्या नई दिल्ली की विभिन्न कालोनियों से मिन्टो रोड क्वार्टर बदल ने के लिए बहुत से व्यक्ति प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ग) क्या उन व्यक्तियों को ये सभी क्वार्टर बदले में आबंटित कर दिए जाएंगे और मकान बदलने के लिए इंतजार कर रहे सभी व्यक्तियों को ये क्वार्टर दे दिये जाएंगे; और

(घ) यदि हां, तो ये क्वार्टर कब तक आबंटित किए जाएंगे और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, नहीं । मिन्टो रोड क्षेत्र में टाइप 11 के 160 क्वार्टर निर्माणाधीन हैं तथा उनके 31 अगस्त 1973 तक तैयार हो जाने की आशा है ।

(ख) अन्य कालोनियों से मिन्टो रोड क्षेत्र में टाइप 11 में आने के लिए फिलहाल 85 व्यक्ति अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ग) तथा (घ) : 60 क्वार्टर स्वास्थ्य मन्त्रालय को दिए जाने हैं तथा शेष 100 क्वार्टरों का उपयोग मिन्टो रोड क्षत्र के उन क्वार्टरों के आबंटियों जो उठाने के लिए किया जाएगा जिन्हें क्षेत्र के पुनर्विकास के लिए गिराया जाना है ।

Central Foreign Breed Cattle Centre in Madhya Pradesh

4672. Shri G. C. Dixit :
Shri Rana Bahadur Singh :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to set up a Central Foreign Breed Cattle Centre in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, when and where this Centre will be set up ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

Rice Exported from Chhatisgarh, M. P.

4673. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of rice exported to foreign countries from Chhatisgarh area of Madhya Pradesh during 1971-72 and 1972-73 uptil now ; and

(b) the amount of foreign exchange earned by Government there from duirng the said period ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) No rice from Chhatisgarh area has been exported to foreign cournties.

(b) Does not arise.

Export of Banana grown in Madhya Pradesh and Maharashtra

4674. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the variety of Banana for export is grown in Maharashtra and Madhya Pradesh States under the sponsored scheme approved in Fourth and Fifth Five Year Plan; and

(b) if so, quantity and value of export during 1972-73?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) A Centrally Sponsored Scheme for the development of exportable varieties of banana in areas around major ports is being implemented in the Fourth Five Year Plan in 8 States including Maharashrtra. It has not however been taken up in Madhya Pradesh on account of the distance from the nearest port. Proposals for the Fifth Five Year Plan have not yet been finalised.

(b) The relevant information is being collected and will be placed on the table of the Sabha.

Setting up of Banana Development Corporation

4675. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 273 on the 1st December, 1972 regarding Export of bananas and state :

(a) whether Central Government have under their consideration any proposal for setting up the Banana Development Corporation ; and

(b) if so, its composition, location and financial position ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Yes, Sir. The proposal for setting up the Banana Development Corporation is under consideration of the Government of India.

शिक्षा में केन्द्रीय उत्तरदायित्व की जांच करने के लिए उप समिति की स्थापना

4676. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान संवैधानिक ढांचे के अनुरूप शिक्षा में केन्द्रीय उत्तरदायित्व की जांच करने के प्रश्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा गया था और उक्त आयोग के चेयरमैन को इस बारे में उप-समिति गठित करने का प्राधिकार दिया गया था ।

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उक्त समिति की स्थापना की है; यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन द्वारा गठित उपसमिति के सदस्यों के नाम तथा पते क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और समिति की स्थापना कब तक की जाएगी ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन): (क) से (ग): केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 18–19 सितम्बर, 1972 में हुई 36 वीं बैठक में इस आशय का एक संकल्प पेश किया गया था कि शिक्षा के बारे में केन्द्र के उत्तरदायित्व की, बोर्ड की एक उप-समिति जाँच करे। चर्चा के दौरान यह बात भी उठाई गई थी कि शिक्षा के क्षेत्र में केन्द्र के कार्यक्षेत्र को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के मंच का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी, मौजूदा संविधानिक स्थिति के कार्य संचालन में यदि किसी प्रकार की कठिनाइयां हो तो उनकी जांच की जाए। अत: यह निर्णय किया गया था कि इस मामले पर विचार करने के लिए इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया जाना चाहिये। तदनुसार ऐसा कर दिया गया है तथा आयोग उस पर विचार कर रहा है।

पहाड़ी क्षेत्रों की शिक्षा समस्याओं पर समिति का गठन करना

4677. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों की शिक्षा समस्याओं पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति गठित की थी, यदि हां, तो उक्त समिति कब गठित की गई थी;

(ख) क्या पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहाड़ी क्षेत्रों में शिक्षा के सम्बन्ध में योजना आयोग को औपचारिक रूप से सिफारिशें करने के लिए उक्त समिति की कोई औपचारिक बैठक हुई है;

(ग) यदि नहीं, तो बैठक न करने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने ऐसी कोई अन्य समिति/समितियां गठित की हैं जिन की अभी तक कोई औपचारिक बैठक नहीं हुई; यदि हां, तो उस समिति/उन समितियों के नाम क्या हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, हां । समिति 3 अगस्त 1972 को स्थापित की गई थी ।

(ख) अभी तक नहीं ।

(ग) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड का सचिवालय आवश्यक आंकड़े एकत्रित और कार्य-पेपर तैयार कर रहा था, जो अब तैयार है । समिति की बैठक शीघ्र होने वाली है ।

(घ) जी, हां । अनौपचारिक शिक्षा सम्बन्धी समिति की भी अभी तक बैठक नहीं हुई है । इसमें विलम्ब का कारण भी बुनियादी आंकड़े एकत्रित करना और कार्य पेपर तैयार करना था । अब यह तैयार है और समिति की बैठक शीघ्र ही होने वाली है ।

केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड और भिन्न भिन्न राज्यों के समाज कल्याण बोर्ड

4678. **श्री नारायण चन्द पाराशर :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की वर्तमान रचना का ब्योरा क्या है और इस के कार्य करने का ढंग क्या है;

(ख) भारत के विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण बोर्ड की रचना का ब्योरा क्या है और इनकी रचना की क्या प्रक्रिया है; और

(ग) इन बोर्डों द्वारा मुख्य कार्य किए जाते हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संरचना अनुबन्ध में दी गई है । इसका कार्य इसके एसोसिएशन के अनुच्छेदों द्वारा विनियमित है ।

(ख) राज्य समाज कल्याण बोर्ड राज्य सरकार द्वारा गठित किया जाता है । राज्य समाज कल्याण बोर्ड के आधे सदस्य राज्य सरकार द्वारा तथा आधे केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा मनोनीत किये जाते हैं । अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के परामर्श से चुना जाता है ।

(ग) इन बोर्डों की मुख्य कार्यवाहियां बाल कल्याण, स्त्रियों के कल्याण तथा विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के अन्तर्गत आती हैं ।

विवरण

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की साधारण समिति में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) प्रत्येक राज्य सरकार से एक स्त्री प्रतिनिधि और बारी बारी से सभी संघ राज्य क्षेत्रों से तीन (राज्य सरकारों से अनुरोध करना चाहिये कि वे उन लोगों में से अपने प्रतिनिधियों को नामांकित करें जो स्वयंसेवी समाज कल्याण संगठनों तथा राज्य समाज कल्याण बोर्ड के साथ काम करने का अनुभव रखते हों)।

17+3 = 20

(ख) 2 समाज वैज्ञानिक (समाज कार्य शिक्षक) —2 समाज कल्याण प्रशासक और 5 प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता जो भारत सरकार द्वारा नामांकित किए जाते हैं।

2+2+5 = 9

(ग) अखिल भारतीय स्तर के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ताओं में से सरकार द्वारा एक अध्यक्ष, अधिमानतः एक स्त्री, नामांकित की जाती है।

= 1

(घ) वित्त, स्वास्थ्य, सामुदायिक विकास, शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालयों से एक एक प्रतिनिधि तथा एक योजना आयोग से; और

= 6

(ङ) अध्यक्ष लोक सभा तथा अध्यक्ष, राज्य सभा द्वारा क्रमशः लोक सभा से दो सदस्य और राज्य सभा से एक सदस्य नामांकित किया जाते हैं।

= 3

39

बागवानी के संवर्धन के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता

4679. **श्री नारायण चन्द पाराशर** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बागवानी के संवर्धन के लिए विभिन्न राज्यों को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में राज्यों को किस प्रकार की सहायता दी गई है ?

कृषि मंत्राय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केले और अखरोट की निर्यात योग्य किस्मों के विकास के लिए बागवानी के संवर्धन हेतु राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जा रही है।

(ख) राज्यों को केन्द्रीय सहायता अनुदान के रूप में दी जाती है जिससे कि वे निम्नलिखित ब्योरे अनुसार कृषकों को दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता के व्यय को पूरा कर सकें :—

(1) निर्यात के लिए फल (केला) उत्पादन के विकास की योजना

मद	सहायता का प्रतिमान
प्रदर्शन	100 प्रतिशत
कीटनाशी	50 प्रतिशत
स्प्रेयर्स	50 प्रतिशत
तकनीकी कर्मचारी	100 प्रतिशत

(2) निर्यात के लिए अखरोट उत्पादन के विकास की योजना

मद	सहायता का प्रतिमान
कीटनाशी	50 प्रतिशत
रोपण सामग्री	50 प्रतिशत
बाड़ें लगाने की सामग्री	50 प्रतिशत
स्प्रेयर्स	50 प्रतिशत
तकनीकी कर्मचारी	100 प्रतिशत

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन करना

4680. श्री अनादि चरण दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होम्योपैथी में शिक्षा का एक समान स्तर बनाने और पंजीकरण के निश्चित सिद्धांत बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या देश में होम्योपैथी के समुचित उत्थान और विकास के लिए एक केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् का गठन करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) और (ख) : जी, हां ।

(ग) होम्योपैथी की शिक्षा का एक समान स्तर तैयार करना तथा होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीकरण करना केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद के मुख्य कार्य होंगे । होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर में चिकित्सकों का पंजीकरण होने से एक तो इस चिकित्सा कार्य को वे लोग नहीं कर सकेंगे जो इस पद्धति में अर्हता प्राप्त नहीं है दूसरे जो इस कार्य को करेंगे उन्हें इस व्यवसाय की आचार संहिता का पालन भी करना होगा ।

महानगरों में पेय-जल का बेकार जाना

4681. श्री अनादि चरण दास : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में महानगरों में लीक होने तथा पाईपों के जोड़ों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण पेय जल का एक भाग बेकार बह जाता है; और

(ख) यदि हां, इस लीकेज को रोकने तथा पेय जल को बरबाद होने से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) यह सच है कि लीक होने से तथा त्रुटिपूर्ण जोडों के कारण वितरण पद्धति में कुछ प्रतिशत पानी की बेकार बह जाता है । यह हानि हर शहर में अलग अलग है तथा कई कारणों पर निर्भर है जैसे नलों की अवस्था, जोड़ों के प्रकार, कारीगरी, अनुरक्षण की क्वालिटी आदि । विभिन्न महानगरों में ऐसी हानियों की प्रतिशतता मालूम नहीं है । तथापि बृहत्त बम्बई की वितरण पद्धति के कुछ भागों में किए गए परीक्षणों के आधार पर, केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, नागपुर ने लीक होने के कारण पानी की क्षति को लगभग 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक निर्धारित किया है ।

(ख) क्षति को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(i) मिट्टी की स्थानीय प्रतिक्रिया को प्रभावहीन करने के लिए पाइपों पर उपयुक्त विलेप किए जाते हैं ।

जलावर्त प्रवाह का मुकाबला करने के लिए अपनाए गए कदमों में से कैथोडिक प्रोटेक्शन भी एक हैं ।

(ii) कुछ बड़े शहरों में रिसाव को खोजने के लिए विशेष टुकड़ियां हैं जो उनका सर्वेक्षण तथा मरम्मत करती हैं ।

(iii) निर्माण और आवास मन्त्रालय का केन्द्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा एनवायरनमेन्टल इंजीनियरिंग संगठन लीक होने के स्थानों की खोज करने तथा उन्हें रोकने के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्य-क्रमों का आयोजन कर रहा है ।

कुछ राज्यों में जंगली भैंसों को बचाने की योजना

4682. **श्री जी० वाई० कृष्णन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मैसूर, तमिलनाडु और केरल के बनों में जंगली भैंसों को बचाने के लिए कोई योजना प्रस्तुत की है ;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रयोजन के लिए कोई विशेष धनराशि स्वीकृत की है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह) : (क) जी, नहीं । इन राज्यों में कोई जंगली भैंसें नहीं हैं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

आयातित अनाज के लिए रुपये लेने हेतु वाणिज्यिक बैंकों से सम्पर्क

4683. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयातित अनाज के लिए रुपया लेने हेतु वाणिज्यिक बैंकों से सम्पर्क स्थापित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : भारतीय खाद्य निगम ने विदेशों से आयात समेत खाद्यान्नों की सभी खरीदारी का भुगतान करने के लिए भारत के स्टेट बैंक के साथ आवश्यक नकद ऋण प्रबन्ध कर रखे हैं ।

गेहूं कर वसूल करने में भारतीय खाद्य निगम की क्षमता के बारे में मध्य प्रदेश सरकार की शंका

4684. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने भारतीय खाद्य निगम की राज्य में गेहूं कर वसूल करने की क्षमता के बारे में शंका प्रकट की है ;

(ख) राज्य सरकार ने इस बारे में किस विकल्प का सुझाव दिया है ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) राज्य सरकार की भारतीय खाद्य निगम की क्षमता के बारे में कुछेक धारणाएं थी और इसलिए उन्होंने राज्य व्यापार निगम गठित करने का सुझाव दिया था जिसमें भारतीय खाद्य निगम से प्रतिनियुक्ति पर लिया गया राज्य सरकार का अपना स्टाफ होगा। प्रस्तावित प्रबन्ध करने की सम्भावन का प्रश्न विचाराधिन है।

Amount for Development of National Highways in Madhya Pradesh during Forth Five Year Plan

4685. **Shri Shrikrishna Agrawal** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount sanctioned for the development of National Highways in Madhya Pradesh during the Fourth Five Year Plan;

(b) the amount, out of it, utilised so far; and

(c) whether the said amount has not been fully utilised and if so, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Shipping & Transport (Shri M. B. Rana): (a) to (c) Based on the final requirements intimated by the State Government themselves, an amount of Rs. 241.21 lakhs was sanctioned during the period from 1969-70 to 1971-72. Against this an expenditure of Rs. 250.76 lakhs was incurred by the Government of Madhya Pradesh during this period.

During 1972-73, an expenditure of Rs. 125.43 lakhs has been reported by the State Government upto end of December 1972. To cover this expenditure and the anticipated expenditure during the months from January to March 1973, it is proposed to allot on the basis of the final requirements for approved works intimated so far by the State Government themselves, a sum of Rs. 317.25 lakhs for the year 1972-73.

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हर जिले में कृषि स्कूल खोलना

4686. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हर जिले में कृषि स्कूल खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है ;

(ख) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इस योजना के कार्यान्वियन को कोई प्राथमिकता दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

NEGOTIATIONS FOR EXPORT OF GOOD QUALITY SEEDS

4687. **Shri Shiv Kumar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are negotiating with some foreign countries for exporting good variety of seeds; and

(b) if so, the names of those countries and the quantity of seeds to be exported to them?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasahib P. Shinde) (a) & (b) The National Seeds Corporation, a Government of India, undertaking, has received trade enquiries from some countires for export of seeds. Details regarding the

names of countries, quantities of seeds for which trade enquiries have been received are given in the Statement appended. The Corporation has furnished the terms and rates and is waiting for their response.

STATEMENT

Sl. No.	Country	Name of Seed and Variety	Quantity
1	Burma	Vegetable seeds	998 kgs.
2	Iraq	Maize Composite (Vijay)	50,000 ,,
3	Holland	Wheat	800 ,,
		Vegetable	410 ,,
		Pulses	200 ,,
4	Poland	Wheat	160 ,,
5	Amman (Jordan)	Maize Composite (Vijay)	1,000 ,,
6	Mauritius	Vegetable	155·55 ,,
7	Egypt	Peas seeds	10 ,,
8	Laos	Vegetable seeds	162 ,,
9	Malaysia	Sorghum Swarna	5 ,,
		Maize Composite (Vijay)	3 ,,
10	USSR	Castor	100 ,,
11	Lebanon	Onion seed	50 ,,

Construction of Houses for poor People in Delhi

4688. **Shri Shiv Kumar Shastri :** Will the Minister of **Work and Housing** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to construct one lakh houses in Delhi for poor peple; and

(b) if so, the cost of those houses, the time to be taken in their construction and the terms on which those houses would be handed over to the poor peple?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) No, Sir. No such decision has been taken. However, construction of houses/flats has been undertaken by Delhi Administration, Delhi Development Authority and the local bodies under the various social housing schemes, introduced by the Ministry of Works and Housing, for the benefit of persons in the lower income groups.

(b) Does not arise.

मध्य प्रदेश के व्यापारियों द्वारा सूखा स्थिति का अनुचित लाभ उठाना

4689. **श्री डी० के० पंडा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन शिकायतों की ओर दिलाया गया है कि मध्य प्रदेश के कुछ व्यापारी सूखा स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे): (क) और (ख) भारत सरकार को मध्यप्रदेश में कुछ व्यापारियों द्वारा सूखे की स्थिति से अनुचित लाभ उठाने के बारे में कोई भी विशिष्ट रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, जमाखोरी और चोर बाजारी करने पर व्यापारियों के विरूद्ध की गई कार्यवाही के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। सूखे की स्थिति के कारण कृत्रिम कमी को रोकने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से खाद्यान्नों के सरकारी वितरण को अधिक तेज कर दिया है और समाज विरोधी गतिविधियों में लगे हुये व्यापारियों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही कर रही है।

पंजीकृत चिकित्सक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी चिकित्सा सेवा

4690. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजीकृत चिकित्सक योजना के अन्तर्गत ग्रामीण लोगों की भारी संख्या को अच्छी चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधिन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) जी हां।

(ख) इस योजना को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

बच्चों की मृत्यु दर

4691. **श्री राजदेव सिंह :**

श्री फतेहसिंहराव गायकवाड़ :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बच्चों में कुपोषण के बारे में कराये गये राष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चलता है कि देश में 20 से 25 प्रतिशत बच्चों का पालन पोषण अपर्याप्त है ;

(ख) क्या कुपोषित बच्चों में मृत्यु दर अधिकतम है क्योंकि उनको रोग और दस्त, खून की कमी और पेट की गड़बड़ जैसी खराबियां अधिक होती है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) और (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या मृत्यु दर के अनुसार 600 लाख कुपोषित बच्चों में से लगभग 400,000 बच्चे आगामी तीन महीनों में मर जायेंगे ; और

(घ) इन दुर्भाग्यशाली बच्चों को बचाने के लिए सरकार का विचार तुरन्त क्या कार्यवाही करने का है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री के० ए० किस्कु) : (क) कुपोषण के बारे में कोई राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् के तत्वाधान में देश के छः केन्द्रों में निम्न-आय वर्ग में आने वाले लोगों के स्कूल जाने से पूर्व की आयु के लगभग 18,000 बच्चों का सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से पता चला था कि इनमें से करीब 30 प्रतिशत बच्चे एक अथवा अधिक कुपोषण संबंधी रोगों से पीड़ित हैं।

(ख) जी हां।

(ग) कुपोषित बच्चों की मृत्यु दरें उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) बच्चों के पौषणिक स्तर में, विशषतया निम्न सामाजिक-आर्थिक वर्ग बच्चों में, सुधार करने के लिए सरकार निम्नलिखित कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है :

(1) आदिवासी तथा नगरों की गन्दी बस्तियों के बच्चों के लिए विशेष पोषण कार्यक्रम।

(2) संयुक्त पोषण कार्यक्रम तथा बालवाड़ी आहार कार्यक्रम—इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में नर्सरी स्कूलों के स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों को स्थानिय साधनों पर आधारित पूरक आहार दिया जाता है।

(3) स्कूल के बच्चों के लिए दोपहर के भोजन का कार्यक्रम।

(4) गर्भवती महिलाओं और बच्चों में पौषणिक रक्तक्षीणता से बचाव कार्यक्रम जिसमें उनकी लोहे और फ़ालिक एसिड की दैनिक आहार की आवश्यकता पूरी की जाती है।

(5) ऐसे क्षेत्रों में जहां स्कूल जाने से पूर्व की आयु के बच्चों में विटामिन 'ए' की अत्यधिक कमी बताई गई है, वहां इस कमी को बढ़ने से रोकने के लिए बचाव कार्यक्रम।

पर्यावरण दूषण

4693. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों में सरकारी नेताओं तथा सार्वजनिक संगठनों द्वारा पर्यावरण दूषण के बारे में काफी सोच विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई अनुवर्ती कार्यवाही का कार्यक्रम बनाया गया है ;

(ग) क्या बड़े पैमाने पर शिक्षा द्वारा लोगों को सचेत करने तथा शिक्षा के प्रत्येक चरण पर इसे पाठ्यचर्या का अंग बनाकर पर्यावरण दूषण की बुराई का बड़ी सीमा तक मुकाबला किया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार राज्य सरकारों को भी ऐसी ही सिफारिश करने का है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) से (घ) देश के पर्यावरण दूषण की समस्या के सम्बन्ध में भारत सरकार सजग है। कुछ सार्वजनिक संगठन भी इन समस्याओं में रुचि लेते हैं। अक्तूबर, 1970 में, मानवीय रहन-सहन के स्थानों के पर्यावरणिक पहलुओं, प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रबन्ध करने तथा पर्यावरणिक अपदूषण से सम्बन्धित समस्याओं पर एक राष्ट्रीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिवालय में मानवीय पर्यावरण पर एक समिति का गठन किया गया था। फरवरी, 1972 में भारत सरकार ने पर्यावरणिक अयोजना तथा समन्वय पर एक राष्ट्रीय समिति की स्थापना की जिसमें पर्यावरण के सभी पहलुओं का निरन्तर पुनरीक्षण करने तथा पर्यावरणिक संरक्षण और सुधार के समस्त पहलुओं पर सरकार को सिफारिशें देने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्य सम्मिलित किए गए हैं।

औद्योगिक विकास मंत्रालय ने औद्योगिक लाइसेंसों के आवेदन पत्रों के अनुलग्नक 1 में एक नई धारा शामिल की है जिसमें आवेदक से यह पूछा जाता है कि प्रवाहित होने वाले द्रव्यों तथा गैसों से वायुमण्डल, जल तथा थल में सुरक्षा की निर्धारित सीमा का उल्लंघन न हो यह सुनिश्चित करने के लिए उस दवारा कौन से प्रयत्न किए जाने का प्रस्ताव है।

भारत सरकार ने भी देश में वन्यजीवन के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं।

वायुमण्डल के दूषण पर नियंत्रण करने के लिए भी कानून बनाने का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। जल-दूषण पर नियंत्रण के लिए जल दूषण निरोधक विधेयक भी संसद में पेश कर दिया गया है।

पर्यावरणिक दूषण संरक्षण तथा सुधार की समस्यायों के प्रति सामान्य जनता में जागरूकता उत्पन्न करने तथा शिक्षा के विभिन्न पठ्यक्रमों में पर्यावरण हिदायते देने के बारे में से पर्यावरणिक दूषण की बुराई का मुकाबला करने में बहुत सहायता मिलेगी।

पर्यावरणिक आयोजना तथा समन्वय पर राष्ट्रीय समिति के बहुत से विषयों में से तीन इस प्रकार हैं :—

(i) प्रकृति संम्बधी ज्ञान को बढ़ाने, जनता में इसके प्रति प्रेम की वृद्धि करने तथा भविष्य के लिए देश में प्रकृति की मूल्यवान सम्पत्ति की सुरक्षा करने की दृष्टि से प्रकृति के समस्त पहलुओं के संरक्षण के लिए परामर्श देना।

(ii) शिक्षा पद्धति के विभिन्न स्तरों पर पर्यावरणिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा उसे सशक्त बनाना।

(iii) सम्मेलनों, सेमिनारों, गोष्ठियों तथा अन्य तरीकों से पर्यावरण की समस्याओं के प्रति जनता में जागरूकता को बढ़ाना तथा प्रोत्साहन देना।

पर्यावरणिक विज्ञान के विकास के लिए विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्ताओं पर विचार करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है।

पर्यावरणिक सुधार तथा प्रकृति संरक्षण के लिए राज्य सरकारों का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। शिक्षा के पाठयक्रम में पर्यावरणिक मामलों में निर्देशन सम्मिलित करने की सिफारिशों पर जब ठोस प्रस्ताव तैयार हो जायेंगे तब केन्द्र द्वारा विचार किया जायेगा।

अनधिकृत मकानों और कालोनियों को नियमित करने के मानदंड

4694. **श्री राम प्रकाश** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में 1950 के बाद के अनेक अनधिकृत मकानों और कालोनियों को नियमित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने में अपनाये गये मानदंड और सिद्धान्त क्या हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) जी, हां।

(ख) मोटे तौर पर स्थिति इस प्रकार है :—

अनधिकृत कालोनियां जो 1-9-1962 के पहले बस गई थीं।

इन कालोनियों के निर्मित क्षेत्रों को अधिग्रहण की सीमा से मुक्त कर दिया था तथा निम्न शर्तों पर नियमित कर दिया गया था;

(i) वे भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के अधीन 13 नवम्बर, 1959 की प्रथम अधिसूचना से पूर्व बनाए गये थ, तथा।

(ii) उनको अनुमोदित नियमितीकरण के नक्शों में स्थान दिया जा सकता था ।

अनधिकृत कालोनियां जो 1-9-62 से 1-2-1967 के दौरान बसीं ।

बृहत्त योजना के भूमि-उपयोग के अनुरूप सभी अनधिकृत निर्माणों । कालनियों के नियमितीकरण सम्बंधी नक्शे दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण दवारा बनाए जायेंगे । भूमि का अर्जन करने के बाद, अर्जन की लागत, विकास तथा अन्य प्रभारों की लागत देने के बाद लागों को मकान । प्लाट दे दिये जायेंगे । तथापि, ऐसी किसी सम्पत्ति के बारे में कोई पट्टा नहीं दिया जायेगा जो बृहत्त योजना के भूमि उपयोग के नमूने के अनुरूप नहीं होंगी अथवा जो पार्कों, सड़कों, स्कूलों चुने हुए स्थलों आदि जैसे सामुदायिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित हो ।

अनधिकृत कालोनियां जो 1-2-1967 के बाद बसीं ।

वर्तमान नीति के अनुसार इन कालोनियों . ो नियमित नहीं किया जाना है ।

दिल्ली परिवहन निगम की पुरानी बसों को बदलने का प्रस्ताव

4695. **श्री राम प्रकाश** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम की सभी पुरानी बसों को बदलने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो इन बसों की संख्या क्या है और उन्हें कब तक बदल दिया जायेगा, और

(ग) दिल्ली की स्थानीय परिवहन आवश्यकताओं को अनुमानत: कब तक पूरा कर लिया जायेगा?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) :

(क) जी, हां ।

(ख) किसी परिवहन उपक्रम में अप्रचलित बसों के स्थान पर नये बसों को लगाना नियमित बात है और मान्य मानकों के अनुसार बस 8 वर्ष के बाद बदली जाती है यदि यह और मितव्ययी प्रयोग के लिए उपयुक्त न समझी जाये । इस कसौटी पर, दिल्ली परिवहन निगम को 1973-74 के अंत तक 405 बसों को बदलना होगा ।

(ग) दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड और योजना आयोग द्वारा उनके प्रस्ताव मान लिये जाने पर दिल्ली की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पांचवे पंचवर्षीय योजना काल के दौरान दिल्ली परिवहन निगम का 2270 अतिरिक्त बसों को प्राप्त करने का प्रस्ताव है (जिसमें 650 पुराने बसों को बदलना शामिल है) । यह अनुमान लगाया है कि पांचवीं योजना काल के अंत तक दिल्ली में नियमित यात्रियों की आवश्यकताओं के लिए 3260 बसों का बेड़ा पर्याप्त होगा । दिल्ली परिवहन निगम के पांचवीं योजना के प्रारूप में दिये गय प्रस्तावों के अनुसार 1978-79 तक उपक्रम के पास इतना बड़ा बेडा हो जायेगा ।

दिल्ली के लिये तुरंत पारगमन पद्धति के लिये प्रस्ताव की योजना आयोग (महानगरीय परिवहन-दल) द्वारा जांच की जा रही है । इस संबंध में रेलवे नमूना सर्वेक्षण कर रहा है ।

इसके साथ साथ दिल्ली परिवहन निगम के बसों के बड़े को बढ़ाने।सशक्त करने से और महत्वपूर्ण सुधार करने होंगें जिसमें राजधानी में सड़कों को चौड़ा करना और व्यस्त इलाकों।केन्द्रों में तेज चलने वालें यातायात के बहाव का नियंत्रण और विनियम शामिल है ताकि नियमित यात्रियों को शीघ्रगामी लोक परिवहन पद्धति को सुविधा मिल सके ।

हिन्दुस्तान टाइम्स, दिनांक 5 जनवरी, 1973 में हार्ड डेज फार टाउट्स, शीर्षक के अन्तर्गत छपा समाचार

4696. **श्री राम प्रकाश :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 जनवरी, 1973 के हिन्दुस्तान टाइम्स में हार्ड डेज फार टाउटस (दलालों के लिये कठिण समय) शीर्षक के अंतर्गत छपे समाचार की और दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० बी० राना) : (क) जी हां ।

(ख) यह संतोष का विषय है कि दलालों की संख्या कम हो गई है । दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि वह उनके कार्यों पर रोक लगाने के लिये और कदम उठा रही है ।

भण्डारण के दौरान खाद्यान्नों की हानि रोकने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा एक संस्थान की स्थापना

4697. **श्री धर्मराव अफजुलपुरकर :**
श्री प्रसन्नभाई मेहता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के खाद्यान्न के वार्षिक उत्पादन का लगभग पांचवा भाग, अर्थात लगभग 190 लाख टन की भण्डारो के दौरान या तो हानि हो जाती है या क्षति हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का खादयान्नोंकी हानि को रोकने के लिए किसी संस्थान के गठन का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :

(क) जी नहीं । अनुमान है कि कटाई के बाद अवैज्ञानिक कार्यकलापों तथा अवैज्ञानिक भडारण के कारण खाद्यान्नों का लगभग 1।10 भाग नष्ट हो जाता है ।

(ख) हा पुड़ में एक अन्न भंडारण अनुसंधान संस्थान मौजूद है । अतः भंडारण के दौरान होने वाली खाद्यान्नों की हानी को रोकने के लिए एक प्रथम संस्थान की स्थापना करने का भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का कोई विचार नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं होता ।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों तथा अधिकारियों के बीच हुए समझौतों की क्रियान्विति

4699. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों ने इस मांग को लेकर आन्दोलन शुरू किया है कि उनके तथा अधिकारियों के बीच हुए समझौतों को क्रियान्वित किया जाये;

(ख) क्या सरकार के अनुमोदन के अभाव के कारण भारतीय खाद्य निगम ने क्रियान्विति में विलम्ब किया है;

(ग) क्या अन्य स्वायत निकायों में ऐसे समझौतों की क्रियान्वित के लिए अनुमोदन लेना आवश्य नहीं है; और

(घ) क्या भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों को व विशेषाधिकार तथा लाभ उपलबध है जो कृषि मंत्रालय के अधीन अन्य निगमों के कर्मचारियों को उपलबध है

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) अखिल भारतीय केन्द्रीय सरकार खाद्य कमचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को पूरा करने के लिए आंदोलन और प्रदर्शन करने संबंधी अपने इरादे के बारे में 19-1-73 को एक नोटिस दिया था।

(ख) और (ग) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवा संबंधी शर्तें भारतीय खाद्य निगम द्वारा बनाये गये स्टाफ विनियमनों द्वारा शासित होती है। उसके लिए केन्द्रीय सरकार की मंजरी, जिसकी खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 के अधीन आवश्यकता होती है, पहले ही ले ली जाती है। स्टाफ विनियमन में सेवा की शर्तों आदि से संबंधित कोई संशोधन करते समय केन्द्रीय सरकार की मंजूरी प्राप्त करना आवश्यक होता है। ऐसे संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर, वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम ब्यूरों और कार्मिक विभाग, जहां कहीं आवश्यक हो, से भी परामर्श कर, गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाता है और अन्तिम निर्णय उसके बाद ही लिया जाता है।

(घ) क्यों कि डयुटी का स्वरूप और सेवा की शर्तों संबंधी नियम प्रत्येक उद्यम में भिन्न-भिन्न हैं इसलिए विभिन्न उद्यमों के कर्मचारियों को समान सुविधा और फायदा होना सम्भव नहीं है।

भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवा की सुरक्षा

4700. **श्री एस० एन० मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की तरह भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षित नहीं है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सर्पलस पूल की भांति इस निगम के लिए भी एक सर्पलस पूल बनाने का सरकार का विचार है ताकि इसके कर्मचारियों को अन्य सरकारी उपक्रमों में खपाया जा सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की सेवा शर्ते खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 के अंतर्गत बनाए गए स्टाफ विनियमन द्वारा शासित होती हैं।

(ग) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

बिहार में ग्रामीण पेय जल योजना के लिए सहायता

4701. **श्री रामावतार शास्त्री** :

श्री कमल मिश्र मधुकर : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने गावों में पेय जल उपलब्ध करने के लिए एक योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मोटी रूपरेखा क्या है;

(ग) क्या बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार से इस प्रयोजन के लिए सहायता का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता):
(क) जी, हां ।

(ख) से (घ)।

बिहार में राज्य प्लान के अधीन ग्रामीण जल सप्लाई के लिये चौथी योजना का परिव्यय 366 लाख रुपये है । राज्य योजना के उपरोक्त कार्यक्रम के अतिरिक्त बिहार सरकार ने 2010.75 लाख रुपये की लागत की एक योजना की रूप-रेखा बनाई है, जो विभिन्न श्रेणियों के ग्रामों को पेय जल उपलब्ध करने के लिए है जिस में उत्तरी तथा दक्षिणी बिहार के मैदानी क्षेत्रों के लिये 40 मि०मी०के व्यास के छिछले नलकुपों का निर्माण, पठारों तथा उप-पठारी क्षेत्र के लिये 12,000 कुएं तथा 3000 चट्टानों में खोदे गये नलकुपों और संकेन्द्रित आबादी वाले 47 ग्रामों को नलों से पानी की सप्लाई की योजनाओं की व्यवस्था है ।

इस कार्यक्रम में से राज्य सरकार के प्रशासकीय अनुमोदन के साथ 250 लाख रुपये की लागत की योजनाएं शतप्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए भेजी गई थी । लगभग 4,000 ग्रामों को लाभ देने वाली 239.41 लाख रुपये की लागत की योजनाएं ग्रामीण जल सप्लाई के त्वरित कार्यक्रम के अधीन स्वीकृत की गई हैं । राज्य सरकार को 94 लाख रुपये की राशि पहले से ही दी जा चुकी है ।

बिहार में मध्य आय वर्ग आवास योजना की कार्यान्विति के लिए अनुदान/ऋण

4702. **श्री रामावतार शास्त्री :**
श्री कमल मिश्र मधुकर :

क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विभिन्न राज्यों को मध्य आय वर्ग आवास योजना की कार्यान्विति के लिये अनुदान अथवा ऋण देती है;

(ख) यदि हां, तो चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय सरकार ने बिहार सरकार को कितनी-कितनी राशि के अनुदान अथवा ऋण दिये हैं; और

(ग) क्या बिहार सरकार ने दी गई इस राशि का पूरा उपयोग नहीं किया है और बची हुई राशि भारत सरकार को वापस कर दी है और यदि हां, तो वापस की गई राशि कितनी है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता): (क) से (ग) : मध्यम आय वर्ग आवास योजना एक ऋण वली योजना है और यह राज्य क्षेत्र में है । इस योजना-सहित राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता राज्यों को वित्त मंत्रालय द्वारा 'खण्ड ऋणों' तथा "खण्ड अनुदानों" के रूप में 70 : 30 के अनुपात में दी जा रही है । यह खण्ड सहायता किसी योजना विशेष से सम्बद्ध नहीं है । अत: राज्य सरकारें, उन द्वारा निर्धारित की जाने वाली आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों का निर्धारण करने तथा इस प्रयोजन हेतु अनुमोदित परिव्यय के भीतर निधियों का नियतन करने में स्वतन्त्र हैं । अत: ऋण की अदायगी को छोड़कर किसी राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता के किसी भाग को वापस करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

2. चौथी पंचवर्षीय योजना (1969-1973) के पहले चार वर्षों के दौरान राज्य क्षेत्र की सभी योजनाओं पर व्यय के लिए बिहार सरकार को 254.91 करोड़ रुपये की केन्द्रीय वित्तीय सहायता का नियतन किया गया है । उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31 मार्च, 1972 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा मध्यम आय वर्ग आवास योजना पर 33.42 लाख रुपये का कुल खर्च किया है । 1972-73 के दौरान 22 लाख रुपये के प्रत्याशित व्यय की सूचना मिली है ।

Construction of Bridges over Ganga river at Monghyr and Bhagalpur in Bihar

4704. Shri Ramavatar Shastri :

Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether a demand for construction of bridges over the Ganga River at Monghyr and Bhagalpur in Bihar is being made;

(b) if so, whether the construction of the said bridge will help in removing backwardness of Bihar; and

(c) if so, the reaction of the Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri M. B. Rana) : (a) to (c): The proposed bridges over the Ganga River at Monghyr and Bhagalpur in Bihar, when constructed, would fall on State roads. The Government of Bihar are, therefore, primarily concerned with all matters connected with these bridges. The State Government have reported that a demand for the construction of these bridges was made in the State Legislative Assembly and Council. The bridges will facilitate movement from North Bihar to South Bihar for socio-economic development of that region. In order to determine the economic viability of the project, the State Government are taking action to carry out feasibility and cost-benefit study.

Acreage and Production of wheat, pulses and oilseeds

4705. Shri G. P. Yadav : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land under wheat cultivation this year and the State-wise break up thereof and estimated production thereof; and

(b) the acreage of land under cultivation of pulses and oilseeds and the estimated production thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) : Firm estimates of area and production of wheat, pulses and oilseeds during 1972-73 would become available only after the close of the agricultural year, that is, some time in July-August, 1973. However, as a result of the Emergency Agricultural Production Programme launched by the Government and the beneficial winter rains, production of wheat is expected to show an increase over 1971-72 in some of the States like Bihar, Haryana, Punjab and Uttar Pradesh, while wheat production has been affected due to dencient rains in Gujarat, Maharashtra and Rajasthan. The production of wheat for the country as whole, is expected to be higher than last year. In the case of pulses too, according to present indications, the production also is likely to be slightly better than the last year's level. In the case of oilseeds, the area and production are likely to show a fall in groundnut and sesamum and a rise in rapeseed and mustard and linseed.

पांचवी योजना में भूमि सुधारों की प्रगति के पुनर्विलोकन के लिए पृथक सेल

4706. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांचवी योजना में भूमि सुधारों की प्रगति के पुनीर्विलोकन के लिये केन्द्र में एक पृथक सेल बनाया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) :कृषि मंत्रालय में भूमि सुधार प्रभाग का विस्तार किया जा रहा है ताकि यह मंत्रालय पांचवी योजना में भूमि सुधार की प्रगति का पुनर्विलोकन कर सके । इसके अतिरिक्त गोखले राजनीति-शास्त्र तथा अर्थशास्त्र संस्थान पूना में भारत सरकार द्वारा प्रोयोजित एक भूमि सुधार केन्द्र की स्थापना की जा रही है, ता कि देश में भूमि सुधार के प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी कार्य में सुविधा हो ।

नई दिल्ली में आर० के० पुरम के सेक्टर तीन में दिल्ली दुग्ध योजना के दुग्ध बूथों का निर्माण करना

4707. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री आर० के० पुरम के सेक्टर तीन में अतिरिक्त दूध डिपों के निर्माण के बारे में 15 मई, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 6088 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस डिपों के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या इसके निर्माण को शीघ्र करने के लिए कोई समय निर्धारित किया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) और (ख): मई, 1972 से रामकृष्ण पुरम के सेक्टर III के वर्तमान चार दुग्ध डिपुओं से भी दूध की बोतलों की बिक्री कम हो गई है और वर्तमान दूग्ध डिपों, ग्राहकों की आवश्यकताओं को सुगमता से पूरा कर सकते हैं। अतः दिल्ली दुग्ध योजना ने निर्णय किया है कि फिलहाल इस क्षेत्र में अतिरिक्त दुग्ध डिपो नहीं खोला जायेगा, जैसा कि पहले विचार था। तथापि, इस क्षेत्र में दूध की बिक्री बढ़ने पर दिल्ली दुग्ध योजना स्थिति पर पुनः विचार करेगी।

Request to Central Government to run dairy Development scheme in Trans-Ganga area of Allahabad, Uttar Pradesh

4708. **Shri Vishwanath Pratap Singh :**

Shri Ishwar Chaudhry :

Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of Uttar Pradesh have requested the Central Government to run Dairy Development Scheme in trans-Ganga area in Allahabad District covering three tehsils *i.e.* Handia, Phulpur and Soraon ; and

(b) if so, the decision taken by the Central Government and the salient features of the said scheme ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) No proposal has been received from the Government of Uttar Pradesh to the Central Government to run dairy development schemes in Trans-Ganga Area in Allahabad District.

(b) Does not arise.

D. M. S. Milk Booths in Delhi

4709. **Shri Onkar Lal Berwa :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of milk booths added by the Delhi Milk Scheme during the period from 1970 to 1972 and till date;

(b) whether there are such areas where there is a demand for milk booth but the Delhi Milk Scheme does not want to open booth there due to shortage of milk ;

(c) if so, the quantity of milk which is in short supply at present; and

(d) the action being taken therefor?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Prof. Sher Singh) : (a) The Delhi Milk Scheme has added 109 milk booths since 1970 as stated below:

	No. of booths
(i) from 1970 to 1972	101
(ii) from 1-1-1973	8
TOTAL	109

(b) The Delhi Milk Scheme has fixed a norm of 300 milk bottles for opening a milk booth. As soon as this norm is satisfied, the question of opening a new booth is taken up. The issue of new milk tokens is, however, dependent on the availability of milk. Delhi Milk Scheme has plans to open 84 new booths in 1973-74.

(c) & (d) : The estimated requirements of Delhi are 7,00,000 litres of milk daily. The liquid milk handling capacity of existing dairy plant of Delhi Mill Scheme is being expanded from 3 lakhs litres to 3.75 lakh litres daily. The expansion programme is at an advanced stage and is now expected to be completed by the middle of this year. A new recombining (mother) dairy with a handling capacity of 4,00,000 litres of milk is also scheduled to be built in Delhi during the next financial year. The above target dates for expansion are subject to revision based on various factors.

गुजरात राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए मंजूर की गई राशि

4710. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 के दौरान गुजरात राज्य में परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए कुल कितनी राशि मंजूर की गई है ; और

(ख) वर्ष 1973-74 के लिये कुल कितनी राशि नियत की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) :(क) 436.74 लाख रुपये ।

(ख) 1973-74 वर्ष के लिये राशि संसद द्वारा केन्द्रीय बजट स्वीकृत किये जाने के पश्चात नियत की जायेगी ।

गुजरात में कल्याण केंद्रो को आबंटित धनराशि

4711. **श्री अरविन्द एम० पटेल :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में गुजरात राज्य में केंद्रीय समाज कल्याण केंद्रों के लिये कितनी धनराशि आवंटित की गई ; और

(ख) वर्ष 1973-74 के लिये कुल कितनी धनराशि आबंटित की जानी है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 164,75,117.00 रुपए ।

(ख) वर्ष 1973-74 के लिये धन के आबंटन के बारे मे अब तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

गुजरात में मोटे अनाज की कमी

4712. श्री अरविन्द एम० पटेल :
श्री प्रसन्नभाई मेहता :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में मोटे अनाज की भारी कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) : गुजरात में मोटे अनाजों की पैदावार वर्षा के असफल रहने के कारण इस वर्ष सामान्य से कम हुई है । सरकार के पास खाद्यान्नों की समूची उपलब्धता, कमी और सूखे से प्रभावित राज्यों की जरूरतों को देखते हुए गुजरात की गेंहू, चावल और मोटे अनाजों की जरूरते केन्द्रीय स्टाक से पूरी की जा रही है । उत्तर प्रदेश और तमिलनाडू की राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे गुजरात को मोटे अनाजों की सीमित माता निर्यात करने की इजाजत दें ।

Ban on Movement of Foodgrains in the country

4713. Shri Arvind M. Patel : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States in the country from where movement of commodities is banned outside the State and the names of such commodities;

(b) the names of the States among them, which have been permitted by the Centre to do so; and

(c) whether Central Government propose to issue instructions to the States for lifting such a ban with a view to face famine conditions in the country?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) & (b) : A statement giving the required information is attached.

(c) At present, there is no proposal to lift the restrictions on the movement of foodgrains In regard to coarse grains, some of the concerned State Governments have been requested. to allow limited export of these coarse grains on State Government account.

STATEMENT

The foodgrains whose movement is restricted now are rice, paddy, wheat and chief coarse cereals (bajra, jowar, maize and ragi). In some of the States/Union territories the restrictions have been imposed under Orders issued by the Government of India while in the remaining States/Union territories the respective State Governments/Administrators have issued the Orders themselves with the approval of the Government of India. The details are indicated below:

RICE/PADDY

Names of States/Union Territories/Zones from where export of Paddy/Rice is Restricted under orders issued by the Government of India

(1) The Northern Rice Zone (comprising the States of Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir and Punjab and the Union territories of Chandigarh and Delhi, (2) Andhra Pradesh and the area compirsing Yanam in the Union territory of Pondicherry (3) Bihar (4) Kerala and the area comprising Mahe in the Union territory of Pondicherry, (5) Madhya Pradesh, (6) Manipur, (7) Mysore, (8) Orissa, (9) Rajasthan, (10) Tamil

Nadu and the areas comprising Pondicherry and Karikal in the Union Territory of Pondicherry, (11) Tripura, (12) Uttar Pradesh, and (13) West Bengal.

Names of States/Union Territories from where Export of Paddy/Rice is Restricted under orders issued by the Respective Statt Governments/Administrators

(1) Assam, (2) Gujarat, (3) Maharashtra, (4) Meghalaya, (5) Dadra and Nagar Haveli, and (6) Goa, Daman and Diu.

WHEAT

(1) Bihar, (2) Gujarat, (3) Madhya Pradesh, (4) Maharashtra, and (5) Uttar Preadesh. (The respective Governments of these States have been permitted to regulate the export/movement of wheat themselves. In Bihar and Madhya Pradesh, only the inter-district movement of wheat is regulated.)

COURSE GRAINS

BAJRA : (1) Andhra Pradesh, (2) Gujarat, (3) Haryana, (4) Madhya Pradesh, (5) Maharashtra, (6) Rajasthan, (7) Tamil Nadu, (8) Uttar Pradesh, (9) Chandigarh, (10) Goa, Daman and Diu and, (11) Pondicherry.

JOWAR : (1) Andhra Pradesh, (2) Gujarat, (3) Haryana, (4) Madhya Pradesh, (5) Maharashtra, (6) Mysore, (7) Rajasthan, (8) Tamil Nadu, (9) Uttar Pradesh, (10) Goa, Daman and Diu, and (11) Pondicherry.

MAIZE : (1) Andhra Pradesh, (2) Bihar, (3) Gujarat, (4) Haryana, (5) Himchal Pradesh, (6) Madhya Pradesh, (7) Mysore, (8) Punjab, (9) Rajasthan, (10) Tamil Nadu, (11) Uttar Pradesh, (12) Chandigarh, and (13) Pondicherry.

RAGI : (1) Andhra Pradesh, (2) Gujarat, (3) Maharashtra, (4) Mysore, (5) Orissa, (6) Tamil Nadu, (7) Dadra and Nagar Haveli, and (8) Pondicherry.

(In Tamil Nadu and Pondicherry the Orders in force are those issued by the Government of India. In the remaining States/Union territories the concerned State Governments/Administrators have issued the Orders themselves.)

फोटोलियो प्रेस के 17 अधिकारियों द्वारा धमकी देना

4714. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या निर्माण ओर आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 अक्तूबर, 1972 के 'स्टेट्समैन' और 8 अक्तुबर, 1972 के 'इण्डियन एक्सप्रेस' में प्रकाशित फोटोलिथो प्रेस के 17 अधिकारियों द्वारा दी गई धमकी के समाचार और तदन्तन्तर इस प्रेस के कर्मचारियों द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) इसके प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) फोटो-लिथो विंग के कर्मचारी अपनी सम्बन्धित श्रेणी में डिज़ाईन और ले-आऊट आर्टिस्ट, हेलियो आप्रेटर, रिटचर-आर्टिस्ट, कमेरा आपरेटर के अपर्यवेक्षी पदों तक पदोन्नति के पात्र हैं । ये अधिकारी पर्यवेक्षी पद अर्थात तकनीकी अधिकारियों के पदों के लिए पात्र नही हैं । पदोन्नति के मार्गों की व्यवस्था करने के लिए नियमों में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 का पुनर्विलोकन करने के लिए समिति का गठन

4715. **श्री शशि भूषण** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 का पुनर्विलोकन करने के लिये एक समिति गठित की थी ;

(ख) यह समिति कब गठित की गई थी, इसके सदस्यों के नाम क्या हैं, इसकी सिफारिशें क्या हैं और य सिफारिशें सरकार को कब प्रस्तुत की गई थीं ;

(ग) क्या सरकार ने इन सिफारिशों का मंत्रालय की सलाहकार समिति के पास भेजा था और यदि हां, तो ये सिफारिशें समिति को कब भेजी गई थी ; और

(घ) क्या उन सिफारिशों के बारे में समिति की राय प्राप्त हो गई है ; और यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और यदि नहीं, तो उक्त सिफारिशों के बारे में उनक. राय शीघ्र प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और उनकी राय कब तक प्राप्त होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विभागीय कमेटी 2 मई, 1970 को बनाई गई थी जिसमें निम्नलिखित सदग्य थे :—

(1) श्री पी० आर० नायक, तत्कालीन सचिव, निर्माण, आवास तथा नगर विकास विभाग	अध्यक्ष
(2) श्री के० एस० पण्डालाई, संयुक्त सचिव तथा विधि सलाहकार, विधि मंत्रालय, विधि कार्य विभाग ।	सदस्य
(3) श्री जी० के० मनोट, संयुक्त सचीव, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ।	सदस्य
(4) श्री एस० सी० वर्मा, तत्कालीन मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन ।	सदस्य
(5) श्री बी० एस० मनचन्दा तत्कालीन आयुक्त दिल्ली नगर निगम ।	सदस्य
(6) श्री एस० सी० छाबड़ा, तत्कालीन अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका ।	सदस्य
(7) श्री एम० भट्टाचार्य, तत्कालीन उप-सचिव, निर्माण, आवास तथा नगर विकास ।व ।ग	सदस्य-सचिव

कमेटी ने सरकार को अपनी रिपोर्ट 21 सितम्बर, 1970 को पेश की थी ।

(ग) जी, हां । उन्हें 12-10-1971 को सलाहकार कमेटी के सदस्यों को भेज दिया गया था।

(घ) जी, नहीं । उन्हें संसदीय कार्य विभाग के माध्यम से स्मरण कराया गया था ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा लिये जाने वाला जमीन का किराया

4716. **श्री शशि भूषण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे व्यक्तियों से जमीन का कोई किराया लिया जाता है जिनको दिल्ली विकास प्राधिकरण ने प्लाट नीलाम किये हैं ;

(ख) क्या यह किराया प्लाट के आकार के अनुसार लिया जाता है अथवा प्लाट की कीमत के अनुसार अथवा जिस कीमत पर कोई प्लाट विशेष नीलाम किया गया है ;

(ग) यदि जमीन की कीमत के अनुसार किराया लिया जाता है तो एक ही आकार के भिन्न-भिन्न प्लाटो के सम्बन्ध में किराया लेने में भेदभाव करने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या जमीन का पट्टा किराया लेने की पद्धति को युक्ति युक्त बनाने के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) भूमि किराया अथवा पट्टा किराया दिए गए मूल प्रीमियम पर लिया जाता है।

(ग) सामान्य नीति यह है कि जब भूमि की बिक्री नीलामी द्वारा की जाती है तो प्रीमियम अधिकतम बोली पर निर्धारित किया जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं है क्योंकि प्लाट के लिए बोली देते समय बोली लगाने वाले को यह मालूम होता है कि उसे प्रीमियम पर भूमि किराया देना पड़ेगा।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली के किराया नियंत्रक के पास पड़े अनिर्णीत मामले

4717. **श्री शशि भूषण :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के किराया नियन्त्रक के पास पड़े इस समय कितने मामले अनिर्णीत पड़े हैं ;

(ख) 28 फरवरी, 1973 को मकान मालिकों और किरायादारों के बीच विवाद सम्बन्धी कितने मामले दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े थे ; और

(ग) गत तीन वर्षों में दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में विवाद के ऐसे मामलों में औसतन कितनी वृद्धि या कमी हुई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) :

(क) 14-3-1973 को 910।

(ख) 7,838।

(ग) दिल्ली के विभिन्न न्यायालयों में प्रतिवर्ष प्रति न्यायालय में आने वाले नए मामलों की संख्य में औसत वृद्धि 287 है, प्रति वर्ष की कुल वृद्धि की औसत 1147 है।

केन्द्रीय सरकार के अनाज के बड़े व्यापारियों के लाइसेन्स रद्द कर देने के लिए बिहार और उत्तर प्रदेश को निदेश

4718. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनाज के व्यापार के राष्ट्रीयकरण को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार से अनाज के बड़े व्यापारियों के लाइसेंस रद्द कर देने को कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहेब पी० शिन्दे): (क) और (ख): गेहूं का थोक व्यापार लेने के बारे में राज्य सरकारों के परामर्श से भारत सरकार द्वारा तैयार की गई योजना की कार्यान्वित से निजी--व्यापारियों द्वारा गेहूं का थोक व्यापार करने पर प्रतिबन्ध लगाना है और उनके स्थान पर सरकारी एजेंसियों ने कार्य करना है ;

बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पशुपालन और मत्स्यपालन के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

4719. कुमारी कमला कुमारी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में पशुपालन और मत्स्यपालन के विकास की कितनी-कितनी योजनाएं हैं; और

(ख) पशुपालन और मत्स्ययपालन के विकास के लिए बिहार, पश्जिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को कितनी-कितनी धन राशि दी गई है और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए सभी राज्यों को कितनी राशि दी जायगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० शेर सिंह): (क) बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में राज्य, केन्द्रीय और केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों के अन्तर्गत पशुपालन तथा मत्स्यपालन के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं की संख्या निम्न प्रकार है :

	बिहार	पश्चिम बंगाल	उत्तर प्रदेश
	1	2	3
पशुपालन			
राज्य . .	32	55	77
केन्द्रीय .	..	1	2
केन्द्र प्रायोजित .	1	1	2
	33	57	81
मत्स्यपालन			
राज्य . .	12	25	22
केन्द्रीय .	1	3	..
केन्द्रीय प्रायोजित	..	1	..
	13	29	22

(ख) बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पशुपालन तथा मत्स्यपालन के विकास के लिए राज्य केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों के अन्तर्गत चौथी योजना के परिव्यय को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

चालू प्रतिमान के अनुसार स्टेट प्लान स्कीमों के लिए केन्द्रीय सहायता किसी विशेष कार्यक्रम या योजना के लिए पृथक रूप से नहीं अपितु राज्य की वार्षिक योजना के लिए ऋण तथा अनुदानों के रूप में इकट्ठी दी जाती है। अलग अलग स्टेट प्लान स्कीमों के लिए धन राशि आबंटित करना संबंधित राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर करता है।

विवरण

बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में पशुपालन तथा मत्स्यपालन के विकास के लिए राज्य केन्द्रीय तथा केन्द्रीय प्रायोजित क्षेत्रों के अन्तर्गत चौथी योजना के परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण :

(रुपये लाखों में)

	बिहार	पश्चिम बंगाल	उत्तर प्रदेश
	1	2	3
		पशुपालन	
राज्य .	300.00	457.49	550.00
केन्द्रीय .	..	8.39	70.67
केन्द्रीय प्रायोजित	12.33	4.60	37.77
	312.33	470.48	658.44
		मत्स्यपालन	
राज्य . .	200.00	295.29	90.00
केन्द्रीय .	2.00	203.00	..
केन्द्रीय प्रायोजित	..	6.21	..
	202.00	504.50	90.00

1971-72 के दौरान कलकत्ता पत्तन को हुआ घाटा

4720. **डा० रानेन सेन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1971-72 के दौरान कलकत्ता पत्तन को घाटा हुआ था,

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उस पत्तन में यातायात में वृद्धि हुई थी, और

(ग) यदि हां, तो घाटे के क्या कारण है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) जी हां।

(ख) हां। कलकत्ता पत्तन में गत वर्ष 56.6 लाख टन की तुलना में 1971-72 में 73.6 लाख टन यातायात की धरा उठाई की गई।

(ग) यातायात की वृद्धि से घाटे में कमी हुई है। पत्तन आयुक्तों द्वारा लगाये गये अनुमान के अनुसार नदी निकर्षण तथा नदी रखरखाव कार्य पर खर्च के लिये भारत सरकार द्वारा दिये गये अंशदान को हिसाब में लेने के बाद 85 लाख से 95 लाख टन का यातायात खर्च पूरा करने हेतु आवश्यक है।

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में सही आंकड़े

4721. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार नियोजन गत कुछ वर्षों में देश में अधिकाधिक लोकप्रिय और प्रभावी सिद्ध हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस अवधि में देश में जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हां, तो कौन से आंकड़े सही है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० के० किस्कु) : (क) से (ग): (क) और (ख) में दिये गए दोनों निष्कर्ष सत्य है। अनुमान है कि 31 जनवरी, 1973 तक किए गए परिवार नियोजन कार्य के परिणामस्वरुप 1 करोड़ 24 लाख जन्म रोके गए है; राष्ट्रीय जन्म दर जोकि 1961 में 41.7 प्रति हजार के स्तर पर थी, घटकर 1971–72 में 37 प्रति हजार हो गई। तथापि, साथ ही साथ मृत्यु दर में अधिक तेजी से कमी हुई है—ये 1951-61 मे 22.8 प्रति हजार के स्तर से घटकर 1971 में 15.1 प्रति हजार रह गई है। यदि जन्म दर में उपर्युक्त स्तर तक कमी न हुई होती तो देश में जनसंख्या में और अधिक वृद्धि हुई होती।

Recommendation of Central Food Standards Committee Re : Use of Saccharine in Production of Areca Nuts.

4722. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether the Central Food Standards Committee has recommended the use of Saccharine in some quantity for production of perfumed areca nuts; and

(b) if so, the reaction of Government thereto and the action taken by Government in this reagard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) Yes.

(b) The recommendation of the Central Committee for Food Standards is under consideration.

Surplus Land in States and its Distribution

4723. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of surplus and likely to become available with the Governments of Bihar, Rajasthan, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh separately as a result of enforcement of ceiling laws on agricultural holdings; and

(b) the acreage of undistributed agricultural land in each of the above States at present ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) Estimated surplus land likely to become available from Bihar, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh are 5 lakhs acres, 50 thousand acres and 3 lakh acres respectively. The figures from Rajasthan are being collected and will be placed before the House when received.

(b) The information is being collected from the States and will be placed before the House when received.

Protest Against Vasectomy Operation incidents in Adivasi area of Madhya Pradesh

4724. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Adivasis were forcibly brought in vasectomy camps in Adivasi areas in certain parts of Madhya Pradesh and vasectomy operations were performed;

(b) whether people have expressed resentment in protest against such types of incidents ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Faunmily Planning (Shri A. K. Kisku) : (a) to (c) : No such complaints have been received by the Government However, there have been reports in the press about such cases in the districts of Jhabua Shivpuri and Betul. The matters are being enquired into.

Paying Higher Cost for Foodgrains in Foreign Countries

4725. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Government of India has decided to import 30 crores tonnes of foodgrains to meet the requirement of the country;

(b) whether Government will have to pay double the price for foodgrains this year as compared to the last year ; and

(c) whether the prices of wheat have gone up considerably in foreign countries ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture : (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) to (c) : A decision has been taken to purchase from abroad 20 lakh metric tonnes of wheat/milo. The purchases are being made at the prevailing international market prices which are reported to be ruling much higher than the previous years.

Average Production of Rice and Cotton in India and Egypt

4726. **Dr. Laxminarayan Pandeya :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state the average per hectare production of rice and cotton in India and Egypt ?

The Minister of State in the Ministry of Agiculture (Shri Annasaheb P. Shinde): The figures of average per hectare production of rice (in husk) and cotton (lint) in India and Egypt are given below :

(In quintals)

Country	Year	Per hectare production Rice/Paddy	Cotton
India	1971-72	11.5 (rice)* 17.2 (paddy)	1.5
Egypt	1971	54.4 (Paddy)	7.8

*In India the conversion factor between paddy and rice is taken to be 3:2.

कृषि मशीनरी के प्रयोग तथा कृषि कार्यों में रोजगार पर इसके प्रभाव का अध्ययन

4727. श्री डी० डी० देसाई : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हमारे खेतों में कृषि मशीनरी के प्रयोग और कृषि कार्यों में रोजगार के अवसर कम अथवा अधिक होने के बीच सम्बन्ध होने के बारे में सरकार ने कोई अध्ययन किए है या अन्य संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो इन अध्ययनों के निष्कर्ष क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आन्ध्र प्रदेश में कुड्डपा में अराजपत्रित अधिकारियों के कार्यालय के परिसर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा गोली चलाया जाना

श्री के० सूर्यनारायण (एलरू) : श्रीमन, मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें ।

आंध्र प्रदेश में कुड्डप्पा में अराजपत्रित अधिकारियों के कार्यालय के परिसर में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस द्वारा 19 मार्च, 1973 को गोली चलाए जाने का समाचार

अध्यक्ष महोदय हमें अभी तक सरकारसे वक्तव्य प्राप्त नहीं हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि यह मामला निर्णयाधीन है अथवा नहीं ।

श्री के० सूर्यनारायण : हम यह जानकारी चाहते हैं कि सरकार वहा क्या कार्यवाही कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : मामले की न्यायिक जांच हो रही है । अतः जो प्रश्न भी पुछे जाये वह बहुत सोच समजकर पूछे जाने चाहिये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : कुछ समय पहले सदस्यों ने एक मामला उठाने की अनुमति मांगी थी पर उन्हें इस आधार पर कि मामले की न्यायिक जांच हो रही है, उस पर चर्चा करने की अनुमति नही दी गई थी । मेरी समझ में नही आता कि आपका इस मामले के बारे में क्या विनिर्णय है ।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : यह सच है कि एक न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है और उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के अधीन यह जांच की जाएगी । (व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल (ढंढुका) : अध्यक्ष महोदय, जब इस सम्बन्ध में एक न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है तो क्या इसका अर्थ यह है कि इस विषय पर चर्चा नहीं की जा सकती ।

अध्यक्ष महोदय : जांच अधिकारी कौन है, क्या कोई मैजिस्ट्रेट है ।

9—5 LSS/73

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आन्ध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री के० माधव रेड्डी जांच अधिकारी है।

अध्यक्ष महोदय : अतः ज्जब मामला न्यायाधीश के पास है तो हम इस पर चर्चा नही कर सकते और इस सम्बन्ध में नियम भी बना हुआ जिसके बारे में माननीय सदस्य जानते हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि आप आज्ञा दे तो मैं जांच के निदेश पद बताना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्यों को संतुष्टि हो। सच्चाई सामने आ जायगी और आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। न्यायिक जांच में . . .

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मुझे आपके वक्तव्य पढने पर आपत्ति है। यह बात स्पष्ट की जानी चाहिए कि हाउस ऑफ कामन्स के अधीन न्यायिक जांच के अधीन मामलों पर चर्चा की जा चुकी है अतः यहां भी ऐसा होना चाहिए।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि आपको आपत्ति है तो मैं यह वक्तव्य नही पढता।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में निदेश पद बताने में कोई हर्ज नहीं है। मंत्री महोदय को ध्यानकर्षण सूचना के उत्तर में जानकारी देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। न्यायिक जांच न्यायिक निर्णय के साथ समाप्त नही हो जाती। हम दोनों चीज़ों को मिला रहे है। न्यायिक जांच तो तथ्यों का पता लगाने के लिए की जाती है। अध्यक्ष महोदय आपने वकालत पढी है आप अच्छी तरह जानते होंगे कि आप सदन को इस विषय पर चर्चा करने से रोक नही सकते।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल मामले के बारे में जानकारी दे सकते है।

श्री के० सूर्यनारायण : मैं जानकारी के बारे में अपनी टिप्पणी देना चाहता हूं। इससे सरकार को जांच में मदद मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत नाजुक मामला है। अतः अध्यक्ष को यह निर्णय करना होगा कि क्या माननीय सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले प्रश्न नियमों के अन्तर्गत हैं अथवा उन्हें उठाने की अनुमति दी जाए या नही। अतः आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैने यह स्पष्ट निवेदन किया है क्योंकि इस से माननीय सदस्यों के मूल अधिकार प्रभावित होते है. . . . .

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा निश्चित निर्णय है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : नियम 352 (क) (i) (i) में स्पष्ट कहा गया है कि बोलते समय कोई सदस्य किसी ऐसे तथ्य विषय का निदेश नहीं करेगा जिस पर न्यायिक विनश्चय लम्बित हो; और यह मामला ऐसा नहीं है जिसका न्यायिक निर्णय विचाराधीन हो।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं एक पूर्वोदाहरण का उल्लेख करना चाहता हूं बेशक आप कार्यवाही वृतांत देख लें। आपने नागरवाला के मामले में कहा था कि मैं इस मामले पर चर्चा की अनुमति देता हूं पर सदस्य यह न भुलें कि इसकी कुछ सीमाएं भी है। यही बात यहां भी लागू होती है अतः इस ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा की अनमति दी जाए।

श्री मुरासोली मारू (मद्रास दक्षिण) सरकार ने स्वयं ध्यानाकर्षण सूचना को स्वीकार किया है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न निर्वाचन का नही है। इस सम्बन्ध में नियम स्पष्ट है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है नियम 41 (2) (22) में स्पष्ट कहा गया है...

"उसमें साधारणतया ऐसे विषयों के बारे में नहीं पूछा जाएगा जो कोई न्यायिक या अर्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने विचाराधीन हो किन्तु उसमें जांच की प्रक्रिया या विषय या प्रक्रमसे सम्बन्धित विषयों की ओर निर्देश किया जा सकेगा"

श्री एस० ए० शमीम (श्रीनगर) : यह बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकार करने के उपरान्त आप अब इस पर चर्चा करने पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसू : यह सिद्धान्त की बात है। इससे सदस्यों के अधिकारो पर प्रमाव पड़ता है सरकार तथ्यों को छुपाना चाहती है और इस बहाने का आश्रय लेना चाहती है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता आपके इस मामले के बारे में क्या विचार हैं पर जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने निवेदन किया है कि मामले पर चर्चा से जांच कार्य में सहायता मिलेगी और अगर आप भी यह समझते हैं कि चर्चा जांच में सहायक सिद्ध होगी तो मेरा निवेदन है कि इस मामले को ध्यानाकर्षण सूचना में लाने के बजाय इस पर सामान्य चर्चा की जाए।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अनुचित बात कह रहे है। आपने जब इस पर ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकार कर ली है तो उनका यह कहना कि इस पर सामान्य चर्चा की जाए उचित नही है।

अध्यक्ष महोदय : प्रंश्न स्पष्ट है। मैं पहले भी इस सम्बन्ध में नियम का उल्लेख कर चुका हूँ।

श्री आर० एस० पांडेय (राजनंदगांव) : चूकि मामले पर ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकार कर ली गई है अतः स्वाभाविक है कि मंत्री महोदय इस पर वक्तव्य देंगे और जिन सदस्यों ने यह मामला उठाया है वह इस सम्बन्ध में प्रश्न जरूर पूछेंगे अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप मंत्री महोदय को वक्तव्य पेश करने की अनुमति देंगे या नही ।

श्री एस० ए० शमीम : एक बार जब प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो उस पर चर्चा भी करने दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कल शाम को ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में यह बात ज्ञात हुई कि मामले पर न्यायिक जांच हो रही है इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने एक बार इसे स्वीकार कर-लिया है तो इससे सम्बद्ध नियमों की मैं उपेक्षा करुं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने आपको यह नहीं बताया था कि मामले पर न्यायिक जांच हो रही है। उनको इसकी पूर्व सूचना थी। सरकार जानबूझ-कर इस पर चर्चा नहीं करने दे रही है और उन्होंने केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को आंध्र में लोगों को मारने के लिए...

अध्यक्ष महोदय : आप केवल नियमों, जांच के विषय तथा उसकी स्थिति के बारे में पूछ सकते है इससे ज्यादा नहीं। माननीय सदस्य अत्यधिक स्वतंत्रता बरत रहे है। (**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने नागरवाला मामले का उल्लेख किया है आप कार्यवाही वृत्तान्त में बेशक देख लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : उस समय भी मैंने कहा था कि आप सीमा में ही प्रश्न पूछे ।

श्री कृष्णचन्द्र पन्त : मैं श्री ज्योतिर्मय बसु को यह बता देना चाहता हूँ कि वे भ्रम में है। यदि वे यह सोचते हैं कि ध्यानाकर्षण सूचनाओं के लिए सरकार की सहमति आवश्यक है।

19 मार्च, 1973 को कुडप्पा में पुलिस द्वारा गोली चलाने की घटना पर सरकार चिन्तित है। उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश द्वारा इस घटना की जांच कराई जा रही है। यह न्यायिक जांच इन बातों पर विचार करेगी। (एक) पुलिस को किन परिस्थितियों में गोली चलानी पड़ी। (दो) क्या बल प्रयोग का औचित्य था। (तीन) क्या पुलिस ने आवश्यकता से अधिक बल प्रयोग किया था। (चार) क्या किसी अधिकारी द्वारा कर्त्तव्य निभाने में कोई त्रुटि हुई है। (पांच) उपरोक्त घटना से संबंधित अन्य बातें। यह जांच कार्यवाही दो महीने के अन्दर पूरी हो जायेगी।

कुडप्पा के राजस्व डिवीजनल अधिकारी को कार्यभार से मुक्त कर दिया गया है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की दो कंपनियों को वापिस बुला लिया गया है तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच कार्यवाही चल रही है। चूंकि न्यायिक तथा अन्य विभागीय जांच कार्यवाहियां चल रही हैं अतएव इस समय कुछ कहना उचित नहीं है, हम पुलिस की कठिनाइयों को समझते हैं परन्तु हम उनकी अनुशासनहीनता को सहन नहीं कर सकते हैं।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : 19 मार्च, 1973 को कुडप्पा में हुई घटना के बारे में गृह मंत्री महोदय द्वारा दिया गया वक्तव्य संतोषजनक नहीं है। यदि ध्यानाकर्षण सूचना स्वीकृत हो जाती है तो इससे संबंधित सदस्यों को बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए। उस क्षेत्र की जनता समझती है कि हम सत्तारुढ़ दल के होने के नाते मामले को सही ढंग से नहीं उठा रहे है।

श्री एम० एस० संजीवी राव (काकीनाडा) : मंत्री महोदय ने हाल ही में कुडप्पा में पुलिस द्वारा गोली चलाने के परिणामस्वरुप हुई मौतों के बारे में गलत संख्या बताई हैं, उन्होंने इस संबंध में तथ्यों को छिपाया है।

कुडप्पा में हुई पुलिस ज्यादतियाँ न केवल अकारण थी अपितु इस बात के पर्याप्त प्रमाण मिले है कि यह एक सुनियोजित षड़यन्त्र था। नही तो शान्तिपूर्ण ढंग से हो रही सभा पर बिना पूर्व चेतावनी दिये पुलिस द्वारा बल प्रयोग करने का क्या औचित्य था ?

क्या मंत्री महोदय यह आश्वासन देंगे कि जिला कलेक्टर और उनके सहयोगी आर०डी०ओ० को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायगा ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष रुप से न्यायिक जांच की जा सके ? क्या वे इस अफवाह का खंडन करेंगें कि जिला कलक्टर ने एकतावादी नेताओं के साथ मिलकर सुब्बा रेड्डी को मारने की योजना बनाई थी ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : यदि माननीय सदस्य इस प्रकार प्रश्न पूछते जायेंगे तो मेरे लिए उत्तर देना कठिन हो जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अपना विनिर्णय दे दिया है, यह विषय से संबंधित रहना चाहिए। यदि आप सभी प्रकार के प्रश्न पूछते जायेंगे तो मझे इस पर चर्चा बंद करनी पड़ेगी।

श्री एम० एस० संजीवी राव : मैं जानना चाहता हूँ कि क्या जिला कलक्टर, जिला पुलिस सुपरिंटेंडेण्ट और आर० डी० ओ० को स्थानान्तरित करने के लिए मंत्री महोदय ने कोई कार्यवाही की है ताकि निष्पक्ष रुप से न्यायिक जांच की जा सके ? मेरा दूसरा प्रश्न है कि क्या श्री बी० बी० सुब्बा रेड्डी को जान से मार डालने के लिए कलक्टर और एकतावादियों के बीच कोई षड़यंत्र था ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं माननीय सदस्यों को कहूंगा कि जब न्यायिक जाँच चल रही है तो वे पहलेसे अनुमान लगाना आरम्भ न करें।

श्री टी० बालकृष्णैया (तिरुपति) : हम इस बात के लिए आभारी है कि इस घटना की विभागीय तथा न्यायिक जांच की जा रही है। कानून के ज्ञाता होने के नाते आप जानते ही होंगे कि कभी कभी गवाहों को बदलने की कोशिश की जाती है। जहां तक विभागीय जांच का संबंध है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस कांड से संबंधित व्यक्तियों का स्थानान्तरण किया जा रहा है ताकि निष्पक्ष रुपसे जांच की जा सके।

मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या प्रथम श्रेणी का मैजिस्ट्रेट वहां उपस्थित था और उसने गोली चलाने का आदेश दिया था? वहां के समाचारपत्रों ने सही तस्बीर पेश की है, क्या वहां अधिकारियों ने इस मामलों में उत्तरदायित्व की भावना से अपना कर्त्तव्य निभाया था?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यह विभागीय जांच केवल केन्द्रीय रिजर्व पुलिस से संबंधित है और इन दो जांच कार्यवाहियों में कोई टकराव नहीं है। हमने इन्स्पेक्टर जनरल से अपने विचार प्रस्तुत करने को कहा है।

श्री टी० बालकृष्णैया : मैं जानना चाहता हूं कि क्या जिला कलक्टर, आर० डी० ओ० आदि को स्थानान्तरित किया जा रहा है? क्या वे काँड के समय वहाँ उपस्थित थे?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इन व्यक्तियों को स्थानान्तरित नहीं किया जा रहा है। मैंने पहले ही बता दिया है कि विभागीय जाँच केन्द्रीय रिजर्व पुलिस से संबंधित है। मैं यह बताना चाहूँगा कि वहाँ से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की दो कंपनियाँ हटा दी गयी हैं इसलिए गवाहों के साथ हस्तक्षेप करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : मुझे इस बात का गहरा दुख है कि सरकार कुडप्पा में हुई घटना का सही चित्र प्रस्तुत नहीं कर रही है। सरकार को चाहिए था कि वह इस संबंध में अगले दिन वक्तव्य देती, इससे सरकार की घटना के प्रति उदासीनता दिखाई देती है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या राष्ट्रपति का शासन लागू होने के उपरान्त कुडप्पा की घटना अपने आप में अकेली है या इसी प्रकार की अन्य घटनाएँ भी हो रही है? यह सरकार की कठोर नीति का परिचायक है। यदि ऐसी नीति का पालन किया जाता रहेगा तो कौन जाने कुडप्पा कांड जैसी घटनाएं और घड सकती हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि यदि ऐसी घटनाएँ देश के अन्य भागों में घडती है तो क्या जनता इसे सहन करेगी? मैं आशा करता हूँ कि कम से कम यह सभा ऐसी घटनाओं को सहन नहीं करे और सरकार को ऐसी नीति अपनानी चाहिए जिससे कुडप्पा कांड जैसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : आमतौर पर जब इस प्रकार की घटनाएँ घडती हैं तो इसकी न्यायिक जाँच कराये जाने की माँग उठती है, इसलिए सरकार ने इस घटना का न्यायिक जाँच कराने का आदेश दिया है। मैं इस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता क्योंकि इस विषय पर चर्चा काफी हो चुकी है। संभवतया माननीय सदस्य आंध्र प्रदेश में अराजकता तथा जान और माल को होने वाली हानि से अवगत होंगे। इस स्थिति में कोई भी सरकार उदासीन कैसे रह सकती है।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीयनघाट) : इस कांड के लिए गृह मंत्रालय दोषी है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइये।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : चुंकि मैं सामान्य बात कर रहा हूँ इसलिए मुझे आशा है कि माननीय सदस्य इसमें हस्तक्षप नहीं करेंगे।

मैं उनसे इस बात पर सहमत हूँ कि स्थिति को सामान्य बताया जाना चाहिए जहाँ कहीं भी स्थिति सामान्य हो जाती है हम वहाँ से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस, सेना आदि वापिस बुला लेते है। स्थिति को यथाशीघ्र सामान्य बनाने के लिए हम हर संभव उपाय अपना रहे है। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सभा में अब और वक्तव्य न दें। हाल ही में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस को वापिस बुला लिया गया है। मुझे आशा है कि इससे स्थिति को सामान्य होने में मदद मिलेगी।

श्री सी० टी० दंडपाणि : अभी अभी मंत्री महोदय ने रेल सम्पत्ति तथा डाक-तार सम्पत्ति के विनाश के बारे में कहा है। ऐसा प्रतीत होता कि वह मानव जीवन की अपेक्षा सरकारी सम्पत्ति को अधिक महत्व देते है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि वहाँ शान्ति हो गई है। परन्तु आन्ध्र में यह शान्ति बन्दी शिविरों तथा शमशान तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए। आन्ध्र प्रदेश में बच्चों की हत्या की गयी, महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया। अराजपत्रित अधिकारियों, छात्रों, वकीलों, डाक्टरों को गोली से उड़ा दिया गया। कडप्पा की घटना जालियांवाले बाग से कम नहीं है।

आन्ध्र प्रदेश में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के कर्मचारियों का मनोबल क्या है? चोरी के एक मामले में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक सिपाहीको निलम्बित किया गया है। एक सूटकेस से 11,000 रुपये की चोरी हुई, जिसमें से 6,000 रुपया केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाही से बरामद किया गया। एक एक हजार रुपया उस बस के ड्रायवर और कन्डक्टर से बरामद किया गया जिसमें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाही आये थे। 3,000 रुपये का पता लगाया जाना अभी शेष है। क्या ऐसी घटनायें आन्ध्र प्रदेश में हुई है, यदि हाँ, तो उन पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है?

क्या सरकार ने गोली चलाये जाने तथा हत्याओं के मामलों की ही जांच कराने के आदेश दिये है अथवा सभी घटनाओं के बारे में समग्र रूप से जांच कराई जायगी? क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ने मुफ्ती स्थान पर आन्ध्र के पृथकवादियों द्वारा आयोजित की गई आम बैठकों में उथल पुथल मचाई और जनता को घातक हत्यारों से पीटा? सरकार भविष्य में सामान्य व्यक्तियों को किस प्रकार सुरक्षा प्रदान करने का विचार रखती है? श्री बी० वी० सुब्बा रेड्डी की हत्या करने का प्रयास किया गया। क्या सरकार उन्हें तथा अन्य पृथकतावादी नेताओं को सुरक्षा प्रदान करेगी?

सरकारी सूचना के अनुसार 4 व्यक्ति मारे गये है--2 अराजपत्रित अधिकारी है और 2 को पहिचाना नहीं जा सका है। अराजपत्रित अधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में 2,000 रुपये दिये गये तथा अन्य को 1,000 रुपये। यह भेद भाव क्यों किया गया है?

बताया गया है कि कडप्पा कांड में 19 व्यक्ति अभी भी लापता है। क्या सरकार इस बारे में जांच करायेगी?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : अन्तिम प्रश्न के बारे में मेरे पास जो सूचना थी, मैं बता चुका हूँ। मेरी जानकारी के अनुसार 16 व्यक्ति घायल हुये तथा उपचार के लिये उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया।

जहाँ तक शान्ति तथा सामान्य स्थिति का प्रश्न है, मुझे आशा है कि शान्ति तथा सामान्य स्थिति पैदा करने में माननीय सदस्य हमारा साथ देंगे। छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वे अपनी कक्षाओं में जायें अन्यथा उनका एक वर्ष बर्बाद हो जायेगा।

जहाँ तक चेल सुब्बया रेड्डी की कार से हुई चोरी की बात है, यह घटना सही है। इसकी जाँच कराई जा रही है। यदि किसी ने कोई अपराध किया है तो उसका दंड उसे मिलना ही चाहिये। इसलिये मामले की न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है। जहाँ तक मुफ्ती में हुई घटना का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य यदि कोई विशिष्ट मामला बतायें तो मैं उसकी जांच करा सकता हूँ।

मुआवजे के बारे में माननीय सदस्य को आपत्ति नहीं होनी चाहिये। क्योंकि सरकार के अपने कर्मचारियों के प्रति भी कुछ दायित्व है।

इस बात का मै विरोध करता हूँ कि सरकार मानव जीवन की चिन्ता नहीं कर रही है। तमिलनाडु में भी गोली चलाने से लोगों की मृत्यु हुई हैं। उसकी आलोचना भी हुई है यह ठीक है कि पुलिस को संयम से काम लेना चाहिये परन्तु ऐसी परिस्थितियां भी पदा हो जाती है जब पुलिस को गोली चलानी पड़ती है।... (**व्यवधान**)...

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कलकत्ता पत्तन के आयुक्त के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राजबहादुर) : मैं कलकत्ता पत्तन के आयुक्तों के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) क एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4589/73**]

केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विवरण

वाणिज्य मंत्री (श्री डी० पी० चट्टोपाध्याय) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित विवरणों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति रखता हूँ।

(1) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा 17 फरवरी, 1973 को जिन फर्मों पर छापे मारे थे, उनके पते दर्शाने वाला एक विवरण।

(2) केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा अब तक की गयी प्रारंभिक जांचों के ब्यौरों का विवरण।

(3) चीथड़ों सम्बन्धी कांड के सम्बन्ध में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गयी जांच के परिणामस्वरूप उसके द्वारा दर्ज किये गये मामलों का एक विवरण। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4590/73**]

मंत्रालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगें, वर्ष 1969-70 और वर्ष 1970-71 के लिये नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश): मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) वर्ष 1973-74 के लिये निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) रक्षा मंत्रालय

(दो) वित्त मंत्रालय

(तीन) नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(चार) इस्पात और खान मंत्रालय

[**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4591/73**]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महा लेखापरीक्षक के वर्ष 1969-70 सम्बन्धी प्रतिवेदन--केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक)--के निम्नलिखित भागों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

भाग 6--राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

भाग 7--पाइराइट्स फ़ासफेट्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड

भाग 10--फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स, ट्रावनकोर लिमिटेड के कार्यकरण का मूल्यांकन

भाग 12--लेखापरीक्षा बोर्ड द्वारा व्यापक मूल्यांकन के लिये न लिये गये उपक्रमों में पायी व्यष्टि अनियमिततायें तथा कम्पनी लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदनों का सारांश।

(3) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी प्रतिवेदन केन्द्रीय सरकार (वाणिज्यिक) भाग 1--प्रस्तावना (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [**ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 4592/73**]

वर्ष 1970-71 के लिये हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम का वार्षिक प्रतिवेदन

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : मैं कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कृषि-उद्योग निगम लिमिटेड शिमला के 31 मार्च, 1971 को समाप्त हुए वर्ष सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे सभा-पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय म रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4592/73**]

वर्ष 1970-71 के लिये राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1970-71 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 4593/73**]

होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद विधेयक

HOMOEOPATHY CENTRAL COUNCIL BILLS

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

डा० संकटा प्रसाद (मिसरिख) : मैं होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रखे जाने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

साक्ष्य

डा० संकटा प्रसाद : मैं, होम्योपैथी की एक केन्द्रीय परिषद् के गठन और होम्योपैथी का एक केन्द्रीय रजिस्टर रख जाने तथा उससे सम्बद्ध विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य (खण्ड 1 और 2) के अभिलेख की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

विक्षुब्ध क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक

DISTURBED AREAS (SPECIAL COURT) BILL

संयुक्त समिति का प्रस्तुत किये जाने की अवधि बढ़ाया जाना

श्री लीलाधर कटकी (नवगांव) : मै प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे सम्बद्ध मामलों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढाती है" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कतिपय क्षेत्रों में कतिपय अपराधों के शीघ्र विचारण और उससे सम्बद्ध मामलों की उपबंध करने वाले विधयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने की अवधि अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक और बढ ती है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

कार्यमंत्रणा समिति

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

सत्ताइसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : मै प्रस्ताव करता हूँ :

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के 27 वें प्रतिवेदन से, जो 23 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्यमंत्रणा समिति के 27 वें प्रतिवदन से, जो 23 मार्च, 1973 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

---

13 अप्रैल, 1973 के लिए निर्धारित सभा की बैठक का रद्द किया जाना

Cancellation of sitting of House on 13 April, 1973

अध्यक्ष महोदय : शुक्रवार, 13 अप्रैल, 1973 के लिये निर्धारित सभा की बैठक को 'बैसाखी' के कारण रद्द किये जाने के लिए कुछ सदस्यों द्वारा एक सुझाव दिया गया है । क्या आप सभी इस से सहमत है ;

माननीय सदस्य : जी, हाँ ।

चीनी के कारखानों के राष्ट्रीयकरण के बारे में

RE : NATIONALISATION OF SUGAR FACTORIES

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूँ। सम्पूर्ण देश में विभिन्न चीनी कारखानों के हजारों मजदूर दिल्ली आये और चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने की तुरंत आवश्यकता की ओर संसद का ध्यान आकर्षित करने वे संसद के समक्ष प्रदर्शन कर रहे है। एक ज्ञापन में उन्होंने बताया है कि गैर सरकारी क्षत्र के कुप्रबन्ध के कारण, मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यरूप देने में असफलता तथा ठोस औद्योगिक सम्बन्ध बनाने में असफलता, गन्ना उत्पादकों को न्यायोचित मूल्य न देने, उत्पादन में हेरफेर दिखाकर बनावटी कमी आदि के कारणों से चीनी मिलों का तुरन्त राष्ट्रीयकरण किये जाने की आवश्यकता है।

गुन्दू राव समिति ने भी 113 मिलों के, जो कि 32 से 67 वर्ष तक पुरानी है आधुनिकीकरण करने की आवश्यकता बतलाई है। मंत्री महोदय कृपया चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने के सम्बन्ध में अपनी नीति बताते हुये एक वक्तव्य दें।

Shri Narsing Narayan Pandey (Gorakhpur) : The issue of nationalizing Sugar industry has been raised several times in the House. Today thousands of people belonging to various labour organisations and unions have come to Delhi to stage a demonstration in support of their demand for nationalizing the Sugar industry.

The Government of Uttar Pradesh have sent a draft Bill in this regard as far as Six months back for the approval of the Central Government. Uttar Pradesh Government have assured nationalisation of Sugar factories as soon as the bill is received back after the approval of the Central Government nothing has been heard from the Central Government in this regard. Let some statement be made as to what Government propose to do in this matter.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : उड़ीसा राज्य सरकार के लगभग 1,50,000 अराजपत्रित कर्मचारी 28 तारीख से चार दिन की छुट्टी पर जा रहे हैं। समस्त प्रशासन पंगु हो जायेगा।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : जैसा कि सदन को पता है यह मामला चीनी जांच समिति को भजा हुआ है। कुछ महीनों में समिति का प्रतिवेदन आ जाने की आशा है। जैसे ही प्रतिवेदन प्राप्त होगा सरकार कार्यवाही करेगी।

कलकत्ता पुलिस द्वारा विस्फोटक पदार्थ बरामद किये जाने के समाचार के बारे में

RE. REPORTED RECOVERY OF EXPLOSIVES BY CALCUTTA POLICE

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : कलकत्ता पुलिस ने 1800 डायनामाइट छड़ों तथा बहुत से विस्फोटक पदार्थों का पता लगाया है जो कलकत्ते के आधे भाग को ध्वंस करने के लिये पर्याप्त हैं। ये पदार्थ इंडियन एक्सप्लोसिवज लिमिटेड, आई० सी० आई०, गोमिया के हैं। इन के अधिकारियों को यह भी पता नहीं है कि ये समाजविरोधी तत्वों को किस प्रकार प्राप्त हो गये। कलकत्ता में इनका भंडार क्यों किया गया क्या ये पश्चिम बंगाल के गत निर्वाचन से पहले वहाँ लाये गये थे और क्या इनमें से कुछ पदार्थों की देश से बाहर तस्करी की जानी थी। गृहमंत्री, रक्षामंत्री, तथा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री को इस सम्बन्ध में वक्तव्य देना चाहिये।

क्या आप इस विषय पर ध्यानकर्षण प्रस्ताव को अनुमति देंगे? इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये। मेरी जानकारी के अनुसार ये चीज़ें पश्चिम बंगाल में 1972 के निर्वाचनों से पहले लायी गयी थीं।

पश्चिम बंगाल को खाद्य सप्लाई के बारे मे

RE. FOOD SUPPLY TO WEST BENGAL

श्री बी० के० दास चौधरी (कूच बिहार) : पश्चिम बंगाल को खाद्यान्नों की सप्लाई की स्थिति चिन्ताजनक है। 40,000 मीटरी टन वहां का प्रतिमाह का कोटा है। 30,000 मिटरी टन पीछे का शेष है। माह समाप्त होने जा रहा है और उन्हें अब तक 17,962 मीटरी टन खाद्यान्न प्राप्त हुआ है। सरकार तथा राज्य के निवासियों दोनों ही के लिए बड़ी गम्भीर स्थिति बन गई है। मंत्री महोदय के आश्वासन के उपरान्त भी सप्लाई की स्थिति ठीक नहीं है। विलम्ब के लिये उत्तरदायी कौन है ? इस सम्बन्ध में जांच की जानी चाहिये। वक्तव्य देते समय मंत्री महोदय को स्पष्ट रूप में बताना चाहिये कि प्रत्येक माह का कोटा पहले ही भेज दिया जायेगा जिससे खाद्यान्नों की कमी न हो।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री ने दो दिन पूर्व इस ओर मेरा ध्यान दिलाया है। मैंने मामले के बारे में पता किया है। 40,000 मीटरी टन के कोटे में से मार्च की 10 तारीख तक 14.7 हजार मीटरी टन चावल सप्लाई कर दिया गया था। माह के अन्त तक शेष कोटा पूरा कर दिया जायेगा।

श्री रणबहादुर सिंह (सिधी) : मैंने गत माह 26 तारीख को एक मामला उठाया था। मध्यप्रदेश में किसानों को डीजल की सप्लाई बहुत कम है। इस विषय पर कोई वक्तव्य नहीं दिया गया है।

उड़ीसा राज्य के संबंध में उदघोषणा का अनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प तथा उड़ीसा बजट 1973-74, सामान्य चर्चा, लेखा-अनुदानों की मांगें और अनुपूरक अनुदानों की मांगे, 1972-73

STATUTORY RESOLUTION RE. APPROVAL OF PROCLAMATION IN RELATION TO ORISSA AND ORISSA BUDGET 1973-74, GENERAL DISCUSSION, DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNT AND SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS, 1972-73

श्री पी० गंगादेव (अंगुल) : यह चिन्ता का विषय है कि राज्य बजट में सदैव ही घाटा दिखाया जाता है। 123 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति के विरुद्ध 167 करोड़ रुपये का व्यय दिखाया गया है। राजस्व तथा पूंजी विषयक योजनागत व्यय स्थिर है। राज्य की योजना के लिये तथा केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिये पूंजीगत परिव्यय बहुत ही थोड़ा है। उड़ीसा की प्रति व्यक्ति कि आय अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। राज्य में खनिज सम्पदा, बन तथा कृषि संसाधन होते हुये भी वहाँ के निवासी निर्धन हैं। यदि विकास कार्यों के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता की राशि में वृद्धि कर दी जाये तो राज्य के निवासियों की स्थिति में सुधार हो सकता है। राज्य को भी संसाधनों का पता लगाने के लिये अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिये। राज्यस्तर पर वित्तीय अनुशासन होना चाहिये जिससे कि सीमित संसाधनों से उत्तम परिणाम उपलब्ध किये जा सके। उड़ीसा में विकास के लिये आर्थिक तथा सामाजिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रयत्न किये जाने हैं। राज्य प्रशासन में कमी होने के कारण ही वहाँ पिछले कई वर्षों से राजनैतिक अस्थिरता चली आ रही है।

उड़ीसा में अब राष्ट्रपति शासन है। सरकार अब राज्य की समस्याओं पर अधिक ध्यान दे सकती है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम राज्य की औद्योगिक सम्पदा में वृद्धि की जानी चाहिये। वहाँ, लौह अयस्क, बन तथा कृषि जैसे संसाधनों पर आधारित बहुत से उद्योग चलाये जा सकते हैं। इस से राज्य की आय में वृद्धि होगी। यदि निजी उद्यमी उपलब्ध नहीं होते हैं तो केन्द्रीय सरकार को रोजगारोन्मुख औद्योगिक एकक स्थापित करने चाहिये। प्राकृतिक सम्पदा को दृष्टि में रखते हुये ये उद्योग पिछड़े क्षेत्रों में लगाये जाने चाहिये। इन क्षेत्रों में परिवहन सुविधाओं, बिजली आदि के लिये धनराशि आबंटित की जानी चाहिये।

उद्योगों की स्थापना के संवर्धन के लिये पृथक एजेन्सियों की व्यवस्था होनी चाहिये। इस से राज्य के विकास में सहायता मिलेगी।

उड़ीसा से विदेशों को लौह अयस्क का निर्यात होता है। यदि यहाँ से लौह अयस्क मंगाने वाले देशों को ऐसी परियोजनाओं में पूंजीनिवेश करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाये जो रोजगार प्रदान कर सकें तथा निर्यात को बढ़ावा दे सकें, तो वह लाभप्रद होगा।

उड़ीसा में कृषि विकास की बड़ी क्षमतायें हैं। दुर्भाग्यवश वहाँ देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा कृषि उत्पादन बहुत कम है। बजट में किसानों को खेती के काम में आने वाली वस्तुऐं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानी चाहिये। राज्य में एक उर्वरक कारखाने की स्थापना होनी चाहिये। यह बहुत आवश्यक है।

किसानों को शिक्षित किया जाना चाहिये। राज्य के कृषि विकास के लिये फार्म ऋणों के लिये बहुत थोड़ी सी व्यवस्था की गई है। राज्य के कृषि, मत्स्यपालन, पशुपालन तथा अन्य ऐसे ही उद्योगों के विकास के लिये केन्द्र से अधिक वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता दी जानी चाहिए।

उड़ीसा के बजट में राज्य की सभी समस्याओं दिखाई जानी चाहिये तथा वहा के निवासियों के उत्थान हेतु फलदायी उपाय किये जाने चाहिये। यह कार्य गतिशील, दूरदर्शी लोकप्रिय सरकार कर सकती है और मुझे आशा है वहा शीघ्र ही ऐसी सरकार लायी जायगी।

यह सुनिश्चित कराना केन्द्रीय सरकार का दायित्व है कि विकास की सभी शक्तियों को गतिशील बनाया जायगा।

SHRI HUKAM CHAND KECHAWAI : Sir, there is no quoram in the house.

Mr. SPEAKAR : Bell is being ring. Now there is quoram.

श्री के० एल० चावड़ा (पाटन) : उड़ीसा के राज्यपाल का प्रतिवेदन पढ़ने से पता चलता है कि लोकतंत्र के साथ धोका किया गया है और सत्तारुढ़ कांग्रेस के नेतृत्व में देश का लोकतंत्र खतरे में है। प्रधानमंत्री ने तानाशाही का सहारा लेते हुये विपक्षी दलों पर आरोप लगाये हैं। समस्त देश को विदित है कि देश की प्रतिष्ठा को कौन मलीन कर रहा है। विरोधी दलों के अभाव में कोई भी लोकतंत्र नहीं चल सकता। प्रधान मंत्री चाहे कुछ कहें विरोधी दलों को प्रभावी ढंग से अपना कार्य करना ही है। संविधान के अनुसार एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष प्राधिकारी के रूप में राज्यपाल का यह दायित्व है कि वह राष्ट्रपति को सुचना दे कि राज्य की संवैधानिक मशीनरी असफल हो गई है। प्रश्न यह उठता है कि क्या वास्तव में वहाँ ऐसा हुआ है? इसका उत्तर स्पष्ट रूप से नहीं में है।

तथ्य यह है कि जिस दिन श्रीमती सत्पथी ने त्याग पत्र दिया उस दिन विधान सभा में विरोधी पक्ष के नेता का बहुमत था। अपने पक्ष के समर्थन में विधान सभा के 78 सदस्य विरोधी दल के नेता द्वारा राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किये गये। वर्ष 1969 में राज्यपालों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया था कि

बहुमत के बारे में विधान सभा द्वारा ही निर्णय किया जाना चाहिये । उड़ीसा के राज्यपाल ने ऐसा नही किया । उन्होंने अपने आप मामले का निर्णय किया । केन्द्रीय सरकार ने उन्हें ऐसा करने के लिये कहा है । राज्यपाल को विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित करना चाहिये था । यदि वह स्वीकार कर लेता है और राज्यपाल को उनके बहुमत के विषय में कोई संदेह है, तो विरोधी दल के नेता से विधान सभा में अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिये कहा जाना चाहिये था । राज्य सभा के लिये उड़ीसा में हुये उपनिर्वाचन ने विरोधी दल के नेता के दावे को प्रमाणित कर दिया है ।

दूसरे उड़ीसा विधान सभा के सचिव ने विरोधी दल के नेता के दावे का परीक्षण किया है कि विरोधी दल के नेता का विधान सभा में पूर्ण बहुमत है । तीसरे विरोधी दल के सदस्यों ने अपना बहुमत प्रमाणित करने के लिये राजभवन जाना चाहा । परन्तु राज्यपाल ने इस प्रकार की कोई जांच नहीं की । उन्होंने विधान सभा का विघटन कर दिया जब कि सभा का सत्र चल रहा था, क्योंकि ऐसा न करने से विरोधी दल की सरकार बनती थी । आसाम के राज्यपाल ने ऐसा नहीं किया क्योंकि कांग्रेस को भारतीय साम्यवादी दल के समर्थन से सरकार बना लेने की आशा थी ।

देश के लोकतंत्र को बचाने राष्ट्रीय एकता बनाये रखने के लिये केन्द्रीय सरकार को राज्यों के साथ अपने व्यवहार में तटस्थ रहना चाहिये । अतः उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा की स्वीकृति के लिये लाये गये संकल्प का मैं विरोध करता हूँ ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये ।
MR DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

श्री देवेन्द्र सत्पथी (ढकानाल) : उड़ीसा में कई वर्षों से राजनैतिक अस्थिरता चल रही थी । वहां के निवासी उड़ीसा में केन्द्र से सहयोग रखने वाली एक स्थिर सरकार चाहते हैं । वहाँ लोगों के प्रति तथा सरकार के प्रति एक षड़यंत्र चल रहा था । जैसे ही षड़यंत्र का विस्फोट हुआ, विरोधी दलों ने कहना आरम्भ कर दिया कि लोकतंत्र के साथ बलात्कार किया जा रहा है। जो व्यक्ति कानूनी दृष्टिकोन से स्थिति को देखते हैं व इस बात में कोई सच्चाई नहीं पाते हैं ।

हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो सभा में कुछ कहते हैं और सभा से बाहर कुछ और । मैंने कुछ लोगों से बातें की है कि क्या व उड़ीसा में श्री बीजू पटनायक तथा डा० हरेकृष्ण महताब की सरकार चाहते है उन्होंने उत्तर दिया है कि वे ऐसा नहीं चाहते परन्तु खुले रूप में ऐसा कह भी नहीं सकते । मैंने उन्ह बताया कि आप जनता को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि जब लोग यह सुनेंगे कि विरोधी दलों के दक्ष नेता भी संसद में यही बात कहते हैं तो वे ऐसी बातों का जो उड़ीसा में विरोधी दल के नेता कह रहे हैं, विश्वास करने लगेंगे ।

यद्यपि उड़ीसा के लोग गरीब हैं फिर भी उड़ीसा राज्य प्राकृतिक सम्पदाओं से सम्पन्न है । राज्य सरकार की अस्थिरता के कारण इन सम्पदाओं का पूरी तौर पर पता नहीं लगाया जा सका है । इसीलिये लोग गरीबी के मापदंड से भी नीचे के स्तर पर जीवन मापन करते हैं ।

मुझे लोगों से पत्र प्राप्त हो रहे है । वे वहाँ की स्थिति से प्रसन्न हैं । वहाँ के लोग इस बात का कभी भी विश्वास नहीं करेंगे कि लोकतंत्र की हत्या की गई है । यदि हमारी धारणा यह है कि लोकतंत्र लोगों के लिये है तो इसका परीक्षण भी उन्हीं के द्वारा होना चाहिये ।

[श्री. देवेन्द्र सप्तथी]

डा० महताब तथा श्री पटनायक उड़ीसा में अपना शासन चाहते हैं। वे लोगों को केन्द्र के विरुद्ध भड़का रहे हैं। वे लोगों को हिंसा का पाठ पढ़ा रहे हैं। पता नहीं वे किस प्रकार का लोकतंत्र चाहते है केन्द्र को नीचा दिखाने के लिये लोगों को भड़काया जा रहा है। ये उड़ीसा की गरीबी का शोषण कर रहे हैं। इन परिस्थितियों में वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर के एक अच्छा कदम उठाया गया है।

Shri Anadi Charan Das (Jaipur) : There has been enough hue and cry regarding the proclamation of President's rule in Orissa. Imposition of President's rule there is a right step and it is anticipated that it will help the state in getting out of the difficulties, the step has been taken in accordance of the Constitutions provisions.

Orissa is facing rought calamity. There is acute scarcity of water. In these circumstances Central Government will have to do many more things.The way opposition is be having is not proper for a democracy to flourish in a nation.

The budget presented for Orissa is a deficit budget. There is always a preponderance towards savings in a deficit budget. But the Government should try to see that the development works do not suffer on that account.

It is learnt that administrative machinery in Orissa is trying to recover laons from the farmers with a strong hand. This is not proper as the farmers are badly hit by drought conditions. Despite this, the Government should try to recover the Income-tax and Sales Tax arrears.

It is also heard that the farmers in Orissa are not getting fertilizers and water for Rabi Crop. The Government should ensure that the water and the fertilizers are made available to the farmers. If this is not done, Rabi Crop will be adversely affected.

Relief works should be immediately undertaken in the drought hit areas of Koraput, Keonjhar, Mayurbhanj and Sundergarh which are mainly Adivasi inhabited areas.

The amount allotted in the budget for tribal welfare is very inadequate and should be increased. The Government should take special care while tax revenues are allotted to the States.

In the formulation of fifth Plan for Orissa the members of Parliament should be consulted as the State assembly is not functioning at present.

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : मैं, उड़ीसा के सम्बन्ध में की गई उद्घोषणा का तथा उड़ीसा के बजट का समर्थन करता हूँ। उड़ीसा के राज्यपाल ने वहाँ के विकास को ध्यान में रखते हुये यह कदम उठाया है। उड़ीसा के राज्यपाल अपने उड़ीसा के थोड़े से सेवा काल में वहाँ के निवासियों के प्रिय पात्र बन गये हैं। सभी व्यक्तियों तथा राजनतिक दलों को उनके साथ सहयोग करना चाहिये क्योंकि वह उड़ीसा के विकास के लिये कार्य कर रहे हैं। पता नहीं विपक्ष के नेता राज्यपाल से क्यों नाराज हैं। उन्हे तो राज्यपाल का आभारी होना चाहिये कि उन्होंने विभिन्न दलों में शीघ्र ही फूट पड़ जाने से बचा लिया है। इस प्रकार राज्यपाल ने अपनी बुद्धिमता से विपक्षी दलों को बचा लिया है।

उड़ीसा में 50,000 से भी अधिक मैट्रिक पास बेरोजगार है। सरकार को कलकत्ता की भांति उड़ीसा के लिये भी कोई विशेष कार्यक्रम बनाना चाहिये। राष्ट्रपति शासन के दौरान गत वर्ष के कम से कम 10 प्रतिशत निर्णयों को कार्यरूप दिया जाना चाहिये।

कालाहांडी, कोरापुट, बोलनगीर तथा सम्बलपुर के कुछ भागों में सूखा की भयंकर स्थिति है । महाराष्ट्र में भी हाल ही में सूखे की स्थिति थी और इस समय वहाँ रेल लाइन बिछाने के सम्बन्ध में काफी विवाद चला । सरकार ने वहाँ रेल लाइन बिछायी जिससे सूखग्रस्त क्षेत्र के अनेकों लोगों को रोजगार मिल सका । सरकार को जखापुरा बंसपाणि रेल लाइन बिछानी चाहिये जो बहुत समय से अनिर्णीत पड़ी है तथा जिसे सरकार की स्वीकृति मिल चुकी है । खुर्दा रोड-फूलबनी रेल लाइन भी बिछायी जानी चाहिये । इसका सर्वेक्षण कई वर्ष पहले किया जा चुका है । इससे सूखाग्रस्त क्षेत्र के बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा ।

उड़ीसा सरकार ने इस वर्ष एक हजार उठाऊ सिंचाई प्वाइंट की व्यवस्था के बारे में निर्णय किया है । अब तक 500 को क्रियान्वित किया गया है । हमें 73-74 तक दो हजार और उठाऊ सिंचाई प्वांइट की व्यवस्था करने का प्रयास करना चाहिये ।

योजना मंत्री ने कहा है कि सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जायगी । मेरा अनुभव इस से भिन्न है । सिंचाई को पंजाब तथा हिमाचल प्रदेश में सर्वोच्च प्राथमिकता प्राप्त है ।

रेंगली तथा भीमकुंड परियोजनाओं के बारे में कोई प्रगति नहीं है । बताया गया है कि भीमकुंड परियोजना के लिये बालीजोर अथवा नवपाड़ी में स्थान निर्धारित करने के लिये एक केन्द्रीय दल नियुक्त किया जायगा । ऐसा कहना जाना ठीक नहीं है । रेंगली के बारे में बताया गया है कि योजना आयोग की स्वीकृती, अभी प्राप्त नहीं हुई है । केन्द्र द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र ही स्वीकृति दी जानी चाहिये जिससे वहाँ कार्य आरम्भ हो सके और बेरोजगार इंजीनियरों तथा ओवरसियरों को रोजगार मिल सके । वहाँ 1400 डिप्लोमाधारी तथा इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बेरोजगार हैं ।

पारादीप उर्वरक संयंत्र तीन वर्ष से अनिर्णीत पड़ा है । बताया गया है कि इस बारे में अध्ययन कार्य किया जा रहा है । यह भी बताया गया है कि उर्वरक निगम पारादीप उर्वरक परियोजना के सम्बन्ध में पुनरीक्षित संभाव्यता प्रतिवेदन तैयार कर रहा है । इसमें फिर विलम्ब किया जा रहा है । कटक-पारादीप रेल लाइन बिछाने पर जो श्रमिक लगे हुये हैं उन्हें जखापुरा-बंसपाणि लाइन पर लगा देना चाहिये ताकि उनकी छंटनी न हो ।

इन्द्रावती जल-विद्युत परियोजना की क्या प्रगति है ? इस परियोजना से हमें सस्ती दर पर बिजली मिल सकेगी । चारों और बिजली का संकट चल रहा है और औद्योगिक उत्पादन में कमी आ रही है । इस परियोजना को भी स्वीकृति दी जानी चाहिये ।

हाल ही में भूमिहीनों मे भूमि बांटने का कार्यक्रम आरम्भ किया गया है । उड़ीसा सरकार ने भूमिहीनों में 50,000 एकड़ भूमि बांटी है । लक्ष्य दो लाख एकड़ भूमि बांटने का था । शेष भूमि भी भूमिहीनों को शीघ्र ही दी जानी चाहिये ।

उड़ीसा सरकार के 1,50,000 कर्मचारी 30 मार्च से चार दिन की छुट्टि पर जा रहे हैं । प्रशासन पंगु हो जायेगा । उनके साथ बात-चीत क्यों नहीं की जाती है ? उनकी मांगों पर ध्यान दिया जा सकता है । हमें केरल की तरह की गलती नहीं करनी चाहिये ।

विकास के मामले में उड़ीसा सब से पीछे है । हमने अनुरोध किया है कि नौसेना प्रशिक्षण स्कूल स्थापित करने के सम्बन्ध में मौके पर अध्ययन करने के लिये चिलकी में एक संयुक्त दल भेजा जाये । प्रधान मंत्री के सहमत हो जाने पर दल वहाँ भेज दिया गया है और मुझे विश्वास है कि इस कार्य के लिये चिलका को सर्वोत्तम स्थान पाया जायेगा ।

श्री. चिंतामणि पाणिग्रही

पारादीप में जहाज बनाने वाले दूसरे यार्ड की शीघ्र ही स्थापना की जानी चाहिये। उड़ीसा के लिये जो भी औद्योगिक लाईसेंस दिये गये उनमें से कोई भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ है। दूसरे इस्पात संयंत्र की हमारी मांग पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति शासन के दौरान केन्द्रीय सरकार की सहायता से राज्य में औद्योगिक, कृषि सम्बन्धी तथा आर्थिक प्रगति होनी चाहिये।

श्री श्यामसुन्दर महापात्र (बालासौर) : दुर्भाग्यवश हमारे देश में विधान सभा के सदस्यों के आचरण से किसी का भी सर शर्म से झुक जाता है। उनके आचरण से महान लेखक बर्नार्ड शा की उक्ति भी सही हो जाती है कि राजनीति गुन्डों का शरण स्थल है। आये दिन 'आयाराम', 'गयाराम' का बोलबाला रहता है। इसको रोकने के लिये उड़ीसा के राज्यपाल ने राष्ट्रपति शासन का अनुरोध किया। जिससे अधिकतम लोगों की अधिकतम भलाई करने वाली सरकार उपलब्ध हो सके।

अपनी नियुक्ति के थोड़े से दिनों में राज्यपाल ने उड़ीसा में बहुत कार्य किया है। 20 दिन में 1,500 फायलें निपटाई हैं। पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधीश से कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिये कहा गया है। मुझे आशा है कि हमारे गृह मंत्री राज्यपाल के कार्य की सराहना करेंगे।

विधान सभा का विघटन क्यों किया गया? राज्यपाल इस बात से सन्तुष्ट थे कि उड़ीसा विधान सभा में किसी का भी बहुमत नहीं है—ना ही कांग्रेस का और ना ही विपक्ष का। राज्यपाल ने सभी दलों को अवसर दिया है कि वे अपना-अपना कार्यक्रम लेकर लोगों के पास पहुँचे और उन्हे सन्तुष्ट करें। हम भी लोगों से यह बात कह सकेंगे कि हमने दलबदलुओं को अपने दल में सम्मिलित करके अच्छा नहीं किया। प्रधानमंत्री के समाजवादी कार्यक्रम तथा उद्देश्य लेकर हम लोगों के पास जा सकेंगे। क्षेत्रीय भावात्मकता से अच्छी सरकार उपलब्ध नहीं हो सकती है। वहाँ क्षेत्रीय असंतुलन है। महाराष्ट्र की भांति उड़ीसा में रेल लाइन बिछाने का कार्य आरम्भ करके सूखाग्रस्त क्षेत्र के लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिये।

संवैधानिक प्रथाओं में परिवर्तन आ गया है। जब ऐसा परिवर्तन आता है तब समस्त ढांचे में परिवर्तन होता है। अब प्रश्न यह है कि स्थायी सरकार के विषय में राज्यपाल का सन्तुष्ट होना आवश्यक है। इस विषय में उड़ीसा के राज्यपाल सन्तुष्ट नहीं हो सके है क्यों कि 24 घन्टों के अन्दर दोनों ओर से दो दो सदस्यों ने दल--बदल की है। हम सब को एक आवाज में कहना चाहिये कि उड़ीया के लोगों को पहली बार श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में यह कहने का अवसर मिला है कि हम दलबदलुओं को स्वीकार नहीं करेंगे चाहे वे कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हों।

मुझे आशा है कि देश की सब से बड़ी राजनैतिक संस्था ही उड़िया में चुनाव जीतेगी। साथ साथ में यह अपील भी करूंगा कि राष्ट्रपति राज के दौरान ही भूमि का सीमाबन्दी कार्यक्रम क्रियान्वित किया जाना चाहिये। भूमिहीन हरिजनों, आदिवासियों तथा किसानों को जीने योग्य ज़मीन दी जानी चाहिए। साथ साथ गांवों में उद्योगों के प्रसार की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिये।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : राष्ट्रपति राज लागू करने से प्रजातंत्रीय प्रणाली को धक्का पहुंचा है।

सत्तारूढ़ दल तथा विरोधी दलों को मिलजुल कर दलबदल की समस्या पर विचार करना चाहिये जिससे भविष्य में प्रजातंत्र की रक्षा हो सके। सत्तारुढ़ अथवा विरोधी दल कोई भी दलबदल के रोग से मुक्त नहीं है। हम सभी ने अपनी अपनी सुविधाओं के अनुसार दलबदल को अपनाया है। हर स्थान पर दलबदलू ही सरकार चलाते है। दलबदल सम्बन्धी विधेयक को यथाशीघ्र पेश किया जाना चाहिये।

दलबदल के फलस्वरूप अल्पमत अथवा बहुमत का निणय राज्यपाल नहीं बल्कि विधान सभा की बैठक को करना चाहिये। राज्यपाल हमेशा अपनी इच्छा से निर्णय लेता है और उस दल के हितों का भी ध्यान रखता है जिसकी सरकार है। राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में हमें अपना रवैया बदल देना चाहिये।

मुख्य मंत्री को विधान सभा भंग करने तथा राष्ट्रपति का राज लागू करने की सिफारिश करने की शक्तियाँ प्राप्त हैं। लेकिन शक्तियों का होना और इनका उपयोग करना दो भिन्न भिन्न बाते हैं। मुख्य-मंत्रियों को चाहिये कि अपनी शक्तियों का उपयोग उस ढंग से करें ताकि प्रजातंत्र को धक्का न पहुंचे।

उड़ीसा की स्थिति किसी अन्य राज्य में भी पैदा हो सकती है। अत: इससे सम्बन्धित विचाराधीन विधेयकों को सदन में यथाशीघ्र पेश किया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय : आपके प्रस्ताव को अध्यक्षपीठ के किसी गत निर्णय के अन्तर्गत अनुमति नहीं दी गयी। इस बारे में मैं आपका ध्यान नियम 344(2) की ओर दिलाता हूं। अत : हमें इस बारे में किसी तर्क में नहीं पड़ना चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने तो केवल स्पष्टीकरण चाहा था।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपको नियमों के अनुसार निर्णय बता दिये हैं।

श्री स्वामी ब्रह्मानन्दजी।

SHRI SWAMI BRAHMANANDJI (Hamirpur): I Supports the President's rule in Orissa There should be independent elections without party symbols and affiliations. The elected persons can ask any party, at the time, of election of Chief Minister, 'Amiri Hatao' slogan should be raised to remove poverty. Neither democracy will succeed not defection will stop till the exploitation is not put to end. A poorman cannot contest elections. Some solution should be found.

श्रीमती टी० लक्ष्मीकंतम्मा (खम्मम) : भतपूर्व मुख्य मंत्री को उड़ीसा में दल के कार्यक्रमों को लागू करने के लिये बधायी दी जानी चाहिये।

उड़ीसा एक पिछड़ा राज्य है। वहां गरीबी भी बहुत है। श्रीमतीं नंदिनी सतपथी ने थोड़े समय में ही वह काम कर दिखाये जो अन्य काफी वर्षों में न कर सके।

मैं राष्ट्रपति राज का समर्थन करती हूं। राज्यपाल को अपने राज्यकाल में प्रगतिशील सुधार लाने चाहिये ताकि उड़ीसा में समृद्धि आये।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : उड़ीसा राज्य के विकास के बारे में जो विचार व्यक्त किये गये हैं उससे समस्त सदन को सहानुभूति है। हमें उड़ीसा राज्य की गरीबी और पिछड़ेपन की जानकारी है। राष्ट्रपति के शासन के दौरान राज्य के विकास के लिये भरसक प्रयत्न किया जायेगा। जो सदस्य इस सम्वध में प्रश्न उठाने के इच्छुक हैं वे उड़ीसा के लिये इस बारे में गठित सलाहकार समिति में प्रश्न उठा सकते हैं। आशा है उक्त समिति राज्य में विकास के लिये प्रभावशाली कार्य करेगी।

मुझ इस बारे में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि राज्यपाल द्वारा उड़ीसा के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही न्यायोचित है। यदि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल के प्रतिवेदन को शान्ति से पढ़े तो उसे यह विश्वास हो जायगा कि प्रतिवेदन में उचित तर्क दिये गये हैं। प्रतिवेदन में प्रत्येक बात को बिलकुल स्पष्ट किया

अनेक माननीय सदस्यों ने राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही की उपेक्षा की है उन्होंने इस बात की भी उपेक्षा की है कि मुख्य मंत्री ने कुछ सलाह दी थी लेकिन राज्यपाल ने उसे स्वीकार नहीं किया। मुख्य मंत्री ने विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की थी और स्वयं त्यागपत्र भी दे दिया था। राज्यपाल ने त्यागपत्र स्वीकार कर लिया था लेकिन उन्होंने तत्काल विधान सभा भंग नहीं की। उन्होंने मुख्य मंत्री से तब मंत्री पद पर बने रहने का अनुरोध किया जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था न कर ली जायें। राज्यपाल ने श्री बीजू पटनायक से भी विचार विमर्श किया और उन्होंने श्री पटनायक द्वारा कही गई बात की ओर भी ध्यान दिया। अतः यह कहना उचित नहीं है कि राज्यपाल ने आंख-मीच कर अथवा स्थिति के सब पहलुओं पर विचार किय बिना कार्यवाही की थी।

यदि उक्त स्थिति को स्वीकार कर लिया जाता है तो राज्यपाल की कार्यवाही के संवैधानिक औचित्य पर आपत्ति नहीं की जा सकती। कुछ सदस्यों ने सरकार की स्थिरता के बारे में भी प्रश्न उठाया है। राज्य पाल को सरकार की स्थिरता के प्रश्न पर भी ध्यान देना होता है।

माननीय सदस्यों ने प्रश्न उठाया है कि जब स्पष्ट बहुमत है तो सरकार की स्थिरता का सवाल ही नहीं उठता। इस बारे में मैं यह कहूंगा कि दो विधायकों ने, जो पहले प्रगति दल में सम्मिलित हो गये थे, पत्र लिखकर यह बताया है कि उन्हें ऐसा करने के लिये मजबूर किया गया था और वह श्रीमती नन्दिनी सत्पथी की सरकार का समर्थन करते है। इस प्रकार 140 सदस्यों वाली विधान सभा में प्रगति दल के सदस्यों की संख्या केवल 70 रह गई।

राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में श्री मेहताब के इस कथन का भी उल्लेख किया है कि इस मामले में जितना अधिक विलम्ब होगा वर्तमान बहुमत में उतनी ही कमी होने की सम्भावना है।इसका अर्थ यह है कि श्री मेहताब को यह विदित था कि इस मामले में जितना भी विलम्ब किया जायेगा उनका बहुमत कम होता चला जायेगा।

उड़ीसा में ऐसा पिछले अनेक वर्षों से हो रहा है और उडीसा की राजनीतिक अस्थिरता से राज्य पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है।

यह भी कहा गया है कि उड़ीसा का प्रश्न संसद् के सामने लाने से पूर्व राष्ट्रपति की उद्घोषणा कैसे जारी की गई? मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है। संविधान के अनुसार जब राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाते है तो वह उक्त उद्घोषणा जारी कर सकते है और उस पर सभा में चर्चा का पूरा अवसर प्रदान किया जाता है। संविधान में एसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अन्तर्गत सरकार को ऐसा करना आवश्यक हों। सभा को भविष्य में भी उड़ीसा से सम्बन्धित मामलों पर चर्चा का अवसर मिलेगा क्योंकि इन मामलों में केन्द्रीय सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी है।

यह भी आपत्ति की गई है कि राष्ट्रपति ने जो कार्यवाही की है वह लोकतंत्रीय कार्यवाही नहीं है। राज्य में अनेक वर्षों से चली आ रही अस्थिरता और अनिश्चतता स्थिति को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं का आदेश प्राप्त करना ही निश्चित रूप से उचित मार्ग होगा। यह बात समझ में नहीं आती कि राज्यपाल द्वारा दिये गये आदेश को कैसे अलोकतंत्रीय ठहराया जा सकता है। लोगों का समर्थन प्राप्त करने में अन्य दल शर्म क्यों करते है। कांग्रेस दल इस अवसर का स्वागत करता है। और मुझे विश्वास है कि उड़ीसा के लोग इस दृष्टिकोण का समर्थन करेंगे।

भविष्य में उत्पन्न होने वाली स्थिति का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। किसी नई बात के कारण किसी मार्गदर्शी सिद्धान्त को निर्धारित करना बहुत कठिन है।

एक माननीय सदस्य ने पंजाब विधान सभा के मामले का उल्लेख किया है। सदन को याद होगा कि हमें वहां की घटना से लाभ हो सकता था। हम वहां सरकार बना सकते थे। हमने राज्यपाल की कार्यवाही का समर्थन करने से इंकार नहीं किया था। उस मामले में भी हमने ऐसा ही किया है।

दलबदलुओं के बारे में विधेयक प्रस्तुत करने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में हमारे प्रयासों से सभा अवगत है।

सरकार ने इस विधेयक को लगभग अन्तिम रूप दे दिया है। इसे स्वीकृति के लिये मंत्रिमंडल में भेजा जायेगा। हम इसे यथा शीघ्र प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं चाहता हूं कि सभा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करे।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : संसाधनों के अभाव, बाढ़ तथा सूखे की स्थिति और राज्य सरकार की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा की भूतपूर्व सरकार से बजट को तैयार करने के लिये बधाई की पात्र है।

उड़ीसा सरकार ने अपने कुछ वचनों को क्रियान्वित करने का प्रयास किया है जो इस दल ने लोगों को दिये थे। इसी कारण उड़ीसा सरकार की स्थिरता को खतरा उत्पन्न हुआ। अनेक सदस्यों ने भूतपूर्व मुख्य मंत्री को अपना त्याग पत्र देने और राज्यपाल को विधान सभा भंग करने के लिये बधाई दी है।

उड़ीसा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि वहां जनता का नया आदेश प्राप्त किया जाता।

उड़ीसा राज्य में लोग सरकार की निर्धारित नीति को असफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

जहां तक 1973-74 के बजट का सम्बन्ध है राजस्व की प्राप्ति 175.79 करोड़ रुपये रखी गई है और यह 1972-73 के पुनरीक्षित अनुमान से 4.90 करोड़ रुपये अधिक है। सूखा राहत और उड़ीसा राज्य के कर्मचारियों को अतिरिक्त भत्ता देने आदि पहलुओं के कारण 206.79 करोड़ रुपये खर्च हुए। बजट को समुचे रूप में लेते हुए 2.03 करोड़ रुपये का थोड़ा सा घाटा होगा जिसमें से कुछ भाग की पूर्ति केन्द्रीय सरकार से सहायता लेकर की जायगी।

उड़ीसा एक अल्प विकसित राज्य है जिसमें आदिवासियों की संख्या बहुत अधिक है। अतः इसके विकास के लिये एक सामहिक प्रयास करना आवश्यक होगा।

चौथी योजना के दौरान उड़ीसा को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की जा रही है। इसी प्रकार गैर-योजना व्यय के लिये भी उड़ीसा राज्य को प्रति वर्ष विशेष रूप से सहायता दी जा रही है।

प्रथम वित्त आयोग के समय उड़ीसा को 19.69 करोड़ पये; दूसरे वित्त आयोग के समय 101.02 करोड़ रुपये और तीसरे वित्त आयोग के दौरान 140.21 करोड़ रुपये और पांचवे वित्त आयोग के दौरान 182.70 करोड़ रुपये की सहायता दी गई।

1973-74 में राज्य सरकार क्षेत्र से 1.30 करोड़ रुपये और केन्द्रीय सरकार क्षेत्र से 1.32 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। यह भी महत्वपूर्ण बात है कि 1972-73 के दौरान की गई व्यवस्था से एक विकास अभिकरण की स्थापना की गई।

28.56 करोड़ रुपये की कुल आबंटित धनराशि में से 49 प्रतिशत राशि सिंचाई और विद्युत के लिये रखी गई है। वर्तमान स्थिति में सिंचाई के लिये इतना ही किया जा सकता था। इसी प्रकार कृषि के लिये 19 प्रतिशत और सामाजिक सेवाओं के लिये लगभग 20 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था की गई है।

एक माननीय सदस्य ने प्रिवी पर्स के बारे में बजट में व्यवस्था के बारे में पूछा है। बजट में 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है वह उनके सम्बन्धियों और नौकरों के लिये हैं प्रिवी पर्स के लिये नहीं। प्रिवी पर्स के भुगतान के बाद भी उक्त धनराशि का भार राज्य सरकारें ही वहन करेगी।

प्रधान मंत्री और योजना आयोग को उड़ीसा के लोगों की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं की जानकारी है। पांचवीं पंचवर्षीय योजना तैयार करते समय इन बातों की ओर ध्यान दिया गया है।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : भूमि सुधार विधेयक का क्या बना ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस बारे में यह प्रक्रिया है कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधेयक को सलाहकार समिति को सौंपा जाता है जहाँ उस पर चर्चा होती है और उसके बाद उसे सदन में प्रस्तुत किया जाता है और फिर यह अधिनियम बन जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा उड़ीसा राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन 3 मार्च, 1973 को जारी की गयी उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was adopted

लेखानुदानों की मांगे—उड़ीसा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1973-74 के लिये उड़ीसा की लेखानुदानो की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं

The following demands on account for the year 1973-74 for Orissa were put and adopted

मांग संख्या 1	शीर्षक 2	राशि 3
		(रुपये)
1	चुनाव और गृह विभाग से संवद्ध अन्य व्यय	43,14,000
2	जेलें . . .	33,99,000
3	पुलिस . . .	3,25,79,000
4	आयोजन और समन्वय विभाग से संबंधित व्यय . .	16,77,000
4-क	ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित व्यय . . .	2,17,30,000
5	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि . . .	4,52,76,000

1	2	3
		(रुपये)
6	राजनीतिक और सेवा विभाग से संबंधित व्यय	17,49,000
6-क	राजनीतिक और सेवा (आर० वी० डी०) विभाग से संबंधित व्यय	64,000
7	सांस्कृतिक कार्य	9,20,000
8	स्टाम्प	3,27,000
9	मंत्री, असैनिक सचिवालय, आदि	1,05,21,000
10	पेंशन	70,70,000
11	शिक्षा विभाग से संबंधित व्यय	11,22,30,000
11-क	पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	13,12,000
12	कराधान	39,22,000
13	भूराजस्व	2,49,42,000
14	उत्पादन शुल्क	18,69,000
15	पंजीकरण	9,65,000
16	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	1,34,28,000
17	उद्योग विभाग से संबद्ध व्यय	1,20,87,000
17-क	खानें	16,28,000
18	सिविल और सत्र न्यायालय और विधि विभाग से संबद्ध अन्य व्यय	25,86,000
19	सरकारी मुद्रणालय और वाणिज्य विभाग से संबद्ध अन्य व्यय	47,75,000
20	श्रम, रोजगार और आवास	31,22,000
21	आदिम जातीय और ग्रामीण कल्याण	1,91,78,0000
22	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग से सम्बन्धित चिकित्सा तथा अन्य व्यय	2,77,67,000
23	लोक स्वास्थ्य	2,49,29,000
24	सिंचाई	5,01,65,000
24-क	उत्थान सिंचाई	36,26,000
25	लोक निर्माण-कार्य	5,07,92,000
26	राज्य विधान मंडल	7,20,000
27	लोक निर्माण कार्य, सामान्य प्रतिष्ठान	1,19,51,000
28	बिजली योजनाएं	68,31,000
29	गाड़ियों पर कर	9,57,000
30	परिवहन योजनाएं	1,42,19,000
31	वन	2,12,19,000

1	2	3
		(रुपये)
32	मत्स्यपालन	43,76,000
33	सहकारिता और विपणन	65,42,000
34	नगर विकास विभाग से संबद्ध व्यय	2,21,56,000
35	पशुपालन	1,17,44,000
36	लोक संपर्क और पर्यटन	17,23,000
37	कृषि	3,06,02,000
38	पूर्ति विभाग	28,54,000
39	पत्तन	1,00,000
40	स्थानीय निधियों, सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण	41,00,000
41	जमींदारी उन्मूलन के लिए मुआवजा आदि	28,08,000
42	बहु प्रयोजनीय नदी, सिंचाई और बिजली योजनाएं	10,33,71,000
43	उत्थान सिंचाई से संबंधित पूंजीगत व्यय	16,33,000
44	कृषि सुधार और अनुसंधान	1,58,95,000
45	सरकारी व्यापार योजनाएं	2,33,33,000
46	सड़क और जल परिवहन योजनाएँ	10,23,000
47	लोक स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग से संबद्ध पूंजीगत व्यय	80,92,000
48	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय	44,52,000
49	हीराकुड बांध परियोजना	2,00,000
50	पत्तनों पर पूंजी परिव्यय	10,67,000
51	श्रम, रोजगार और आवास विभाग से संबद्ध पूंजीगत व्यय	27,00,000
52	शिक्षा विभाग से संबद्ध पूंजीगत व्यय	16,61,000
53	गृह विभाग से संबद्ध पूंजीगत व्यय	1,66,000
54	वनों पर पूंजी परिव्यय	3,31,63,000
55	सहकारी संगठनों की शेयर पूंजी अंशदान और ऋण	89,13,000
56	ग्राम विकास विभाग से संबद्ध पूंजीगत व्यय	99,80,000
57	पशुपालन विभाग से संबद्ध पूंजीगत व्यय	2,53,000
58	ग्राम पंचायत विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	54,000
60	लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	2,42,05,000
61	खनन और भूगर्भ विभाग से संबद्ध पूंजीगत व्यय	18,33,000
62	आदिम जाति और ग्रामीण कल्याण विभाग से संबद्ध पूंजीगत व्यय	67,000

अनुपूरक अनुदानों की मांगे 1972-1973 (उड़ीसा)

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1972-73 के लिये उड़ीसा की अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुई

The following Demands for Grants for Orissa for the year 1972–73 were put and adopted

योग	शीर्षक	राशि
		(रुपये)
1	चुनाव और गृह विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय	2,92,500
2	जेलें	17,34,200
3	पुलिस	30,94,500
4	आयोजन और समन्वय विभाग से सम्बन्धित व्यय	100
4-क	ग्रामीण विकास विभाग से सम्बन्धित व्यय	2,11,00,000
5	सामुदायिक विकास परियोजनाएं आदि	87,59,700
6	अन्य राजनीतिक और सेवा विभाग से सस्बन्धित व्यय	29,000
8	सांस्कृतिक कार्य	4,00,000
9	मंत्रियों, सिविल सचिवालय और वित्त विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	16,79,800
10	पेंशन	100
11	शिक्षा विभाग से सम्बन्धित व्यय	1,02,81,400
11-क	पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय	6,00,000
13	भू-राजस्व	16,400
14	उत्पाद शुल्क	2,02,300
15	पंजीकरण	37,900
16	जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से सम्बन्धित अन्य व्यय	2,24,89,000
17	उद्योग विभाग से सम्बद्ध व्यय	54,39,700
17-क	खानें	100
18	सिविल और सत्र न्यायालय और विधि विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय	1,12,000
19	सरकारी मुद्रणालय और वाणिज्य विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय	65,300
20	श्रम रोजगार और आवास	95,000
21	आदिम जाति और ग्रामीण कल्याण	7,05,300
22	स्वास्थ्य और परिवार नियोजन विभाग से सम्बन्धित चिकित्सा तथा अन्य व्यय	13,73,800
23	लोक स्वास्थ्य	47,68,000
24	सिंचाई	1,60,10,200

1	2	3
		(रुपये)
24-क	उत्थान सिंचाई	30,37,200
25	लोक निर्माण कार्य	1,24,26,100
26	राज्य विधान मण्डल	2,00,000
27	लोक निर्माण कार्य, सामान्य प्रतिष्ठान . .	5,50,100
28	बिजली योजनाएं . .	31,79,400
29	गाड़ियों पर कर . . .	16,800
30	परिवहन योजनाएं	21,19,700
31	वन	52,00,400
32	मत्स्यपालन	300
33	सहकारिता और विपणन	15,71,500
34	नगर विकास विभाग से सम्बद्ध व्यय . .	96,08,200
35	पशुपालन	3,00,900
37	कृषि	1,900
38	पूर्ति विभाग	100
41	स्थानीय निधियों, सरकारी कर्मचारियों, आदि को ऋण . .	8,13,20,000
42	जमींदारी उन्मूलन के लिए मुआवजा तथा राजस्व विभाग से सम्बद्ध अन्य व्यय	20,00,000
43	बहु प्रयोजनीय नदी, सिंचाई और बिजली योजनाएं .	1,06,15,500
43-क	खान सिंचाई से सम्बन्धित पूंजीगत व्यय .	33,00,000
44	कृषि सुधार और अनुसंधान .	2,27,75,300
45	सरकारी व्यापार योजनाएं .	13,00,50,000
46	सड़क और जल परिवहन योजनाए . . .	41,600
47	लोक स्वास्थ्य और नगर विकास विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय	5,57,600
48	औद्योगिक विकास पर पूंजी परिव्यय . .	1,00,200
54	वनों पर पूंजी परिव्यय . . .	1,88,60,600
55	सहकारी संगठनों की शेयर पूंजी, अंश दान और ऋण	1,44,50,800
57	पशुपालन विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय .	1,50,200
59	स्वास्थ्य विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय .	53,28,000
60	लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय . . .	36,96,000
61	खनन और भू-गर्भ विभाग से सम्बद्ध पंजीगत व्यय . .	85,42,000
62	आदिम जाति और ग्रामीण कल्याण विभाग से सम्बद्ध पूंजीगत व्यय .	86,000

उड़ीसा विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1973

ORISSA APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 के एक भाग की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि बित्तीय वर्ष 1973-74 के एक भाग की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was Adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हुं ।

श्री के० आर० गणेश : में प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 के एक भाग की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"कि वित्तीय वर्ष 1973–74 के एक भाग की सेवाओं के लिये उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंधों करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was Adopted

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंडवार चर्चा करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेय का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was Adopted

खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 2, Clause 3, the Scheduled Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जायें ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : परसों से उड़ीसा सरकार के लगभग 1,50,000 अराजपत्रित कर्मचारी बड़े पैमाने पर चार दिन की छुट्टी लेने वाले हैं और समस्त प्रशासन

व्यवस्था अस्तव्यस्त होने वाली है। अतः मैं माननीय मंत्री से निवेदन करुंगा कि वह इस बारे में कर्मचारियों से विचार विमर्श करें जिससे ऐसी स्थिति को टाला जा सके

श्री के० आर० गणेश : सरकार इस बारे में जांच करेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted·

उड़ीसा विनियोग विधेयक 1973

ORISSA APPROPRIATION BILL, 1973

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1972-73 की सेवाओं के लिए उड़ीसा राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, विनेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The Motion was Aaopted.

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड दिये गय ।

Clauses 2, 3, the Scheduled, Clause 1, the Enacting Formulae and the title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was Adopted.

[श्री० के० एन० तिवारी पीठासीन हुए
SHRI K. N. TIWARI *in the Chair*]

शरणार्थी सहायता का (उत्सादन) विधेयक

REFUGEE RELIEF TAXES (ABOLITION) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944, और संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने तथा रेल यात्रि किराया अधिनियम, 1971, डाक वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1971 और अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

वर्ष 1973-74 का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्री ने कहा था कि 1 अप्रैल 1973 से शरणार्थी सहायता कर वापस ले लिये जायेंगे। उसी आश्वासन की पूर्ति के लिए यह विधेयक लाया गया है।

संसद ने बंगला देश के शरणार्थियों की सहायता के लिए कुछ शुल्क और कर लगाये थे। इस विधेयक के द्वारा सम्बद्ध अधिनियमों का संशोधन करके 1 अप्रैल, 1973 से उक्त शुल्कों एवं करों को वापस लिया जा रहा है।

विधेयक में यह भी व्यवस्था की गई है कि (क) कोई भी व्यक्ति, जिसके पास 10 पैसे के बिना खराब हुए ऐसे डाक टिकट है जिनपर "शरणार्थी सहायता" लिखा है छह मास की अवधि में उन्हें वापस करके उनका मूल्य वापस ले सकता है, (ख) जिस किसी व्यक्ति के पास 5 पैसे वाले बिना खराब हुए डाक टिकट अथवा ऐसे अन्तर्देशीय पत्र अथवव एयरोग्राम है वह छह महीने की अवधि में उन्हें वापस करके उनका मूल्य वापस प्राप्त् कर सकता है, और (ग) ऐसा कोई व्यक्ति जिससे 1 अप्रैल, 1973 को अथवा उसके पश्चात की रेल यात्रा के लिए कोई कर ले लिया गया हो वह छह महीने के भीतर उसे रेल प्रशासन से वापस ले सकता है।

इसी प्रकार 1 अप्रैल, 1973 को अथवा उसके पश्चात् की अन्तर्देशीय वायु यात्रा के लिए कोई कर अदा कर दिया गया हो उसे भी वापस लिया जा सकता है। स्टाम्प शुल्क राज्य सरकारों को देय होते हैं अत: यह व्यवस्था की गई है कि राज्य सरारें दावों को

वापस पाने के संबंध में प्रक्रिया नियत करें। रेलवे प्रशासन भी इसी प्रकार की प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944, और संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने तथा रेल यात्री किराया अधिनियम, 1971, डाक वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1971 और अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Ram Rattan Sharma (Banda) : Although it is a delayed Bill yet it is a welcome step. It has been proposed in the Bill that the State Governments may specify any procedure for claiming refunds. The Central Government should not have left this to the State Governments and laid down the procedure in the Bill itself. It should also be ensured that there should not be difficulty for the common people to get refunds.

I would also like to know the total amount collected by the Government from 'Refugee Relief' Taxes. Total number of Refugees coming to India, number of Refugees going back and steps proposed to be taken for the rehabilitation of the rest should also be informed.

श्री एस० पी० भट्टाचार्य (उलुबेरिया) : यह विधेयक स्वागत योग्य है। परंतु मुझे आशंका है कि राज्य सरकारें इन करों की वसूली को जारी रखेंगी। यदि यह हुआ तो लोगों में अविश्वास की भावना आयेगी। आवश्यकता के समय लोग कोई भी कर देने को तत्पर हैं परन्तु जबकि उन्हें समाप्त किया जा रहा है तो राज्य सरकारों द्वारा भी इनकी वसूली इसके साथ ही रूक जानी चाहिये।

Shri Sarju Pandey (Gajipur) : I support this Bill but there is an apprehension that procedure for the refund is not simple. It should be ensured that there should not be any difficulty for the common people to get refund. Central Government should also issue a directive to State Governments that any taxes on the lines of these taxes should not be imposed by State Governments. People are already burdened with taxes.

श्री के० आर० गणेश : जहां तक वापस लेने की प्रक्रिया की बात है कुछ कर राज्य सरकारों द्वारा वसूल किए जाते थे इसी कारण विधेयक में यह उपबंध रखा गया है कि आवेदन पत्र आयुक्त को देना होगा। इसके साथ यह भी बात है कि टिकटों तथा अन्य दस्तावेजों की बिक्री केवल डाकखानों के द्वारा ही नहीं की जाती। इसी कारण से राज्य सरकारों द्वारा प्रक्रिया निर्धारित करने का उपबन्ध रखा गया है।

जहां तक यह बात है कि कुछ राज्य सरकार इन करों को जारी रखना चाह रही है, वास्तविक स्थिति यह है कि जब यह कर लगाये गये थे तो राज्य सरकारों को भी कुछ कर लगाने को कहा गया था। केन्द्रीय सरकार अपने कर वापस ले रही है। परन्तु यदि कुछ राज्य सरकारें उनके अपने अधिकार क्षेत्र में पडने वाले करों को जारी रखना चाहती है तो यह उनका अपना दृष्टिकोण है।

जहां कि करों के अन्तर्गत एकत्र की गई राशि का संबंध है सरकार को 1971–72 में अन्तर्देशीय वायु यात्रा कर के रूप में 53.27 लाख रुपये प्राप्त हुए और 1972–73 के लिए 225 लाख रुपये प्राप्त होने की संभावना है, रेल यात्राकर के रूप में 1971–72 में 482 लाख रुपये प्राप्त हुए और 1972–73 वर्ष में सितम्बर 1972 तक 206 लाख रुपये, एक वस्तुओं पर 1971–72 में 16.97 लाख रुपये और 1972–73 में सितम्बर

1972 तक 183.81 लाख रुपये, समाचारपत्रों पर उत्पाद शुल्क के रूप में 1971–72 में 220.51 लाख और 1972–73 में सितम्बर 1972 तक 274.90 लाख रुपये एकत्र हुए। अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम 1944, और संघ उत्पाद-शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1962 का और संशोधन करने तथा रेल यात्री किराया अधिनियम, 1971, डाक वस्तुओं पर कर अधिनियम, 1971, और अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर अधिनियम, 1971 का निरसन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2–7, खंड 1, विधेयक का शीर्षक, विनियम सूत्र विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खंड 2 से 7, खंड 1, शीर्षक तथा विनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2 to 7, Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

संघ राज्य क्षेत्र कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

UNION TERRIOTRIES TAHATION LAWS (AMENDMENT) BILL

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्री कृष्ण चन्द्र पन्त की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि संघ राज्यक्षेत्रों की कतिपय कराधान विधियों का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

केन्द्रीय सरकार ने अक्टूबर 1971 में सभी राज्यों को कहा था कि बंगला देश शरणार्थियों की सहायता के लिए व्यय की पूर्ति हेतु राज्य सूची में आने वाले "इंसट्रयूमेन्टस" पर अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क लगाया जाये और मनोरंजन कर, बिक्री कर, गैर वाणिज्यिक मोटर वाहनों पर कर, बस यात्री किरायों आदि पर अधिभार लगाया जाये। इसके अनुसार संघ राज्य क्षेत्रों के लिए संघ राज्यक्षेत्र कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 पारित किया गया।

अब शरणार्थियों के वापस चले जाने पर इन अतिरिक्त शुल्कों एवं अधिभार को वापस, लेने का समय आ गया है और इसी उद्देश्य से इस वर्तमान विधेयक को लाया गया है।

इनमें से कुछ कर टिकटों के जरिए से एकत्र किए जा रहे थे। अत: यह संभव है कि किन्हीं लोगों के पास अप्रयुक्त टिकटें हों। अत: उनको वापस लेने का उपबन्ध रखा गया है। 1 अप्रैल, 1973 के मनोरंजन की बिक चुकी टिकटों पर दिये जा चुके अधिभार को वापस करने का भी उपबन्ध रखा गया है। इसी प्रकार बस यात्री किरायों पर भी जो 1 अप्रैल, 1973 अथवा उससे बाद की यात्राओं के लिए अधिभार अग्रिम रूप से अदा जा चुका हो उसे भी वापस लिया जा सकता है। विधेयक के खंड 3 में संघ राज्यक्षेत्रों के प्रशासकों को तत्संबंधी प्रक्रिया निर्धारित करने के अधिकार दिये गये हैं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि संघ राज्य क्षेत्रों की कतिपय कराधान विधियों का और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

Shri Ram Rattan Sharma (Banda) : This is a welcome measure. But I submit that clause 3 of the Bill would cause unnecessary hardship. Necessary procedure should have been prescribed in the Bill itself and that would have saved future complications.

Shri Ramawatar Shastri : This is a welcome step though it is delayed one. It was not justified to continue these taxes. Therefore their withdrawal is good. When the Central Government is withdrawing these levies and duties there is no justification for the State Governments to continue the collection of these taxes. It is correct that we can not pass any law with regard to States. But keeping in view the present day situation, rise in prices etc. the Central Government tell the States to withdraw these in the States as well. This would have lessened the burden from the shoulders of common man.

श्री एफ० एच० मोहसिन : यह प्रसन्नता की बात है कि सभी सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। यह कहा गया है कि केन्द्रीय सरकार कोई प्रक्रिया निर्धारित करे। देरी को रोकने के लिए प्रशासक को शक्तियां दी गई हैं। खंड 3 में यह उपबन्ध रखा गया है कि प्रत्येक संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक आदेश के द्वारा वापस लेने की प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

जहां तक राज्य सरकारों को अपने कर वापस लेने की यंत्रणा देने की बात है या राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया गया है। यदि वे चाहें तो वे ऐसा कर सकते हैं। केन्द्रीय सरकार को इसमें दखल देना उचित नहीं। यदि राज्य सरकारें अपने कमी वाले क्षेत्रों के लोगों को सहायता देने के विचार से कुछ समय तक अपने राज्यों में इन करों को जारि रखना चाहें तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैसूर, महाराष्ट्र तथा बिहार राज्यों में वहां की विधान सभाओं की अनुमति के साथ जारी रखा जा सकता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संघ राज्यक्षेत्रों की कतिपय कराधान विधियों का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, 3, 1, विधेयक का शीर्षक तथा विनियम सूत्र विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 2, 3, 1, शीर्षक तथा विनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 2, 3, 1, the inacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है—

"कि विधेयक को पारित किया जाये"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopate.

पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंदीगढ संशोधन) विधेयक

Capital of Punjab (Development aud Regulation) (Chandigarh Amendment) Bill

निर्माण तथा आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाए।"

उच्चतम न्यायालय ने मैसर्स जगदीश चन्द राधेश्याम **बनाम** पंजाब राज्य तथा अन्य (1967 की सिविल अपील संख्या 10992) में पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) (चंडीगढ़ संशोधन) विधेयक, 1952 (1952 का पंजाब अधिनियम 27 वां) की धारा 9 को संविधान के अनुच्छेद 14 तथा 19(1)(च) का विरोध बताया और निर्णय दिया कि केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत हस्तान्तरित भू-खंड अथवा भवन को ग्रहण करने अथवा धारा 9 के अन्तर्गत उक्त हस्तातंरण के संबंध में अदा की गई धनराशि को जब्त करने की हकदार नहीं है ।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय से अधिनियम के उपबन्धों के प्रशासन में अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं। चन्डीगढ़ के बारे के विनियम और विकास पर भी इस निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अत: अधिनियम में 1 नवम्बर, 1966 की पिछली तारीख से संशोधन करके उच्चतम न्यायालय द्वारा बताई गई आपत्तियों को दूर करना आवश्यक हो गया है । जिससे कि विधेयक के उपरोक्त उपबंधों के अधीन किए गए कार्यों को विधि सम्मत किया जा सके। इस विधेयक का यही उद्देश्य है ।

***श्री ई० आर० कृष्णन् (सेलम) :** हम सब जानते हैं कि भवन निर्माण शिल्प की दृष्टि से चंडीगढ़ का एक विशेष ही स्थान है परन्तु क्या सरकार को इस प्रकार के विधयक के माध्यम से ही चण्डीगढ़ के विकास को सुनिश्चित करना चाहिये ।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर ।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

सरकार चंडीगढ़ के विकास के लिए कोई भी आवश्यक उपाय कर सकती है। उक्त उपायों से वहां के आम लोगों के लिए कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं। परन्तु विधेयक की धाराओं 6 और 7 के अधीन उन पर इस संबंध में न्यायालयों में जाने पर रोक है।

प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या इस नगर को वहां के निवासियों की भलाई के लिए बनाया जाना चाहिए अथवा उसका विकास से सामान्य जनों के लिए समस्याएं पैदा होनी चाहिये ? मंत्री महोदय इसका स्पष्टीकरण करें। धारा 6 और 7 को सम्मिलित करने का उद्देश्य पंजाब के न्यायालयों में बकाया काम को निपटाना है।

इस समय जब पंजाब और हरियाना में कांग्रेस सत्तारूढ़ है केन्द्रीय सरकार को चंडीगढ़ की समस्या का स्थायी समाधान करना सुगम होना चाहिए।

क्या भूमि सुधार संबन्धी कानूनो की क्रियान्विति के लिये शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : I agree that the city of Chandigarh should be developed as any other city of India. In the name of development of a city common people are removed from there.

So I wish that the government should take care that in the development of the city of Chandigarh the interests of the poorer section be looked into. Every care should be taken that in the name of the development of the city the development of the common people should also be borne in mind. Electricity, water and other aminities of life, should be made available easily for them.

Shri Bhola Paswan Shastri : The city of Chandigarh may become the capital of one State or the other, it's development has to take place.

The trend to spend more money in big cities is on the increase not only in India but in the entire world and everybody is becoming urban minded.

The poor people are not being displaced in cities. Side by side all the businessmen, Officers and poor people also reside in the cities and are being cared for. If the Hon. Member had given some instances where poor people have been displaced in the cities, I would have looked into it.

The Jhugi-Jhopri dwellers in Delhi have full sympathy of the Government. If these poor people are rehabilitated in one place they shift to other places.

Shri Ramavtar Shastri : I had an occasion to visit various labour camps in South Delhi. There is no provision for water and electicity for the residents.

These camps in the name of big people are constucted over night. How can all the aminities be provided over night.

श्री सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा प्रवृत्त पंजाब की राजधानी (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1952 का और संशोधन करने वाले विधयक पर राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion waas aobted,

सभापति महोदय : खण्ड 2 से 7 में कोई संशोधन नहीं है। प्रश्न यह है :
"कि खण्ड 2 से 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खण्ड 1

संशोधन किया गया :–

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

Twenty third (तेइसवां) के स्थान पर Twenty fourth (चौवीसवां) प्रतिस्थापित किया जाये।

(श्री भोला पास्वान शास्त्री)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1 संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने" ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted,

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 1, as amended, was added to the Bill,

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :–

पृष्ठ 1, पंक्ति 4, "1972" के स्थान पर "1973" प्रतिस्थापित किया जाये ।

(श्री भोला पास्वान शास्त्री)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"अधिनियन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेंयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted,

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप से, विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The enacting formula, as amended, stand part of the Bill.

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।
The Title was added to the Bill.

श्री भोला पास्वान शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं :
"कि विधेयक को, संशोधित रुप में पारित किया जाये ।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :
"कि विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान — मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

ANDHRA PRADESH STATE EGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधियां बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मण्डल की शक्ति राष्ट्रपति को करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रुप में विचार किया जाये।

सभा को विदित है कि 18 जनवरी, 1973 की राष्ट्रपति की उद्घोषणा द्वारा राज्य विधान मण्डल के अधिकार संसद को दिए क्योंकि संसद के दोनों सदन कार्य में व्यस्तता के कारण समुचित समय नहीं दे पायेंगे। अतएव, जैसा कि पहले भी होता रहा है, इस विधेयक द्वारा कानून बनाने के अधिकार राष्ट्रपति को दिए जाने का प्रस्ताव है। एक परामर्श दातृ समिति का जिसमें 40 लोक सभा के और 20 राज्य सभा के सदस्य होंगे, के गठन की भी व्यवस्था की गई है।

मैं सभा को इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए निवेदन करता हूं।

***श्री बी० एन० रेड्डी** (निरयालगुडा) : विधेयक को प्रस्तुत करते समय सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया है।

राष्ट्रपति के शासन से समस्याओं को सुलझाने के स्थान पर उन परिस्थितियों को और भी बिगाड़ा गया है जिनके कारण आन्ध्र प्रदेश के लोगों को आन्दोलन करना पड़ा। राष्ट्रपति शासन द्वारा समस्या के राजनीतिक समाधान में कोई सहायता नहीं मिली। कड़प्पा में 19 मार्च को घटी घटनाओं से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के नंगे अत्याचार सामने आए। सरकार द्वारा दिए गये वक्तव्यों से स्पष्ट है कि कड़प्पा में गोली चलाना नितान्त अनावश्यक था। इससे इस बात को और भी बल मिलता है कि राष्ट्रपति के शासन का अर्थ केवल यही है कि 'केन्द्रीय रिजर्व पुलिस का शासन'।

आन्ध्र प्रदेश के अराजपत्रित कर्मचारियों को परामर्श के लिए यहां बुलाया गया था। हमारी पार्टी बटवारे के पक्ष में नहीं है। उनके बिना समस्याओं के किसी समाधान पर पहुँचने से प्रकट होता है कि सरकार ने इस स्थिति को अनुत्तरदायित्व पूर्ण ढंग से संभाला है। समस्या का एकमात्र समाधान यही है कि राज्य में विद्यमान बेरोजगारी और पिछड़ेपन को दूर किया जाए।

पिछली बार सरकार द्वारा एक वक्तव्य दिया गया था कि वे राज्य की एकता को बनाए रखने के लिए वचनबद्ध है। पिछले चुनाव में प्रधान मंत्री ने अपना रवैया बदला और कहा कि इस बारे में कुछ भी निर्णय हो सकता है। मैं समझता हूं यह राजनीतिक सौदे बाजी से कम नहीं है।

पिछले छः मास से उनकी पार्टी में विद्यमान विभिन्न मतों के बीच परामर्श जारी है। प्रधान मंत्री आंध्र प्रदेश की $4\frac{1}{2}$ करोड़ जनता की समस्या से अपने दल की समस्या को अधिक महत्व देती हैं। इससे स्थिति का समाधान होने के स्थान पर वह और भी गंभीर हो गई है।

*तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।
*Summerised translated version of English translation of speech delivered in Telugu.

इस परिस्थिति में सरकारी सेवाओं की पूरी विफलता के कारण कृषि में गम्भीर परिस्थिति पैदा हो गई है। वहां पर 680 मेगावाट की मांग के स्थान पर 680 मेगावाट बिजली ही उपलब्ध है। इसी कारण से लाखों एकड़ खड़ी खती सूख रही है।

अंत में मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी आन्ध्र प्रदेश की जनता के हितों का बलिदान करके राजनैतिक सत्ता बनाए रखना चाहती है।

***श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** (कड़प्पा) : सबसे पूर्व में कड़प्पा के गोलीकांड में मारे गये अराजपत्रित अधिकारियों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। यह अत्यन्त शोचनीय घटना है।

इस वाद-विवाद में भाग लेने वाले कुछ कांग्रेसी सदस्यों ने इस गोलीकांड से राजनीतिक लाभ उठाना चाहा है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस पर कुछ निरर्थक आरोप लगाये गये हैं। राज्य की आज स्थिति यह है कि एकता की शक्तियां संगठित हो रही है। एकता की शक्तियों को विफल करने के लिए स्वतंत्र पार्टी के नेतृत्व में जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, आन्ध्र सेना एकतावादी बैठकों को विफल करने की चेष्टा कर रहे है। इसके बावजूद वे लोग अपने प्रयत्नों को विफल होता हुआ देख रहे हैं। उनकी बैठकों को हिंसक उपायों द्वारा भंग करने के प्रयत्न कर रहे हैं।

अराजपत्रित अधिकारी अपनी हड़ताल का 100वां दिन मना रहे थे उसमें 'मसीमा' के सम्पादक ने कहा कि एकतावादियों की 18 तारीख को होने वाली बैठक को भंग किया जाये। एकतावादियों के जलूस पर पथराव किया गया। प्रधान मंत्री को भी वहां पर बैठक में भाषण देने की चुनौती दी गई।

यदि कुछ लोग बैठकों में अपने विचार व्यक्त करने की चेष्टा करते है तो क्या इसे 'सिविल वार' कहा जा सकता है।

शांतिपूर्ण इकट्ठे हुए लोगों को तंग किया गया। मै मांग करता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं की जांच की जाय। हम कह नहीं सकते कि राष्ट्रपति का शासन कब तक रहता। पृथकता का आन्दोलन अब समाप्त हो रहा है और आशा है कि एकता बनी रह सकेगी।

तेलंगाना और रायलसीमा के अधिकांश भाग सूखाग्रस्त है। जो धन वहां के लिए आवंटित किया गया है वह अभी तक भी ध्यय नहीं हुआ है। उस धन को शीघ्र लगाया जाये। मुझे उम्मीद है कि हड़ताल समाप्त होने के पश्चात् अराजपत्रित कर्मचारी सहयोग देंगे। धागे के ऊँचे मूल्यों के कारण हाथकरघा के तीन लाख मजदूरों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इन लोगों को उचित मूल्य पर धागा देने की व्यवस्था की जाय। भूमि सीमा नियमों को दृढ़ता से पालन किया जाय और खाद्य व्यापार को हाथ में लेने में विलम्ब न किया जायें।

बेरोजगारी की समस्या राज्य की प्रगति में गम्भीर बाधा बन रही है। आन्दोलन का मुख्य कारण यही समस्या है। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि 12 हजार वार्षिक आय वालों को रोजगार न दिये जाये।

---

*तेलगू में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarised transated version of English translation of speech delivered in Telugu.

[श्री वाई० ईश्वर रेड्डी]

रायलसीमा अकाल से पीड़ित होता आया है उसके पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। वहां पर पर्याप्त खनिज पदार्थ है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार वहां पर विविध उद्योगों की स्थापना करे। इसके लिए एक बोर्ड बनाया जाय और उसके लिए न्यनतम 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जाये।

मैं तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं की मुक्ति नियमों के समाप्त करने के सुझावों का स्वागत करता हूँ।

मैं उम्मीद करता हूँ कि आन्ध्र कांग्रेस के नेता मेरी और हमारी पार्टी के भावनाओं का आदर करेंगे।

***श्री एम० सत्यनारायण राव** (करीमनगर) : विधेयक द्वारा आन्ध्र विधान मण्डल की शक्तियां राष्ट्रपति को देने की व्यवस्था का प्रस्ताव है।

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य कृपया राष्ट्र-भाषा में बोलें।

Shri M. Satyanarayan Rao : To confer these powers on the President is not good. I thought that the President rule in Andhra Pradesh would end in 2-3 months. But the introduction of this Bill shows that the President rule is not likely to end so soon. As, I have already said the President rule is neither in the interest of people nor the Central Govern ment. The advisers who virtually rule there spend most of time in discussions with the Minister. The people there neigher get electricity, nor Diesel, nor other amenities of life. Where should they go? The M.L.As. stand suspended. Why don't you dissolve the assembly?

The demand for the division of Andhra Pradesh is not from Jana Sangha or Swantantra but from Congress.

The statement of Shri Ram Gopal Reddy that this movement is with the intention to do away with records, is not convincing.

It is not good to give all the powers to the President. As whatever you say he is required to sign it.

If you give half an hour more I can place before you the difficulties of the people. The C.R.P. tease the people, insult the ladies. What is the difference between your Government and that of Yahya Khan's Government?

I condemn destruction of property and I have condemned destruction in over fifty public meetings, although I am in favour of separation.

I urge upon the Government that C.R.P. personnel should not be allowed to inflict atrocities on the demonstrators for suppressing the movement. I am sorry to observe that women demonstrators were molested by the police personnel. I demand that the Home Minister should not defend the police for such activities.

I have already urged upon the Prime Minister that Government should set-up popular Government there as early as possible. In the present circumstances prevailing there we do not find any difference between Yahya rule and your rule so far as this State is concerned.

*तेलगु में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।

*Summarized translated version of English translation of speech delivered in Telugu.

I also suggest that Mr. Saleen should be advised to supply power atleast to the agriculturists. Farmers should be allowed to purchase diesel from Bombay to energize oil engines so that standing crops are saved from destruction.

I would like to suggest that Government should solve the problems of the people and they should not be instigated to involve themselves in the agitations.

Shri M. Ram Gopal Reddy (Nizamabad) : Sir, it has been correctly stated that malpractices are being exercised in distribution of power. N.G.Os. have adopted a practice to provide electricity only to those farmers who offer them bribes. I think this movement is being launched mostly by N.G.Os.

I would like to draw the attention of the House to the fact that the earnings of the commonmen like taxi driver, riksha puller etc. in Hyderabad city have gone much down since the agitations the total income of Hyderabad city has reduced from Rs. 35 crores to Rs. 7 crores. Lakhs of people engaged in construction works and other small works have no interest in this movement. But they are afraid of these separatists and of their violent activities. Thus they are forced to attend the meetings and the demonstration held by separatists who are actually in a small number.

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1973 के बारे में मैं डी० एम० के० की ओर से विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

आन्ध्र प्रदेश विधान मण्डल को अभी तक भंग नहीं किया गया है उसे फिल्हाल निलंम्बित किया गया है। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि जो कार्य विधान मण्डल द्वारा किये जाने थे वह सभी कार्य अब राष्ट्रपति द्वारा किये जाएं।

पड़ौसी होने के नाते हम आंध्र प्रदेश की जनता की कठिनाइयों को भलीभांति जानते हैं। आंध्र प्रदेश ने तमिलनाडू को चावल की सप्लाई में कभी अरुचि नहीं दिखाई किन्तु अब वहां की आर्थिक स्थिति खराब है। आन्ध्र प्रदेश के बहुत बड़े भाग में सूखा का प्रबंध है तथा वहां की साधारण जनता कठिनाइयों का सामना कर रही है। केन्द्रीय सरकार ने सशस्त्र पुलिस को निर्दोष जनता पर अत्याचार करने की अनुमति देकर वहां स्थिति को और भी गम्भीर बना दिया है। इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है कि वहाँ की संकटग्रस्त जनता को वित्तीय सहायता दी जाए तथा उनके पुनर्वास की शीघ्र व्यवस्था की जाए।

सम्पूर्ण राज्य में हो रहे हिंसात्मक आन्दोंलनों के कारण करोड़ों रुपयों की लोक-सम्पत्ति नष्ट हो गई है। अतः बलप्रयोग से आन्दोलन को दबाने की बजाय सरकार को उपचारात्मक कदम उठाने चाहिये तथा वहां सार्वजनिक संस्थानों को राज्य की आर्थिक प्रगति के लिए प्रयत्न करने का अवसर दिया जाना चाहिये।

राष्ट्रपति शासन के दौरान यह उपाय किये जाने चाहिये कि एन० जी० ओज० को अनावश्यक रूप से तंग न किया जाए। उनके साथ बदले की भावना से व्यवहार न किया जाए तथा उनका वेतन आदि का भुगतान करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाए।

***तमिल में दिये गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपांतर।**

***Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.**

(श्री. ई, आर. कृष्णन)

मैं यह भी सूझाव देना चाहता हूं कि विभाजन के बारे में आन्ध्र प्रदेश की जनता को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाए तथा जनमत संग्रह के बारे में तुरंत आदेश दिये जाएं। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि आन्ध्र प्रदेश की जनता को राहत दिये जाने तथा उनकी स्थिति में सुधार किये जाने के बारे में सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

Shri Rudra Pratap Singh (Bara Banki) : I rise to support this Bill. I would like to point out that our Government and our party are committed to the policy of balanced development of all the backward areas. We have full sympathy to the people of backward aeras and want to remove regional imbalances.

We believe in national solidarity which can not be brought without obtaining unit at state, development block and village levels. Delegation of power sought to be conferred on the President through the Bill should not be opposed by the opposition parties. Since it envisages a consultative committee consisting of 40 Members from Lok Sabha and 20 Members from Rajya Sabha. Members of the opposition parties should co-operate with the Government in this matter.

गृह मंत्रालय में उप मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : इस चर्चा में भाग लेने के लिये मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं। इस विधेयक में आन्ध्र प्रदेश के लिये राष्ट्रपति को कानून बनाने के अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 357(1) (क) में इसकी व्यवस्था है। माननीय सदस्य जानते हैं कि संसद् के पास उन राज्यों के लिये कानून बनाने के लिये बहुत कम समय होता है जो राष्ट्रपति शासन के अधीन है।

इस प्रयोजन के लिए एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी जिसमें 40 सदस्य लोक सभा से होंगे तथा 20 सदस्य राज्य सभा से। इस समिति के समक्ष इन सब उपायों को रखा जाएगा जैसा कि, प्राय: किया जाता रहा है। यह भी प्रयत्न किया जाएगा कि हम सलाहकार समिति में सभी राजनैतिक दलों के सदस्य सम्मिलित किये जाएं तथा उनको किसी भी कानून में संशोधन प्रस्तुत करने तथा सुझाव देने का अधिकार होगा। यह व्यवस्था पर्याप्त लोकतंत्रात्मक है तथा इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये!

यह कहना सच नहीं है कि राष्ट्रपति शासन के बाद वहां स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है। मैंने हैदराबाद का दौरा किया था तथा सलाहकारों से विचार-विमर्श भी किया था। एन० जी० ओज० की हड़ताल समाप्त हो गई है तथा वहां स्थिति सामान्य होती जा रही है। यह भी आशा है कि छात्र शीघ्र ही अपने स्कूलों में आना आरम्भ कर देंगे।

यह सच है कि जनता को सुविधाएं प्रदान किये जाने के लिए जितनी कार्यवाही की जानी चाहिए थी उतनी अभी नहीं की गई है। इस ओर प्रशासन को अधिक ध्यान देना है तथा सूखा की स्थिति से ग्रस्त जनता के लिये अधिक राहत कार्य करने हैं। श्री ईश्वर रेड्डी ने उपयुक्त सझाव दिये हैं तथा उनकी जांच की जाएगी। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वहां सामान्य स्थिति उत्पन्न रहने के लिये मिलकर प्रयत्न किये जाएं। जहां तक विभाजन का प्रश्न है हमने उस मांग को स्वीकार नहीं किया किन्तु साथ ही हमने इस बारे में कोई अंतिम निर्णय भी नहीं किया। केन्द्र और राज्य के नेताओं के बीच विचार बिमर्श किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि वहां सामान्य स्थिति उत्पन्न हो तथा लोक हिंसात्मक उपायों के द्वारा किसी लक्ष्य की प्राप्ति की धारणा त्याग दें। **(व्यवधान)**

विधान मण्डल को भंग न करके केवल निलम्बित किये जाने के तथ्य से स्पष्ट होता है कि हम वहां राष्ट्रपति शासन केवल तभी तक लागू रखना चाहते हैं जब तक कि उसकी आवश्यकता हो। अब यह वहां की जनता और नेताओं पर निर्भर करता है कि वे कब तक वहां स्थिति को सामान्य बनाते हैं।

कुडडप्पा घटना के सम्बन्ध में सभा को यह जानकारी दे दी गई है कि उस घटना की न्यायिक जांच का आदेश दे दिया गया है। सी० आर० पी० की उन दोनों कम्पनियों को भी वहां से हटा लिया गया है जिनपर यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अत्याचार किये हैं। उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही किया जाना भी स्वाभाविक है। सी० आर० पी० की सेवाएं राज्यों को राज्य सरकारों के कहने पर ही दी जाती हैं तथा आवश्यकता के बिना सी० आर० पी० को कहीं नहीं भेजा जाता।

आन्ध्र क्षेत्र में हिंसात्मक गतिविधियों के दौरान नष्ट की गई सरकारी सम्पत्ति तथा निजी सम्पत्ति को ध्यान में रखकर ही सरकार ने वहां सी० आर० पी० नियुक्त की। मैं एक बार पुनः माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वहां सामान्य स्थिति उत्पन्न करने के लिये मिलकर प्रयत्न किये जाए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधियां बनाने के लिए आन्ध्र प्रदेश राज्य विधान मण्डल की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदत्त करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

सभापति महोदय : इसमें कोई संशोधन नहीं हैं। अतः प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, 3, 1, अधिनियम सूत्र, तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 2, 3, 1, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 2, 3, 1, the enacting formula and the Title were added to the bill.

श्री एफ० एच० मोहुसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

***विदेशी स्वामित्व वाली सिगरेट कम्पनियां द्वारा लाभ की राशि स्वदेश भेजे जाने पर छूट**

***Moratorium on Remittancees of profits by Foreign owned Cigarette Companies.**

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : महोदय, आजकल विदेशियों ने जितनी लूट पाट मचाई हुई है उतनी कभी नहीं थी। विदेशी कम्पनियां प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुप से भारी राशि स्वदेश भेज रही है तथा एकाधिकार का विस्तार करती जा रही है। वित्त मंत्रालय का आर्थिक कार्य विभाग तथा औद्योगिक विकास बैंक आदि उनसे मिले हुए हैं तथा कम मूल्य के बीजक बताकर और अधिक मूल्य के बीजक बताकर भारी घुटाला किया जा रहा है।

सिगरेट उद्योग इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। लगभग 81 प्रतिशत उद्योग पर विदेशी कम्पनियों का स्वामित्व या नियंत्रण है। इन कम्पनियों के प्रबन्धक संसद्-सदस्यों की भी परवाह नहीं करता।

दिनांक 21 मार्च 1973 के तारांकित प्रश्न संख्या 411 के उत्तर में बताया गया है कि देश के सिगरेट उद्योग में विदेशी पूंजीनिवेश लगभग 1623.94 लाख रुपया है तथा स्वदेशी पूंजी निवेश लगभग 862.26 लाख रुपया है। इस पर भी सरकार यह आश्वासन देती है कि सरकार की यह नीति है भारतीय स्वामित्व वाली सिगरेट फर्मों को बढ़ावा दिया जाए उनका उत्पादन बढ़ाया जाए ऐसी कम्पनियां स्थापित की जाएं जिनमें शत प्रतिशत स्वामित्व भारतीय हो। ये केवल कथन मात्र हैं तथा सरकार का वास्तव में इन नीतियों में कोई विश्वास नहीं है।

महोदय! लाभ के रूप में विदेशों को भेजी जाने वाली राशि में दिनप्रति दिन वृद्धि होती जा रही है। भूतपूर्व मंत्री महोदय ने सभा में इण्डियन टोबेको कम्पनी तथा वजीर सुल्तान कम्पनी द्वारा भेजी गई धनराशि के बारे में बताया था। अतारांकित प्रश्न संख्या 2293 के उत्तर में बताया गया था कि मैसर्स इण्डिया टोबैको कम्पनी ने 1969 में 138.29 लाख रुपया 1970 में 143.61 लाख रुपया तथा 1971 में 146.05 लाख रुपया स्वदेश भेजे।

श्री एम० आर० कृष्ण ने 11–12–70 को सभा में यह कहा था कि 3.5 करोड़ रुपये लाभ के रुपमें विदेश भेजे गये। उन्होंने यह भी कहा था कि आज यह धनराशि अधिक हो सकती है किन्तु हमारा प्रयत्न है कि दाम में कमी की जाए।

दोषपूर्ण कानूनों का लाभ उठाकर ये विदेशी कम्पनियां बाजार पर एकाधिकार जमाए हैं तथा कच्चे माल की मनमाने ढंग से वसूली करती हैं। हमारे लिये आर्थिक विभाग तथा औद्योगिक विकास मंत्रालय दोषी है।

इण्डियन टोबैको कम्पनी ने अपने 1972 के तुलना पत्र में ट्रेडमार्क और गुडविल के अन्तर्गत 4, 90, 34, 487 रुपयों की राशि दिखाई है। 31 मार्च 1972 के लिये नैट बुक वैल्यू भी उतनी ही दिखाई गई है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच नहीं है कि इण्डियन टोबैको कम्पनी इन राशि पर 14 प्रतिशत लाभांश लेती है। मुझे ज्ञात है कि प्रति वर्ष इस राशि पर 68.6 लाख रुपयों की विदेशी मुद्रा लाभांश के रूप में दी जाती है। हमारे लिये यह अत्यंत खेद की बात है।

***आधे घंटे की चर्चा।**

***Half an hour discusstion.**

मैंने अन्तर्राष्ट्रीय ब्रांड नामों के बारे में रिजर्व बैंक से जानकारी मांगी थी किन्तु रिजर्व बक ने बताया कि विदेशी कम्पनियों के सभी ब्रांड नामों से सम्बन्धित आंकड़े नहीं रखे जाते।

विदेशी व्यापार चिन्हों से सम्बन्धित प्रश्न के उत्तर में बताया गया था कि वर्तमान आंकड़ों के आधार पर मत बताना सम्भव नहीं है कि व्यापार चिन्हों के उपयोग के लिए विदेशी कम्पनियों को शेयर बेचने की अनुमति दी गई है अथवा नहीं।

(श्री एस० ए० कादर पीठासीन हुए)
[SHRI S. A. KADAR *in the chair*]

1968 में इस कम्पनी की नैट आस्तियां 3482 लाख रुपया थीं तथा 1972 में वह बढ़कर 4611 लाख रुपया हो गई, 1968 में संयंत्र और मशीनों का कुल मूल्य 513 लाख रुपया था जो 1972 में 961 लाख रुपया हो गया। इसी प्रकार दूसरे उत्पादन और लाभ में भी भारी वृद्धि हुई है।

वजीर सुल्तान टोबैको कम्पनी के संयंत्रों और मशीनों का कुल मूल्य 1968 में 146 लाख रुपया था जो 1972 में बढ़कर 251 लाख रुपया हो गया। इस कम्पनियों की कुल आस्तियों में 48 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मैंने जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये हैं मैं उनकी सचाई का भी दावा करता हूं।

लगभग एक वर्ष पहले केवल इण्डियन तम्बाकू कम्पनी की बिक्री 170 करोड़ रुपये की थी। गत वर्ष उन्होंने वर्ष 1972 के अपने संतुलन-पत्र में बताया है कि 200 करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी। मार्च, 1972 के समाप्त होने वाले वर्ष का व्यापारिक लाभ 3.42 करोड़ रुपये बताया गया है जबकि वर्ष 1971 में लाभ की राशि 3.29 करोड़ रुपये थी। यह एकाधिकार को रोकने का परिणाम है, वर्ष 1963 में इनकी कुल आय 5041 लाख रुपये थी। परन्तु वर्ष 1968 में यह 10788 लाख रुपये हो गई। वर्ष 1972 में यह फिर दुगुनी हो गई—20007 लाख रुपये। 13-5-1969 को सरकार ने कहा था कि सरकार की नीति भारतीय फर्मों द्वारा सिगरेटों का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहन देने की है। अगस्त, 1970 में फिर इसी बात को दोहराया गया था। वर्ष 1973 में भी वही बात कही जा रही है परन्तु वास्तविक स्थिति बिल्कुल भिन्न है। वास्तव में विदेशी कम्पनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्ष 1967 में इण्डियन तम्बाकू कम्पनी की क्षमता 4,2400 लाख थी जो आज 400000 लाख से भी अधिक है और वे 350000 लाख सिग्रेट बना रहे हैं। क्या भारतीय उत्पादक इनकी प्रतियोगिता कर पायेंगे? दि इम्पीरियल तम्बाकू कम्पनी, वजीर सुलतान तम्बाकू मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी और गाडफ्रे फिलिप्स कम्पनी के पास 80 प्रतिशत व्यापार है अर्थात उन्हें बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिये 66600 लाख सिग्रेट बनाने की अनुमति दी गई थी। वस्तुस्थिति यह है कि अनेक भारतीय कम्पनियां इन विदेशी कम्पनियों के नाम पर सिगरेट बना रही है क्योंकि उनके अपने नाम से उनके सिगरेटों की बिक्री नहीं होती है। ब्रिटिश तम्बाकू कम्पनी भारतीय तम्बाकू कम्पनियों की वास्तव में मालिक है। वे 40 देशों में 62 कम्पनियों पर नियंत्रण रख रही हैं और उनके 150 कारखाने हैं। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में कितने आशय-पत्र जारी किये गये हैं और कितने कारखाने लगाये गये हैं? मुझे पता चला है कि 18 में से एक कारखाना लगा है। 17 भारतीय उद्यमकर्ताओं द्वारा कारखाने न लगाये जाने के क्या कारण हैं? तम्बाकू उत्पादक, श्रमिक, विदेशी मुद्रा और उपभोक्ता को लूट जाने

[श्री जोतिर्मय बसु]

से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है? इण्डियन तम्बाकू के सिग्रेट विशेष का मूल्य 9 पैसे है जबकि तम्बाकू के मूल्य में एक पैसे की भी वृद्धि नहीं हुई है। हम मांग करते हैं कि इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण किया जाये।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम) : मंत्री महोदय ने स्वयं एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि हमारे देश के सिग्रेट उद्योग में इक्विटी पूंजी का विदेशी निवेश लगभग 16.24 करोड़ रुपये हैं और इक्विटी पूंजी में भारतीय निवेश 8.62 करोड़ रुपये का है। उन्होंने इस बात की भी घोषणा की थी कि सरकार की नीति सिगरेटों की बाढ़ती हुई मांग को देखते हुए भारतीय स्वामित्व वाली फर्मों द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहित करने की है सिग्रेट बनाने वाली भारतीय फर्मों को शतप्रतिशत लाइसेंस देने की है। मैं पूछना चाहता हूं कि गत तीन वर्षों में भारतीय उद्यमकर्ताओं द्वारा सिग्रेट बनाने के कारखाने लगाने के लिये कितने औद्योगिक लाइसेंस दिये गये हैं और इस अवधि में कितने कारखाने लगाये गये हैं।

मैंने एक समाचार पढ़ा था कि तमिलनाडु में धर्मपुरी में सिग्रेट बनाने का एक कारखाना लगाया जाना है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कारखाना कब तक लगाया जायेगा और क्या भारत सरकार इस कारखाने के लिये अपेक्षित सहायता देगी? अन्त में मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार देश में विदेशी सिग्रेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करेगी?

श्री के० गोपाल (करुर) : इन विदेशी कम्पनियों ने जितना लाभ अपने अपने देशों को भेजा है वह उनकी पूंजी से कई गुना अधिक है क्योंकि उनके द्वारा लाभांश आदि के रूप में हर वर्ष औसतन 2 करोड़ रुपये स्वदेश भेजे जाते हैं। अतः क्या सरकार इस उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने पर विचार करेगी, यदि नहीं, तो क्या सरकार विदेशी अंशधारियों को इस बात के लिये बाध्य करेगी कि वे अपने इक्विटी अंशों को भारतीयों को बेच दें?

क्या सरकार इन विदेशी कम्पनियों को निकाल बाहर करेगी क्योंकि इन कम्पनियों का प्रबन्ध, यद्यपि ये विदेशी कम्पनियां है, भारतीयों के हाथ में है? यदि इन कम्पनियों में से किसी को विस्तार करने की अनुमति दी जानी है तो वह देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के लिये अत्यावश्यक वस्तुओं तक सीमित रहनी चाहिये। इण्डिया तम्बाकू कम्पनी को होटल उद्योग में आने की अनुमति दी गई है। उन्हें गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने सम्बन्धी उद्योग चलाने की भी अनुमति दी गई है यद्यपि उन्हें इसके बारे में कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। सरकार को विदेशी कम्पनियों की इक्विटी पूंजी की प्रतिशतता कम करनी चाहिये और उन्हें नये उद्योगों में नहीं आने देना चाहिये।

औद्योगिक विकास तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री सी० सुब्रह्मण्यम) : यह चर्चा नियम 55 के अधीन की जा रही है। जिस प्रश्न को ले कर यह वादविवाद किया जा रही है वह पांच विदेशी सिग्रेट कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने और लाभ की राशि को अन्य देशों को भेजने पर रोक लगाने के बारे में है। मैंने स्पष्ट रूप से बता दिया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। मैंने जो उत्तर दिया है उसका कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं मांगा गया है जिसका मैं उत्तर दूं।

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

इस अल्पकालीन चर्चा के दौरान राष्ट्रीयकरण के बारे में गम्भीर नीतियों अथवा देश में वर्तमान विदेशी कम्पनियों के बारे में पूरी चर्चा नहीं की जा सकती। फिर भी मैं इस अल्पकालीन चर्चा के दौरान गलत धारणाओं को दूर करने का प्रयास करूँगा।

चर्चा प्रारम्भ करने वाले सदस्य के प्रत्येक भाषण और प्रत्येक वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य ही देश के हितों की रक्षा कर सकते है और अन्य कोई नहीं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अमरीकी दबाव में आकर उन्होंने रुपये का अवमूल्यन कर दिया और अब यह कहते हैं।

सभापति महोदय : अगर आप मन्त्री महोदय की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे नियम के अन्तर्गत मन्त्री महोदय से अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखने के लिए कहना पड़ेगा। आपस में बातचीत या झडपे नहीं होनी चाहिए।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : मुख्यत: ये प्रश्न उठाये गये हैं कि विदेशी कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाय। जहां तक राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, प्रधान मन्त्री ने राज्य सभा में 3 मार्च, 1970 को एक नीति सम्बन्धी वक्तव्य दिया था, जो आज भी सरकार की नीति को स्पष्ट करता है। इस महत्वपूर्ण वक्तव्य में यह कहा गया था: "मैं राष्ट्रीयकरण से नहीं डरती, न मेरा यह विश्वास ही है कि राष्ट्रीयकरण ही हमारा सभी कठिनाइयों का हल है। हमारा दृष्टिकोण वास्तविक और व्यावहारिक होना चाहिये। अगर किसी समय कोई गैर सरकारी उद्योग राष्ट्रीय हितों अथवा समाज की प्रगति के विरूद्ध काम करता है, तो हम उसका सरकारीकरण करने में नहीं हिचकिचायेंगे। इस समय हम विकास की गति को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि बरोजगारी और असमानताओं सम्बन्धी समस्याओं को हल किया जा सके। इसके लिय सही नीति ही नहीं, बल्कि कठिन श्रम, अधिक मात्रा में बचत और अधिक पूंजी विनियोग की आवश्यकता है। आर्थिक युद्ध में राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण प्ररुप है, जिसका सावधानी और उचित ढंग से उपयोग होना चाहिए। यह हमारी राष्ट्रीयकरण संबंधी नीति है। विदेशी कम्पनियों के बारे में भेदभाव बरतने का कोई प्रश्न ही नहीं है। किसी कम्पनी का स्वामित्व केवल विदेशी होने के कारण उसका राष्ट्रीयकरण करने का कोई आधार नहीं बनता है"।

प्रश्न तो यह है कि इस क्षेत्र में हम भारतीय उद्योग को किस प्रकार बढावा दे रहे हैं। अधिकांश विदेशी शेयरों वाली कम्पनियों का इस क्षेत्र में प्रभुत्व है। इसलिए भारतीय उद्योग को बढावा देने के लिए 7500 करोड़ सिगरेटों के कुल उत्पादन के लिए तीन लाइसेंस और 15 आशयपत्र जारी किये गये हैं। वर्तमान उत्पादन क्षमता 6500 करोड़ सिगरेटों का उत्पादन करने लायक है।

श्री कृष्णन ने धर्मपुरी जिले के लाइसेंस के बारे में प्रश्न पूछा था, जहां से मैं निर्वाचित हुआ हूं। आशय पत्र तमिलनाडु राज्य औद्योगिक विकास निगम को जारी किया गया है। उन्होंने शर्तें पूरी करने के लिए कोई भी कार्यवाही नहीं की है। मुझे आशा है कि आशयपत्र को लाइसेंस में और लाइसेंस को सिगरेटों के उत्पादन के कारखाने में बदलने के लिए तमिलनाडु सरकार शीघ्र कार्यवाही करेगी। सम्भव है कार्यवाही इसलिए न की गई हो, क्योंकि मैं उस क्षेत्र से निर्वाचित हुआ हूं।

*श्री ई० आर० कृष्णन् : मुझे पता चला है कि इस बारे में पिछले सप्ताह तक राज्य सरकार को केन्द्रीय सरकार से कोई सूचना नहीं मिली है। औद्योगिक विकास मंन्त्री कहां तक सही हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : मुझे नहीं पता कि उन्हें केन्द्रीय सरकार से क्या सूचना चाहिए। लाइसेंस को पाने के लिए उन्हें आशय पत्र की शर्तें पूरी करनी चाहिएं। (व्यवधान) अगर कारखाने की स्थापना करने के लिए सहायता की आवश्यकता होगी, तो वह भी सहर्ष उपलब्ध की जायेगी। मुझे आशा है कि उनकी पार्टी की तमिलनाडु सरकार इस सहायता का स्वागत करेगी ।

अगला प्रश्न विदेशी कम्पनियों में इक्विटी शेयरों को व्यापक आधार देना है। जब भी किसी विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों का हमारे पास विस्तार कार्यक्रम अनुमोदनार्थ आता है, तो हमारी शर्त यह होती है कि इक्विटी शेयरों को व्यापक आधार दो। पहले ये शेयर 51% तक करने होते हैं और बाद में 40% तक। विदेशों में धन भेजने की कार्यवाही को नियन्त्रित करना होगा और इसके लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम में संशोधन करने सम्बन्धी एक विधयक विचाराधीन है। विधेयक के कानून बन जाने पर लाभ और लाभांशों की राशि विदेश भेजने पर प्रतिबन्ध और नियन्त्रण लगाने के लिए कार्यवाही की जा सकेगी। मुझे आशा है कि विधेयक शीघ्रातिशीघ्र पेश किया जायगा।

25 लाख रुपये की राशि और अन्य आरोप पूर्णत: असंगत और निराधार हैं। इसलिए माननीय सदस्यने जो कुछ भी कहा है, हम उसकी उपेक्षा कर रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद : लगभग 16 करोड़ रु० की विनियोजित पूंजी वाली यह विदेशी कम्पनी प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ रुपये की भारी राशि मुनाफे के रूप में विदेश भेजती रही है। विनियोजित पूंजी से अधिक राशि यह कम्पनी विदेशों में भेज चुकी है। क्या इसे ध्यान में रखते हुए सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री वसन्त साठे (अकोला) : प्रधान मन्त्री ने अपने नीति सम्बन्धी वक्तव्य में "राष्ट्रीय हित" शब्द कहा था। जब एक गैर प्राथमिकता वाली कम्पनी विनियोजित पूंजी से अधिक राशि विदेश भेज चुकी है, तो उन्हें विदेशों में लाभ भेजते रहने की अनुमति देते जाना क्या हमारे राष्ट्रीय हित में है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : श्रीमान् जी, मैं उच्च नीति सम्बन्धी इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता (व्यवधान)

सभापति महोदय : चर्चा का जो प्रमुख विषय था, उसका उत्तर नहीं दिया गया है। मन्त्री महोदय ने यह उत्तर नहीं दिया है कि पाँच विदेशी स्वामित्व वाली कम्पनियों का क्यों राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है? 18 लाइसेंन्स जारी किये गये, जिनमें से केवल एक कारखाना ही स्थापित हो सका है? मन्त्री महोदय का इस बारे में क्या उत्तर है ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : जहां तक राष्ट्रीयकरण का सम्बन्ध है, मैं नीतिको स्पष्ट कर चुका हूं। सदस्य चाहें, तो नीति बदल सकते हैं।

श्री वसन्त साठे : नीति हम नहीं बदलते ।

---

*तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर।

*Summarised translated version of English translation of the speech delivered in Tamil.

श्री सी० सुब्रह्मण्यम : सरकार की नीति महत्वपूर्ण उद्योगों का ही राष्ट्रीयकरण करने की है, गैर-प्राथमिकता वाले उद्योगों की नहीं।

सभापति महोदय : यह प्रश्न उठाया गया है कि अगर राष्ट्रीय हित पर आँच आती हो, तो राष्ट्रीयकरण करने के लिए सरकार तैयार है अथवा नहीं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : अगर हम किसी विदेशी कम्पनी का राष्ट्रीयरण करते हैं तो हमें मुआवजा देना होगा। हमें यह भी विचार करना पड़ेगा कि सरकार कम्पनी पर नियन्त्रण रखे अथवा नहीं ? इसीलिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम पर विचार किया जा रहा है। इसके तैयार हो जाने के बाद 40 प्रतिशत से अधिक विदेशी इक्विटी शेयर वाली कम्पनी को अपने अस्तित्व के लिए सरकार से अनुमति लेनी होगी। उस समय सरकार इन सब बातों पर पर्याप्त विचार कर सकेगी। लेकिन किसी कम्पनी का विदेशी होना ही अपने आप में राष्ट्रीयकरण का कारण नहीं बनता। पामआलीव एण्ड कालगेट में केवल 16 लाख रुपये की पूंजी लगी है, परन्तु कई करोड़ रुपये यह कम्पनी विदेश भेज चुकी है। सरकार को इन सब बातों की जानकारी है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : 40 प्रतिशत से अधिक के विदेशी इक्विटी शेयर वाली कम्पनी के बारे में ही विधेयक में यह प्रावधान है।

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : विधेयक अन्तिम रूप से किस प्रकार का होगा, यह निर्णय तो यह सदन करेगा। अगर सदन अधिक कठोर उपबन्ध बनाना चाहेगा, तो हम विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जो 18 आशय पत्र अथवा लाइसेंस जारी किये गये उनमें से कितने कारखाने वस्तुतः स्थापित हो चुके हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : जैसा कि मैंने बताया—तीन लाइसेन्स जारी किये जा चुके हैं, जिनमें से एक में उत्पादन शुरु होने वाला है और बाकी दो निर्माण के विभिन्न स्तरों में हैं। जहां तक अन्य पन्द्रह का प्रश्न है, वे अभी आशय पत्र की ही स्थिति में हैं। उनमें से अनेक राज्य औद्योगिक विकास निगमों के माध्यम से आये हैं। इसलिए, उन्हें लाइसेन्स में बदलवाने के कार्य को करना है। हम सहायता देने के लिए तैयार हैं। विदेशी कम्पनियों के उत्पादन की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के बारे में भी हम विचार कर रहे हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : विदेशों में लाभ की राशि भेजने पर एक निश्चित अवधि के लिए रोक लगाने के प्रश्न के बारे में उत्तर नहीं दिया गया है।

सभापति महोदय : क्या नये प्रश्न का मन्त्री महोदय उत्तर देने के लिए तयार हैं ?

श्री सी० सुब्रह्मण्यम् : विविधीकरण का प्रश्न नहीं उठता।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 27 मार्च, 1973/6 चैत्र, 1895 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Tuesday, the 27th March, 1973/Chaitra 6, 1895 (Saka).

MGIPN—S8—5L.S.S./73—29-6-73—490